त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 5

मंगलवार, 29 फरवरी, 2000
10 फाल्गुन, 1921 (शक)

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 60
Date 14/3/2001

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 29 फरवरी, 2000/10 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कालम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80	9–41
अतारांकित प्रश्न संख्या 657 से 886	41–370
सभा पटल पर रखे गए पत्र	371–376
सामान्य बजट, 2000-2001	381–415
श्री यशवन्त सिन्हा	381–425
वित्त विधेयक, 2000	425–426
श्री यशवन्त सिन्हा	425

लोक सभा

मंगलवार, 29 फरवरी, 2000/10 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव अत्यन्त प्रसन्न हैं कि उनका पुत्र भी उनके पदचिह्नों पर चल रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या - 61 - श्री माधवराव सिंधिया।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, हमें एक समस्या है आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी *...(व्यवधान)* हम सबका यही मानना है कि आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): हम आपका विनिर्णय चाहते हैं। महोदय *...(व्यवधान)* कल आपने कहा था कि आप अपना आदेश जारी करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, आपको सदन की राय भी लेनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इस पर नियम 184 के तहत बहस कराई जाए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय इससे पहले कि आप अपील करें कृपया हमारी अपील सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जैसा कि आपको मालूम है कि यह मामला आज की कार्य सूची में नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय नेताओं ने कल मुझसे भेंट की थी और मैं इसकी छानबीन कर रहा हूं। अब कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। आइए हम प्रश्न काल जारी रखते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ : महोदय पिछले चार दिनों से हम यही मामला उठा रहे हैं और आपको यह अपील तीन दिन पहले करनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आज बजट प्रस्तुतीकरण के कारण मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप प्रश्न काल जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ : बजट प्रस्तुतीकरण का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला आज की कार्यसूची में भी नहीं दिया गया है। कृपया इस बात को समझिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, जब तक आप अनुमति नहीं देंगे यह सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा और वे इसे सूचीबद्ध करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। इस मुद्दे पर हम सबकी यही राय है। महोदय, आप हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं। हम अपनी भावना को अभिव्यक्त *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): कोई विवाद नहीं होगा। आप तारीख तय कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय इस मुद्दे पर यदि आप कहते हैं कि नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा मेरे विचाराधीन है तो हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन यह कहने मात्र से कि यह मामला आपके विचाराधीन है अथवा कि बजट पर विचार किया जाना है से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, कृपया समझिए कि यह मामला आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय यदि आप कहते हैं कि नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कराने पर आप विचार कर रहे हैं तो हम आपकी बात मान जाएंगे। कृपया हमारे साथ भी सहयोग कीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसकी छानबीन कर रहा हूं कृपया समझिए कि आज हमें बजट प्रस्तुत करना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल मेरी माननीय नेताओं के साथ काफी सार्थक बैठक हुई थी।

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : पिछले सात दिनों से यही कहानी चल रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, हमारी भी एक वास्तविक अहम भावना है जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और आप उसके लिए सहमत नहीं हुए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज बजट प्रस्तुत करना है। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : पहला प्रश्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से संबंधित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अपने कक्ष में हुई बैठक के बारे में बताकर आपने बड़ी कृपा की है कल आपने हमें अपने कक्ष में बुलाकर बड़ी सहृदयता दिखाई और हमने आपके विचारार्थ अपने विचार व्यक्त किए थे और आपसे निवेदन किया। चूंकि आप मामले पर विचार कर रहे हैं हमने मान लिया कि आप नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा निर्धारित करने के लिए तिथि पर विचार कर रहे हैं। अत: क्या मैं आपसे यह बताने का अनुरोध कर सकता हूं कि नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति किस तारीख को दी जाएगी? ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): हम नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा के सिवाय कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। कृपया हमें दिनांक व समय बताएं जब यह चर्चा आरम्भ की जाएगी।

श्री पी.एच. पांडियन : पहला प्रश्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक से संबंधित है। आप इसे अभी लें।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैं माननीय सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): कल आपने मुझे चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी थी ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : वहां प्रक्रिया का प्रश्न है आज के बुलेटिन में दिया गया है कि चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत आरम्भ की जाएगी। वह हमें स्वीकार्य नहीं है। आप दिन निर्धारित कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हमने कहा है कि हम संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा में रह कर अपनी बात कह सकते हैं। आपने पिछले चार दिनों से सदन में राजनीतिक दलों की विचारधारा को सुना है। यह मामला उस हद तक पहुंच गया है कि सदन में सहयोग एक पक्ष से अपेक्षित है। उसी समय राष्ट्र जानना चाहता है कि इस मुद्दे जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट है, का हश्र क्या हुआ। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने पूरे अधिकार से सभा को यह अवगत करा दें कि इस मुद्दे पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कराने का विचार कर रहे हैं लेकिन दिन और समय बाद में निर्धारित किये जा सकते हैं। आप सिर्फ इतना कह दीजिए। हम आपके साथ सहयोग करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): हम सभा की कार्यवाही चलाने में अध्यक्षपीठ को सहयोग करते हैं। हम अभी भी वही कर रहे हैं लेकिन यह ऐसा मुद्दा है कि अध्यक्षपीठ को इस ओर के सदस्यों को इसकी अनुमति देनी चाहिए। पूरा राष्ट्र हमारी ओर देख रहा है। हम राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हैं। तिथि निर्धारित कर दीजिए कि नियम 184 के अन्तर्गत यह चर्चा की जाएगी और तत्पश्चात् हम बैठ जाएंगे और सहयोग करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूप पाल, मैं आपसे और सभी सदस्यों से पुनः अपील कर रहा हूं कि अध्यक्षपीठ को सहयोग कीजिए।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): यह लोग नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही चलाई जाए।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): श्री प्रियरंजन दासमुंशी किस प्रकार कह सकते है कि वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? कांग्रेस पार्टी किस प्रकार कह सकती है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है? लोक सभा में उनके केवल 112 सदस्य हैं और अभी हाल ही में समाप्त हुए 3 विधान सभाओं के चुनावों में वे बुरी तरह हार गए हैं। राष्ट्र ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया है। उनका दल पराजित दल है। वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हम हैं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, रा.ज.ग. राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वे नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर चर्चा करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि सभा का संचालन कौन करता है अध्यक्ष महोदय आप अथवा विपक्ष? कल ही तो आपने श्री किरीट सोमैया को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी थी। चर्चा अधूरी है आप पुनः नियम 184 के अन्तर्गत किस प्रकार चर्चा आरम्भ कर सकते हैं? सभा ने आपका निर्वाचन किया है। इसलिए आपको न कि विपक्ष को हमें निदेश देना चाहिए। हम उनसे कोई निदेश नहीं लेना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री राजेश पायलट : मै अपने इस युवा मित्र के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : वे कह रहे हैं कि वे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। हार जाने के पश्चात् उन्हें इस प्रकार कहने का अधिकार कहां है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये नहीं चाहते कि सदन चले ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

श्री राजेश पायलट : कृपया मुझे अनुरोध करने दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जो उस तरफ के हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीतकर आए हैं। हम मानते हैं कि वे जीतकर आए हैं, लेकिन आप कैसे जीतकर आए हैं, हम वही बताना चाहते हैं। आपकी दो भाषाएं हैं। एक यहां और दूसरी गुजरात में। आप हमारी भावनाओं को समझिए और हमें देश के सामने सच्चाई को लाने दीजिए जिससे देश जान सके कि सत्ताधारी पार्टी के लोग किस प्रकार से दो भाषाएं बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान कृपया बैठ जाइए।

श्री राजेश पायलट : हमारा विचार वही है। वे दो भाषाओं में - एक दिल्ली में और दुसरे गुजरात में - क्यों बोलते हैं? क्या यह चुनाव जीतने के लिए ही करते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : प्रक्रिया के नियमों के अधीन नियम 184 हमें उपलब्ध है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी भावनाओं का आदर किया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे दो बातें कहना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : यदि यह आपके विचाराधीन है तो यह मुद्दा इस प्रकार खुला नहीं रह सकता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मामला आज के लिए सूचीबद्ध नहीं है। मैंने माननीय नेताओं के साथ भी चर्चा की थी मैं इसकी छानबीन कर रहा हूं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। कृपया मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया समझिए। प्रश्न संख्या 61, श्री माधवराव सिंधिया।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपको नियम 184 के अधीन अपने विचारार्थ सूचना प्राप्त हुई थी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी छानबीन कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : अध्यक्ष महोदय, केवल ऐसा नहीं है कि इस सवाल पर ही सरकार का ऐसा डिसीजन है बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार का अपना हिडन एजेंडा है जिसके ऊपर सरकार चल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : आपने हमें नहीं बताया है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, आपको हमें स्पष्ट बताना होगा कि यह सूचना नियम 184 के अधीन आपके विचाराधीन है और कि आप चर्चा हेतु हमें दिन और समय बाद में बताएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप यह किस प्रकार कह सकते हैं? यह मामला आज के लिए सूचीबद्ध नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मामला आज के लिए सूचीबद्ध नहीं है आप मुझे किस प्रकार बाध्य कर सकते हैं कि मैं चर्चा हेतु आपको दिनांक व समय बताऊं?

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : हम आपसे अभी चर्चा हेतु दिन बताने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन क्या आपके पास नियम 184 के अधीन विचारार्थ प्रश्न है।

श्री माधवराव सिंधिया : आप हमें चर्चा का समय बाद में बता सकते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या 184 के अधीन चर्चा के लिए नोटिस आपके विचाराधीन है हमें केवल इतना बता दीजिए क्या यह आपके विचाराधीन है। बस इसके पश्चात् हम आपसे सहयोग करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया स्पष्ट कीजिए कि क्या नियम 184 के अधीन सूचना आपके विचाराधीन है। हम नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा चाहते हैं। हमारा दबाव नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा पर है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, यह लगातार चौथा दिन है कृपया प्रश्न काल आरम्भ कीजिए। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे अनुरोध करें कि आप प्रश्न काल आरम्भ कीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन हमें प्रवोक किया जा रहा है। अभी विपक्ष को सत्ता पक्ष ने प्रवोक किया है। हमारा यह कहना सही है कि सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर सदन को चलने नहीं देना चाहता और आरोप विपक्ष पर लगा रहा है कि हम सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। इसमें जिद वाली कोई बात नहीं है। जिद अलग है, लेकिन देश का सवाल है। सरकार जिद पर अड़ी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है आप किसी को बोलने की अनुमति दे रहे हैं लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है। वह प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आपने श्री सिंधिया से प्रश्न पूछने को कहा है लेकिन मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे हैं। यह प्रश्न काल है चर्चा काल नहीं है। यह तो हर रोज हो रहा है। प्रश्न काल चर्चा काल बन गया है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, आज पूरे देश में दंगा-फसाद कराने की पूरी तैयारी है। चूंकि बजट के माध्यम से आप महंगाई बढ़ाने वाले हैं और आपके हाथ में कोई हथियार नहीं बचा है इसलिए आप गुजरात में जो कार्यशैली लागू की है, उसे पूरे

देश में लागू करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है। यह देश के जन-जन की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस विषय पर आप नियम 184 में बहस कराना स्वीकार कर लें और आज ही उसकी घोषणा कर दें कि वह बहस किस दिन सदन में होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव कृपया अब आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध

***61. श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने संघ शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। केवल गुजरात सरकार ने, अपने राज्य सरकार कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबन्ध को अपने दिनांक 3.1.2000 के आदेश के तहत हटा लिया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादी गतिविधियां

***62. श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में नकली नोटों, नशीली दवाओं और विस्फोटकों के परिचालन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी संगठनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बम-विस्फोट/हिंसक वारदातें की गई तथा इनमें कितने नागरिक/सैनिक मारे गए/घायल हुए तथा उन्हें कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) राज्य-वार कितने आई.एस.आई. एजेण्टों/आतंकवादियों की शिनाख्त की गई/गिरफ्तार किए गए/दण्डित किए गए/मारे गए;

(ङ) इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को कितनी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(च) आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों, गुप्तचर एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर ताल-मेल रखने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(छ) क्या सरकार ने आई.एस.आई./आतंकवादियों की योजनाओं से निपटने के लिए विदेशी सहायता मांगी है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में विदेशी राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) आई.एस.आई./आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए तथा सीमावर्ती राज्यों से होने वाली घुसपैठ पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) पाकिस्तान की आई.एस.आई., हथियारों, विस्फोटकों, जाली मुद्रा और मादक दवाओं की तस्करी के द्वारा देश में आतंकवाद को भड़काने के लिए उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु अपने प्रयास जारी रखे हुए है। आई.एस.आई. द्वारा जम्मू व कश्मीर में हिंसा को तेज करने के लिए बड़ी संख्या में भाड़े के विदेशी

सैनिकों की घुसपैठ कराने के पुरज़ोर प्रयास करने की भी रिपोर्टें हैं। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गुटों को बाहर से समर्थन मिलने की भी रिपोर्टें हैं। देश के विभिन्न भागों, विशेषत: सीमावर्ती इलाकों में जाली भारतीय मुद्रा बरामद किए जाने से भी पाकिस्तान की आई.एस.आई., द्वारा आर्थिक स्थिति को अस्थिर करने के प्रयासों का भी पता चलता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है ताकि वे आतंकवाद से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने हेतु उनका आधुनिकीकरण कर सकें। उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है। इसके अलावा, सुरक्षा संबंधी खर्चें की प्रतिपूर्ति करने संबंधी विशेष योजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों को अब तक 381.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जम्मू व कश्मीर को अब तक 1587.84 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(च) सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें आसूचना तन्त्र को सुग्राही और सक्रिय बनाना, सेना, अर्ध-सैनिक बलों आसूचना एजेन्सियों और राज्य पुलिस समेत संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान करना तथा समन्वित कार्रवाई करना, शामिल है। जम्मू व कश्मीर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालय कार्यरत हैं ताकि सुरक्षा संबंधी आसूचना का समन्वय और आदान-प्रदान किया जा सके तथा जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु तौर-तरीके और रणनीति तैयार की जा सके तथा सुरक्षा बलों की तैनाती और उनके आपरेशनों का समन्वयन किया जा सके। जम्मू व कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की सावधिक समीक्षा करने के लिए एक आपरेशन दल भी गठित किया गया है।

(छ) से (ज) सीमा-पार के अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पड़ौसी देशों जैसे नेपाल, बंगलादेश और म्यांमार के साथ आपसी हितों के सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त कार्य दल गठित किए गए हैं। कनाडा, जर्मनी और अमरीका के साथ भी संयुक्त कार्य दल गठित किए गए हैं ताकि सूचना का आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रूप से सहयोग किया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति तैयार करने के लिए इंगलैंड, अमरीका, कनाडा, रूस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ निष्कासन और आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो एक अन्तर्निहित निष्कासन तंत्र उपलब्ध कराती हैं तथा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों को या तो देश से बाहर निकालने अथवा उन पर मुकदमा चलाने हेतु सदस्य राष्ट्रों की ड्यूटी निर्धारित करती है।

(झ) सरकार ने उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, समन्वित आसूचना कार्रवाई के द्वारा उग्रवादियों के इरादों को विफल करना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना, अत्याधुनिक शस्त्रों और संचार प्रणाली, इत्यादि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना और उनका उन्नयन करना शामिल है। इस संबंध में किए गए उपायों के फलस्वरूप पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा समर्थित विभिन्न माड्यूल्स का पता लगाया गया/निष्क्रिय किया गया है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु योजना 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए जारी की गई निधियां और उपयोग की गई राशि की स्थिति तथा 1999-2000 (21.2.2000 तक की स्थिति के अनुसार) जारी की गई निधियां

राज्य का नाम	1996-97 में जारी	खर्च की गई राशि	1997-98 में जारी	खर्च की गई राशि	1998-99 में जारी	खर्च की गई राशि	1999-2000 का आबंटन	जारी हुई प्रथम किस्त	जारी हुई दूसरी किस्त	जारी की गई विशेष/अतिरिक्त राशि	1999-20000 में कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आन्ध्र प्रदेश	709.56	709.56	1209.560	1100.000	709.560	—	349.260	104.780	—	—	104.780
2. अरूणाचल प्रदेश	92.54	92.54	96.270	96.270	23.135	23.135	77.100	23.135	53.965	—	77.100
3. असम	195.43	195.43	47.715	47.715	47.715	—	159.050	47.715	—	—	47.715

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	333.12	333.12	783.120	783.120	633.120	583.120	388.530	116.560	—	—	116.560
5.	गोवा	79.48	50.00	शून्य	शून्य	शून्य	—	98.260	—	—	—	—
6.	गुजरात	150.18	62.92	150.180	147.430	75.090	—	250.300	250.300	—	—	250.300
7.	हरियाणा	35.85	35.85	71.710	71.710	71.710	71.710	119.520	35.855	—	—	35.855
8.	हिमाचल प्रदेश	40.69	40.69	20.345	—	100.000	100.000	67.820	40.690	—	—	40.690
9.	जम्मू और कश्मीर	119.77	119.77	81.540	81.540	581.540	—	135.900	40.770	—	—	40.770
10.	कर्नाटक	350.80	350.80	200.800	200.800	250.800	250.800	251.300	75.400	75.400	—	150.800
11.	केरल	113.99	113.99	113.990	113.990	—	—	189.990	56.995	—	—	56.995
12.	मध्य प्रदेश	478.82	478.82	387.820	387.820	437.820	437.820	396.360	118.910	—	—	118.910
13.	महाराष्ट्र	251.29	238.71	—	—	324.915	324.258	418.820	251.290	—	—	251.290
14.	मणिपुर	176.63	176.63	217.315	217.315	234.630	234.630	57.720	17.315	—	—	17.315
15.	मेघालय	59.88	59.88	51.880	51.880	125.940	—	43.240	12.970	—	—	12.970
16.	मिजोरम	87.78	87.78	87.780	87.780	43.890	43.890	73.150	21.945	51.205	—	73.150
17.	नागालैंड	220.03	218.98	238.430	238.430	238.430	238.430	64.050	19.215	—	—	19.215
18.	उड़ीसा	200.00	200.00	164.610	164.610	104.610	—	174.350	52.305	—	—	52.305
19.	पंजाब	84.65	84.65	284.650	159.324	42.325	5.932	141.090	42.325	—	—	42.325
20.	राजस्थान	154.92	154.92	154.920	18.310	77.460	—	258.200	—	—	—	—
21.	सिक्किम	8.61	8.61	43.015	43.015	8.610	—	28.700	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	598.37	567.20	296.750	276.450	321.750	205.830	327.920	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	146.53	146.53	246.530	246.530	23.265	23.265	77.550	23.265	54.285	—	77.550
24.	उत्तर प्रदेश	536.30	536.30	626.300	626.300	436.300	436.300	560.500	560.500	—	—	560.500
25.	पश्चिम बंगाल	274.77	267.89	174.770	90.950	87.385	87.385	291.500	174.770	—	—	174.770
	रा.अ.रि.ब्यू.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1400.000*	1400.000
	कुल	5500.00	—	5750.000	—	5000.000	—	5000.000	2087.010	234.855	1400.000	3721.865

नोट: इस मंत्रालय द्वारा मांगी गई 100 करोड़ रु. की राशि की तुलना में सुरक्षा संबंधी मामलों पर मंत्रीमण्डलीय समिति ने 200 करोड़ रुपये की राशि (100 करोड़ सामान्य घटक तथा 100 करोड़ रुपये विशेष घटक) का अनुमोदन किया है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि चूंकि वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित, अनुमान पहले ही समाप्त हो चुका है, अत: चालू वर्ष के लिए आवंटन 86 करोड़ रुपये है।

*यह राशि 1400.00 रा.अ.रि.ब्यू. को 100% सहायता अनुदान के रूप में सी.सी.आई.एस. परियोजना के कम्प्यूटरों को वाई.टू.के. अनुरूप बनाने के लिए जारी की गई है।

शेष राशि 8600-3721.865=4878.135 (2439.0675 सहायता अनुदान और 2439.0675 ऋण)

जम्मू और कश्मीर सीमा पर लगी बाड़ का विद्युतीकरण

*63. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सीमा पर लगी बाड़ का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है;

(ग) इस बाड़ का विद्युतीकरण करने में अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय क्षेत्र की अन्य सीमाओं पर विद्युतीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने के लिए एक बहु-रूपात्मक नीति तैयार की गई है जिसमें 23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कंटीली बाड़/रोशनी की व्यवस्था/घुसपैठ अलार्म प्रणाली शामिल है। सीमा पार से घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कार्य को शुरू करने का निर्णय समुचित समय पर लिया जाएगा।

पंजाब और राजस्थान के क्रमशः कुछ नदीय/रेतीले टीले वाले क्षेत्रों के अलावा, वहां की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। गुजरात सेक्टर में भी ऐसा ही कार्य शुरू किया जा चुका है तथा 5 वर्ष की अवधि में यह पूरा कर लिया जाएगा।

इस समय किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का विद्युतीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई.एस.आई./असामाजिक तत्वों की गतिविधियां

*64. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या **इंडियन** एयरलाइन्स के आई.सी.-814 विमान के अपहरण से यह बात उजागर हुई है कि आई.एस.आई./असामाजिक तत्व काफी लंबे समय से अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन के लिये नेपाल और उत्तर प्रदेश-सीमा का केन्द्र के रूप में प्रयोग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आई.एस.आई./असामाजिक तत्वों और कश्मीरी उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि के बारे में गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत-नेपाल सीमा पार से ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा सुविधा के दुरूपयोग को रोकने के लिये पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने का सरकार का विचार है;

(छ) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सीमा पार की गतिविधियों और देश में हो रही घुसपैठ से सख्ती से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ज) आई.एस.आई., नेपाल को, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लांच पैड के रूप में इस्तेमाल करती रही है। यह, भारत में विनाशकारी गतिविधियों के लिए भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय, सीमा-पार के अपराधियों और तस्कर गिरोहों का इस्तेमाल भी कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार की संबंधित एजेंसियां सीधे और द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र दोनों के माध्यम से नियमित रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का एक दूसरे के खिलाफ होने वाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सुरक्षा बढ़ाने और खुली भारत-नेपाल सीमा के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से, भारत के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य पुलिस बलों की तैनाती सहित संवेदनशील सीमा-क्षेत्र पर गहन और समन्वित गश्त लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने वाले भारतीय और नेपाली नागरिकों की राष्ट्रीयता की शिनाख्त के लिए, वीसा की अपेक्षा बगैर, पासपोर्ट पद्धति शुरू करने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

उग्रवादियों/आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना एजेन्सियों से प्राप्त सभी सूचनाओं का तत्काल विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार की गतिविधियों को निष्फल करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए संबंधित एजेन्सियों को तत्काल सतर्क किया जाता है। कार्रवाई की जाने योग्य आसूचना का महामहिम नेपाल सरकार के साथ आदान-प्रदान किया जाता हैं। इसके परिणामस्वरूप, काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास स्थित इन्टेलीजेन्स आपरेटिव्स की आड़ में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अनेक आतंकवादी षड्यन्त्रों को निष्फल किया गया।

सरकार ने बहुआयामी नीति अपनायी है जिसमें, अर्ध सैनिक बलों की तैनाती, सीमा निगरानी चौकियों की स्थापना, भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाना/तेज रोशनी की व्यवस्था करना और घुसपैठ और अन्य विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ अधिक सतर्कता बरतने हेतु, नाईट विजन डिवाईस्स जैसे विशिष्ट उपकरणों की व्यवस्था करना, शामिल है। भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस व्यवस्था और आसूचना संग्रहण को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके एक कार्रवाई योजना तैयार की गई हैं।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय खेल नीति

***65. श्री पी.आर. खूंटे :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारत सरकार खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा खेलों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर बल देने की दृष्टि से, एक नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस नीति का उद्देश्य खेलों और शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करना है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है:-

(1) अवस्थापना का उन्नयन और विकास;

(2) राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन;

(3) खेलों के लिए वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षण समर्थन सुदृढ़ करना;

(4) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;

(5) महिलाओं, जनजातियों एवं ग्रामीण युवाओं की अधिक सहभागिता;

(6) जनता में बड़े पैमाने पर खेल अभिरूचि का संवर्धन करने के लिए अधिक जागरूकता पैदा करना।

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों, राज्य सरकारों और विख्यात खिलाड़ियों सहित सभी संबंधियों से परामर्श पूरा कर लेने के बाद, नीति की यथासंभव शीघ्र घोषणा कर दी जाएगी।

होम गार्डों की भर्ती

***66. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने होम गार्डों और अन्य सिविल रक्षा बलों का वित्तपोषण करने के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में इन बलों की भर्ती में नियमों का उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) होम गार्ड और सिविल डिफैन्स के गठन, प्रशिक्षण और सुसज्जित करने पर होने वाला खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। चालू वित्तीय नीति के अनुसार, असम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को खर्च के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य राज्यों के संबंध में खर्च की प्रतिपूर्ति 25 प्रतिशत है। तथापि, बोर्डर विंग होम गार्डों के मामले में, केन्द्र सरकार असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के संबंध में 100 प्रतिशत और गुजरात, पंजाब और राजस्थान के मामले में 75 प्रतिशत खर्च वहन करती है।

देश में सिविल डिफैन्स की तैयारी की जांच करने के लिए गठित अधिकारियों के एक ग्रुप ने, अपनी प्रारूप रिपोर्ट में, सिफारिशें की हैं कि सिविल डिफेंस के लिये राज्य सरकारों की केन्द्रीय सहायता बढ़ाई जानी चाहिए।

(ग) और (घ) होम गार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड, दिल्ली होम गार्डस नियम, 1959 में निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस संबंध में नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। तथापि, होम गार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन, पुनः नामांकन और सेवामुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार संबंधी कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बारे में, पारदर्शिता लाने के आशय से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार एक नीति तैयार करने में लगी हुई है।

[अनुवाद]

अनिवार्य शिक्षा हेतु शिक्षा नीति

*67. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
डा. संजय पासवान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा हेतु एक शिक्षा नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और अभी तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(घ) इसके लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को पूरी तरह कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि शताब्दी के अन्त तक 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को संतोषजनक किस्म की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करा दी जाएगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन मामले 1993 में यह घोषित किया है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार होगा। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले से ही अनिवार्य शिक्षा के कानून बनाए हैं।

वर्ष 1997 में श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की थी। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित शिक्षा मंत्रियों की समिति द्वारा वर्ष 1999 में ही यही बात दोहराई गई कि प्रारंभिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में सार्वजनिक बनाने के लिए ढांचागत सुझाव दिया जाए। उक्त समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को 2003 तक स्कूल/शिक्षा गारंटी केन्द्र/स्कूल शिविर में वापसी के अन्तर्गत लाने हेतु और 2007 तक 5 वर्षीय प्राथमिक स्कूल की शिक्षा प्रदान करने और 2010 तक आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है।

यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में निकटतम दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धि, बच्चों को सहज रूप में स्कूलों में बनाए रखने और शिक्षा की गुणवत्ता के सन्दर्भ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है किन्तु अभी तक प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिन बनाए जाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। अभी तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिन न किए जाने के कारणों में समस्या की विशालता, अनवरत बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध न हो पाना है।

वर्ष 1995-96 तक किए गए अधिकांश सर्वेक्षणों के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, आपरेशन ब्लैकबोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजना और राज्य स्तरीय अन्य योजनाओं जैसे विविध कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले चार वर्षों के किए गए प्रयासों के कारण इसकी स्थिति में और अधिक सुधार होगा।

अजहर मसूद के भाषणों के टेप

*68. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में रिहा किए गए उग्रवादी अजहर मसूद द्वारा दिए गए भाषणों के ऐसे टेप कानपुर में परिचालन में हैं जिन्हें दिल्ली में भी तस्करी करके लाया गया है, जिनमें उसने भारत के विरुद्ध जेहाद छेड़ने का आह्वान किया है और साथ ही इंडियन एयरलाइन्स विमान आई.सी.-814 के अपहरणकर्ताओं को नायकों के रूप में दर्शाते हुए परचें वितरित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो खतरनाक सांप्रदायिक संघर्ष पैदा कर सकने वाले इन भारत विरोधी प्रचार के इन टेपों को जब्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान। उत्तर प्रदेश में ऐसी कैसटों के परिचालन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख) सूचना के प्राप्त होते ही केन्द्र सरकार ने, तत्काल संबंधित राज्य सरकारों को दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए सुग्राही बना दिया है।

जनजातियों के लिए आजीविका-योजनाएं

***69. श्रीमती हेमा गमांग :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वनों में रह रहीं जनजातियों के लोगों की आजीविका हेतु कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वन क्षेत्र कम होते जाने को देखते हुए सरकार द्वारा वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नौवीं योजना के दौरान 1500 लाख रु. परिव्यय के साथ 14 राज्यों में विकृत वन क्षेत्र के 15677 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करते हुए एक विशेष 100% केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना अर्थात् "भोगाधिकार भागीदारी आधार पर विकृत वन के पुनरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण गरीबों की एसोसिएशन" कार्यान्वित की जा रही है। विगत 3 वर्षों के लिए निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, इस मंत्रालय की जनजातीय उप योजना कार्य-नीति के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या, जिसमें वनों में रहने वाले भी शामिल हैं, लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता मंत्रालय तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय भी अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं जो जनजातियों, जिनमें वनों में रहने वाले भी शामिल हैं, के समग्र विकास की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वनप्रांत कार्रवाई कार्यक्रम नामक एक 20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिनमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% को वन/वृक्ष से ढक लेने के सतत विकास के लिए 26 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि राष्ट्रीय नीति, 1988 में उल्लेख है। राज्य वन विभागों द्वारा आरंभ किए गए बागान के वर्तमान स्तर के साथ देश में वन/वृक्ष से ढके स्थान में निश्चित ही होगी।

विवरण

"भोगाधिकार भागीदारी आधार पर विकृत वन के पुनरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण गरीबों की एसोसिएशन" की योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के लिए वर्ष-वार परिव्यय और निर्मुक्ति

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (रु. लाख)	निर्मुक्त (रु. लाख)	प्रस्तावित लक्ष्य/उपलब्धि (हेक्टेयर)
1.	1997-98	190	87.2	2240 (प्राप्त)
2.	1998-99	210	183.3	3437 (प्रारंभिक कार्य पूर्ण)
3.	1999-2000	305	223.96	3340 (कार्य प्रगति पर है)

[हिन्दी]

शिक्षा में समानता

*70. श्री राम टहल चौधरी :
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में समरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसका अर्थ है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान या लिंग के हों, एक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। इसमें शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए समान शैक्षिक ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और न्यूनतम अध्ययन स्तर शामिल है।

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्चा के माध्यम से सभी स्कूलों में मोटे तौर पर एक समान पाठ्यचर्या और पुस्तकें उपलब्ध कराकर, बोर्ड की परीक्षा में अपने छात्रों को बैठाने के लिए सभी स्कूलों के मामले में यथा स्थिति संबंधित राज्य बोर्डों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद् से संबंधन आवश्यक बनाकर, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सुझाई गई नीतियों के आधार पर शिक्षकों के संबंध में अर्हता और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं विहित करके देश के स्कूलों में कमोबेश एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है।

शैक्षिक विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों के परामर्श से वांछित एकरूपता लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं।

[अनुवाद]

राज्य लाटरियों पर प्रतिबंध

*71. श्री वैको :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य लाटरियों पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून कब तक लाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य लाटरियों पर इस प्रस्तावित प्रतिबन्ध के विरुद्ध कोई विरोध व्यक्त किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) लाटरी (निषेध) विधेयक, 1999, जिसमें भारत के संविधान की सातवीं सूची की संघीय सूची की सूची-I की प्रविष्टि 40 के अधीन लाटरियों का आयोजन, संचालन और संवर्धन निषेध करने का प्रावधान है, को राज्य सभा में पहले ही पेश कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च) कुछ राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, आदि ने लाटरियों पर इस प्रस्तावित प्रतिबंध का विरोध किया है। केन्द्र सरकार, लाटरियों को एक सामाजिक बुराई मानती हैं, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

खेल विश्वविद्यालय

*72. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खेल विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) खिलाड़ी छात्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आई.ए.एस. की परीक्षा में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए गये है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के कार्य में लगा अलग से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर जो एक सम विश्वविद्यालय है, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की विभिन्न शाखाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा 42 विश्वविद्यालय है जिनमें खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के विभाग है और 180 शारीरिक शिक्षा कालेज है जिनमें अनुमानत: 28,075 छात्र नामांकित हैं।

शारीरिक शिक्षा को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में एक विषय के रूप में शामिल किये जाने के बारे में उचित निर्णय संबंधित मंत्रालय/विभाग से परामर्श करके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाना है। इस मामले को उचित विचार के लिये आयोग के पास भेजा जा रहा है।

दिल्ली में अपराध

***73. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर 1999 से आज तक, अपराध-वार राजधानी में हुए विभिन्न अपराधों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे अपराधों में पुलिस अधिकारी लिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपराधों की इन घटनाओं को कारगर ढंग से रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान, नवम्बर, 1999 से जनवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान भारतीय दंड संहिता से संबंधित सूचित किए गए अपराधों की संख्या 13,681 थी जबकि इसके फौरन पूर्ववर्ती तीन माह के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या 14,127 थी।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1999 से 31 जनवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए पांच पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए। जबकि इन अधिकारियों में से चार अधिकारियों के मामले में जांच-पड़ताल चल रही है; पांचवें अधिकारी के मामले में चालान तैयार कर लिया गया है और अभियोजन शाखा को भेज दिया गया है।

(ङ) अपराध की स्थिति को कारगर ढंग से नियंत्रित करने हेतु किए गए उपायों में उच्च अपराध दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और इन पुलिस स्टेशनों में अतिरिक्त जन शक्ति की तैनाती करना, ज्ञात घोर अपराधियों की सक्रिय रूप से निगरानी करना, गश्त की बीट प्रणाली में सुधार करना, आसूचना संग्रहण को उन्नत करना, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

शहरी मजूरी रोजगार कार्यक्रम

***74. श्री अनन्त नायक :**
श्री विकास चौधरी :

क्या **शहरी, रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान शहरी मजूरी-रोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने शहरी निवासियों को लाभ पहुंचा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों को संशोधित करके सरकार का स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को नया रूप देने का प्रस्ताव है, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम इसका एक घटक है। इस कार्य हेतु संयुक्त सचिव (यूईपीए) की अध्यक्षता में एक आन्तरिक ग्रुप (कोर ग्रुप) का गठन किया गया है जिसमें योजना आयोग तथा कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव श्रम दिवसों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी रोजगार घटक के तहत सृजित मानव कार्य दिनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शा. प्रदेश का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	1.42	4.34	5.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	1.04	1.04
3.	असम	—	—	—	—
4.	बिहार	—	0.10	4.55	4.65
5.	गोवा	—	—	0.64	0.64
6.	गुजरात	—	0.63	1.34	1.97
7.	हरियाणा		0.14	0.30	0.44
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	3.99	3.99
9.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	0.15	0.15
10.	कर्नाटक	—	—	6.40	6.40
11.	केरल	—	—	1.79	1.79
12.	मध्य प्रदेश	1.74	7.00	5.84	14.58
13.	महाराष्ट्र	0.20	0.85	5.74	6.79
14.	मणिपुर	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	0.22	0.03	0.25
16.	मिजोरम	—	—	0.92	0.92
17.	नागालैंड	—	—	0.27	0.27
18.	उड़ीसा	—	6.79	7.99	14.78
19.	पंजाब	—	0.40	2.16	2.56
20.	राजस्थान	1.55	1.25	0.80	3.60
21.	सिक्किम	0.02	—	0.42	0.44
22.	तमिलनाडु	—	28.24	11.79	40.03
23.	त्रिपुरा	—	0.88	0.62	1.50

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	1.40	11.99	15.98	29.37
25.	पश्चिम बंगाल	—	5.42	6.18	11.60
26.	अंडमान व नि. द्वी. समूह	—	0.39	—	0.39
27.	दादर व नगर हवेली	0.20	0.12	0.30	0.62
28.	दमण एवं द्वीप	—	0.04	—	0.04
29.	पाण्डिचेरी	—	0.002	0.148	0.15
	कुल	5.11	65.882	83.728	154.72

टिप्पणी : यह स्कीम दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं चल रही है।

फिल्मी हस्तियों पर हमले

*75. **श्री समशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्मी हस्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जबरन पैसा वसूली और फिल्मी हस्तियों पर हमले के मामलों के लिए जिम्मेवार अपराधियों को पकड़ने के लिये तुरंत कदम उठाने हेतु अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी मामलों को तेजी से निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) कुछ प्रमुख फिल्मी हस्तियों ने 1 फरवरी, 2000 को गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें श्री राकेश रोशन की हत्या के हाल ही के प्रयास और अन्य घटनाओं के परिणामस्वरूप फिल्म उद्योग में व्याप्त असुरक्षा की तीव्र भावना से अवगत कराया।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अत: अपराध को दर्ज करने, जांच करने, पता लगाने और रोकथाम की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर, राज्य सरकारों को अपराध की प्रभावी ढंग से रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने की ओर ध्यान देने का परामर्श देती रही है।

संगठित धन ऐंठने के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक कार्य बल गठित करने संबंधी प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार को भेजा गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में ग्रेडिंग प्रणाली

*76. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित आधारभूत ढांचे सहित इस प्रणाली के कोई लाभ और हानि का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रणाली के प्रति कोई विरोध व्यक्त किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि स्वायत्त निकाय है, इस समय अंकों और ग्रेडों दोनों की दृष्टि से परीक्षा परिणामों को घोषित करने की प्रणाली को अपनाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब सिद्धान्त रूप में कक्षा दस की परीक्षा में अंकों के संदर्भ में बिना विषयवार ग्रेडों को जारी करने का निर्णय लिया है।

अंकों के स्थान पर ग्रेडों के प्रयोग की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों में एक कदम है। ग्रेड प्रणाली के प्रयोग के पक्ष और विपक्ष दोनों में मीडिया तथा अन्य माध्यमों में विचार-व्यक्त किये गये हैं। ग्रेड प्रणाली के बेहतर होने का समर्थन मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान साक्ष्यों से होता है। अनेक विकसित देश विद्यालय परीक्षाओं में ऐसी ग्रेड प्रणाली का अनुगमन करते हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद ने, जिसके सभी राज्य सदस्य हैं, दिसम्बर 1999 में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन में भी परिणामों को घोषित करने के लिये ग्रेडिंग प्रणाली को शुरू करने की सिफारिश की थी।

इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न विद्यालयों, शिक्षण समुदाय, अभिभावक प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालयों और अन्य बोर्डों के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विचार-विमर्श किये जा रहे हैं। ग्रेड प्रणाली से प्रतिभा सम्पन्न छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें निस्सन्देह ही तुलनात्मक दृष्टि से उच्चतर ग्रेडों में रखा जायेगा।

[अनुवाद]

मलेरिया उन्मूलन

***77. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर और हेपेटाइटिस बी और सी के उन्मूलन के लिए देशभर में कोई व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इन बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए; और

(घ) इन बीमारियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) मलेरिया नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम श्रेणी-II कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। जापानी मस्तिष्कशोथ (एन्सिफैलाइटिस) के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले वही कामन उपाय हैं जो राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के रोगाणु वाहक (वेक्टर) नियंत्रण घटक में होते हैं।

संदूषित रक्त के द्वारा फैलने वाले हेपेटाइटिस-बी के खतरे को दूर करने के लिए, हेपेटाइटिस-बी हेतु रक्त परीक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। संसाधनों की कमी के कारण हेपेटाइटिस को रोकने वाले टीके (वैक्सीन) को व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) समग्र रूप से देश में 1999 में मलेरिया की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में कम रही हैं। तथापि, असम, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में इस रोग की संकेन्द्रित प्रकोप काफी रहे। निवारक उपाय करने में स्थानीय प्रशासन को सलाह देने के लिए असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष दल भेजे गए।

समग्र रूप से देश में 1999 में जापानी मस्तिष्कशोथ की घटनाएं पिछले वर्षों की तुलना में कुछ अधिक रही हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस रोग के संकेन्द्रित प्रकोप काफी रहे। आवश्यक निवारक उपाय करने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए इन क्षेत्रों को तकनीकी दल भेजे गए।

[हिन्दी]

एड्स के संबंध में अनुसंधान

***78. श्री रामदास आठवले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 2000 के "दैनिक जागरण" में "एड्स के इलाज के लिए गरीब देश की औरतों पर प्रयोग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) सरकार को इस समाचार का पता है। सरकारी अस्पतालों में आने वाली विशेषरूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर राज्यों में गर्भवती महिलाओं में एच.आई.वी. व्याप्तता की दरों में वृद्धि का रूझान देखा गया है। संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु में एच.आई.वी. संचरण का खतरा लगभग 30 प्रतिशत है। माता से बच्चे में एच.आई.वी. संक्रमण के संचरण को जिडोवुडिन (ए.जेड.टी.) नामक एंटी-रिस्ट्रोवाइरल देकर कम किया जा सकता है। थाईलैंड सहित विश्व के अनेक भागों में यह सुप्रमाणित हुआ है। ए.जेड.टी. औषधि सुरक्षित पाई गई है और माता से बच्चे को संचरण की घटनाओं में कमी लाने में सक्षम है। इसलिए अब यह एक प्रमाणित उपचार है। जिडोवुडिन औषधि अब ग्लाक्सो लेबोरेट्रीज द्वारा स्थानीय तौर पर बनाई जाती है और इसकी कीमत प्रति गोली/केपसूल 18 रुपए है। इस विधान के अन्तर्गत उपचार का खर्च औषधियों के खर्च सहित प्रति व्यक्ति 6000/- रुपए आता है। जिडोवुडिन औषधि को भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत देश में उपयोग के लिए पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है।

माता से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने एच.आई.वी. पॉजीटिव वाली गर्भवती महिलाओं में ए.जेड.टी. की अल्पावधि विधान चिकित्सा प्रदान करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में गर्भवती महिलाओं में एच.आई.वी. व्याप्तता के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में स्थित ग्यारह संस्थाएं चुनी गई हैं। संस्थाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

इस सम्भाव्यता अध्ययन में प्रसवपूर्व महिलाओं के नामांकन मानदंड, परामर्श, समय-समय पर मूल्यांकन और माता और बच्चे, दोनों की अनुवर्ती देख-रेख जैसे अनेक पहलुओं को कवर करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिभागी संस्थाओं के साथ परामर्श करके भारत सरकार ने एक व्यापक अध्ययन प्रोटोकॉल तैयार किया है। यह सारा अध्ययन विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और उन महिलाओं द्वारा सोच-समझ कर दी गई सहमति पर आधारित है जो इलाज के लिए नामांकन करना चाहती हैं। इस अध्ययन को प्रतिभागी संस्थाओं की नीति विषयक (नैतिक) समिति तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय नीति विषयक (नैतिक) समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

सम्भाव्यता अध्ययन के परिणामों के आधार पर भारत सरकार दीर्घावधि में इस कार्यक्रम का इन राज्यों के अन्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में विस्तार करने पर विचार करेगी। यदि यह सफल होता है, तो इससे नवजात शिशुओं में होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण में कमी आएगी जो कि एच.आई.वी./एड्स स्थानिक-मारी में प्रमुख समस्या है। यह आम लोगों में एच.आई.वी./एड्स को फैलने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है।

विवरण

"भारत में मां से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण की रोकथाम के लिए एच.आई.वी. संक्रमित माताओं में अल्पावधि ए.जेड.टी. उपचार प्रदान करने हेतु सम्भाव्यता अध्ययन" प्रायोगिक परियोजना के लिए संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम/पता
1.	गवर्नमेंट आर.एस.आर.एम. लाइंग इन हास्पिटल, चेन्नई-600013
2.	गवर्नमेंट कस्तूरबा गांधी हास्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, चेन्नई-600005
3.	आई.ओ.जी. एंड गवर्नमेंट हास्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इगमोर, चेन्नई-600008
4.	बंगलौर मेडिकल कालेज, फोर्ट, बंगलौर-560002
5.	श्री जे.जे. ग्रुप ऑफ हास्पिटल, मुम्बई-400008
6.	बी.वाई.एल. नायर चेरिटेबल हास्पिटल डा. ए. एल. नायर रोड, मुम्बई-400008
7.	के.ई.एम. हास्पिटल, मुम्बई
8.	जनरल हास्पिटल, सांगली-416416, महाराष्ट्र
9.	बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे-411001 महाराष्ट्र
10.	उसमानिया मेडिकल कालेज, कोटि, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500095
11.	जवाहर लाल नेहरू कालेज, इम्फाल

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

*79. **श्री धर्मराज सिंह पटेल :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता सुविधाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना तैयार थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल यूनिटों, जिला अस्पतालों, प्रसवोत्तर केन्द्रों आदि में प्रशिक्षित स्टाफ, उपकरणों और आपूर्तियों की उपलब्धता तथा उनके उपयोग का आकलन करने के लिए जिला स्तर पर एक सुविधा सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत हर महीने प्रत्येक बड़े राज्य से एक जिले, प्रत्येक मध्यम राज्य से एक जिले के एक उप-प्रभाग और प्रत्येक छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से एक जिले के एक ब्लाक को कवर किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए विस्तृत प्रचालनात्मक कार्यनीतियां और कार्य योजना का निरूपण नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में किया गया है। दोनों की मुख्य विशेषताएं विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

सार-नौवीं योजना दस्तावेज : बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या:

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों का ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे के समुचित टिअर में एकीकरण करके मानदंडों के अनुसार भौगोलिक रूप से वर्णित ग्रामीण क्षेत्रों को तीन स्तरीय (टिअर) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं द्वारा कवर किया जाए।

2. मौजूदा ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उप जिला/उप प्रभागीय अस्पतालों, ग्रामीण अस्पतालों और उप-जिला प्रसवोत्तर केन्द्रों का पुनः नामित करके और उन्हें समुचित ढंग से सुदृढ़ बनाकर महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम रेफरल यूनिट के सूचित किए गए बृहत् अन्तराल की पूर्ति करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना।

3. सभी प्रथम रेफरल यूनिटों में:

(क) यह सुनिश्चित किया जाए कि काय चिकित्सा शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, बाल चिकित्सा और संवेदनाहरण विशिष्टताओं में विशेषज्ञ/प्रशिक्षित डाक्टर हों।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई रिक्तियां न हों (यदि आवश्यक हो तो, अंशकालिक नियुक्तियों के लिए व्यवस्था करके) और यह कि रेफर किए गए रोगियों और उन रोगियों, जिनके लिए आपाती परिचर्या अपेक्षित है, को अवश्य ही उनके लिए जरूरी उपचार तब तक मिलता रहे जब तक कि चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रगति की मानीटरिंग करने हेतु अर्हता प्राप्त पी.एस.एम. कार्मिक उपलब्ध हो जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध विशेषज्ञ को इन कार्यक्रमों की मानीटरिंग करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है (अर्थात् बाल रोग चिकित्सक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम की मानीटरिंग करेगा); सेवा शर्तों में सुधार करके और डाक्टरों (विशेषज्ञ सहित) को कार्य के अनुकूल वातावरण तथा पराचिकित्सा कार्मिक प्रदान करके स्टाफ के ठहरने और जनसंख्या को अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने के योग्य बनाना।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि पहले से उपलब्ध जनशक्ति की पुनः तैनाती के द्वारा और उनके कौशल का विकास करके महत्वपूर्ण परा व्यवसायिक पदों की कोई रिक्तियां न रहें, जहां नितांत आवश्यक हो, जनशक्ति की कमियों को अंशकालिक नियुक्तियों के जरिए पूरा किया जा सकता है।

5. उपलब्ध निधियों का सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपेक्षित उपकरणों, उपभोज्य सामग्रियों और औषधों की खरीद के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाए, नितांत रूप से आवश्यक होने पर ही निर्माण कार्य के लिए निधियां प्रदान की जा सकती हैं।

6. रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करना।

विवरण-II

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निरूपित कार्य योजना और प्रचालनात्मक कार्यनीति—मुख्य बिन्दु:

1. ग्राम स्तर पर एक ही जगह पर सेवा प्रदान करना।

2. बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना।

3. प्रासविक और नवजात संबंधी जटिलताओं के उपचार में जिला स्वास्थ्य कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्रों के बीच रेफरल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना।

4. व्यापक आपाती प्रासविक और नवजात परिचर्या प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना।

5. बुनियादी आपाती और प्रासविक तथा नवजात परिचर्या प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

6. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रदायकों के तकनीकी कौशलों में सुधार करना।

7. सुरक्षित गर्भपात परिचर्या के लिए सुविधाओं का विस्तार करना और उनमें सुधार करना।

8. प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करने हेतु उप-जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर जच्चा-बच्चा अस्पताल विकसित करना।

9. सभी टीका (वैक्सीन) निवार्य रोगों के लिए 100 प्रतिशत नेमी प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।

10. पोलियो के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाना।

11. गैर-सरकारी क्षेत्र और उद्योग से सहयोग करना और उनकी वचनबद्धताएं।

12. वयोवृद्ध जनसंख्या के लिए व्यवस्था करना।

13. सूचना, शिक्षा और संचार में सुधार करना।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवादियों को समर्थन

***80. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पड़ोसी देशों के समर्थन से आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों के कारण कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं और वहां सक्रिय आतंकवादी गुटों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन गुटों की गतिविधियों की जांच करने और प्रभावित राज्यों की सहायता करने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इन गुटों से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इन गुटों की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) इस बारे में मुख्य चिन्ता, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में उग्रवादी ग्रुपों की आपस में जुड़ी और बाहर से समर्थित विघटनकारी गतिविधियों पर केन्द्रित रहा। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि कुछ उग्रवादी ग्रुपों पर पंजाब में उग्रवाद को पुनः जागृत करने के लिए दबाव पड़ रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में सक्रिय प्रमुख आतंकवादी गुट निम्नलिखित हैं और इनमें से कुछ को विदेशों से समर्थन मिल रहा है:-

1. हिजब-उल-मुजाहिदीन

2. हरकत-उल-मुजाहिदीन

3. लश्कर-ए-तोयबा

4. अल बर्क

5. जम्मू और कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट

6. अल जेहाद

7. जमाएत-उल-मुजाहिदीन

8. तेहरीक-उल-मुजाहिदीन

9. तेहरीक-ए-जेहाद
10. अल-बदर
11. हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
12. अल-उमर
13. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
14. दल खालसा इन्टरनेशनल
15. इन्टरनेशनल सिक्ख यूथ फेडरेशन (रोड़े)
16. इन्टरनेशनल सिक्ख यूथ फेडरेशन (चहेरु)
17. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स (पंजवार)
18. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स
19. खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स
20. खालिस्तान नेशनल आर्मी
21. कामा गाटा मारु दल
22. यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम
23. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट आफ बोडोलैण्ड
24. नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट आफ त्रिपुरा
25. आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स
26. नेशनल सोसलिस्ट कौंन्सिल ऑफ नागालैण्ड (आई/एम एण्ड के)
27. नागा नेशनल कौंसिल
28. मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रन्ट
29. यूनाईटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट
30. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी

(ख) सुरक्षा से संबंधित आसूचना के आदान-प्रदान और इस क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां तैयार करने की कार्य प्रणाली का समन्वयन करने तथा सुरक्षा बलों के आपरेशन और तैनाती के समन्वय हेतु XV और XVI कोर के कोर कमाण्डरों को लेकर जम्मू और कश्मीर में 2 एकीकृत मुख्यालय कार्यरत हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार के अधिकारियों, आसूचना ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के प्रतिनिधियों का भी एकीकृत मुख्यालय में प्रतिनिधित्व है।

(ग) 1996-97 से 1999-2000 (21.2.2000 तक) की अवधि के दौरान, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती रही है। 1999-2000 तक जम्मू और कश्मीर को 392.48 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। पूर्वोत्तर के मामले में, आज की तारीख तक 381.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(घ) सरकार, सभी राज्य सरकारों को आतंकवादियों/अतिवादियों की गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सुग्राही बनाती रहती है। आसूचना का आदान-प्रदान सतत आधार पर किया जाता है और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के रूप में सहायता दी जाती है। घुसपैठ की रोकथाम के लिए गश्त के अलावा, भारत पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं से लगे हिस्सों के साथ-साथ सीमा बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। सीमा पार के आतंकवाद की रोकथाम के लिए संबंधित देशों के साथ राजनयिक पहले भी की गई है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण की स्कीम 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान जारी की गई निधियां और उनके उपयोग की स्थिति तथा 1999-2000 (21.2.2000 तक की स्थिति) के दौरान जारी की गई निधियां

राज्य का नाम	1996-97 में जारी	खर्च की गई राशि	1997-98 में जारी	खर्च की गई राशि	1998-99 में जारी	खर्च की गई राशि	1999-2000 का आवंटन	जारी हुई प्रथम किस्त	जारी हुई दूसरी किस्त	जारी की गई विशेष/अतिरिक्त राशि	1999-2000 में कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आन्ध्र प्रदेश	709.56	709.56	1209.580	1100.000	709.580	—	349.280	104.780	—	—	104.780
2. अरूणाचल प्रदेश	92.54	92.54	98.270	98.270	23.135	23.135	77.100	23.135	53.965	—	77.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. असम	195.43	195.43	47.715	47.715	47.715	—	159.050	47.715	—	—	47.715
4. बिहार	383.12	333.12	783.120	783.120	633.120	583.120	388.530	116.560	—	—	116.560
5. गोवा	79.48	50.00	शून्य	शून्य	शून्य	—	98.260	—	—	—	—
6. गुजरात	150.18	62.92	150.180	147.430	75.090	—	250.300	250.300	—	—	250.300
7. हरियाणा	35.85	35.85	71.710	71.710	71.710	71.710	119.520	35.855	—	—	35.855
8. हिमाचल प्रदेश	40.69	40.69	20.345	—	100.000	100.000	67.820	40.690	—	—	40.690
9. जम्मू और कश्मीर	119.77	119.77	81.540	81.540	581.540	—	135.900	40.770	—	—	40.770
10. कर्नाटक	350.80	350.80	200.800	200.800	250.800	250.800	251.300	75.400	75.400	—	150.800
11. केरल	113.99	113.99	113.990	113.990	—	—	189.990	56.995	—	—	56.995
12. मध्य प्रदेश	478.82	478.82	387.820	387.820	437.820	437.820	396.360	118.910	—	—	118.910
13. महाराष्ट्र	251.29	238.71	—	—	324.915	324.258	418.820	251.290	—	—	251.290
14. मणिपुर	176.63	176.63	217.315	217.315	234.630	234.630	57.720	17.315	—	—	17.315
15. मेघालय	59.88	59.88	51.880	51.880	125.940	—	43.240	12.970	—	—	12.970
16. मिजोरम	87.78	87.78	87.780	87.780	43.890	43.890	73.150	21.945	51.205	—	73.150
17. नागालैंड	220.03	218.98	238.430	238.430	238.430	238.430	64.050	19.215	—	—	19.215
18. उड़ीसा	200.00	200.00	164.610	164.610	104.610	—	174.350	52.305	—	—	52.305
19. पंजाब	84.65	84.65	284.650	159.324	42.325	5.932	141.090	42.325	—	—	42.325
20. राजस्थान	154.92	154.92	154.920	18.310	77.460	—	258.200	—	—	—	—
21. सिक्किम	8.61	8.61	43.015	43.015	8.610	—	28.700	—	—	—	—
22. तमिलनाडु	598.37	567.20	298.750	276.450	321.750	205.830	327.920	—	—	—	—
23. त्रिपुरा	146.53	146.53	246.530	246.530	23.265	23.265	77.550	23.265	54.285	—	77.550
24. उत्तर प्रदेश	536.30	536.30	626.300	626.300	436.300	436.300	560.500	560.500	—	—	560.500
25. पश्चिम बंगाल	274.77	267.89	174.770	90.950	87.385	87.385	291.500	174.770	—	—	174.770
रा.अ.रि.ब्यू.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1400.000*	1400.000
कुल	5500.00	—	5750.00	—	5000.000	—	5000.000	2087.010	234.855	1400.000	3721.865

दिल्ली में सरकारी जमीन पर बिना अधिकार के बसने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

657. **श्री रामसागर रावत :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की संकरी गलियों, मुख्य बाजारों, फुटपाथों पर बिना अधिकार के बसने वाले व्यक्तियों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में लोगों को चलने-फिरने की भी जगह नहीं मिल पाती है; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित संबंधित स्थानीय निकायों ने सूचित किया है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे अतिक्रमण हुए हैं।

(ख) अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित संबंधित निकाय ऐसे अतिक्रमण हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने भी इन एजेंसियों से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न करने देने के लिए जोर दिया है।

पश्चिम बंगाल में आई.एस.आई. की गतिविधियां

658. श्री सुनील खां : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में आई.एस.आई. गतिविधियों को रोकने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) ऐसी गतिविधियों को कुचलने के लिए पश्चिम बंगाल में कितने केन्द्रीय बल तैनात किए गए; और

(ग) पश्चिम बंगाल के पूरे सीमा क्षेत्र में कंटीले बाड़ लगाए जाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राज्य में आई.एस.आई. की गतिवधियों से निपटने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता के प्रति सुग्राही बनाया है। दोनों सरकारें निरन्तर रूप से सम्पर्क बनाए रखती हैं तथा राज्य में आई.एस.आई. गतिविधियों के बारे में उपलब्ध सूचना का आदान-प्रदान करती हैं।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जब कभी इन बलों की मांग की जाती है तो केन्द्र सरकार यथा संभव उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

(ग) नदी तटीय क्षेत्र अथवा वह क्षेत्र जहां तकनीकी रूप से बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है, को छोड़कर पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरने वाली सम्पूर्ण सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने का प्रस्ताव है। इस मौके पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा कर लेने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

सतना में केन्द्रीय विद्यालय का उन्नयन

659. श्री रामानन्द सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतना में केन्द्रीय विद्यालय का उन्नयन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

महिलाओं के साथ बलात्कार

660. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, मुम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य विभिन्न भागों में महिलाओं के साथ बलात्कार की कई घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 1999 के बाद से अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में गठित जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कड़े उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) संगत अवधि के दौरान बलात्कार की घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अतः अपराधों को रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की हैं। तथापि, केन्द्र सरकार, बलात्कार के अपराध के लिए एक दण्ड के रूप में मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था करने संबंधी एक प्रस्ताव पर इस समय विचार कर रही है।

विवरण

1999 के दौरान बलात्कार की माहवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	54	67	उ.न.	121
2.	अरूणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	असम	47	51	उ.न.	98
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	0	2	0	2
6.	गुजरात	27	24	16	67
7.	हरियाणा	18	27	23	68
8.	हिमाचल प्रदेश	7	9	7	23
9.	जम्मू और कश्मीर	14	5	उ.न.	19
10.	कर्नाटक	27	30	28	85
11.	केरल	उ.न.	38	उ.न.	38
12.	मध्य प्रदेश	273	283	232	788
13.	महाराष्ट्र	123	उ.न.	95	218
14.	मणिपुर	1	2	0	3
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	मिजोरम	5	5	6	16
17.	नागालैंड	0	0	2	2
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	पंजाब	30	20	24	74
20.	राजस्थान	99	68	उ.न.	167
21.	सिक्किम	1	0	2	3
22.	तमिलनाडु	29	28	22	79
23.	त्रिपुरा	4	10	6	20
24.	उत्तर प्रदेश	141	109	उ.न.	250
25.	पश्चिम बंगाल	64	उ.न.	उ.न.	64
	कुल (राज्य)	964	778	463	2205

1	2	3	4	5	6
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	0	2
27.	चंडीगढ़	1	0	2	3
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	1
29.	दमन और द्वीव	0	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	35	27	19	81
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	36	29	22	87

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े।
टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।
उ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं पर व्यय

661. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं शीर्ष के तहत प्रत्येक नागरिक पर कितना व्यय किया जाता है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए बजट में कितना वार्षिक आवंटन किया जा रहा है;

(ग) वर्ष 1998 की उक्त शीर्ष के तहत प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या इस धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा जैसा कोई शीर्ष सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार 1996-97 की अवधि में वर्तमान मूल्यों पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 97 रु. था।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अपहरणकर्ताओं का प्रवेश

662. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस विमान, आई.सी. 814 के कुछ अपहरणकर्ताओं के वापस देश में घुस जाने की खबर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें पकड़ने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.सी.डी.एस.

663. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोर बालिका योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने लाभभोगी हैं;

(ख) क्या समेकित बाल विकास योजना, नवजात शिशु परिचर्या और विद्यालयपूर्व मूल्यांकन के अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की समीक्षा करके उन्हें और आकर्षक बनाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। अध्ययनों से परिलक्षित हुआ है कि आई.सी.डी.एस. के तहत शामिल क्षेत्रों में पोषाहार के उच्च स्तर, स्वास्थ्य दर्जे तथा स्कूलों में नामांकन के स्तर सम्बन्धी सामाजिक संसूचक गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों की तुलना में बेहतर हैं।

(ग) गुणात्मक निवेशों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

विवरण

किशोर बालिका स्कीम की लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	67810
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	11854
5.	गोवा	416
6.	गुजरात	–
7.	हरियाणा	11491
8.	हिमाचल प्रदेश	3651
9.	जम्मू और कश्मीर	3150
10.	कर्नाटक	39866
11.	केरल	15547
12.	मध्य प्रदेश	65146
13.	महाराष्ट्र	20208
14.	मणिपुर	–
15.	मेघालय	3600
16.	मिजोरम	1955
17.	नागालैण्ड	–
18.	उड़ीसा	42614
19.	पंजाब	–
20.	राजस्थान	3934
21.	सिक्किम	240
22.	तमिलनाडु	23241
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	–
25.	पं. बंगाल	29388
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	100
27.	चण्डीगढ़	141
28.	दिल्ली	2599
29.	दादरा एवं नगर हवेली	500
30.	दमन एवं दीव	1280
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पाण्डिचेरी	1359

जबलपुर में रानीताल खेल परिसर

664. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर में रानीताल खेल परिसर का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) आदर्श स्तर के खेल परिसर के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि और भूमि की आवश्यकता है;

(घ) क्या जबलपुर में खेल परिसर का निर्माण कार्य किसी गैर-सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था को सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने रानीताल, जबलपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुरोध किया है। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए एक करोड़ रुपये तथा 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की इच्छुक है। चूंकि केन्द्र के लिए खेल तथा अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 एकड़ भूमि अपेक्षित है, अत: भारतीय खेल प्राधिकरण ने 100 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु विचार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) परियोजना के अनुमोदन के बाद ही निर्माण संबंधी रूपरेखाओं पर निर्णय लिया जाएगा।

लोक जुम्बिश परियोजना

665. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को, राजस्थान सरकार से राज्य में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत प्राइमरी तथा हाई स्कूल के सुगम काम-काज से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने लोक जुम्बिश परियोजना के चरण-III को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन हेतु अनुरोध किया है। डी.एफ.आई.डी. की सहायता से लोक जुम्बिश परियोजना के तीसरे चरण के प्रस्ताव का व्यय वित्त समिति ने पहले ही अनुमोदन कर दिया है। मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात में अस्पतालों का आधुनिकीकरण

666. श्री मानसिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में स्थान-वार कितने अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में विश्व बैंक की सहायता से नए अस्पताल/औषधालय खोले गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी अस्पताल का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"इनिशियेटिव पाथ फाइन्डर" को शुरू करना

667. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ब्रिटेन आंध्र प्रदेश में "इनिशियेटिव पाथ फाइन्डर" को शुरू करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कितनी अवधि तक कार्यरत रहेगी;

(घ) क्या आई.बी.पी. ने आंध्र प्रदेश का चुनाव अपनी पायलट परियोजना शुरू करने तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण की संभावनाओं का पता लगाकर इसका दोहन करने, शिक्षा के संबंध में विशिष्ट प्रशिक्षण देने तथा "कोल्ड चेन" प्रौद्योगिकी पर बल देने हेतु किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) भारतीय उद्योग परिसंघ ने सूचित किया कि आन्ध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसका चुनाव ब्रिटेन ने पाथफाइन्डर इनिसिएटिव शुरू करने के लिए किया है।

(ख) यू.के. ने अपनी आपात चिकित्सा परिचर्या के एक भाग के रूप में केन्द्रीकृत एम्बूलेंस सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु जॉन विलबी, अन्तर्राष्ट्रीय आपाती चिकित्सा सेवा सलाहकार, के नेतृत्व में एक दल भेजा था। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस दल के साथ हैदराबाद के सभी प्रमुख अस्पताल विचार-विमर्श की व्यवस्था की और कुछ अस्पतालों द्वारा इस स्कीम को तैयार करने की अपेक्षा है।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय उद्योग परिसंघ ने आगे यह भी सूचना दी है कि प्रदूषण को रोकने और प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने की पहल के रूप में फाउन्ड्री और कास्टिंग्स क्षेत्र में पहल की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने यू.के. के तकनीकी दल के साथ भारतीय फाउन्ड्रीमेन, हैदराबाद चेपटर और विभिन्न फाउण्ड्री एवं कास्टिंग्स एककों के विचार-विमर्श को सुगम कर दिया था। अब वे न सिर्फ उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने बल्कि प्रदूषण को कम करने के लिए भी उनकी प्रौद्योगिकियों को बेहतर करने में सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गए हैं। वे यू.के. के प्रमुख फाउण्ड्री और कास्टिंग्स संस्थानों के साथ समझौते करने को भी सहमत हो गए हैं।

इस पहल को आपसी हित और सुविज्ञता के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा।

विज्ञान शिक्षा

668. श्री आर.एस. पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के विशेषकर गडक और बागलकोट जिलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कितने स्कूलों को शामिल किया गया है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) 1987 से आज तक गडग में 15 स्कूलों सहित 26,410 उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को ''स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार'' योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। बागलकोट जिला के स्कूलों को इस योजना के अधीन शामिल नहीं किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य को अभी तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पटाखों पर प्रतिबंध

669. श्री सुरेश चन्देल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पटाखों की वजह से हर वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) लागू नहीं होता है।

(ग) आतिशबाजी, परम्परागत रूप से हमारे देश के धार्मिक और सामाजिक समारोहों से जुड़ी हुई है, अतः पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, इन समारोह के पालन में हस्तक्षेप करना होगा। इसके अतिरिक्त, इससे वे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो पटाखों के उत्पादन और बिक्री के कार्य में लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

संविधान में संशोधन

670. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व हिन्दू परिषद ने देश में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु संविधान में उचित संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

671. श्री पी. मोहन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक रूप से पिछड़े सामाजिक वर्गों में शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करने तथा उनके लिए समान रूप से शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर बल देती है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम समेत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं का उद्देश्य है - शैक्षिक रूप से पिछड़े सामाजिक वर्गों के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को घटाना और उनकी अध्ययन उपलब्धि में सुधार लाना।

10% भुगतान योजना

672. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास का पृथक पूल रखने वाले स्वायत्तशासी-निकायों के कर्मचारियों को 10% भुगतान योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला संबंधित स्वायत्तशासी निकायों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। सामान्य पुल रिहायशी बास के आबंटियों पर 10% भुगतान स्कीम लागू है। आवास का अलग पुल रखने वाले स्वायत्त शासी निकायों के कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्वायत्तशासी निकायों द्वारा 100% भुगतान करने पर कार्य करता है और यह स्वायत्तशासी निकायों का दायित्व है कि वह अपनी आबंटन नियमावली के अनुसार अथवा सामान्य पुल रिहायशी वास में लागू 10% भुगतान स्कीम की पद्धति पर आबंटियों से उपयुक्त अंशदान लें।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

युवा उत्सव समारोह

673. श्री टी. गोविन्दन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युवा उत्सव समारोह का स्थल केरल से गुजरात बदलने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस उत्सव में कुल कितना व्यय हुआ तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) छठे राष्ट्रीय युवा उत्सव का स्थल व्यवहारिक एवं तर्कसंगत कारणों से केरल से गुजरात बदल दिया गया था।

(ख) अहमदाबाद, गुजरात में दिनांक 12-16 जनवरी, 2000 के दौरान छठे राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन पर कुल 138.00 लाख रुपये खर्च किए गए।

इस प्रयोजन के लिए गुजरात राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 50.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी। नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने भारत सरकार की ओर से 33.00 लाख रुपये खर्च किए।

एन.डी.एम.सी. द्वारा भूमि अधिग्रहण

674. श्री रमेश चेन्नितला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगर परिषद ने अब तक कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) अब तक कितनी भूमि का उपयोग किया गया है;

(ग) एन.डी.एम.सी. की कितनी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण है;

(घ) अनधिकृत अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार ने अतिक्रमण हटाकर भूमि वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर परिषद ने बताया है कि कोई भूमि तथा विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयोजन तथा विभिन्न उपयोगिताओं के लिए पट्टा आधार पर आवंटित भूमि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ग) नई दिल्ली नगर परिषद की भूमि पर छः झुग्गी-झोंपड़ी समूह हैं जिनके नाम हैं (1) चाणक्यपुरी, पुलिस स्टेशन के पीछे महर्षि दयानन्द कैम्प; (2) मान सिंह रोड; (3) धोबी घाट नं. 15, साऊथ एवेन्यू मार्किट (4) बंगाली कैम्प, ईस्ट किदवई नगर; (5) अर्जुन दास कैम्प, वेस्ट किदवई नगर; (6) एस.डी. मन्दिर, नारौजी नगर मार्किट के पीछे। इसके अलावा, परिषद की भूमि पर दो अन्य अवैध कब्जे हैं एक सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने श्री अरविन्दों मार्ग पर और दूसरा बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इम्पोरियम बिल्डिंग के "ए" और "बी" ब्लॉक के बीच इण्डियन काफी हाऊस के पास।

(घ) नई दिल्ली नगर परिषद के अनुसार उपर्युक्त सभी समूहों का 10 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा है। अरविन्दो मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और धोबी घाट सं. 15, साऊथ एवेन्यू मार्किट पर कब्जा न्यायालयों से मिले स्थगनादेश के कारण अभी बना हुआ है। अत: इन अतिक्रमणों के लिए अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ङ) नई दिल्ली नगर परिषद ने बताया है कि मान सिंह रोड, दयानन्द कैम्प तथा त्यागराज मार्ग पर अतिक्रमण से भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह मामला दिल्ली नगर निगम तथा डी.डी.ए. के साथ उठाया है ताकि इन एजेंसियों को अपेक्षित पुनर्वास लागत जमा कराने के बाद उसी भूमि पर अनधिकृत समूहों का पुनर्वास किया जा सके।

समुद्री उत्पाद

675. श्री विजय गोयल : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एड्स, हेपेटाइटिस-बी, कैंसर, इत्यादि रोगों से लड़ने के लिए जीवन रक्षक औषधियों में कितने प्रकार के समद्री उत्पादों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या औषधि उत्पादन के उद्देश्य से समुद्र/महासागर से समुद्री उत्पादों के निष्कर्षण हेतु शोध क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई शोध इकाई स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) इस समय किसी भी समुद्री उत्पाद का एड्स और हेपेटाइटिस-बी की उपचार औषधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। यद्यपि समुद्री जीवों से पृथक किए गए अधिकांश उपापचयजों (मेटाबोलीटीज) की एक या अधिक ट्यूमर कोशिका रेखाओं के प्रतिरोध में कोशिकाविष विशेषताओं के लिए परीक्षित करने की सूचना है। केवल कुछ का परीक्षण कोशिका रेखाओं के पैनल के विरुद्ध सक्रिय पाए जाने वाले जीव क्या दूसरों के प्रति भी सक्रिय हैं। इनमें से कुछ औषधियां परीक्षण पर है और इनका चिकित्सीय अवस्था में पहुंचना अभी बाकी है।

(ख) और (ग) 'समुद्र से औषधियां' पर एक बहुसंस्थागत राष्ट्रीय परियोजना 1990-91 से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें नोडल एजेंसी के रूप में केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ सहित देश की 10 अग्रणी अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल हैं। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) समुद्री जीवों का संग्रहण तथा विभिन्न समुद्री प्रजातियों के भण्डार का रखरखाव।

(ख) विभिन्न भेषजवैज्ञानिक तथा आविषालुता वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए समुद्री तत्वों की जैविक जांच।

(ग) सक्रिय अंशों से सक्रिय संघटकों का पृथक्करण व अभिलक्षणन, तथा

(घ) औषधि विकास।

इस परियोजना के तहत अब तक 800 समुद्री जीवों की जांच की गई है जिनमें से अतिसाररोधी व मधुमेहरोधी, लिपिडेमिकरोधी, चिन्तारोधी, शोथजरोधी तथा डिम्भकनाशी के रूप में प्रबल सक्रियता वाले 6 जीवों की आगे अध्ययन करने के लिए पहचान की गई है। अतिसाररोधी व मुधमेहरोधी तथा लिपिडेमिकरोधी सूत्रों पर भेषजवैज्ञानिक, आविषालुतावैज्ञानिक और चरण-I के चिकित्सीय परीक्षण चल रहे हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड

676. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के कर्मचारियों के टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या मानदण्ड के पालन न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानदण्ड के कड़ाई से पालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच.एफ.सी.) दोनों में उन कर्मचारियों के टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति आवश्यकता के आधार पर की जाती है जिन्हें सरकारी टेलीफोन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है लेकिन उनके निवास स्थानों पर उनके अपने टेलीफोन हैं। वर्तमान में एच.एफ.सी. में 69 अधिकारियों तथा 3 अन्य कर्मचारियों और एफ.सी.आई. में 43 अधिकारियों और 3 कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। एकक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (ङ) विभाग में इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कंपनियां उन कर्मचारियों के मामले की लगातार समीक्षा कर रही है जिन्हें समय-समय पर प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है।

विवरण

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. में उन कर्मचारियों के वर्गवार ब्यौरे जिन्हें टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति की जा रही है

क्र.सं.	इकाई/प्रभाग/कार्यालय	अधिकारी	अन्य
1.	नामरूप	शून्य	शून्य
2.	दुर्गापुर	6	शून्य
3.	बरौनी	16	शून्य
4.	हल्दिया	2	शून्य
5.	मार्केटिंग	6	शून्य
6.	सीपीएलओ कलकत्ता	1	शून्य
7.	एफपी एण्ड एआरडी	7	शून्य
8.	कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	31	3
	योग	69	3

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया में उन कर्मचारियों के वर्गवार ब्यौरे जिन्हें टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति की जा रही है

क्र.सं.	इकाई/प्रभाग/कार्यालय	अधिकारी	अन्य
1.	गोरखपुर	8	2
2.	तालचर	शून्य	1
3.	जोधपुर माइनिंग आर्गेनाइजेशन	4	शून्य
4.	मार्केटिंग कार्यालय :		
	(1) क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, कलकत्ता	3	शून्य
	(2) क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, भुवनेश्वर	3	शून्य
	(3) क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, पटना	6	शून्य
	(4) क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, हैदराबाद	1	शून्य
5.	केन्द्रीय कार्यालय और केन्द्रीय विपणन	18	शून्य
	योग	43	3

साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाना

677. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाने वाले संगठनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) देश में साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने से संबंधित सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है तथा जहां-कहीं भी आवश्यकता होती है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

अम्बेडकर आवास योजना

678. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत फ्लैटों को अब तक आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक श्रेणीवार कुल कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं;

(घ) "शेष फ्लैटों" को कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) अधिक समय और अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए इन फ्लैटों की कितनी कीमत वसूल की जानी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के तहत 20,000 आवेदकों को पंजीकृत किया गया था जिनमें से आज की तारीख तक 11,010 पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं।

(ग) डी.डी.ए. द्वारा आबंटित फ्लैटों की श्रेणीवार कुल संख्या निम्नलिखित अनुसार है:-

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति	किया गया आवंटन
जनता	3,000	2,988
एल.आई.जी.	10,000	4,712
एम.आई.जी.	7,000	3,310
कुल	20,000	11,010

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान 1006 एम.आई.जी. फ्लैट और 552 एल.आई.जी. फ्लैट बन जाने की संभावना है। वर्ष 2000-01 के अनंतिम कार्यक्रम के अनुसार 2,287 एम.आई.जी. फ्लैटों और 1206 एल.आई.जी. फ्लैटों के निर्माण का कार्य किया जाना है।

फ्लैटों के बन जाने पर कम्प्यूटीकृत ड्रा के जरिये 25% फ्लैट अम्बेडकर आवास योजना 1989 के पंजीकृत व्यक्तियों और 75% एन.पी.आर.एस. 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जाएंगे। किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विकसित भूमि, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता आदि जैसे इन्पुट्स पर निर्भर करता है।

(ङ) सुपुर्दगी (डिसपोजल) मूल्य आबंटन के समय निर्माण की वास्तविक लागत और प्रचलित भूमि मूल्य के आधार पर नियत किया जाता है। तथापि, फ्लैटों का मूल्य समग्र रूप से "लाभ-हानि रहित" आधार पर निर्धारित किया जाता है।

2001 की जनगणना

679. श्री मंजय लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जनगणना आयोग ने भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 2001 के दौरान भारतीय जनगणना आयोग द्वारा की जाने वाली जनगणना में विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस काम में विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे अलग-अलग सरकारी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत की जनगणना में भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 की पूर्ववर्ती जनगणनाओं में अशक्तता से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किए गए थे। तत्पश्चात्, तत्कालीन जनगणना आयुक्तों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के संबंध में जुटाए गए आंकड़ों की प्रमाणित करता और गुणवत्ता के सम्बन्ध में उठाई गई गम्भीर आशंकाओं के कारण 1941 जनगणना से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की गणना करने का कार्य बन्द कर दिया गया था। यह महसूस किया गया कि विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रश्न स्वयं में जनगणना में पूछे जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि इससे सही-सही आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। 1951, 1961 और 1971 की पश्चातवर्ती जनगणनाओं में विकलांगता से सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा गया।

1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था तथा तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई ठोस दलीलों को ध्यान में रखते हुए 1981 की जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया जबकि तत्कालीन जनगणना आयुक्त द्वारा विकलांगता से सम्बन्धित विश्वसनीय आंकड़े जुटाए जाने के सम्बन्ध में जनगणना की सक्षमता के सम्बन्ध में भारी असहमति प्रकट की गई थी। 1981 की जनगणना के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यह महसूस किया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की गणना काफी कम हुई है। 1981 की जनगणना के परिणामों से भी पूर्व जनगणना आयुक्तों द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों को बल मिला कि जनगणना कार्यों का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि इसमें स्वयं ही इस प्रकार के विरले व्यक्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता अथवा पहचान नहीं की जा सकती है। यह महसूस किया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की गणना करना जनगणना कार्यों के कार्यक्षेत्र और क्षमता से बाहर की बात है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) चूंकि भारत की जनगणना 2001 में विकलांगता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः इस कार्य में सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को सम्मिलित किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय में रिक्त पद

680. श्री अशोक अर्गल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पड़े पदों की संख्या क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद विषयवार आरक्षित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पदों को भरने हेतु उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम कौन से हैं तथा इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य लागतों का अध्ययन

681. श्री मोहम्मद अनवारुल हक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपियन वेजिटेरियन यूनियन द्वारा मांस की खपत के कारण होने वाली स्वास्थ्य लागत के अध्ययन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) सरकार ऐसी किसी रिपोर्ट से अवगत नहीं है।

(ग) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों में संतुलित आहार पर जोर दिया जाता है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए संतुलित आहार आधारित निदेशिका तैयार की गयी है।

राष्ट्रीय महिला संदर्शी योजना

682. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय महिला संदर्शी योजना की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988-2000 का प्रारूप तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्कालीन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में जनवरी, 1987 में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप ने 9 अक्तूबर, 1988 को राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना, विभाग के समक्ष प्रस्तुत की। राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना भारतीय महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विकास प्रक्रिया से सम्बन्धित भारतीय संवैधानिक प्रावधानों, सिद्धांतों तथा नीति निर्देशों द्वारा निर्देशित दीर्घावधि नीतिगत दस्तावेज है। इस योजना का उद्देश्य सभी महिलाओं के लिए समानता तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए इन्हें अर्थ-व्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उनका सर्वांगीण विकास करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार तथा प्रशिक्षण, समर्थन सेवाएं, ईंधन, चारा, पानी, शिशुगृह, दिवस देखभाल केन्द्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, विधान, राजनैतिक तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी, मीडिया, जनसंचार तथा स्वैच्छिक कार्यों के सम्बन्ध में 353 सिफारिशें हैं। इनमें से कतिपय सिफारिशों के अल्पावधि तथा दीर्घावधि नीतिगत तथा वित्तीय परिणाम हैं, जबकि कुछ अन्य सिफारिशें विधायी विषयों से सम्बन्धित हैं। महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इन सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

2. राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना की प्रमुख सिफारिशों के राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:-

(1) आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही पृथक महिला एवं बाल विकास विभागों की स्थापना की जा चुकी है।

(2) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पाण्डिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला विकास निगमों की स्थापना की गई है।

(3) असम, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुरूप राज्य महिला आयोगों की स्थापना की जा चुकी है।

(4) संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 तथा संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार सभी स्थानीय निकायों में समितियों के अध्यक्षों के $^1/_3$ पद तथा एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गयी हैं।

(5) परती भूमि, अधिकतम भूमि तथा अधिशेष भूमि के निर्धारण के लिए संयुक्त नाम से पट्टे जारी करने के बारे में सिफारिश का कई राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(6) आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों तथा पाण्डिचेरी और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 'महिलाओं पर अत्याचारों के निवारण हेतु' कक्षों की स्थापना की गई है।

(7) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1992 से महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा इसके साथ जुड़े कार्यक्रमों को 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक पुनर्गठित कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना स्व-सहायता दलों में ग्रामीण निर्धनों का संगठन तथा उनकी क्षमता निर्माण, गतिविधि संकेन्द्रण आयोजना, अवसंरचना सृजन, प्रौद्योगिकी, ऋण तथा विपणन स्व-रोजगार के सभी घटकों को शामिल करने वाला एक समग्र कार्यक्रम होगा। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

(8) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप), रोजगार तथा आयोत्पादन इकाइयां (नोराड), राष्ट्रीय महिला कोष इत्यादि जैसी आयोत्पादक इकाइयों को बढ़ावा देना तथा कामकाजी महिला होस्टल, अल्पावास गृह, निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास, शिशुगृह संचालन की स्कीम जैसे महिला विकास कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।

वाहन चोरी के मामले

683. **श्रीमती रीना चौधरी :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के विभिन्न थानों में वर्ष 1998 और 1999 के दौरान वाहन चोरी के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उन मामलों में से कितने मामले हल किए गए;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चुराए गए वाहनों के कलपुर्जों को दिल्ली के विभिन्न भागों तथा पड़ौसी राज्यों में भी बेचा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अवैध धन्धे में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) वर्ष 1999 के दौरान कितने व्यक्ति पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) वर्ष 1998 के दौरान, वाहन चोरी के 8557 मामले सूचित किए गए थे जिनमें से 1309 मामलों को हल कर लिया गया था। 1999 में, वाहन चोरी के 8078 मामले सूचित किए गए थे जिनमें से 1542 मामलों को हल कर लिया गया था।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान। अभियुक्त व्यक्तियों से की गई पूछ-ताछ से पता चला है कि अधिकांश मामलों में चुराए गए वाहनों को, चोरी करने के तुरन्त बाद, जाली नम्बर प्लेट, जाली दस्तावेजों अथवा वाहन के रंग-रूप में बदलाव करके अथवा उनकी मरम्मत के द्वारा गाड़ी की दिखावट में हल्की तबदीली करके, दिल्ली के बाहर ले जाया जाता है। इन मामलों की जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में चुराए गए वाहन बरामद करने में सफलता हासिल हुई है।

(च) 1999 के दौरान, वाहन चोरी में संलिप्त 2518 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई।

(छ) दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी की रोकथाम हेतु सभी संभव प्रयास करने के लिए आसूचना संग्रहण और दिल्ली में और उसके आस-पास सक्रिय संगठित गिरोहों का पता लगाने धरपकड़ करने के लिए प्रत्येक जिले में वाहन चोरी यूनिटों की स्थापना की है। सीमा पर निरीक्षण चौकियों को भी इस बारे में ब्रीफ किया गया है।

टाडा के तहत नजरबन्द किए गए व्यक्ति

684. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) में अभी भी बहुत सारे व्यक्ति नजरबन्द हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक मामले दर्ज नहीं किए गए हैं;

(ग) आज तक कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है;

(घ) आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों से निपटने के लिए टाडा का क्या विकल्प तैयार किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही आतंकवाद से निपटने के लिए ऐसा ही अधिनियम बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो टाडा के कितने मामलों में इसका दुरूपयोग हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक 522 अभियुक्त व्यक्ति नजरबन्द हैं।

(ख) और (ग) यह सूचना गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 जोकि आतंकवाद की रोकथाम के लिए एक वैकल्पिक विधि के रूप में मई, 1995 में राज्य सभा में उस समय प्रस्तुत किया गया था जब पूर्व आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 को व्यपगत होने दिया गया था। यहा विधेयक लम्बित पड़ा रहा है और विधि आयोग देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित विधि के निर्माण हेतु अब अपना अध्ययन शुरू किया है।

(च) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और वहां व्याप्त लोक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा (आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा), 1987 के प्रावधानों को लागू किया गया। टाडा (पी) अधिनियम, 1987, मई 1995 में पहले ही व्यपगत हो चुका है। लम्बित मामलों की पुनरीक्षा के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर पुनरीक्षण समितियां गठित की गई हैं।

अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण

685. श्री ए.के. मूर्ति :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और दिसम्बर, 1999 तक सरकारी अस्पतालों के लिए चिकित्सा-उपकरणों/मशीनों के आयात पर खर्च धनराशि का अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तब से सभी उपकरणों/मशीनों को अधिष्ठापित कर दिया गया है और उनका उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) जनशक्ति और उपकरणों को देखते हुए अस्पतालों का स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल द्वारा दिसम्बर, 1999 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा-उपस्करों/मशीनों के आयात पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अस्पतालों के तकनीकी कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरण खरीदे जाते हैं।

विवरण-I

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल

क्र.सं.	उपस्कर का नाम	खरीद का वर्ष	उपस्कर लागत	उपस्कर लागत (रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	मल्टी गैस मॉनीटर	2/97	1,551,986.50	450076.08
2.	बेसिक इन्स्ट्रूमेंट सेट (वीसीपीएलसी-डीसीपी)	2/97	सीएचएफ-14,97,20	22458.00
3.	वायरलास्ट रूमेबल सेट इनग्राफिक्क केस	2/97	सीएचएफ-4218.40	105460.00
4.	70 एमएम कानेटेड स्क्रू सेट इन्स्ट्रूमेंट इनग्राफिक केस	2/97	सीएचएफ-12291.10	307977.50
5.	यूनिवर्सल आपरेशन माइक्रोस्कोप पीएनपी ओएसएस 2010	3/97	डीएम - 31664.45	667803.25
6.	मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रो सर्जिकल हीट	3/97	डीएम - 14299.40	300098.04
7.	इलेक्ट्रो सर्जिकल एमई 400 रिलेवेंट एक्शन	3/97	डीएम - 10594.47	223437.37
8.	एसेसरीज फार इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट एमई 400	3/97	डीएम - 6958.56	146756.03
9.	ए. प्रेशर मॉनीटर	3/97	एन - 183920.00	53336.80
10.	पोर्टेबल वेंटीलेटर	3/97	डीएम - 19000.00	400710.00
11.	पल्स आल्मीनेटर विथ फार्म्स एबीपी	3/97	एन - 672918.00	195146.22 (2572557.00 वर्ष 1997 के लिए)
12.	सेक्शन आपरेट्स विथ एसेसरीज	3/98	लूरा - 6015240.00	136545.94
13.	एम. मशीन	3/98	यूएसएस - 11286.00	445684.14
14.	काल्पोकोप	3/98	डीएम - 17622.00	392174.38
15.	पीप्रासेस	3/98	डीएम - 1942.00	43287.18
16.	ईएनटी इन्स्ट्रूमेंट	3/98	डीएम - 4418.36	98489.70
17.	आर.आर. पावर ड्राईविंग सिस्टम	3/98	एसएफ - 22897.00	633788.06
18.	एसेसरीज फार आर्थोस्कोप	3/98	डीएम - 2542.00	56794.92
19.	मोबाइल लाइट फार ओटी	3/98	डीएम - 5005.55	18573.70
20.	लेल्को क्रोस्ट स्टेट पश्चिम 3050	3/98	डीएम - 38672.63	862012.02
21.	आटोमेटिक एस.एस.	3/98	डीएम - 35668.70	795055.32

1	2	3	4	5
22.	एसेसरीज फार सेंटीनल	3/98	यूएसए - 1572.25	62088.15
23.	पियोफ्यूज	3/98	डीएम - 17965.45	400499.588 (वर्ष 92 के लिए 4038558)
24.	एसेसरीज फार क्रायडोरो रेस्ट ग्रोस कापी	3/99	डीएम - 31831.46	807882.45
25.	युट्रामाइट्रो वेडेंस	3/99	यूएसएस - 10465.02	446542.40
26.	एम्बो एमरजेंसी साफ्ट-डाक	3/99	डीकेके - 29017.00	196130.73
27.	इलेक्ट्रीक का	3/99	यूएसएस - 6290.00	26839.30
28.	मल्टी चैनल कार्डियो मानीटर	3/99	एन - 780900.30	291431.99
29.	एसेसरीज फार इन्डोज कापी	3/99	डीएम - 16437.85	417192.63
30.	ब्लड कलेक्शन स्केल/मिक्सर	3/99	एस - 31390.00	171390.40
31.	आटोमेटिक्स प्रोजेक्शन पैरामीटर	3/99	यूएसए - 12825.00	547242.75
32.	डाटा पेस्ट जेई	3/99	यूएस डालर - 4550.00	194148.50
33.	एस्टोट्रीम आईएफटी 200	3/99	डीएम - 12775.00	324229.50
34.	हैवी ड्यूटी आटोमेटिक ब्लड गैस टोब स्केलर	3/99	सेक - 44640.00	244180.80
35.	कम्पलीट फाइबर आप्टीक मेटल हेलाइड आर हेडिंग्स 24 वाट	3/99	यूएस डालर - 3001.60	128078.27
36.	स्लिट लैम्प	3/99	येन - 673350.00	251368.86
37.	मॉडल	3/99	डीएम - 6713.96	170400.30
38.	अर्गोमीटर	3/99	डीएम - 20340.00	516229.20
39.	एक्सरे ट्यब (सीआईएसएम)	11/99	यूएस डालर - 54340.00	2368137.20
40.	चूसक उपकरण के कल-पुर्जे	11/99	डीएम - 20470.67	478534.12
41.	स्टैब्रोस्कोप के पुर्जे	11/99	डीएम - 2269.15	67080.72
42.	इलेक्ट्रोड फार डीई. 40 वीईआर मशीन	12/99	येन - 459958.00	160949.78 (8049965.00 रुपए लगभग)

विवरण-II

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

1997-99 में उपस्कर आयात की सूची

	उपस्कर का नाम	मात्रा	राशि	
	1	2	3	
1997				
1.	हैड लाइट्स	चार	डीएम	4428
2.	ई.ई.जी. मशीन	एक	यूएसडालर	67500
3.	यू.वी. थिरेपी सिस्टम	एक	डीएम	56548.75
4.	हाई स्पीड न्यूमेटिक ड्रिल	एक	यूएसडालर	27389
1998				
1.	मग्नेट्रान	एक	डीएम	2555
2.	ट्रिबन बीम माइक्रोबिलिमीटर	एक	लीरा	12355400
3.	माइक्रोस्कोप	सात	येन	781730
4.	क्रोइफ्यूज 6000	एक	डीएम	43990
5.	फोटोथिरेपी सिस्टम	एक	यूएसडालर	363553635
6.	प्लेटेलेट एजीटेटर	एक	यूएसडालर	8760
1999				
1.	डायमंड हार्न एंड स्टेपिंग ब्लाक	एक	यूएसडालर	1650
2.	अपर जी.आई. फाइब्रो-आप्टिक इडोस्कोप	एक	यूएसडालर	9886
3.	फाइब्रेऔप्टिक कोलोनेस्कोप	एक	यूएसडालर	10662
4.	एच.टी. कनर्वट टैंक	एक	यूएसडालर	20412
5.	फलेक्सिबल लेरियंगोफारेनो स्कोप	एक	यून	1219292
6.	लेजर थिरेपी यूनिट	एक	डीएम	16150
7.	अल्ट्रासाउंड ए/बी स्केन सिस्टम	एक	यूएसडालर	19500
8.	सिननिप्पन आयेरेफ्रेक्टोमीटर	एक	यूएसडालर	19500
9.	सिरिंज पम्प	ग्यारह	यूएसडालर	8470

1		2	3	
10.	जौंडिस मीटर	एक	यूएसडालर	5614
11.	फेसिपल नर्वस्टिमुलेटर	एक	पौंड	3928
12.	पेसियोमुलिफिकेशन यूनिट	एक	यूएसडालर	17000
13.	रिस्पिरेटर यूनिट	एक	एफ. फ्रांस	82000
14.	वीसीआर सिस्टम	एक	यूएसडालर	17520
15.	ट्यूब फॉर होल बाडी सी.टी.	एक	यूरोप	64934

विवरण-III

सफदरजंग अस्पताल

पिछले तीन वर्षों के दौरान (दिसम्बर, 1999 तक) सफदरजंग अस्पताल के लिए उपस्करों/ मशीनों की सूची तथा आयात पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

वर्ष	उपस्करों का नाम	खर्च की गई राशि
1	2	3
1997	– पूर्ण स्वचालित रक्त विश्लेषक	7,55,000
	– 4 चैनल कार्डियेक मोनीटर	7,24,000
	– एनआईवीपी के साथ एसएओ 2 तापमान सहित ईसीजी मॉनीटर	8,87,950
	– ई सी जी के साथ पल्स ऑक्जीमीटर	6,70,950
	– सायजोस्कोपिक ऑक्जोमीटर	2,00,000
	– इलिसा रीडर	5,27,000
	– वासल एंडोस्कोपी एक्सेसरीज	2,20,000
	– इन्फ्यूजन पंप	1,15,000
	– इन्फ्यूजन पंप	2,25,000
	कुल : 09 उपस्कर	43,24,900
1998	ट्रांसपोर्ट वेन्टीलेटर	2,50,000
	वाइटल साइन मॉनीटर	4,91,867
	फैको एनल्सीफीकेशन	9,28,000
	स्किन क्राफ्ट मैशर	10,00,000
	कुल : 4 उपस्कर	26,73,867

1	2	3
1999	सिरिंज इन्फ्यूजन पंप	9,63,000
	मोबाइल एयर एक्सप्टाइजर	6,34,000
	अल्ट्रावाइलेट स्टोरेज	8,00,000
	फाइबरआप्टिक ब्रांकोस्कोप	9,00,000
	पेडियाट्रिक ओ.टी. टेबल	3,64,500
	ओ.टी. टेबल	6,22,000
	वेन्टीलेटर	4,37,000
	हेमोडियेलाइसिस मशीन	8,00,000
	कुल : 8 उपस्कर	55,20,500
	कुल योग : 21 उपस्कर	1,25,19,267

तम्बाकू कम्पनियों द्वारा किशोरों को लक्ष्य बनाया जाना

686. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 2000 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "टोबैकों फर्म्स बारगेन टीनेजर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तम्बाकू के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु बच्चों को शामिल किए जाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधान लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अधीनस्थ विधायन समिति (दसवीं लोक सभा) ने अपनी 22वीं रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की थी जिनका मूल उद्देश्य तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करना है। सरकार इन अनुशंसाओं की जांच कर रही है और विधायन प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

मेदरा समुदाय

687. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेदरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मेदरा समुदाय से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें उक्त समुदाय में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के आलोक में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालय

688. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के कहां-कहां कितने औषधालय हैं;

(ख) क्या सभी औषधालय में एक्स-रे तथा रक्त जांच की सुविधाएं हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी औषधालयों में उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली में कार्यरत 86 एलोपैथिक औषधालयों में से 38 में प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। एक्स-रे सुविधाएं केवल 3 औषधालयों/पोलि क्लीनिक में उपलब्ध हैं।

(घ) संसाधनों की कमी और इन सुविधाओं की क्षमता का पूरा उपयोग न होने के कारण सभी औषधालयों में एक्स-रे तथा रक्त परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करना सम्भव नहीं है।

विवरण

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चल रहे एलोपैथिक औषधालयों की सूची

1. गोल मार्केट
2. पंडारा रोड
3. दिल्ली कैंट
4. मिन्टो रोड
5. पहाड़गंज
6. सब्जी मंडी
7. तिमारपुर
8. चांदनी चौक
9. लोधी रोड-I
10. लोधी रोड-II
11. लाजपत नगर
12. किदवई नगर
13. सरोजिनी नगर-I
14. सरोजिनी नगर-II
15. लक्ष्मीबाई नगर
16. मोती बाग
17. करोल बाग
18. पुसा रोड
19. देव नगर
20. पटेल नगर
21. नेताजी नगर
22. पुल बंगाश
23. चाणक्यपुरी
24. कस्तूरबा नगर-I
25. तिलक नगर
26. प्रेसीडेंट इस्टेट
27. दरिया गंज
28. नानकपुरा
29. नौरोजी नगर
30. नार्थ एवेन्यू
31. साऊथ एवेन्यू
32. कांस्टीट्यूशन हाऊस
33. टेलीग्राफ लेन
34. सरोजिनी नगर मार्केट
35. श्रीनिवासपुरी
36. पटेल नगर-II
37. एन्ड्रयूज गंज
38. जंगपुरा
39. मालवीय नगर
40. कालका जी-I
41. आर.के. पुरम-I
42. डा. जेड.एच. रोड
43. न्यू राजिन्द्र नगर
44. आर.के. पुरम-II

45. हौज खास
46. हरी नगर
47. शाहदरा
48. आर.के. पुरम-III
49. चित्रगुप्त रोड
50. आर.के. पुरम-IV
51. राजौरी गार्डेन
52. शकुरबस्ती
53. इन्द्रपुरी
54. नारायना
55. जी.के.जी.
56. आर.के. पुरम-V
57. नांगल राया
58. राजपुर रोड
59. किंगस्वे कैम्प
60. जनक पुरी-I
61. अशोक विहार
62. सादिक नगर
63. त्रिनगर
64. एम.बी. रोड
65. पालम कालोनी
66. लक्ष्मी नगर
67. गाजियाबाद
68. आर.के. पुरम-VI
69. फरीदाबाद
70. मुनीरका
71. कस्तूरबा नगर-II
72. गुड़गांव
73. जनक पुरी-II
74. कालका जी-II
75. गोल मार्केट-II
76. मयूर विहार
77. दक्षिणपुरी
78. विवेक विहार
79. पश्चिम विहार
80. पीतम पुरा
81. सुन्दर विहार
82. प्रगति विहार
83. यमुना विहार
84. नोएडा
85. दिलशाद गार्डेन
86. रोहिणी
87. ° मोती नगर (बन्द)

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध

689. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद, वह भारत के विरूद्ध छद्म युद्ध जारी रखने के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस छदम युद्ध को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कश्मीर और अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में आई.एस.आई. के जरिये विध्वंसक गतिविधियों के रूप में जारी रखने की संभावना हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पाकिस्तान में सेना द्वारा प्रशासन संभालने के बाद भारत के विरूद्ध छद्म युद्ध की पाकिस्तानी नीति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा की मुख्य चिन्ता का कारण जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी ग्रुपों की एक-दूसरे से जुड़ी और बाहर से समर्थित विघटनकारी गतिविधियों पर केन्द्रित रहा। हाल ही में कुछ अन्य राज्यों में आई.एस.आई. मोडयूल्य का पता लगाया गया/निष्फल किया गया है।

(ग) उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, समन्वित आसूचना कार्रवाई द्वारा उग्रवादियों की योजनाओं को विफल करना, सुरक्षा बलों की चौकियों की स्थापना, उन्नत अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को विदेशी सहायता

690. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री रिज़वान जहीर :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6.2.2000 और 7.2.2000 के "दैनिक जागरण" में क्रमशः "दिल्ली मेट्रो को मिलने वाला जापानी कर्ज भी पचड़े में फंसा" और "मेट्रो-रेल दिल्ली के साथ अपशकुन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) परियोजना की लागत में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) इस परियोजना में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में छपी सामग्री तथ्यों पर आधारित नहीं है। पहली खेप के लिए लगभग 470 करोड़ रुपए का जेबीआईसी ऋण करार पर 17 फरवरी, 1997 को हस्ताक्षर किए गए। ऋण की दूसरी खेप के लिए जेबीआईसी द्वारा जनवरी/फरवरी, 2000 में परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन किया। तथापि ऋण की दूसरी खेप के लिए जेबीआईसी ने कोई वचनबद्धता नहीं दी है।

ऋण की पहली खेप के लिए करार अथवा जेबीआईसी द्वारा किए गए मूल्यांकन में ऐसी कोई शर्त कि ठेका केवल जापानी फर्मों को दिया जाए अथवा परियोजना की लागत बढ़ जाने के परिणाम के बारे में कोई शर्त नहीं है। अनुकूलतम कीमत के लिए ठेके, प्रतिस्पर्धात्मक बोली/स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली, प्रक्रियाओं के आधार पर दिए जा रहे हैं।

परियोजना का कार्यान्वयन कार्य पूरा करने की लक्ष्य तारीख मार्च, 2000 के अनुसार चल रहा है और ज्यादा समय तथा लागत बढ़ने की संभावना से बचने के लिए भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसकी बारीकी से निगरानी कर रही है। मैट्रो निर्माण में अनुभव प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों के कंसोर्शियम की सेवाएं भी ली गई है ताकि ज्यादा समय लगने और लागत बढ़ने से बचा जा सके।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिनेमा कलाकारों को सुरक्षा

691. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
कुमारी भावना पुडलिकराव गवली :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म उद्योग के कितने शीर्ष कलाकारों को सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन कलाकारों ने अपनी निजी सुरक्षा हेतु सेवा प्रभार का भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारत के संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मी कलाकारों सहित उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और उस पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की है।

(ख) से (घ) भारत सरकार की नीति के अनुसार सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा किए गए खतरे के आकलन के आधार पर व्यक्तियों को सरकारी खर्चें पर सुरक्षा प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा का प्रचलन

692. श्री रामजीवन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जाली मुद्रा के प्रचलन को रोकने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या से निपटने हेतु क्या उपाय किये जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) जाली मुद्रा के मामलों की जांच करने और नोट छापने वाली प्रेसों द्वारा, समय-समय पर, उठाए जाने वाली उपचारी उपाय सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 22 फरवरी, 2000 को एक समिति गठित की है। समिति से दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी समय-समय पर प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है जिससे कि जनता असली और नकली नोटों में अन्तर कर सके। जाली मुद्रा को रोकने के उद्देश्य से, मुद्रा नोटों को भी अब अतिरिक्त सुरक्षा-विशेषताओं के साथ छापा जाता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की जांच पड़ताल के लिए सही एक विशेष यूनिट बनाई है। सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर तैनात अपनी अग्रणी टुकड़ियों को सावधान कर दिया है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि इस प्रकार के जाली नोटों की देश में तस्करी न की जा सके।

[अनुवाद]

तदर्थ बोनस

693. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व वर्षों के दौरान तदर्थ बोनस प्राप्त कर रहे केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय के स्नातकोत्तर अध्यापकों को इनका भुगतान करने से इंकार कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में भारत सरकार के आदेश संख्या एफ. 14(3)/ई-समन्वय (1)/99 दिनांक 8 अक्तूबर, 1999 तथा 12 अक्तूबर, 1999 को अपनाया है। इन आदेशों के अनुसार, बोनस केन्द्रीय सरकार के वर्ग "ग" और "घ" कर्मचारियों तथा वर्ग "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है। ये दोनों संगठन पंजीकृत सोसायटियां हैं तथा राजपत्रित और अराजपत्रित के रूप में पदों का कोई वर्गीकरण नहीं है। तद्नुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर पत्र संख्या एफ 5-16/98-यू.टी. 1 दिनांक 17 अक्तूबर, 1999 से स्पष्ट किया है कि जो अध्यापक/कर्मचारी रु. 1640-2900 के वेतनमान (पूर्व संशोधित) से अधिक वेतन ले रहे हैं वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं हैं। चूंकि केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के स्नातकोत्तर अध्यापकों को रु. 6500-200-10500 (पूर्व संशोधित रु. 2000-3500) या इससे अधिक के वेतनमान में रखा गया है अतः वे इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना में हेराफेरी

694. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब में विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि से चलाई जा रही प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना से क्रियान्वयन में हो रही कथित धोखाधड़ी के संबंध में दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 में "द हिन्दू" में बैग बारी एण्ड स्कैवन्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए सौदे की जांच कराने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। यह समाचार संगरूर जिला, पंजाब में विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप-परियोजना के लिए आवंटित निधियों के दुरूपयोग के बारे में है।

रिपोर्ट में औषधियों और उपस्करों की खरीद में समुचित प्रक्रिया न अपनाए जाने की ओर ध्यान दिलाया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने इस बारे में जांच की और उपस्करों और आपूर्तियों के आदेश को रद्द कर दिया। इन आपूर्ति आदेशों के संबंध में कभी कोई भुगतान नहीं किया गया। पंजाब राज्य सरकार के सतर्कता ब्यूरो द्वारा इस बारे में आगे जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह

695. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह मनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और अंग्रेजी के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिये कोई योजना बनायी गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती राजभाषा विभाग के दिनांक 7.6.99 के पत्र में दिए गए निदेशानुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/विदेशों में भारतीय मिशनों आदि द्वारा मनाई जा रही है। स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों में, प्राप्त विवरणों के अनुसार कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, विभागीय पत्रिकाओं में विशेषांकों का प्रकाशन, तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तकों का प्रकाशन, मूल कार्य हिंदी में करने के लिए विशेष प्रयास करना आदि सम्मिलित हैं।

राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती का उदघाटन समारोह दिनांक 14.9.99 को राजभाषा विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कम्प्यूटर द्वारा हिंदी सीखने के लिए लीला-हिंदी-प्रबोध सॉफ्टवेयर का प्रमोचन भी महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। दिनांक 24.12.1999 को राजभाषा भारती पत्रिका के स्वर्ण जयंती विशेषांक का विमोचन महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। दिनांक 24.12.2000 को राजभाषा विभाग भी हिंदी में वेबसाइट के उद्घाटन के साथ राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विचारकों, बुद्धिजीवियों आदि के संदेशों की एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

दिनांक 5-13 फरवरी, 2000 के दौरान दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 14वें विश्व पुस्तक मेले में राजभाषा विभाग ने भाग लिया। जिसमें केन्द्र सरकार के कार्यालयों की गृह पत्रिकाओं को दर्शकों के सम्मुख रखा गया।

(घ) केन्द्रीय सरकार की यह सुविचारित नीति रही है कि प्रेरणा, प्रोत्साहन व सदभावना द्वारा राजभाषा हिंदी का प्रयोग इसके कार्यकलापों में करवाया जाए। तदनुसार राजभाषा हिंदी में कामकाज की गति बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण तथा अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद का प्रशिक्षण देना,

(ख) विभिन्न राजभाषा संबंधी समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करना,

(ग) टी.वी. तथा रेडियो स्पाटस का निर्माण व प्रसारण करना,

(घ) राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण कराना,

(ङ) वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,

(च) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण कराना,

(छ) विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं का कार्यान्वयन करना, इत्यादि।

[अनुवाद]

अनधिकृत साप्ताहिक-बाजार

696. श्री रामजी मांझी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में लग रहे अनधिकृत/अवैध साप्ताहिक बाजारों के कारण, यातायात-प्रवाह में बाधा पड़ रही है और दिल्लीवासी असुविधा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अवैध रूप से कितने साप्ताहिक बाजार लगते हैं और पुलिस तथा नगर निगम कर्मचारी किन कारणोंवश कोई कार्यवाही नहीं कर रहा हैं;

(ग) क्या दिल्ली में विक्रयकर्ता फुटपाथ और सार्वजनिक उपयोग की सड़क पर अपना सामान फैला लेते हैं जिससे सड़क पर और दुकानों के बरामदे में भीड़-भाड़ बढ़ जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 63 अनधिकृत साप्ताहिक बाजार हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली में व्यापारी कभी-कभी, पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए रास्तों पर कब्जा कर लेते हैं जिससे जनता को अक्सर असुविधा हो जाती है। नगर पालिका प्राधिकारी इस प्रकारं के अतिक्रमण को हटाने और ऐसे दुकानदारों की वस्तुओं/सामान को जब्त करने के लिए पुलिस की सहायता से नियमित कार्रवाई करते हैं।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

697. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और रेलवे रियायत प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने पेंशन की धनराशि और रेल किराए का भुगतान किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के कितने नए मामलों को स्वीकृति दी गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार पेंशन के लिए 50 से 60 वर्ष की आयु वाले कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने आवेदन किया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इनमें से कुल कितने मामलों को स्वीकृति दी गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई पेंशन और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:-

(रुपये करोड़ों में)

	1996-97	1997-98	1998-99
रिलीज की गई पेंशन की राशि	131.98	177.52	177.79
रेलवे भाड़े की प्रतिपूर्ति पर खर्च की गई राशि	54.73	51.37	55.00

इस संबंध में राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) अपेक्षित सूचना देते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

उन मामलों के राज्यवार ब्यौरे जिनमें 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान समान पेंशन स्वीकृत की गई है

		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	91	28	47
2.	अरूणाचल प्रदेश	00	00	00
3.	असम	16	00	90
4.	बिहार	45	168	39
5.	गोवा	00	00	00

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	05	00	01
7.	हरियाणा	25	05	05
8.	हिमाचल प्रदेश	15	04	05
9.	जम्मू व कश्मीर	03	20	03
10.	कर्नाटक	24	08	05
11.	केरल	06	08	27
12.	मध्य प्रदेश	07	07	08
13.	महाराष्ट्र	33	19	04
14.	मणिपुर	00	00	00
15.	मेघालय	00	00	06
16.	मिजोरम	00	00	00
17.	नागालैण्ड	00	00	00
18.	उड़ीसा	08	05	02
19.	पंजाब	20	18	68
20.	राजस्थान	04	04	05
21.	सिक्किम	00	00	00
22.	तमिलनाडु	06	06	05
23.	त्रिपुरा	00	09	09
24.	उत्तर प्रदेश	31	28	11
25.	पश्चिम बंगाल	05	10	28
26.	अ. और नि. द्वी. समूह	00	00	01
27.	चण्डीगढ़	00	00	00
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	01	06	02
29.	आई.एन.ए.	121	152	175
30.	पांडिचेरी	00	00	02
	कुल	466	488	533

उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर समाज विरोधी गतिविधियां

698. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर समाज विरोधी तत्व सक्रिय हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन तत्वों का सफाया करने तथा इनके द्वारा सीमा पर शैक्षिक संस्थाओं के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर प्रदश-नेपाल सीमा पर सीमा पार के सम्पर्कों वाले तस्करी और आपराधिक सिण्डीकेट सक्रिय हैं। सीमापार के तस्करों, पाकिस्तान की आई.एस.आई. के एजेंण्टों समाज-विरोधी तत्वों, इत्यादि की गतिविधियों को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने बार्डर टास्क फोर्स का गठन किया है। भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश समेत नेपाल की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों के साथ परामर्श करके एक कार्य योजना तैयार की है ताकि सीमा के साथ लगने वाले नाजुक/संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त लगा कर भारत-नेपाल सीमा का बेहतर प्रबन्धन किया जा सके और सीमा पर पुलिस व्यवस्था/आसूचना संग्रहण तंत्र को मजबूत किया जा संके। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1988 के उपबन्धों को लागू करने की सलाह भी दी गई है ताकि राष्ट्र-विरोधी तत्वों की सीमा के साथ-साथ ऐसी संस्थाओं का दुरूपयोग करने से रोका जा सके।

सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देना

699. **श्री राजनारायण पासी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली की पुलिस कालोनी के आवंटियों ने विभाग की अनुमति के बिना अपने सरकारी क्वार्टरों को पिछले पांच वर्षों से किराए पर दे रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है या किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) ऐसा एक मामला ध्यान में आया था कि जिसमें एक आबंटी ने उसे आबंटित आवास को किराए पर दिया था। औपचारिक जांच के पश्चात् उसके आबंटन को रद्द कर दिया गया।

2001 की जनगणना

700. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2001 की जनगणना के लिए आंकड़े इकट्ठे करने हेतु सूची में विकलांगता संबंधी मदों को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 की पूर्ववर्ती जनगणनाओं में अशक्तता से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए थे। तत्पश्चात्, तत्कालीन जनगणना आयुक्तों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में जुटाए गए आंकड़ों की प्रमाणिकता और गुणवत्ता के सम्बन्ध में उठाई गई गम्भीर आशंकाओं के कारण 1941 की जनगणना से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की गणना करने का कार्य बन्द कर दिया गया था। यह महसूस किया गया कि विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रश्न स्वयं में जनगणना में पूछे जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि इससे सही-सही आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। 1951, 1961 और 1971 पश्चातवर्ती जनगणनाओं में विकलांगता से सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा गया।

1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था तथा तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई ठोस दलीलों को ध्यान में रखते हुए 1981 की जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया जबकि तत्कालीन जनगणना आयुक्त द्वारा विकलांगता से सम्बन्धित विश्वसनीय आंकड़े जुटाए जाने के सम्बन्ध में जनगणना की सक्षमता के सम्बन्ध में भारी असहमति प्रकट की गई थी। 1981 की जनगणना के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यह महसूस किया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की गणना काफी कम हुई है। 1981 की

जनगणना के परिणामों से भी पूर्व जनगणना कार्यों का स्वरूप ही कुछ ऐसा है इसमें स्वयं ही इस प्रकार के रविरले व्यक्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता अथवा पहचान नहीं की जा सकती है। यह महसूस किया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की गणना करना जनगणना कार्यों के कार्यक्षेत्र और क्षमता से बाहर की बात है।

यूरिया उद्योग

701. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में यूरिया उद्योग को सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यूरिया का मौजूदा उत्पादन कितना है;

(ग) नई यूरिया इकाइयों की सुविधाएं कम करने का क्या उद्देश्य है; और

(घ) राजसहायता और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली मौजूदा इकाइयों के नाम क्या-क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ग) सरकार ने देश में यूरिया के उत्पादन के लिए उन परियोजनाओं के अतिरिक्त जिनके लिए पी.आई.बी. द्वारा निवेश मूल्यांकन के अध्यधीन सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, वर्ष 2003-04 तक नई क्षमताओं को प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया है। यह यूरिया के उत्पादन में लगभग प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता और वर्ष 2003-04 तक मांग-आपूर्ति के मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में सीमा कारण भी हुआ है।

(ख) अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 तक की अवधि के लिए यूरिया का वर्तमान उत्पादन 168.37 लाख मी. टन अनुमानित किया गया है। वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में स्वदेशी यूरिया का उत्पादन क्रमशः 156.20 लाख मी. टन, 185.96 लाख मी. टन और 192.91 लाख मी. टन था।

(घ) वर्तमान में भारत सरकार से राजसहायता और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मौजूदा यूरिया एककों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्तमान में भारत सरकार से राजसहायता और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मौजूदा यूरिया एककों के नाम

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एकक
1	2	3
1.	फैक्ट	उद्योगमण्डल
2.	एफ सी आई	सिन्दरी
3.	जी एन एफ सी	भरूच
4.	जी एस एफ सी	बड़ौदा
5.	एच एफ सी	नामरूप-III
6.	इफको	आंवला-I आंवला-II कलोल फूलपुर-I फूलपुर-II
7.	इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स लि.	जगदीशपुर
8.	कृभको	हजीरा

1	2	3
9.	मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	मंगलौर
10.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	मनाली, चेन्नै
11.	एन एफ एल	भटिण्डा पानीपत नांगल विजयपुर-I विजयपुर-II
12.	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	नेवेली
13.	आर सी एफ	थाल ट्राम्बे-5
14.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन	कोटा
15.	स्पिक	तुतीकोरिन
16.	जुआरी इंडस्ट्रीज लि.	गोवा
17.	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि.	काकीनाडा-I काकीनाडा-II
18.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	गडेपन-I गडेपन-II
19.	डंकंस इंडस्ट्रीज लि.	कानपुर
20.	टाटा कैमिकल्स लि.	बबराला
21.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा से घुसपैठ

702. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा घुसपैठ संभावित क्षेत्र है; और

(ख) यदि हां, तो घुसपैठियों को रोकने हेतु भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा बल को पर्याप्त रूप से सशस्त्र करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत-नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से वीमा-मुक्त यात्रा शासन प्रणाली के साथ एक खुली सीमा रही है। भारत के विरुद्ध लक्षित आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस खुली सीमा के दुरूपयोग की हाल ही की घटनाओं को देखते हुए, नेपाल की महामहिम सरकार और भारत सरकार की संबंधित एजेन्सियां नियमित रूप से सीधे और द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों जैसे सीमा प्रबन्धन पर संयुक्त कार्य ग्रुप और गृह सचिव स्तरीय बातचीत के द्वारा सम्पर्क हो रही है। अपनी तरफ, केन्द्र और राज्य पुलिस बलों की तैनाती सहित संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में गहन और समन्वित गश्त की आवश्यकता पर, सीमा प्रबन्धन से संबंधित भारत-नेपाल संयुक्त कार्य ग्रुप की तीसरी बैठक, जोकि 1-3 फरवरी, 2000 से काठमाण्डु

में आयोजित की गई थी में, महामहिम नेपाल की सरकार के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। सीमा के सुभेद्य हिस्सों में एक केन्द्रीय पुलिस संगठन की तैनाती सहित भारत नेपाल सीमा के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आसूचना संग्रहण के लिए संबंधित राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ परामर्श करके एक कार्य-योजना भी तैयार की गई है।

ग्रामवासियों का अपहरण

703. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में बी.एस.एफ. स्वैप डिटेनूयस टू फ्री विलिजर्स"' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी घटनाएं हुई और अब तक कितने बंगलादेश के अपराधियों को छोड़ा गया है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) 11 जनवरी, 2000 को सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल ने सीमा चौकी सोदेपुर पर 7 बंगलादेशी मछुआरो को पकड़ा जो मछली पकड़ते समय भारतीय क्षेत्र में आ गए थे। 13 जनवरी, 2000 को बंगलादेश राइफल्स ने 10 भारतीय मछुआरो को पकड़ा। 16 जनवरी, 2000 को एक फ्लैग मीटिंग की गई और दोनों देशों के मछुआरों की अदला-बदली की गयी। तथापि, ग्रामीणों को आजाद कराने के लिए किसी बंगलादेशी अपराधी को रिहा नहीं किया गया, जैसा कि समाचार में बताया गया है।

(ङ) तस्करी/घुसपैठ/सीमा पर होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से सीमा पर चौबीसो घण्टे प्रभावी नाकाबंदी इत्यादि के जरिए सतर्कता और प्रभुत्व बनाए रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए आपरेशन भी चलाए जाते हैं।

नकली मुद्रा

704. डा. रमेशचन्द तोमर :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अशोक ना मोहोल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकली मुद्रा के चलन में एक पाकिस्तानी राजनयिक को लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी आई.एस.आई. एजेंटों की सांठगांठ से नकली मुद्रा को चलन में ला रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या नकली भारतीय मुद्रा के चलन में लिप्त पाकिस्तानी कर्मचारियों को भी नेपाल में गिरफ्तार किया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी कर्मचारियों से बरामद भारतीय नकली मुद्रा की छपाई पाकिस्तान में हुई थी;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर 500 रु. मूल्यवर्ग की भारतीय मुद्रा लाने-ले-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य, माऊंट कार्मेल, स्कूल, आनंद निकेतन आर.के. पुरम, नई दिल्ली की इस शिकायत के आधार पर कि स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा 500/- रुपये का एक भारतीय मुद्रा नोट इस आधार पर वापिस किया गया है कि यह मुद्रा नकली है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 ख के अन्तर्गत, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38 दिनांक 13.1.2000 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। सत्यापन

करने पर, स्कूल प्राधिकारियों ने पाया कि प्रश्नगत मुद्रा नोट पाकिस्तान उच्चायोग के एक स्टाफ सदस्य श्री मुज्जफरअली खान (एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक) द्वारा अपने पुत्र की स्कूल फीस के लिए दिया गया है। इस मामले की जांच-पड़ताल स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

(ङ) से (छ) काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में एक उच्च श्रेणी लिपिक कुल 50,000 रुपये (500 रुपये मूल्य के) के जाली भारतीय मुद्रा नोटों का विनियमन करने की कोशिश करते वक्त नेपाली पुलिस ने 3.1.2000 को रंगे हाथों पकड़ा। चूंकि उसने राजनयिक माफी का दावा किया, इसलिए उसे नेपाली सरकार द्वारा निरूद्ध किया गया। जांच करने पर, नेपाली सरकार ने पाया कि उसका आचरण और गतिविधियां उसकी सरकारी हैसियत के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। उसे नेपाल छोड़ने के लिए कहा गया।

(ज) और (झ) सरकार ने देश के किसी भी हिस्से में 500 रुपये के नोटों के परिचालन पर पाबंदी नहीं लगाई है और इसे भारत में सभी जगह पर विधि मान्य मुद्रा माना जाता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसी भी व्यक्ति को नेपाल से अपने साथ और नेपाल को जाते समय किसी सीमा तक कुल राशि की अधिकतम सीमा के बगैर 100 रु. तक के मूल्य की भारतीय मुद्रा को भेजने या लाने के लिए अनुमति देने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं।

(ञ) जाली मुद्रा के मामलों की जांच करने और नोट छापने वाली प्रैस द्वारा सयम-समय पर किए जाने वाले उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 22.2.2000 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति को दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है ताकि जनता असली और नकली नोटों में अन्तर कर सकने में समर्थ हो सके। इस जाली मुद्रा को रोकने के उद्देश्य से, मुद्रा नोटों का मुद्रण अब अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ किया जा रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली मुद्रा की विशिष्ट जांच-पड़ताल के लिए पूर्णतः एक विशेष इकाई का सृजन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रणी टुकड़ियों को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसी मुद्रा नोटों की देश में तस्करी न की जा सके।

[हिन्दी]

नेहरू युवक केन्द्रों में समन्वयकों के रिक्त पद

705. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में और विशेषकर बिहार में नेहरू युवक केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कई स्थानों पर इन केन्द्रों में समन्वयकों के विभिन्न पद रिक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार में 50 केन्द्रों में से 17 केन्द्रों में युवा समन्वयक नहीं हैं जिनका प्रबंध विद्यमान युवा समन्वयकों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करके किया जा रहा है। युवा समन्वयकों के पदों को सृजन के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना की समीक्षा

706. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के आरंभ से अब तक इसके उद्देश्यों की प्राप्ति संबंधी कोई नवीनतम समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राप्त किये गये अनुभव के आलोक में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई खामियों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से 1992-97 की अवधि के बारे में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हाल ही में सरकार को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

(1) मलेरिया की घटनाओं में 1992-97 की अवधि में बढ़ोत्तरी हुई है।

(2) वार्षिक रक्त परीक्षण दर के माध्यम से सूचित निगरानी सूचक संतोषजनक पाया गया था।

(3) परजीवी नियंत्रण के लिए अपेक्षित छिड़काव कार्य में कमी आई।

(4) मलेरिया रोगियों को उपचार प्रदान करने में कमियां देखी गई।

(5) प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी थी।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मूल्यांकन से भिन्न रूप में सरकार ने कार्यक्रम की घर-घर मानीटरिंग के आधार पर सितम्बर, 1997 में नई वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना आरम्भ की है। यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में मलेरिया की स्थानिकमारी वाले 100 आदिवासी बहुल जिलों को कवर करती है। यह इन राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के उच्च स्थानिकमारिता वाले 19 शहरों/नगरों को भी कवर करती है। वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:–

- नई औषधियों और त्वरित नैदानिक किटों का उपयोग करके रोगियों का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और उन्हें उपचार प्रदान करना।

- चुनींदा रोग नियंत्रण उपाय जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स और शहरी क्षेत्रों में बायोलार्वसाइड्स का प्रयोग करना भी शामिल है।

- औषधयुक्त मच्छरदानियों के प्रयोग से वैयक्तिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।

- महामारी का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और उसे रोकना।

- वैयक्तिक रोकथाम और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप।

- सभी स्तरों पर गहन अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संस्थागत और प्रबंध क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकास तथा कुशल प्रबंध सूचना प्रणाली।

कार्यक्रम विकास की वार्षिक समीक्षा करना वृहद् मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों का बंद होना

707. **श्री मनोज सिन्हा :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ केन्द्रीय विद्यालयों को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन का ऐसे परियोजना क्षेत्र में खोले गए कुछ केन्द्रीय विद्यालयों को बन्द करने का प्रस्ताव है, जहां प्रायोजिक प्राधिकारी आवर्ती और अनावर्ती व्यय की अपनी प्रतिबद्ध जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हैं। अधिकतर मामलों में प्रायोजक प्राधिकारियों ने स्वयं ही विद्यालयों को बन्द करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. परियोजना का विस्तार

708. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का आई.सी.डी.एस. के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. स्कीम के लिए 4980 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कम से कम 390 ब्लाकों में आई.सी.डी.एस. परियोजना को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजनाओं का राज्य-वार आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारी

709. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों को कक्षाओं के वर्गों की संख्या का निर्धारण करके छः श्रेणियों में बांटा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के कारण विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में विविध श्रेणियों के कुछ अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारी फालतू हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो 1999 के दौरान स्कूल-वार और श्रेणी-वार कितने कर्मचारी फालतू हुए और 2000 के दौरान स्कूल-वार और श्रेणी-वार ऐसे कितने कर्मचारी फालतू हो जाएंगे; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उपलब्ध बजटीय संसाधनों के भीतर अपने कार्यों का प्रबंधन करने की दृष्टि से मौजूदा आधारभूत सुविधाओं के आधार पर अपने विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् एक सेक्शन वाले स्कूल, दो सेक्शन वाले स्कूल, तीन सेक्शन वाले स्कूलों आदि में वर्गीकृत किया था।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर हेतु स्वायत्तता

710. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने राज्य स्वायत्तता समिति, जिसकी गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था, की सिफारिशें प्रस्तुत की है और हाल ही में उनका समर्थन किया है। रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर 1953 से पूर्व की स्थिति बनाए रखने की बात कही गई है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

नशीले पदार्थों के व्यापार के मामलों का पता लगाया जाना

711. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस/सीमा शुल्क कार्मिकों ने दिल्ली में नशीले पदार्थों के व्यापार के कई मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है और नशीले पदार्थों की कितनी मात्रा जब्त की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए उठाए जा रहे प्रभावी निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए किए गए उपायों में, प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा कड़ी सतर्कता बरतना, प्रवर्तन स्टाफ को अपनी कारगरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना, नशीली दवाईयों के तस्करों और फेरों वालों तथा जेल से रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा एक विशेष नारकोटिक्स सैल बनाना और दिल्ली पुलिस में एक नारकोटिक्स सैल बनाया जाना शामिल है।

विवरण

जनवरी, 1999 से 15 फरवरी, 2000 तक पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा

वर्ष	एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चरस (कि.ग्रा.)	अफीम (कि.ग्रा.)	गांजा (कि.ग्रा.)	स्मैक हिरोईन (कि.ग्रा.)	पोपी हैड (कि.ग्रा)	भांग (कि.ग्रा.)	एसेटिक एनहाइड्राईड (रसायन)
क. दिल्ली पुलिस									
1999	676	745	73.347	12.805	222.940	58.625	581.675	13.000	–
2000 (15.2.2000 तक)	136	147	156.020	–	20.900	5.558	–	21.000	96 लीटर

ख. सीमा शुल्क

	दर्ज किए गए मामले		मात्रा	
	1999	2000 (15.2.2000 तक)	1999	2000 (15.2.2000 तक)
हेरोईन	7	13	9.086 कि.ग्रा.	9.71 कि.ग्रा.
हशीश	16	3	34.340 कि.ग्रा.	5.85 कि.ग्रा.
लोराजेपम	3	–	692930 टेबलेट	–
डियाजेपम	1	–	5000 टेबलेट	–

ग : राजस्व आसूचना निदेशालय

	दर्ज किए गए मामले		मात्रा	
	1999	2000 (15.2.2000 तक)	1999	2000 (15.2.2000 तक)
गंजा	1	–	95 कि.ग्रा.	–

अस्पतालों में सफाई सेवाओं का निजीकरण

712. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के अस्पतालों विशेषत: सफदरजंग अस्पताल की सफाई सेवाएं प्राइवेट एजेंसियों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था संबंधित अस्पतालों के मौजूदा उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

आसूचना एजेन्सियों का विलय

713. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री सी. श्रीनिवासन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रमुख समाचारपत्रों में छपी खबरों के अनुसार विविध आसूचना एजेन्सियों के विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

सुरंग का पता चलना

714. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1999 के द टाइम्स आफ इंडिया में 'प्रोटेस्ट ओवर पाक टनल एक्रोस बार्डर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सुरंग को खोदे जाने के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त करने में खुफिया एजेंसियां विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) दिनांक 17.11.99 की सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल ने डेरा बाबा नानक सैक्टर में बोर्डर आऊट पोस्ट चंडीगढ़ के निकट एक भूमिगत सुरंग का पता लगाया। यह सुरंग 5 से $5^1/_2$ फुट भूसतह के नीचे, तीन फुट व्यास वाली तथा 200 मीटर लम्बी थी जो 30 मीटर पाकिस्तान क्षेत्र में थी। पंजाब फ्रंटियर (भारत) में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और पंजाब रेंजर्स (पाकिस्तान) के महानिदेशक, द्वारा इस सुरंग की 23.11.99 को संयुक्त रूप से जांच की गई। तदोपरांत, सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाक रेंजर्स के पास इस बारे में विरोध दर्ज कराया गया।

जिस क्षेत्र में सुरंग का पता लगा, वह क्षेत्र घने सरकन्डे के घास से आच्छादित है। इसलिए इसका तुरन्त पता नहीं लगा। तथापि, यह भारतीय क्षेत्र में सीमा-बाड़ तक नहीं पहुंची थी और भारतीय क्षेत्र में सुरंग का दूसरा सिरा खुला हुआ नहीं था। इससे पहले कोई हानि होती पंजाब क्षेत्र में सीमा-बाड़ के अन्तर्गत सुरंग खोदने के लिए मार्च, 1997 से किए गए तीनों प्रयासों का सीमा सुरक्षा बल द्वारा पता लगा लिया गया।

भविष्य में इस प्रकार के प्रयासों को विफल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बारे में किए गए उपायों में शामिल हैं - नदी तटीय क्षेत्रों में उचित/काम चलाऊ बाड़ लगा कर मौजूदा खाली स्थानों को भरना, चौकसी अभियान चलाना, सरकण्डा और अन्य जंगली घास-फूस की सफाई करना, आसूचना तंत्र का उन्नयन करना तथा नाईट विजन डिवाईसिज का प्रयोग करना, इत्यादि।

[हिन्दी]

साक्षरता दर

715. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में साक्षरता के संबंध में कोई टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से रिपोर्ट की जांच करने और साक्षरता-दर में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने अपनी 31 जनवरी, 2000 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि "पिछले दशक में साक्षरता दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।" राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1991 से 1997 तक सम्पूर्ण साक्षरता दर 52% से बढ़कर 64% हो गई, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 64% से बढ़कर 73% हो गई तथा महिलाओं की साक्षरता दर 39% से बढ़कर 50% हो गई है। यह प्रगति अभी भी धीमी है परन्तु वर्ष 1981 से 1991 तक निरक्षरों (सात वर्ष की आयु तथा उससे अधिक) की संख्या में वास्तविक वृद्धि हुई थी जबकि उसमें 1990 के दशक में गिरावट आई है। कुछ अत्यधिक निर्धन राज्यों उदाहरणार्थ-उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में साक्षरता की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश राज्यों में महिला साक्षरता दर की गति सम्पूर्ण साक्षरता दर से भी अधिक थी।

यद्यपि भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है परन्तु अभी हमें इस क्षेत्र में काफी लम्बी दूरी तय करनी है, चीन तथा इन्डोनेशिया सहित कई देशों की साक्षरता दर में वृद्धि भारत से अधिक है। यदि भारत की साक्षरता दर 2.75% प्रति वर्ष की वर्तमान दर से बढ़ती है तो भी श्रीलंका की वर्तमान साक्षरता दर 90% तक पहुंचने के लिए भारत को 16 वर्ष लगेंगे, और तब भी लगभग 120 मिलियन व्यक्ति निरक्षर रह जायेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं ठठता।

गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता

716. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री अरूण कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गुर्दे की बीमारी से प्रतिवर्ष 80,000 नागरिकों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) क्या इनमें से 90 प्रतशित व्यक्ति गुर्दा प्रतिरोपण का खर्च सहन न कर पाने के कारण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने गरीब लोगों के लिए महंगी चिकित्सा सुविधा लागत को उनकी पहुंच के भीतर लाने के लिए कोई विशेष प्रबंध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) सरकार के पास कोई विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार ने वर्ष 1997 में राष्ट्रीय रुग्णता सहायता कोष की स्थापना की थी ताकि गरीबी रेखा से नीचे की रोगियों और जानलेवा रोगों, जिनमें गुर्दे से संबंधित रोग शामिल हैं, से ग्रसित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और वे किसी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों/संस्थाओं अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों से इलाज करा सकें। राज्य रुग्णता सहायता कोषों/सोसाइटियों को ऐसे प्रत्येक मामले में 1.50 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का अधिकार भी दिया गया है। ऐसे मामले जिनकी अपेक्षित सहायता राशि 1.50 लाख रु. से अधिक होती है तो उन्हें स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय रोग सहायता कोष की प्रबंधक समिति, को भेजा जाना है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं।

(च) उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी समिति

717. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के द्वितीय चरण की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश में इसके कार्यकरण का स्वरूप क्या है;

(ग) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में" उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके द्वारा उक्त कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रमुख भूमिका निभाए जाने की संभावना है, और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता स्वरूप कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं। गैर-सरकारी संगठनों के चयन में इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने तथा उपचार संबंधी कार्यक्रम चलाने के लिए उनका वित्त-पोषण करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है। एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम से संबंधित कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण किया गया है और सामान्यत: राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां इनको जारी रख रही हैं। ये सोसाइटियां, अन्य बातों के साथ-साथ अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गैर-सरकारी संगठनों को धन आबंटित कर रही हैं।

तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों को सीधे सहायतानुदान आबंटित किया है और पिछले 3 वर्षों के दौरान आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	आबंटित धनराशि
1997-98	1,71,69,031.00
1998-99	29,04,004.00
1999-2000 (20.2.2000 तक)	77,13,425.00
कुल योग	2,77,86,460.00

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल

718. डा. अशोक पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर समर्थित आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कुछ अतिरिक्त विशेष बटालियनों को तैनात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, लोक व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद/आतंकवाद से निपटने में उनकी सहायता करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तैनाती का स्तर, देश में समग्र सुरक्षा परिदृश्य और केन्द्रीय बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तद्नुसार, बलों को उपलब्धता और व्याप्त सुरक्षा स्थिति, जिसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है, को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार को केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के अन्दर एकीकृत मुख्यालय तैनाती, जैसे बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गतिशील होना चाहिए की पुनरीक्षा करते रहते है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

अस्पतालों में रिक्त पड़े पद

719. डा. बलिराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 15 नवम्बर, 1999 तक अलग-अलग श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है;

(ख) ये सभी पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं और इन्हें भरने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सभी पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के लोगों को दिल्ली के सभी अस्पतालों में आरक्षणों का लाभ मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न तारीखों से रिक्त पड़े पदों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तथापि रिक्त पदों को भरने के लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं दी जा सकती है।

(घ) से (च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भरा जा रहा है।

विवरण

विभिन्न अस्पतालों में रिक्त पड़े पद

डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल

समूह "क" (चिकित्सीय)	26
समूह "क" (गैर-चिकित्सकीय)	13
समूह "ख" (राजपत्रित)	07
समूह "ख" (अराजपत्रित)	15
समूह "ग" (वरिष्ठ रेजिडेंट)	09
(कनिष्ठ रेजिडेंट)	10
समूह "ग" (तकनीकी)	36
समूह "ग' (नर्सिंग)	56
समूह "घ" (लिपिकीय)	61

सफदरजंग अस्पताल

समूह "क" (चिकित्सीय)	108
समूह "ख" (राजपत्रित)	27
समूह "ख" (अराजपत्रित)	12
समूह "ग" (नर्सिंग)	136
समूह "ग"	91
समूह "ग" (वरिष्ठ रेजिडेंट)	14
समूह "घ"	23
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	
समूह "क"	17
समह "ख"	28
समूह "ग"	692
समूह "घ"	20
नई दिल्ली नगर परिषद	
समूह "क"	08
समूह "ख"	02
समूह "ग"	14
समूह "घ"	14
दिल्ली नगर निगम	
समूह "क"	80
समूह "ख"	31
समूह "ग"	91
समूह "घ"	247
लेडी हार्डिंग कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	
समूह "क"	24
समूह "ख" एवं	
समूह "ग" (नर्सिंग)	126
समूह "ग" (तकनीकी)	19
समूह "ग" (अलिपिकीय वर्गीय)	14
समूह "घ"	98
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	
समूह "क"	01
समूह "ख"	03
समूह "ग"	39
समूह "घ"	04
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	
समूह "क" एवं "ख"	260
समूह "ग"	2780
समूह "घ"	715

1984 के दंगों की जांच

720. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए दंगों की जांच कराने के लिए नया जांच आयोग नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) नए आयोग की नियुक्ति के विशिष्ट कारण क्या हैं और यह पहले के आयोग से किस तरह भिन्न होगा; और

(घ) उक्त आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों की नये सिरे से जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आयोग के विचारार्थ विषयों को अधिसूचित किया जा रहा है।

(ग) नए जांच आयोग को नियुक्त करने का निर्णय, जनता के विभिन्न समुदायों, विशेषरूप से सिख समुदाय द्वारा की गयी इस विस्तृत मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि पहले की

गयी जांच के परिणामस्वरूप इन दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

(घ) आयोग, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[हिन्दी]

एड्स संबंधी विज्ञापन

721. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए विज्ञापनों का सहारा ले रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रकार के विज्ञापनों पर दूरदर्शन, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि के द्वारा पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हाँ। एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम से संबंधित कार्यकलापों को अब विकेन्द्रीकृत किया जा चुका है। इस प्रयोजन के लिए विज्ञापनों इत्यादि पर किए जाने वाले व्यय सहित विभिन्न राज्य/संघ क्षेत्र एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को समय-समय पर धन उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) एड्स के लिए विज्ञापनों इत्यादि पर व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने सीधे दूरदर्शन/आकाशवाणी/श्रव्य-दृश्य प्रचार-निदेशालय को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की:

(रुपए लाख में)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी	श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय	कुल
1997-98	134.87	10.00	400.00	544.87
1998-99	173.29	60.00	520.00	753.29

[अनुवाद]

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को कैन्टीन सुविधाएं

722. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम राइफल्स सहित सेवारत और सेवानिवृत्त केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को कैन्टीन भंडार विभाग (सी.एस.डी.) की सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) असम राइफल्स सहित केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए कैन्टीन भंडार विभाग (सी.एस.डी.) की सुविधाएं प्रदान करने सबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र

723. श्री रघुनाथ झा:
श्री भीम दाहाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेंट एडमिट्स टु एच सी हेल्थ केयर इज इन बैड वे" शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय निकायों से मिली सहायता राशि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को मुहैया करायी गयी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या/सेवा मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी, हां। स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित सुविधाओं में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित लोगों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की कवरेज और गुणवत्ता को इष्टतम बनाने की परिकल्पना की गई है। मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, एड्स इत्यादि जैसे

संचारी रोगों का नियंत्रण करने संबंधी कार्य प्राथमिकता दिये जाने वाले क्षेत्र में बना रहा है। विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित किए गए धन का प्रभावी और समय से उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तरराष्ट्रीय निकायों से प्राप्त की गई विदेशी सहायता में से जो धन प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रदान किया गया; उसका ब्यौरा इस प्रकार है:

	(करोड़ रुपये)
1996-97	14.72
1997-98	13.60
1998-99	20.43

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को पर्याप्त विदेशी सहायता प्रदान की गई है।

(च) सरकार एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय अभिकरणों से विदेशी सहायता एकत्र करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रों के लिए संसाधन बढ़ाने का हर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, चयनित राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों के उन्नयन के लिए विश्व बैंक सहायता का लाभ उठाया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में और सुधार करेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी/ आतंकवादी गतिविधियां

724. श्रीमती मिनाती सेन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन आतंकवादियों को भारत के बाहर से हथियार और प्रशिक्षण मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(छ) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आतंकवादी संगठन लोगों को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें परेशान करके उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) हाल ही में मणिपुर और त्रिपुरा में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि देखने में आई है। असम और नागालैंड सहित, शेष पूर्वोत्तर में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखायी दिया है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य उग्रवादी ग्रुप निम्नलिखित हैं:

(1) असम

1. यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा)
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)

(2) मणिपुर

1. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
2. यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.)
3. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेईपाक (पी.आर. ई.पी.ए.के.)
4. कांग्लेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
5. कांग्लेईयाओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.)
6. मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.)

(3) नागालैंड

1. नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड (इजाका/ मुईवाह) (एनएससीएन)(आई/एम)

2. नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड (खप्पलांग) (एनएससीएनके)

(4) त्रिपुरा

1. आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स

2. नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट आफ त्रिपुरा

इसके अलावा, बहुत से अन्य उग्रवादी ग्रुप हैं जैसे कि दी अचिक नेशनल वालेन्टियर कौंसिल (ए एन वी सी), हेन्युटैप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (एच एन एल सी), पीपुल्स लिब्रेशन फ्रन्ट आफ मेघालय) (पी एल एफ एम), डिमासा हाम दायोगाह (डी एच डी) ब्रू नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (बी एन एल एफ) आदि। बहुत से मुस्लिम संगठन भी बन गए हैं।

(घ) और (ङ) ऐसी रिपोर्टें हैं कि पूर्वोत्तर के कुछ उग्रवादी ग्रुपों ने बंगलादेश, म्यांमार और भूटान में सीमा पार सम्पर्क कायम कर लिए हैं। अवैध प्रवासन, सीमा पार की गतिविधियां और सीमा पार अपराधों सहित सुरक्षा से संबंधित अपनी चिन्ताओं को इन देशों के साथ समुचित स्तर पर उठाया गया है।

पाकिस्तानी आई एस आई भी पूर्वोत्तर में उपद्रव भड़कानें में सक्रिय है।

(च) पूर्वोत्तर में उग्रवाद की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ साथ केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, सुरक्षा संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना और प्रमुख उग्रवाद ग्रुपों को विधि विरुद्ध संगठन अधिसूचित करना शामिल है। स्थिति पर नजर रखी जाती है और समुचित कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर उसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(छ) और (ज) सुरक्षा संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास आदि के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

(झ) और (ञ) जी हां, श्रीमान। पूर्वोत्तर में उग्रवाद मात्र पैसा बनाने के उद्देश्य से हत्या, धन ऐंठने और अपहरण के एक कुटीर उद्योग के रूप में अपविकसित हो रहा है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गुट

725. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में सक्रिय किन-किन आतंकवादी दलों पर विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अभी तक प्रतिबंधित नहीं दिए गए अन्य आतंकवादी दलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में सभी आतंकवादी दलों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) लस्कर-ए-तोईबा, हिज्बुल-उल-मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, तहरीके-उल-मुजाहिदीन जेहाद-इस्लामी और अल-बदर जम्मू और कश्मीर में सक्रिय महत्वपूर्ण उग्रवादी/आतंकवादी गुटों में से है उनमें से किसी को भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

मामले की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्थिति के आकलन के अनुसार किसी भी गुट विशेष को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई हेतु विचार करने की सलाह दी गई।

अपराधियों को शरण

726. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को जिन 200 से अधिक अपराधियों की तलाश है, उन्होंने विदेशों में शरण ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें वापस लाने के लिए भारत ने किसी देश के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) भारत ने 11 देशों, नामतः बेल्जियम, भूटान कनाडा, हांगकांग, नेपाल, नीदरलैंड, रूस संघ स्विटजरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त इसने 5 देशों नामतः फ्रांस, मंगोलिया, ओमान, पोलैंड और तुनीसिया के साथ सरकारी स्तर पर प्रत्यर्पण का मसौदे पर बातचीत शुरु की है। भारत के, 9 देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, फिजी, जर्मनी, पपुआ न्यु गुनिया सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तनजानियां और थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण व्यवस्था भी है। इन देशों से किए गए प्रत्यर्पण के अनुरोध संबंधित राज्य के प्रत्यर्पण कानूनों द्वारा शासित होते हैं। 26 अन्य राज्यों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, विचारण/बातचीत की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

भेषज उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

727. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास तथा इसके बुनियादी ढांचे में और अधिक निवेश आकृष्ट करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में भी संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो देश भर में एक समान औषधि मूल्य निर्धारण हेतु क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार औषधि उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए "कोर हाउस" के रूप में कार्य करने हेतु एक विशेष कृतिक बल के गठन पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ड्रगिस्ट और कैमिस्ट के अखिल भारतीय संगठन ने औषधि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था समाप्त करने की किसी भी कार्रवाई का विरोध करने का निर्णय लिया है; और

(ज) यदि हां, तो ऐसी किसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) मार्च, 1999 में सरकार ने दो समितियों नामतः औषध मूल्य नियंत्रण समीक्षा समिति, तथा औषध अनुसंधान तथा विकास समिति का गठन किया था। औषध मूल्य नियंत्रण सीमा समिति वर्तमान औषध मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा तथा मूल्य नियंत्रण में कड़ाई, जहां वे प्रति उत्पादक बन गए हैं को कम करने के उद्देश्य से वैकल्पिक माडल, यदि कोई हो, के बारे में सुझाव देने के लिए था। औषध अनुसंधान तथा विकास समिति का गठन देश के औषध उद्योग की अनुसंधान तथा विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उपायों के बारे में सुझाव देने तथा देशी अनुसंधान तथा विकास के लिए भारतीय औषध कम्पनियों से आवश्यक सहयोग का पता लगाने के लिए किया गया था। इन समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) से (ज) सरकार ने औषधियों तथा ज्ञान आधारित उद्योगों पर एक "कार्यदल" (टास्क फोर्स) का गठन किया है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

728. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में 87वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास पर निवेश, सकल घरेलू उत्पाद के 0.82 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव, अनुसंधान और विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरणों के बीच सहकारी-नेटवर्क को मजबूत बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 87वां सत्र पुणे विश्वविद्यालय में जनवरी, 2000 में आयोजित किया गया।

(ख) पुणे में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 87वें सत्र के दौरान आयोजित विचार-विमर्श का मुख्य विषय था-''अगली सहस्राब्दी में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी''। विज्ञान एवं इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के नवीनतम विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिये गये। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की विभिन्न शाखाओं, समितियों एवं मंचों द्वारा मुख्य विषय पर विचार विमर्श किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार अनुसंधान एवं विकास में लगी विभिन्न एजेन्सियों तथा डी एस टी, टाइफैक, डी एस आई आर और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के विभिन्न पहलों/कार्यक्रमों द्वारा नेटवर्किंग के बीच समय समय पर आदेश जारी कर सहयोगात्मक नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में सक्रिय रही है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

729. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजनावार और राज्यवार हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान अंतिम रूप दी गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इनके चयन, परियोजना और दिशा-निर्देशों हेतु क्या मानदंड हैं; और

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए निगरानी एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) शहरी विकास की विभिन्न स्कीमों की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(1) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास स्कीमों, जो मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलौर नामक 5 मेगा शहरों में कार्यान्वित की जा रही हैं, विवरण-I संलग्न है।

(2) छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी), विवरण II संलग्न है।

(3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) विवरण III में संलग्न है।

(4) कम लागत की सफाई (एल पी एस) स्कीम विवरण IV संलग्न है।

(ग) किसी भी नई स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) (1) पांच मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के लिए एक विषय-निर्वाचन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) गठित की गई है, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भी एक प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है।

(2) आई डी एस एम टी स्कीम के लिए, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में निगरानी कर रही नोडल एजेंसियां संलग्न विवरण V में दी गई है।

(3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम स्कीम तथा कम लागत की सफाई स्कीम की समीक्षा, मंत्रालय द्वारा राज्यों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकों के जरिए की जाती है। आवश्यक होने पर केन्द्रीय जल स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) के अधिकारी त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम स्थल का दौरा करते हैं और राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ परामर्श करते हैं। कम लागत की सफाई स्कीम की प्रगति की निगरानी, आवास और नगर विकास निगम (हडको) द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्फत की जाती है।

विवरण I

पांच मेगा शहरों में मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत परियोजना की प्रगति

मुम्बई (महाराष्ट्र)	
मंजूर परियोजनाओं की संख्या	55
परियोजनाओं की लागत	659.79 करोड़ रुपये
पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या	7
चल रही परियोजनाओं की संख्या	15
शुरु होने वाली परियोजनाओं की संख्या	35
31.12.99 की स्थिति के अनुसार व्यय	272.49 करोड़ रुपये
कलकत्ता (पं. बंगाल)	
मंजूर परियोजनाओं की संख्या	72
परियोजनाओं की लागत	598.45 करोड़ रुपये
पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या	30
चल रही परियोजनाओं की संख्या	42
शुरु होने वाली परियोजनाओं की सं.	शून्य
31.12.99 की स्थिति के अनुसार व्यय	283.51 करोड़ रुपये
चेन्नई (तमिलनाडु)	
मंजूर परियोजनाओं की संख्या	97
परियोजनाओं की लागत	669.71 करोड़ रुपये
पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या	31
चल रही परियोजनाओं की संख्या	36
शुरु होने वाली परियोजनाओं की सं.	38
30.10.99 की स्थिति के अनुसार व्यय	293.56 करोड़ रुपये
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	
मंजूर परियोजनाओं की संख्या	126
परियोजनाओं की लागत	589.38 करोड़ रुपये
पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या	5
चल रही परियोजनाओं की संख्या	87
शुरू होने वाली परियोजनाओं की सं.	34
31.12.99 की स्थिति के अनुसार व्यय	153.41 करोड़ रुपये

बंगलौर (कर्नाटक)

मंजूर परियोजनाओं की संख्या	25
परियोजनाओं की लागत	572.45 करोड़ रुपये
पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या	शून्य
चल रही परियोजनाओं की संख्या	13
शुरु होने वाली परियोजनाओं की सं.	12
31.12.99 की स्थिति के अनुसार व्यय	173.47 करोड़ रुपये

उपर्युक्त आंकड़े, 1993-94 में स्कीम की शुरुआत से हुई प्रगति से संबंधित हैं। गत दो वर्षों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। ये अवस्थापना परियोजनाएं हैं। जिनका कार्य चलता रहता है और इसीलिए इन्हें वर्षवार बांटा नहीं जा सकता।

विवरण II

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (आज तक) के दौरान आई.डी.एस.एस.टी. के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		भौतिक कस्बों की संख्या*	वित्तीय जारी केन्द्रीय सहायता	भौतिक कस्बों की सं.*	वित्तीय जारी केन्द्रीय सहायता	भौतिक कस्बों की सं.*	वित्तीय जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11	164.62	20	942.87	6	204.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	8.00	1	4.00	—	—
3.	असम	4	51.86	1	15.00	—	—
4.	बिहार	—	—	2	20.00	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	12	362.55	9	167.95	6	311.69
7.	हरियाणा	2	22.00	4	128.00	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1	15.00	2	26.00	2	47.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1	19.00	1	70.00	—	—
10.	कर्नाटक	10	163.89	10	246.04	6	149.22
11.	केरल	7	232.41	4	110.63	2	45.37

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	13	207.94	15	416.42	7	145.35
13.	महाराष्ट्र	34	556.23	13	446.84	16	345.74
14.	मणिपुर	2	20.00	1	10.50	—	—
15.	मेघालय	1	19.60	—	—	—	—
16.	मिजोरम	2	24.00	1	34.40	—	—
17.	नागालैंड	1	9.00	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	4	48.00	6	124.34	1	27.00
19.	पंजाब	3	39.00	4	53.00	3	83.50
20.	राजस्थान	8	162.50	8	187.31	3	92.00
21.	सिक्किम	1	12.00	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	8	149.40	13	172.73	12	155.53
23.	त्रिपुरा	2	42.00	2	46.00	1	16.56
24.	उत्तर प्रदेश	4	116.00	5	101.00	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	24	146.50	11	191.97	9	156.99
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
27.	दादर व नगर हवेली	—	—	1	12.00	—	—
28.	दमन व दीव	1	10.00	1	8.00	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
	कुल	157	2601.50	135	3535.00	74	1779.95

*सहायता प्राप्त कस्बों में योजना संबंधी हो रहे कार्य वाले और नए दोनों ही कस्बे शामिल हैं।

विवरण III

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

क्र.सं.	राज्य	नियतन 1999-2000 (लाख रुपए)	अब तक मंजूर डीपीआर						आबादी 1991 जनगणना अनुसार	प्रति व्यक्ति लागत (रु. में)
			1998-99		1999-2000		कुल			
			संख्या	अनु. लागत (लाख रु.)	संख्या	अनु. लागत (लाख रु.)	संख्या	अनु. लागत (लाख रु.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	383.14	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	43.63	2	2467.00	—	—	2	2467.00	34288	5394-8372
3.	असम	331.36	8	1191.13	—	—	8	1191.13	86297	687-2397
4.	बिहार	313.31	8	812.09	8	1301.44	16	2113.53	210073	490-1246
5.	गोवा	33.54	2	51.13	—	—	2	51.13	19254	202-396
6.	गुजरात	334.62	8	508.09	7	1395.28	15	1903.37	236801	109-1486
7.	हरियाणा	168.30	10	1153.35	4	512.82	14	1656.17	189249	473-1579
8.	हिमाचल प्रदेश	13.31	5	444.00	3	626.00	7	1070.00	24383	1035-17970
9.	जम्मू व कश्मीर	13.31	3	467.61	1	395.70	4	773.31	34223	1603-2587
10.	कर्नाटक	193.13	14	1902.26	7	1371.45	21	3273.71	293720	194-2457
11.	केरल	141.34	3	712.82	—	—	3	712.82	47568	1167-2960
12.	मध्य प्रदेश	536.68	63	4692.16	21	2033.69	84	6725.85	995252	171-2058
13.	महाराष्ट्र	395.40	13	2346.52	1	258 33	14	2604.85	242564	132-2703
14.	मणिपुर	193.83	9	745.25	3	340.88	12	1086.13	114057	280-1876
15.	मेघालय	19.34	1	195.63	—	—	1	195.63	11963	1633
16.	मिजोरम	53.54	3	304.77	2	174.33	5	479.10	24442	839-3108
17.	नागालैंड	25.29	1	219.70	1	683.00	2	902.70	24011	2605
18.	उड़ीसा	351.42	11	1665.71	3	520.48	14	2186.19	180698	368-2488
19.	पंजाब	131.93	8	476.61	1	102.61	9	579.22	103433	370-789
20.	राजस्थान	334.17	26	2600.18	—	-	26	2600.18	362697	81-2586
21.	सिक्किम	7.44	—	—	1	115.68	1	115.68	3880	2981
22.	तमिलनाडु	381.72	20	1617.30	6	1396.10	26	3013.40	337929	61-3176
23.	त्रिपुरा	63.42	1	133.35	1	288.14	2	421.49	17574	2171-3101
24.	उत्तर प्रदेश	1515.26	107	8982.74	22	2092.48	129	11075.22	1435337	232-5367
25.	प. बंगाल	289.65	4	413.28	—	—	4	413.28	48371	797-957
	कुल	5680.60	330	34102.68	91	13518.41	421	47621.09	5050189	

क्र.सं.	राज्य	जारी धन (केन्द्र अंश) (लाख रु. में)					जारी राज्य अंश (लाख रु. में)	सूचित खर्च (लाख रु. में)	जिस माह तक की प्रगति रिपोर्ट मिल चुकी है
		8वीं योजना के दौरान	1997-98 के दौरान	1998-99 के दौरान	1999-2000 के दौरान	कुल			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	83.29	21.16		149.08	253.53	446.10	543.00	12/99
3.	असम	194.11	140.00	198.87	62.59	595.57	289.60	484.90	9/99
4.	बिहार	94.50	0.00	192.75	319.47	606.72	45.00	112.21	9/99
5.	गोवा	25.58	0.00			25.58	25.85	51.41	12/97
6.	गुजरात	255.62	0.00		347.25	602.87	508.32	424.09	9/99
7.	हरियाणा	228.10	87.03	130.19	259.56	704.88	343.45	594.83	12/99
8.	हिमाचल प्रदेश	118.10	44.95	58.95	156.60	378.50	369.84	542.72	12/99
9.	जम्मू व कश्मीर	63.97	41.61	20.75	183.90	310.23	73.26	122.97	3/97
10.	कर्नाटक	237.85	179.96	298.08	465.91	1181.80	494.37	868.60	9/99
11.	केरल	138.83	64.39	85.50	67.69	356.41	515.00	268.25	12/99
12.	मध्य प्रदेश	1084.94	417.98	626.72	559.87	2689.51	1565.19	2918.85	9/99
13.	महाराष्ट्र	386.91	271.80	393.94	185.19	1237.84	1607.84	2869.57	12/99
14.	मणिपुर	143.19	90.99	83.16	160.51	457.85	118.15	362.31	9/99
15.	मेघालय	58.90	38.92			97.82	84.01	167.83	3/99
16.	मिजोरम	23.24	51.68	78.95	44.10	195.97	93.13	237.69	9/99
17.	नागालैंड	52.33	34.36	17.51	175.80	280.00	445.43	555.08	12/99
18.	उड़ीसा	289.73	156.62	258.00	258.62	962.97	694.87	1209.06	8/99
19.	पंजाब	184.13	0.00		54.18	238.31	—	71.34	9/99
20.	राजस्थान	803.69	171.52	324.81		1300.02	1438.66	2322.29	3/99
21.	सिक्किम	—	—	—	28.92	28.92	—	—	—
22.	तमिलनाडु	195.95	205.46	234.91	521.36	1157.68	821.58	1262.62	12/99
23.	त्रिपुरा	5.16	0.00	42.11	91.44	138.71	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	2031.34	776.57	932.83	1213.75	5014.49	4603.00	5746.22	12/99
25.	पं. बंगाल	162.94	0.00	43.97		206.91	162.94	328.00	6/98
	कुल	6862.40	2795.00	4000.00	5365.69	19023.09	14745.59	22063.85	

विवरण IV

कम लागत की सफाई (एकीकृत) स्कीम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी ऋण व सब्सिडी के वर्ष-वार ब्यौरे					
		ऋण राशि	सब्सिडी	ऋण राशि	सब्सिडी	ऋण राशि	सब्सिडी
		1997-98		1998-99		1999-2000	
1.	आंध्र प्रदेश	406.87	80.52	3985.10	794.27	4270.18	3569.26
2.	गोवा	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	100.55	0.00	44.34	95.51
4.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	79.82	0.00	299.95
5.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
6.	मेघालय	10.43	8.47	19.54	0.00	0.00	0.00
7.	उड़ीसा	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	राजस्थान	0.00	164.63	0.00	166.48	0.00	38.47
9.	तमिलनाडु	0.00	19.69	105.87	31.11	0.00	0.00
10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	58.79	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	1244.92	972.25	0.00	0.00	0.00	602.19
12.	पश्चिम बंगाल	376.45	388.15	270.00	0.00	136.74	764.41

विवरण V

1. निदेशक
नगर व ग्राम नियोजन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार,
640 ए/सी गार्दस, हैदराबाद-500004

2. निदेशक (यूडी व एलएसजी)
अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश

3. निदेशक,
नगर व ग्राम नियोजन विभाग
असम सरकार, दिसपुर, पोस्ट सचिवालय,
गुवाहाटी-780006

4. मुख्य नगर नियोजक
नगर व ग्राम नियोजन संगठन, बिहार सरकार
विकास भवन पटना-800015

5. निदेशक, नगर पालिका प्रशासन,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय क्लेक्टोरेट बिल्डिंग
पणजी, गोवा

6. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन व मूल्यांकन विभाग,
गुजरात सरकार डा. जीवराज मेहता भवन
ब्लाक नं. 14, (दूसरा तल) गांधीनगर-380006

7. निदेशक, स्थानीय निकाय, हरियाणा सरकार,
एससीओ नं. 128-129, सैक्टर 8-सी,
चंडीगढ़-160017

8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश सरकार श्री तीरथ निआस, सैक्टर-2,
बी.सी.एस. के नीचे, न्यू शिमला, शिमला-171009

9. निदेशक, स्थानीय निकाय, जम्मू व कश्मीर सरकार,
पुरानी सचिवालय, जम्मू शहर-18001

10. निदेशक, नगर पालिका प्रशासन निदेशालय, वी.वी. टावर, डा. अम्बेडकर वी. डी., बंगलौर-560001

11. मुख्य नगर नियोजन, नगर व ग्राम नियोजन विभाग, केरल सरकार त्रिवेन्द्रम-695010

12. कार्यकारी निदेशक, एम.पी. विकास प्राधिकरण संघ, ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल

13. निदेशक, नगर नियोजन व मूल्यांकन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय कार्यालय, पुणे-411001 महाराष्ट्र

14. निदेशक (एम ए एच यू डी), मणिपुर सरकार, इम्फाल

15. निदेशक, शहरी कार्य विभाग मेघालय सरकार रेतांग भवन, शिलांग-793001

16. वरिष्ठ नगर व ग्राम नियोजक, नगर व ग्राम नियोजन विंग, स्थानीय प्रशासन विभाग, मिजोरम सरकार आइजोल-796001

17. मुख्य नगर नियोजक, नगर व ग्राम नियोजन विभाग, नागालैंड सरकार, कोहिमा-797001

18. निदेशक, नगर नियोजन निदेशालय, उड़ीसा सरकार, ब्लाक IV/युनिट 5, भुवनेश्वर-751001

19. निदेशक (तकनीकी) सुडा, पंजाब सरकार, एससीओ नं. 8-9, तीसरा तल, सैक्टर-17बी, नजदीक के सी थिएटर, चंडीगढ़-160047

20. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, बिड़ला मंदिर के सामने जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

21. संयुक्त सचिव, शहरी विकास व आवास विभाग सिक्किम सरकार, गंगटोक-737101

22. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु शहरी वित्त एवं अवस्थापना विकास विभाग कारपोरेशन लिमिटेड नं. 84, टीटी के रोड, तमिलरासी भवन अल्बारपेट, चेन्नई-600018

23. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, त्रिपुरा सरकार, अगरतला-799001

24. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 7, बंदरिया बाग लखनऊ-226001

25. मुख्य इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियरिंग निदेशालय, स्थानीय सरकार व शहरी विकास विभाग, पं. बंगाल सरकार, विकास भवन (प्रथम तल), साल्ट लेक, कलकत्ता-700091

26. एसोसिएट टाउन प्लान, अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101

27. एसोसिएट टाउन प्लानर, पी ओ बाक्स नं.-134, नगर व ग्राम नियोजन विभाग, सिलवासा, दादर व नगर हवेली संघ शासित प्रदेश प्रशासन सिल्वासा

28. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश, प्रदेश काउंसिल सैक्रेटरिएट, कवारती-682555 लक्षद्वीप

29. सचिव, स्थानीय प्रशासन, मुख्य सचिवालय, पांडिचेरी, सरकार, हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग, अन्ना नगर पांडिचेरी-605005

विधवाओं का पुनर्वास

730. **श्री अकबर अली खांदोकर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल से हजारों विधवायें राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुनर्वास योजना का लाभ देने में असफल होने के कारण पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रवास कर गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन विधवाओं के पुनर्वास के लिए क्या रचनात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल महिला आयोग

ने वृन्दावन में बंगाली महिलाओं के बारे में सर्वेक्षण पर एक अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को 24.2.2000 को भेजी गई अंतरिम रिपोर्ट से निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं:

1. पिछले लगभग 20 वर्षों से पश्चिम बंगाल से वृन्दावन आने वाली विधवाओं की संख्या घटकर बहुत ही कम रह गई है;

2. हालांकि, अधिकांश महिलाएं बंगाली भाषा बोलती हैं, परन्तु कुछ अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश से भी महिलाएं यहां रहती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए भजन आश्रमों पर निर्भर हैं;

3. विधवाओं के अलावा कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पति हैं और जिनके लिए भजन आश्रम अपनी आमदनी को बढ़ाने का स्रोत हैं;

4. बहुत सी महिलाएं, जो कुछ हद तक आर्थिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से यहाँ बस गई हैं, वे वापिस नहीं जाना चाहतीं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा वृन्दावन की प्रवासी महिलाओं के पुनर्वास हेतु किए जा रहे प्रयासों का समन्वय करेगी तथा यह देखेगी कि केन्द्रीय सरकार की स्कीमों के लाभ लक्ष्य वर्ग को मिलें।

इसके अलावा, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं, जैसे महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आयोत्पादन एककों की स्थापना (नोराड), प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप), इंदिरा महिला योजना, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जिनके अंतर्गत सहायता प्रदान करने के मामले में इस प्रकार की सीमान्त महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महिला कोष भी ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें सीमान्त महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्व-रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों जैसी अन्य स्कीमों के अंतर्गत इस प्रकार की वृद्ध और सीमान्त महिलाओं को पेंशन और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना

731. **श्री नेपाल चन्द्र दास:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-बंगलादेश सीमा-क्षेत्र पर असम राज्य के करीमगंज जिले के अंतर्गत लोवैरपोआ विकास खंड को सीमावर्ती-क्षेत्र विकास योजना से बाहर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सीमावर्ती-क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस खंड को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान

732. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिसूचित जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के इन क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत राज्य-वार कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया था; और

(घ) अधिसूचित जिलों में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) संपूर्ण साक्षरता अभियान अधिसूचित क्षेत्रों सहित पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करके जिले में आरंभ किये जाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य 15-35 वर्ष के आयु वर्ग की निरक्षर जनसंख्या को शामिल करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य वर्ष 1995 तक संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 345 जिलों को शामिल करने तथा 1997 तक

100 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने का था जिसमें संपूर्ण देश में अब तक 457 जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है और 79.5 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बना दिया गया है।

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने तथा उन्हें नई गति देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें महिला साक्षरता पर विशेष बल देने, पंचायती राज संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की अधिकाधिक सहभागिता बढ़ाने, राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करने, ग्रामीण इलाकों में जन शिक्षण संस्थान खोलने, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित करने, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के जरिए बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई तथा समेकन सुनिश्चित करने, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन तंत्रों को मजबूत करने आदि पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति

733. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) क्या सभी भारतीय औषधि पद्धतियों को एक विभाग के अधीन रखने की कोई त्रुटिरहित प्रशासनिक व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इन औषधि पद्धतियों हेतु आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाने हेतु किस प्रकार अनुकूल वातावरण तैयार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी, अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी पद्धतियों तथा आयोग तथा प्राकृतिक चिकित्सा जैसी औषध-विहीन प्रणालियों के व्यवस्थित विकास हेतु पहले से ही कई कदम उठा रही है। इन प्रणालियों में वैज्ञानिक मानदण्डों के अनुसार अनुसंधान करने सहित इन पद्धतियों के विकास और संवर्द्धन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मार्च, 1995 से एक अलग से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

होम गार्ड

734. **श्रीमती रेणु कुमारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अप्रैल-मई, 1996 में हुए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के होम गार्डों की तैनाती पर हुए खर्च का 80 प्रतिशत दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा दावा की गई राशि जारी की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) अप्रैल/मई 1996 में आयोजित लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के संबंध में प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा केन्द्र सरकार द्वारा कर दिया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	रिलीज/समायोजित की गई अदायगी	रिलीज की विधि अनंतिम/अंतिम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17,00,000	अनंतिम
2.	गोवा	38,000	-तदैव-
3.	कर्नाटक	19,00,000	-तदैव-
4.	मध्य प्रदेश	40,00,000	-तदैव-
5.	महाराष्ट्र	24,58,013	-तदैव-
6.	मणिपुर	4,00,000	-तदैव-
7.	मिजोरम	50,000	-तदैव-
8.	नागालैंड	80,000	-तदैव-
9.	उड़ीसा	9,60,000	-तदैव-
10.	सिक्किम	16,275	अंतिम
11.	पश्चिम बंगाल	36,00,000	अनंतिम

1	2	3	4
12.	असम	25,52,010	अंतिम
13.	बिहार	40,00,000	अनंतिम
14.	राजस्थान	55,59,248	अंतिम
15.	तमिलनाडु	10,00,000	अनंतिम
16.	उत्तर प्रदेश	2,00,44,310	अनंतिम (एल एस)
17.	पंजाब	20,66,250	अंतिम

[अनुवाद]

उग्रवाद विरोधी ग्रिड का पुनर्गठन

735. श्री भीम दाहाल:
श्री मोइनुल हसन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उग्रवाद विरोधी ग्रिड का "प्रतिरोध" में पुनर्गठन करने और उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु विशेष रूप से बटालियनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और अब तक क्या सफलता मिली है;

(ग) क्या जोजिला में एक अतिरिक्त मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में व्याप्त विद्रोहपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए काउंटर इमरजेंसी ग्रिड का पुनर्गठन एक सामरिक गतिविधि है तथा संक्रियात्मक अपेक्षाओं को देखते हुए इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। जम्मू व कश्मीर में विद्रोह-विरोधी आपरेशन चलाने के लिए अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में विद्रोह-विरोधी आपरेशनों को समन्वित करने के लिए एकीकृत मुख्यालय गठित करने का निर्णय लिया गया है।

जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता

736. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विषरोधी औषधियों और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कुछ सरकारी अस्पताल हैं जहां जीवन रक्षक दवाओं और सांप के विष को उतारने के लिए विषरोधी औषधियों का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो देश में उक्त औषधियों की अस्पतालों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सभी प्रमुख उपस्कर और पर्याप्त स्टाफ हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में किये जा रहे सुविधा सर्वेक्षण में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मचारियों, उपकरण इत्यादि की उपलब्धता का मूल्यांकन करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल एककों और जिला अस्पतालों तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों इत्यादि में उनकी उपयोगिता का प्रयास किया जाता है। सुविधा सर्वेक्षण के अंतर्गत हर बड़े राज्य के एक जिले और प्रत्येक छोटे राज्य/संघ क्षेत्र के जिले के एक खंड को हर माह कवर किया जाएगा।

(ग) और (घ) सामान्यत: जीवन-रक्षक औषधियों और सर्प विष-रोधी सीरमों की कोई कमी नहीं है। इनका देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों को इन औषधियों की आपूर्ति की जाती है जिनको नियमित तौर पर यह देखने के लिए परामर्श दिया जाता है कि स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधियों की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति हो।

(ङ) और (च) केरल के कुछेक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कर्मचारियों और उपकरणों की कमी है जिसका मुख्य कारण कुछ पदों की समयपाधिता और भर्ती पर रोक लगने के आदेश हैं।

जाली करेंसी नोटों को जब्त किया जाना

737. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक छापे के दौरान पुलिस ने सात लाख रु. मूल्य के जाली करेंसी नोट जब्त किए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को देश के अन्य भागों से जाली नोटों के चलन के बारे में कोई सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आई.एस.आई. ने जाली भारतीय करेंसी नोट छापने और उसे 'सवारी' कूट नाम वाले व्यक्तियों के जरिये चलाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा जाली करेंसी नोट के प्रचालन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा 24 जनवरी 2000 को मारे गए एक छापे के दौरान, करोलबाग के नजदीक एक पार्किंग क्षेत्र से एक पाक राष्ट्रिक से अन्य के साथ-साथ 50,000 रु. मूल्य के जाली नोट बरामद किए गए। उसके साथियों से अन्ततः 7,69,800 रु. मूल्य के जाली मुद्रा नोटों की बरामदगी की जा सकी। देश के अन्य भागों से भी इसी प्रकार की बरामदगी सूचित की गयी है।

(ग) से (ङ) आसूचना सूचनाओं से पता चलता है कि पाक की आई.एस.आई. देश में जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी के लिए एक सुनियोजित रैकिट का संचालन कर रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों द्वारा किए गए खुलासे से भी, भारत और पाकिस्तान के बीच बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों "रिपोर्टरों" द्वारा इस प्रयोजनार्थ इसका गहन इस्तेमाल किये जाने की ओर इशारा होता है।

(च) इस मामले में उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं:

(1) जाली मुद्रा नोटों को सामना करने के उद्देश्य से, मुद्रा नोटों को अब अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ छापा जा रहा है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं ताकि जनता वास्तविक और जाली मुद्रा नोटों के बीच अन्तर कर सकने में समर्थ हो सके।

(3) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली मुद्रा के मामलों की पूरी तरह अलग से जांच करने के लिए एक विशेष यूनिट सृजित की है।

(4) सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रणी टुकड़ियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है ताकि जाली मुद्रा नोटों की देश में तस्करी न की जा सके; और

(5) जाली मुद्रा के मामलों की जांच करने और नोट मुद्रण प्रेसों द्वारा समय समय पर उठाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

शिक्षा के लिए निधियों का आबंटन

738. डा. वी. सरोजा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा, उच्च शिक्षा पर बहुत कम धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने हेतु की गई सिफारिशों की जांच कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए आबंटन आठवीं पंचवर्षीय योजना में किए आबंटन की तुलना में 234.65 प्रतिशत बढ़ा हुआ पंजीकृत किया गया। उच्चतर शिक्षा के भाग में भी इस अवधि के दौरान राशि 9.42 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.04 प्रतिशत कर दी गई। अनुवर्ती राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में किए प्रावधानों के अनुसार शिक्षा के लिए आबंटन राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सरकार

निरन्तर प्रयासरत है। तथापि संसाधनों और प्रतियोगी प्राथमिकताओं के व्यापक दबाव की वजह से इस स्तर तक पहुंचना संभव नहीं हुआ है।

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा

739. श्री अनंत गुढ़े:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र को इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में इस नई योजना के तहत कितने बच्चों को शामिल किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) वर्ष 2003 तक प्रत्येक बच्चे को स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र पहुंचाने अथवा 'स्कूल शिविर में वापसी' हेतु सर्व शिक्षा अभियान आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

राज्यों को अब तक इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

740. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) उनके पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम महिला साक्षरता होने के मानदंड के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में मध्य प्रदेश के 39 जिले नामतः बेतूल, बिलासपुर, छतरपुर, धार, गुना, मंदसौर, पन्ना, रायगढ़, रायसेन, राजगढ़, राजनंदगांव, रतलाम, रीवां, सरगुजा, सतना, सेहोर, शाहडोल, सिधी, टिकमगढ़, मंडला, स्योनी, शिवपुरी, भिंड, मोरेना, बस्तर, विदिशा झबुआ, दतिया, खारगोन, देवास, शाजापुर, रायपुर, खंडवा, दमोह, छिंदवाड़ा, उज्जैन, होशंगाबाद, सागर और बालाघाट अभिनिर्धारित किए गए हैं।

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा पहुंच को सर्वसुलभ बनाने, पढ़ाई बीच में छोड़ देने को कम करने, अध्ययन उपलब्धि को सुधारने और योजना की यूनिट के रूप में जिले के साथ क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक समूहों के मध्य असमानता को कम करने के उद्देश्य से इसे राज्य के इन 34 जिलों में शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार या केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसे पिछड़े जिलों की ओर सरकार निरंतर ध्यान देती है।

आतंकवादियों का छोड़ा जाना

741. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के हवाई जहाज के यात्रियों के अपहरण के बदले कुछ आतंकवादियों को छोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो उन आतंकवादियों ने जिन अन्य आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग की थी, उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए क्या मापदंड अपनाया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। रिहा किए गए तीन उग्रवादियों के नाम संलग्न सूची में शामिल हैं।

(ग) अपहरण के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने में सरकार ने अपने समक्ष स्पष्ट और निरन्तर प्राथमिकताएं रखीं। ये थीं (क) अपहरण काण्ड का जल्द-से-जल्द पटापेक्ष करना (ख) यात्रियों, वायुयान चालक दस्ते और वायुयान की सुरक्षित वापसी, तथा (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखना। सरकार और राष्ट्र को अपहरण के कारण दो समान रूप से वैद्य और महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं का सामना करना पड़ा: एक तो निर्दोष लोगों की जान बचाना और

आतंकवाद का मुकाबला करना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कुर्बानी देना नहीं है-और इस निन्दनीय बुराई को मिटाने के हमारे संकल्प, दृढ़-निश्चय के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से उपहरण को समाप्त किया गया, उससे सरकार के समक्ष निर्धारित प्राथमिकताओं को पर्याप्त मात्रा में पुष्टि मिलती है।

विवरण

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	मौलाना मसूद अजहर
2.	मौ. आरिफ खान
3.	सैफुल्ला खालिद
4.	मौ. सईद खान
5.	मौ. शफीक हसन
6.	मौ. यूसुफ ख्वाजा
7.	निसार अहमद
8.	सुलतान अहमद मयाना
9.	नाविद इकबाल भट्ट
10.	नसीर इकराम
11.	अब्दुल हय मलिक
12.	मौ. इशफाक राजपूत
13.	शाहिद लतीफ
14.	सोहेल अहमद कटारिया
15.	मौ. नाजिर खान
16.	नसीर मौहम्मद सौदोजी
17.	अहमद उमर सईद शेख
18.	मुजम्मल अहमद दर
19.	फारूक अहमद रजा
20.	नसरुल्लाह मंजूर लंगारियाल
21.	सैयद साजिद सज्जाद अली बुखारी
22.	सलाहुद्दीन काजमी
23.	मुश्ताक जरगर
24.	जुल्फीकार अली शाह
25.	बशारत अली
26.	आलम खान
27.	राहिल अहमद हाशमी
28.	शाहिद मौहम्मद मुगल
29.	सैयद खालिद हुसैन बुखारी
30.	नसीर अहमद गुज्जर
31.	सैयद वकार शाह
32.	मौ. इकराम बलूच
33.	मौ. सोफी जमात
34.	मुल्ला मौ. भट्ट
35.	नसीउल्लाह
36.	जाफर अली

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर

742. श्री हरिभाई चौधरी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार प्राप्त कराने में अथवा स्व-रोजगार प्राप्त कराने में उनकी कोई मदद करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को स्व-रोजगार प्राप्त कराने के लिए केन्द्र सरकार कोई सहायता

प्रदान नहीं करती है। तथापि, मंत्रालयों/विभागों तथा सरकार के प्रतिष्ठानों में समूह "ग" और "घ" के पदों की 5% रिक्तियाँ निर्धारित प्रक्रिया/नियमों में छूट देकर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरी जाती हैं। ऐसे सभी संगठनों में रोजगार प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या संबंधी ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

743. **श्री रिजवान जहीर:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशिष्ट व्यक्ति और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(घ) दिल्ली में विशिष्ट व्यक्ति तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस के कितने कार्मिक तैनात हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस मद पर कितना व्यय किया गया है; और

(च) विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा के आधार पर आवंटित बंगलों के संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) व्यक्तियों के सुरक्षा, सुरक्षा एजेंसियों के आंकलन के आधार पर खतरे के स्तर की प्रत्यक्ष आशंका को देखते हुए उपलब्ध करायी जाती है। अति विशिष्ट व्यक्तियों के मामले में, उनके संरक्षण के लिए बनाये गये नियमों और विनियमों जिन्हें प्राय: ब्ल्यू बुक्स के रूप में जाना जाता है, में निहित दिशा निर्देशों के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

(घ) दिल्ली में विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कार्मिकों की संख्या संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या और वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए बदलती रहती है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस और एस.पी.जी. द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(व्यय करोड़ रुपयों में)

वर्ष	दिल्ली पुलिस	एस.पी.जी.
1996-97	34.23	37.49
1997-98	40.68	43.34
1998-99	46.99	75.78

(च) गृह मंत्रालय ने, सुरक्षा के आधार पर, किसी भी हालत में, सरकारी आवास के आवंटन/उसे रखने की सिफारिश न करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

पेयजल योजनाएं

744. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के विचाराधीन राज्यवार कितनी जल आपूर्ति बढ़ाने संबंधी योजनाएं रहीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत ऐसी योजनाओं तथा उन्हें आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त लंबित योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु कोई विशेष कार्रवाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए लागू केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी

जल आपूर्ति कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार के लिए राज्यों में शहरी जल आपूर्ति के प्रभारी सचिवों के साथ समय-समय पर पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि योजना के अंतर्गत लंबित स्कीमों का अनुमोदन करने तथा केन्द्रीय धनराशि प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। मंत्रालय में इस प्रकार की पिछली बैठक दिनांक 18.11.99 को हुई थी।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त योजनाएं	अनुमोदित योजनाएं व उनकी लागत (लाख रु. में)						योजनाएं जिनकी जांच की जा रही है (24.2.2000)	राज्य सरकारों को वापस भेजी गई योजनाएं	प्रदान की गई धनराशि		
			1997-98		1998-99		1999-2000						
			योजना	लागत	योजना	लागत	योजना	लागत			1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	13	—	—	—	—	—	—	—	13	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.16	0.00	149.98
3.	असम	13	3	365.50	2	323.78	—	—	4	4	140.00	198.67	62.59
4.	बिहार	33	—	—	4	496.27	8	1301.44	—	21	0.00	192.75	319.47
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	10	—	—	—	—	7	1395.28	—	3	0.00	0.00	347.25
7.	हरियाणा	11	1	122.91	4	523.10	4	512.82	—	2	87.03	130.19	259.56
8.	हिमाचल प्रदेश	11	—	—	1	117.90	2	626.00	—	8	44.95	58.95	156.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	11	—	—	—	—	1	305.70	—	10	41.61	20.75	183.90
10.	कर्नाटक	13	4	737.56	2	689.00	7	1371.45	—	—	179.96	298.08	465.91
11.	केरल	03	1	342.00	—	—	—	—	2	—	64.39	85.50	67.69
12.	मध्य प्रदेश	47	3	282.59	9	804.67	25	2368.70	10	—	417.98	626.72	559.87
13.	महाराष्ट्र	18	—	—	3	975.42	1	258.33	3	11	271.80	393.94	185.19
14.	मणिपुर	06	1	173.40	2	276.89	3	340.88	—	—	90.99	63.16	160.51
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.92	0.00	0.00
16.	मिजोरम	04	1	103.35	1	154.94	2	174.33	—	—	51.68	76.95	44.10
17.	नागालैंड	03	—	—	—	—	1	663.00	—	2	34.36	17.51	175.80
18.	उड़ीसा	06	—	—	3	507.09	3	520.48	—	—	156.62	258.00	258.62
19.	पंजाब	09	6	363.21	2	113.40	1	102.61	—	—	0.00	0.00	54.18
20.	राजस्थान	11	2	185.26	6	807.54	—	—	3	—	171.52	324.81	0.00
21.	सिक्किम	02	—	—	—	—	1	115.68	—	1	0.00	0.00	28.92
22.	तमिलनाडु	15	4	465.10	4	703.65	6	1396.10	—	1	205.46	234.91	521.36
23.	त्रिपुरा	02	—	—	1	135.35	1	288.14	—	—	0.00	42.11	91.44
24.	उत्तर प्रदेश	64	10	717.16	26	2204.21	22	2092.48	6	—	776.57	932.83	1273.75
25.	पश्चिम बंगाल	01	—	—	1	87.40	—	—	—	—	0.00	43.97	0.00
	योग	306	36	3858.04	71	8920.61	95	13853.42	28	76	2795.00	4000.00	5365.69

[अनुवाद]

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास

745. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने कश्मीरी पंडित शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं;

(ख) इन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उग्रवादियों का उद्देश्य घाटी से हिन्दू परिवारों को बलपूर्वक विस्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विद्रोह को दबाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 51,122 कश्मीरी प्रवासी परिवार देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। इनमें से, 29074 और 19338 परिवार क्रमशः जम्मू और दिल्ली में रह रहे हैं।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, घाटी से बाहर कश्मीरी प्रवासियों के स्थायी पुनर्वास का कोई विचार नहीं है। राज्य से बाहर रहते हुए उनकी कठिनाईयों और विपत्तियों को कम करने के प्रयास किये गये हैं। जम्मू और कश्मीर को सरकार ने सूचित किया है कि कश्मीरी प्रवासियों की वापसी उनकी कार्यसूची में सबसे ऊपर है और वह प्रवासियों की घाटी में सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए एक कार्य योजना पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों सहित निर्दोष सिविलियनों पर उग्रवादियों के लक्षित हमलों के कारण अधिकांश कश्मीरी पंडितों को मजबूरी में घाटी से पलायन करना पड़ा। जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद/आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार को अर्ध सैनिक बलों की तैनाती, हथियार और वित्तीय सहायता सहित आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, भीतरी क्षेत्रों में उनके विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करके उग्रवादियों की योजनाओं को विफल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, आपरेशनल ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों आदि के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण शामिल है।

चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाना

746. **श्री एम.ओ.एच. फारूक:**
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) क्या पांडिचेरी और कराइकल तथा मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) ऐसे बाईस प्रस्ताव लंबित हैं।

(ख) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर कराईकल, पांडिचेरी में नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए 7.2.97 को केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान की गई थी। टी.के.वी.टी.एस.एस. मेडिकल एजूकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, सलेम द्वारा पांडिचेरी में नए मेडिकल कालेज की स्थापना के प्रस्ताव की भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई ढांचागत कमियों को देखते हुए संस्तुति नहीं की गई। इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें आवेदकों के ध्यान में लाया गया है।

तथापि, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ङ) प्रस्तावों की स्वीकृति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदण्डों के अनुरूप ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

सरकारी आवास निर्माण समितियां

747. **श्री साहिब सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस समय कितनी सहकारी भवन आवास समितियां हैं और टाइप-1, 2, 3 और 4 ग्रुप में इनके कितने सदस्य हैं;

(ख) प्रत्येक समिति में कितने सदस्यों को अब तक प्लाट/फ्लैट नहीं दिए गए हैं;

(ग) कितने प्लाटों को स्वीकृति दी गई है लेकिन ये खाली पड़े हैं और बेईमान लोगों द्वारा अवैध कब्जे भी कर लिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन प्लाटों को अपने कब्जे में करने और खुले बाजार में बेचने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा समितियों के पदाधिकारियों द्वारा फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 148 भवन निर्माण समितियां हैं जिनके 32,655 सदस्य हैं।

(ख) सहकारी समितियों के पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्यालय द्वारा ऐसी प्रत्येक समिति के सदस्यों की सूची सत्यापन के बाद प्लाटों के आबंटन के लिए डी डी ए को भेजी जाती है। डी डी ए ने बताया है कि 126 सहकारी भवन निर्माण समितियों को प्लाटों के विकास हेतु दिल्ली के विभिन्न भागों में भूमि आबंटित की गई है। इन समितियों द्वारा करीब 29,400 प्लाटों का विकास किया गया है तथा कुछ को छोड़कर अधिकांश प्लाट पहले से आबंटित किए गए हैं। सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय ने बताया है कि 157 सदस्यों के मामले प्लाट के आबंटन हेतु डी डी ए को भेजे जाने हैं।

फिलहाल, 1970 के बाद से सहकारी भवन निर्माण समितियों को भूमि आबंटित करने पर रोक लगाई गई है।

(ग) डी डी ए द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, नीति के अनुसार, सदस्यों को आबंटन किए जाने तक समिति द्वारा विकसित रिहायशी प्लाट का कब्जा संबंधित समिति के ही पास रहता है।

(घ) से (च) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) में बताया गया है, सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा सदस्यता के सत्यापन के बाद ही समिति के सदस्य को प्लाट का आबंटन किया जाता है। तथापि, यदि समितियों के पास अपने सदस्यों को आबंटन करने के बाद कुछ प्लाट बचे रहते हैं तो उन्हें डी डी ए को वापस कर दिये जाते हैं जो उनका निपटान उसी ढंग से करने के लिए स्वतंत्र है जैसा वह उचित समझे। परन्तु ऐसा कोई मामला डी डी ए में लम्बित नहीं है।

चेन्नई निगम को हडको पुरस्कार

748. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको ने तमिलनाडु में चेन्नई निगम को "अत्युत्तम रख-रखाव पुरस्कार" से सम्मानित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुरस्कार के लिए कौन-कौन से नगर निगमों पर विचार किया जा रहा है/विचार किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी हाँ। हडको ने चेन्नई कारपोरेशन को वर्ष 1999 का "स्वच्छ नगर पुरस्कार" (क्लीन सिटी आवार्ड) प्रदान किया है।

(ख) आमतौर पर स्वच्छ नगर पुरस्कार (क्लीन सिटी अवार्ड) निम्नलिखित क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर दिया जाता है:

- प्रदूषण नियंत्रण
- स्वच्छता
- मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए किए गए उपाय
- सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था
- कचरा निपटान का अच्छा प्रबंध
- अपराधों की कम संख्या

(ग) हडको द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, वर्ष 2000 के लिए अन्य निगर निगमों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में मलेरिया के मामले

749. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान राज्यवार कितने मामलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या मलेरिया उन्मूलन हेतु उठाए गए सभी उपाय अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो मलेरिया के फैलने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में अन्य हिस्सों की अपेक्षा जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक मामले सामने आये हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने देश के जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों से मलेरिया के उन्मूलन हेतु एक पृथक कार्य योजना तैयार की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश में मलेरिया के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) 1999 में समग्रतः देश में मलेरिया की घटना-दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। तथापि, इस रोग के केन्द्रित प्रकोप असम, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में होते हैं। किए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में सलाह देने के लिए असम, बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष दल भेजे गए।

(ङ) और (च) जी, हां। निम्नलिखित कारणों से आदिवासी क्षेत्र मलेरिया के उच्च स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं:

(1) अधिक सशक्त मलेरिया वैक्टर, जो कम सघनता वाली स्थितियों में भी इस रोग को संचरित करने में सक्षम हैं, आदिवासी क्षेत्रों में सर्वाधिक हैं।

(2) इनमें से अधिकतर आदिवासी क्षेत्र वनों, वनीय सीमा प्रान्तों और दुर्गम क्षेत्रों, जहां वर्ष-भर में स्थित मच्छरों के पलने और मलेरिया के संचरण के लिए सहायक हैं, में स्थित हैं।

(3) आदिवासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आदतें भी इन क्षेत्रों में मलेरिया की समस्या में योगदान देती हैं।

(छ) से (झ) राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत 7 प्रायद्वीपीय राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 100 आदिवासी बहुल उच्च मलेरिया स्थानिकमारी वाले जिलों और इन राज्यों के 19 शहरों/कस्बों जिनमें मलेरिया की उच्च स्थानिकमारिता है, को अनिवार्यतः कवर करते हुए और कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में इन निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अतिरिक्त निवेशों के जरिए मलेरिया नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों को तेज करने के लिए सितम्बर, 1997 से एक उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ई.एम.सी.पी.) कार्यान्वित की जा रही है:

* अपेक्षाकृत नई औषधों और तीव्र नैदानिक किटों के माध्यम से रोगी का शुरू में ही पता लगाना और शीघ्र उपचार (ई.डी.पी.टी.)।
* ग्रामीण क्षेत्रों में संश्लिष्ट पायरेथरोयड्स और शहरी क्षेत्रों में जैव-लार्वानाशकों के इस्तेमाल सहित चयनात्मक वैक्टर नियंत्रण।
* औषधियुक्त मच्छरदानियों (एम.एम.एन.एस.) के इस्तेमाल से वैयक्तिक सुरक्षा को बढ़ावा।
* महामारियों का शुरू में ही पता लगाना और उनका नियंत्रण।
* व्यक्तिगत निवारण और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा व संचार।
* सभी स्तरों पर गहन पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सक्षम प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से संस्थागत और प्रबंध क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकास।

[अनुवाद]

राजनैतिक पार्टियों को सरकारी आवास

750. **श्री रामप्रसाद सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राजनीतिज्ञ, उनके परिवारजनों, राजनैतिक पार्टियों और सामाजिक संस्थाओं को आवास प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे आबंटनों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन आबंटनों की समीक्षा का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संस्थाओं को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। तथापि, राजनीतिज्ञों और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी आवास तभी आबंटित किया जाता है जब वे सरकारी पदों पर हों। कुछ मामलों में, जहाँ राजनीतिज्ञ पहले सरकारी पदों पर रहे हों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उन्हें सरकारी आवास आबंटित किया गया है और उनके देहांत के पश्चात उनकी पत्नी को भी सरकारी आवास आबंटित किया गया/रखने की अनुमति दी गई है। अपवादस्वरूप एक पूर्व उप प्रधान मंत्री की विधवा और एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री की विधवा को भी सरकारी आवास आबंटित किया गया है। राजनीतिक पार्टियों को कुल 41 यूनिट आबंटित की गई हैं तथा सामाजिक संस्थानों को 8 यूनिट आबंटित की गई हैं।

(ग) से (च) राजनीतिक पार्टियों को सरकारी आवास आबंटित करने के मानदण्ड/दिशानिर्देशों को सरकार द्वारा संशोधित किया गया है। नीति/दिशा-निर्देशों का सार इस उत्तर के संलग्न विवरण में दिया गया है।

सामाजिक संस्थाओं को विद्यमान अनुदेशों के अनुसार किए गए आबंटन केवल चालू आबंटन वर्ष के अंत तक मान्य हैं। सामाजिक संस्थानों सहित गैर सरकारी संगठन भविष्य में सरकारी रिहायशी आवास आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे और न ही मौजूदा आबंटन अवधि को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रहित में होने अथवा आवास की कैबिनेट समिति के अनुमोदन से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति के लिए होने पर इस पर विचार किया जाएगा।

विवरण

1. दिनांक 6.12.91 के मौजूदा दिशानिर्देशों में पूर्व उप राष्ट्रपतियों/पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनकी पत्नियों तथा पूर्व राष्ट्रपतियों की पत्नियों को उनके पूरे जीवन काल के लिए दिल्ली में टाइप-7 आवास के आबंटन की व्यवस्था है। तथापि, सरकार द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, टाइप-8 आवास के आबंटन की अनुमति भी प्रदान की गई है। राष्ट्रपति पेन्शन नियमावली के तहत पूर्व राष्ट्रपति टाइप-8 आवास के आबंटन के पात्र हैं।

2. राजनीतिक पार्टियों को पूर्व में दिए गए आबंटन दिनांक 24.10.1985 के का.ज्ञा. के प्रावधानों तथा समुचित स्तर पर दी गई रियायतों से नियंत्रित होते थे।

3. अब निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश बनाए गए हैं जिन्हें जल्दी ही अधिसूचित किया जा रहा है:

(क) राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों, जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐसी मान्यता मिली है, वे दिल्ली में अपने कार्यालय के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर सामान्य पुल से एक मकान यूनिट रख सकेंगी/आबंटन ले सकेंगी।

(ख) इस प्रकार का आवास तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसके द्वारा पार्टी सांस्थानिक क्षेत्र में कोई भूमि का प्लाट लेगी और पार्टी कार्यालय के लिए वास का निर्माण करेगी।

(ग) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आबंटित किया/रखने दिया जाएगा यदि पार्टी अध्यक्ष के पास दिल्ली में अपना या सरकार द्वारा उन्हें किसी भी अन्य रूप में आबंटित मकान न हो।

(घ) भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों को भी कार्यालय सुविधा दी जाएगी बशर्ते कि कैबिनेट की आवास समिति की राय में संसद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनके मामले को आवास कैबिनेट समिति द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर आबंटन के लिए अनुमोदित किया जाए।

(ङ) किसी भी राजनीतिक पार्टी को आबंटित या उनके कब्जे वाले अन्य भवनों को रद्द कर दिया गया है, तथापि, पार्टी को वैकल्पिक व्यवस्था करने और सरकारी आवास खाली करने के लिए छह माह की अवधि या किए गए आबंटन की समयावधि तक, जो भी पहले हो, तक का समय दिया जाएगा।

उर्वरक से नियंत्रण हटाना

751. **श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी उर्वरकों से वितरण संबंधी नियंत्रण हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) वर्तमान में, यूरिया ही केवल एक ऐसा उर्वरक है जो भारत सरकार के वितरण नियंत्रण के अधीन है। फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों का वितरण 25.8.92 से नियंत्रणमुक्त किया जा चुका है। सरकार का इरादा यूरिया सहित सभी उर्वरकों को अपनी राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखकर अंततः नियंत्रणमुक्त करने का है जिससे एक ओर तो विभिन्न प्रकार के पोषकों की खपत का इष्टतम अनुपात प्राप्त करना है और दूसरी ओर, कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करवाना है। तथापि, यूरिया के वितरण के अनियमन और नियंत्रण हेतु समय ढांचे को अभी तक भी सुदृढ़ नहीं किया गया है।

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति

752. **श्री तिरूनावकरसु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जैसे, रेकी, एक्यूपंक्चर और स्पर्श चिकित्सा को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को विचार पारम्परिक चिकित्सा पद्धति का मूल्यांकन करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के विभिन्न प्रकारों के गुणों की जांच के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का संबंधित अनुसंधान परिषदों के माध्यम से लगातार मूल्यांकन करती रही है और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी कालेजों के शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन विनियामक परिषदों के माध्यम से किया जाता है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में आमूल चूल परिवर्तन

753. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यकरण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तथा अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कोई संवैधानिक नियम नहीं हैं। देश में क्रिकेट के खेल के संवर्धन की जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) की है, जो एक स्वायत्तशासी संगठन है।

बाल श्रमिकों की दशा

754. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बच्चों की विशेषकर बाल श्रमिकों की समस्याओं की प्रकृति, जटिलता और व्यापकता का अध्ययन करने हेतु बहुत सी नई नीतिगत पहल की हैं; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा में प्रभावकारी और द्रुत गति से सुधार लाने के लिए अंतिम रूप से दी गई नई रणनीतियों और कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग की एक राष्ट्रीय बाल नीति है, जो 1974 में बनायी गयी थी, ताकि बच्चों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान की जा सकें और उनका

पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। बाद में, 1992 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन को मंजूर किया और तब से भारत बच्चों को लगातार उनके अधिकार सुनिश्चित करा रहा है। इसके अलावा, 1992 में राष्ट्रीय बाल कार्य योजना भी बनाई गई, जिसमें सन् 2000 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख है।

श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि काम से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए उनके द्वारा दो स्कीमें, अर्थात् राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कीम तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की स्कीम, कार्यान्वित की जा रही हैं। ये स्कीमें नौवीं योजना में जारी हैं। बाल श्रमिकों की संख्या के संबंध में श्रम मंत्रालय जनगणना महापंजीयक द्वारा आयोजित दशकीय जनगणना पर निर्भर करता है।

फास्फोरिक एसिड आयात नीति की समीक्षा

755. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17.12.99 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "रिव्यू फॉस्फोरिक एसिड इम्पोर्ट पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकाशित समाचार में व्यक्त टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उद्योग की अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई विचाराधीन कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) फास्फोरिक एसिड की कुल कितनी आवश्यकता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके आयात का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फास्फेट्स के मामले में घरेलू कच्चे माल की कमी किसी प्रकार की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में रुकावट रहती है। इसे स्वीकार करते हुए, एक ऐसा नीति मिश्रण अपनाया गया है जिसमें तीन विकल्पों (1) स्वदेशी/आयातित रॉक फास्फेट और आयातित सल्फर पर आधारित घरेलू उत्पादन, (2) आयातित मध्यवर्तियों जैसे कि अमोनिया और फास्फोरिक एसिड पर आधारित घरेलू उत्पादन, तथा (3) तैयार उर्वरक जैसे कि डाई-अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) और कभी-कभी मोनो-अमोनियम फास्फेट (एम ए पी) तथा नाइट्रोजन फास्फेट पोटाश (एन पी के) कम्प्लैक्सेज का आयात के मोडुलेशन शामिल हैं। मोटे तौर पर वर्ष 1998-99 में फास्फेटिक उर्वरकों की 66% आवश्यकता को प्रथम दो विकल्पों के माध्यम से पूरा किया गया था। चूंकि स्वदेशी रॉक फास्फेट की आपूर्तियां पी2 ओ5 की कुल आवश्यकता के केवल 5-10 भाग को पूरा करती है, अत: देश में उत्पादित फास्फेटिक उर्वरक अनिवार्यत: कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों पर आधारित है।

फास्फोरिक अम्ल एक असरणीबद्ध मद है और कोई भी आवश्यकतानुसार इसका आयात करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, उर्वरक क्षेत्र में आयातित फास्फोरिक अम्ल के इस्तेमाल करने वाले बहुतेरों के पास फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ ए आई) के संरक्षण में एक संघ है जो विभिन्न स्रोतों से फास्फोरिक अम्ल का आयात करता है। यह प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और उर्वरक उद्योग ने अपनी प्राप्यता के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं किया है। वर्तमान में फास्फोरिक अम्ल की वार्षिक आवश्यकता लगभग 2.6 मिलियन टन है। इसमें से करीब 2.1 मिलियन टन का आयात किया जाता है तथा शेष 0.5 मिलियन टन घरेलू स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान फास्फोरिक अम्ल का आयात इस प्रकार था:

वर्ष	मात्रा (000 टन पी2 ओ5)
1996	1583
1997	2034
1998	2083

अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं

756. श्री साहिब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में पानी, सीवर, स्कूल, बिजली, आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण इन कालोनियों के निवासियों का जीवन बद से बदतर हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत कालोनियों को प्राथमिकता आधार पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मामले पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अनधिकृत कालोनियों में बिजली, पानी, सड़क और जल निकासी की सुविधा मुहैया की जा रही है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर जांच आयोग की स्थापना

757. **श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबंधी रहस्य की जांच हेतु कोई जांच आयोग गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो जांच आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आयोग का वर्तमान कार्यकाल 14 मई, 2000 तक है।

"नेशनल बुक ट्रस्ट"

758. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई और उनके प्रकाशन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) उनमें से कितनी पुस्तकें विज्ञान और सामाजिक वानिकी पर प्राकशित और वितरित की गई;

(ग) क्या ट्रस्ट का विचार उभरते लेखकों और अनुसंधान संबंधी लेखों को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान 19 भाषाओं में कुल 807 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं। इनमें मौलिक, अनूदित और पुनर्मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं। इन पुस्तकों के प्रकाशन पर कुल 302.10 लाख रुपये खर्च किये गये थे।

(ख) इनमें से पांच पुस्तकें कृषि विज्ञान और सामाजिक वानिकी पर विभिन्न भाषाओं में थीं।

(ग) से (ङ) (1) न्यास की उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहित करने की कोई विशेष योजना नहीं है। सूचना स्वरूप की सभी पुस्तकें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आम पाठकों के लाभ के लिए लिखी जाती हैं। किसी विशिष्ट भारतीय भाषा के प्रतिष्ठित लेखकों की लिखित (पहले से ही उस भाषा में प्रकाशित और एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त) और भाषा सलाहकार पैनल द्वारा संस्तुत साहित्यिक कृतियां देश की अन्य भाषाओं में अनूदित की जाती हैं। कभी-कभी नए अनुवादकों को ऐसी पुस्तकों के अनुवाद का अवसर प्रदान किया जाता है। बाल पुस्तकों और नव साक्षरों के लिए पुस्तकों, नए लेखकों तथा चित्रकारों के मामले में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। अंतिम निर्णय कार्य की योग्यता के आधार पर लिया जाता है।

(2) न्यास अलग-अलग विषयों पर अनुसंधान पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करता। तथापि, न्यास आर्थिक सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों पर विचार किया जाता है।

आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों की भर्ती

759. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को अर्द्ध-सैनिक बलों या राज्य पुलिस बलों में भर्ती की नीति आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों की भी भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त नीति पूर्णतः विफल रही है, क्योंकि यह भर्ती के सभी मानक मानदण्डों तथा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करती है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों की केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। तथापि, आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती किया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) आत्मसमर्पण कर चुके उन उग्रवादियों की संख्या जो केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल में शामिल हुए हैं, नीचे दी गई हैं:

सीमा सुरक्षा बल	364
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	636

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

संपत्ति-कर

760. श्री रामपाल सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, देश में संपत्ति-कर आकलन करने के लिए "इकाई क्षेत्र प्रणाली" (यूनिट एरिया सिस्टम) को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्ववर्ती प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली से क्या लाभ मिलने का अनुमान है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय ने सम्पत्ति कर सुधार के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रफल आधारित सम्पत्ति कर निर्धारण माडल से संबंधित है। इस प्रणाली के तहत निर्मित सम्पत्ति (रिहायशी और गैर रिहायशी दोनों) पर कर निर्धारण (1) सम्पत्ति की स्थिति (2) सम्पत्ति का उपयोग (3) निर्माण की किस्म (4) भवन का फर्शी क्षेत्र जैसे कारकों से जोड़ा गया है। सम्पत्ति कर निर्धारण राज्य का विषय है इसलिए क्षेत्रफल आधारित सम्पत्ति कर निर्धारण प्रणाली को अपनाना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है।

(ग) क्षेत्रफल आधारित सम्पत्ति कर निर्धारण प्रणाली अन्य सम्पत्ति कर निर्धारण प्रणालियों की तुलना में अधिक व्यवहारिक और उपयोगी मानी जाती है। क्षेत्रफल आधारित सम्पत्ति कर निर्धारण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार हैं:

(1) सम्पत्ति कर की कम दर ताकि यह आम जनता को स्वीकार्य हो।

(2) कर लगाने में कर निर्धारकों के विवेकाधिकार को कम करना।

(3) कर निर्धारण, कर लगाने और कर वसूली की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना।

(4) करदाताओं/सम्पत्ति मालिकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच समानता सुनिश्चित करना।

(5) सम्पत्ति मालिकों/धारकों द्वारा स्वयं सम्पत्ति कर निर्धारण को सुचारू बनाना।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

761. श्री पी.सी. थॉमस: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन इकाई लाभ अर्जित कर रही है या संकट में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोचीन इकाई ने अपने विस्तार संबंधी अनेक योजनाएं सरकार के पास भेजी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक लिमिटेड में विनिवेश का अथवा इसका विलय किसी अन्य कम्पनी में करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड को वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान हुए घाटे का विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	निवल हानि (रु. करोड़ में)
1997-98	5.09
1998-99	23.05

(ग) और (घ) कोचीन इकाई से लाभ हो रहा है तथा उसके सामने कोई समस्या नहीं है।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) विनिवेश समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि कम्पनी में भारत सरकार की 59 प्रतिशत इक्विटी में से 33 प्रतिशत एच.ओ.सी.एल. शेयरों को किसी सामरिक क्रेता को बेच दिया जाए तथा शेष 26 प्रतिशत भारत सरकार के पास रहने दिया जाए।

राष्ट्रीय बाल नीति

762. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा में अनाथ और शरणहीन बच्चों के लिए कौन-से कल्याणकारी उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में बनायी गयी थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियमित रूप से इसके घटकों की समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) बेहतर निवेशों, प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं की शक्तिसम्पन्नता तथा संशोधित वित्तीय मानकों आदि के माध्यम से आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत सेवा में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित परित्यक्त बच्चों, अनाथों और परित्यक्त वृद्धों के लिए शरण गृहों की स्थापना हेतु राशि स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता-सेनानी पेंशन

763. **श्री तेजवीर सिंह चौधरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने पति पत्नी स्वतंत्रता-सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) उनकी पेंशन को कितनी बार बढ़ाया गया है;

(ग) क्या सभी स्वतंत्रता-सेनानी, केन्द्र और राज्य सरकार से पेंशन पाने की अर्हता रखते हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) इस समय तक स्वतंत्रता-सेनानी पेंशन के राज्यवार कितने प्रकरण लंबित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्र सरकार, इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को समय-समय पर उपलब्ध पेंशन की राशि दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं श्रीमान्। स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनायें हैं। पेंशन की पात्रता के मानदण्ड, हर राज्य में अलग-अलग है। केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना के अपने पात्रता मानदण्ड है।

(ङ) ऐसा कोई भी मामला लम्बित नहीं पड़ा है जो हर दृष्टि से पूर्ण हो और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्र हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और अनुमोदित किया गया हो। तथापि विगत में एक या एक से अधिक बार रद्द किए गए मामलों के संबंध में, विभिन्न राज्यों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त 1054 पुनरीक्षा आवेदन पत्र लम्बित पड़े है। इस संबंध में राज्य वार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	असम	94
3.	बिहार	89
4.	गुजरात	27

5.	हरियाणा	20
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	जम्मू व कश्मीर	29
8.	कर्नाटक	148
9.	केरल	23
10.	मध्य प्रदेश	9
11.	महाराष्ट्र	130
12.	उड़ीसा	44
13.	पंजाब	44
14.	राजस्थान	9
15.	तमिलनाडु	14
16.	उत्तर प्रदेश	82
17.	पश्चिम बंगाल	260
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5
	कुल	1,054

विवरण

पेंशन की राशि

विभिन्न श्रेणी के स्वतंत्रता सेनानियों या उनके पात्र आश्रितों को दी गई पेंशन की राशि समय-समय पर निम्न प्रकार से बढ़ाई गई है:

श्रेणी		1972	1980	1985	1988	1992	1994	1997
(क)	भूतपूर्व अंडमान (1996 से)	200/-	500/-	800/-	1000/-	1250/-	2000/-	4000/-
(ख)	अन्य	200/-	300/-	500/-	750/-	1000/-	1500/-	3000/-
(ग)	पति/पत्नी	100/-	200/-	500/-	750/-	1000/-	1500/-	3000/-
(घ)	अविवाहित और बेरोजगार पुत्रिया:							
	(1) सबसे बड़ी	50/-	50/-	200/-	300/-	300/-	300/-	600/-
	(2) अन्य	50/-	50/-	50/-	100/-	100/-	100/-	350/-
(ङ)	माता/पिता	100/-	200/-	200/-	200/-	200/-	200/-	1000/-

टिप्पणी: पेंशन को 1 अगस्त, 1998 से मूल्य सूचकांक से भी जोड़ दिया गया है। पेंशन/परिवार पेंशन के 7% की दर से महंगाई राहत की प्रथम किस्त 1.8.1998 से रिलीज की गई थी। पेंशन/परिवार पेंशन की 13% की दर से महंगाई राहत की दूसरी किस्त 1.8.1999 से रिलीज की गई है। अब, पेंशन/परिवार पेंशन पर 20% महंगाई राहत उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती राज्यों से तस्करी/घुसपैठ

764. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलादेश, नेपाल और भूटान से लगी पश्चिम बंगाल की लम्बी और घुसपैठ की संभावना वाले सीमा क्षेत्र से भारत में विस्फोटक सामग्रियों तथा हथियार की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कौन से महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं तथा भारत में गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों से बार-बार कितने हथियारों और विस्फोटक पदार्थों की जब्ती की गई है तथा उनसे क्या पूछताछ की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को भारत-बंगलादेश, भारत-नेपाल और भारत-भूटान की सीमाओं से विस्फोटकों और शस्त्रों की तस्करी और भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था करने और गश्त लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है। हमारे पड़ौसी राष्ट्रों, जैसे कि बंगलादेश, नेपाल और भूटान को हमारी सुरक्षा चिंताओं के प्रति सुग्राही बना दिया गया है।

(ख) शस्त्र और गोला-बारूद की बरामदगी तथा पकड़े गए व्यक्तियों से की गई पूछताछ से निम्नलिखित जानकारी का पता चला है:

1. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने के लिए शस्त्र और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी;
2. जाली-मुद्रा (नोटों) के प्रचालन द्वारा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना; और
3. सैनिक स्थापनाओं के बारे में जासूसी करने संबंधी गतिविधियां, इत्यादि।

क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम

765. श्री ई. अहमद:
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) प्रत्येक राज्य को विशेषकर केरल को जारी की गई वास्तविक राशि और स्वीकृति के लिए लम्बित राशि कितनी है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है; और

(च) प्रत्येक राज्य को शेष राशि कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी, हाँ। योजना का लक्ष्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त प्रावधान नहीं है, बुनियादी शैक्षिक अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करना है। वर्ष 1994 में शुरू इस योजना के लिए 13 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 4 जिलों और 325 ब्लॉकों का चयन किया गया है। अब तक योजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 4 जिलों और 229 ब्लॉकों को शामिल किया गया है।

(ग) योजना के लिए नवीं योजनावधि में 65.00 करोड़ रु. का आबंटन अनुमोदित किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग आबंटन नहीं किया गया है। राज्यों के लिए निधियों का आबंटन राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों और निधियों के उपयोग में हुई प्रगति पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) विवरण संलग्न है।

(च) राज्य सरकारों को योजना के अंतर्गत निधियों को आगे जारी किया जाना उपयोग प्रमाणपत्र तथा पूर्व में प्रदत्त अनुदानों के संबंध में वास्तविक प्रगति संबंधी रिपोर्टों के मिलने पर निर्भर करता है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्यों के नाम	प्रदत्त अनुदान	राज्य द्वारा उपयोग किया गया अनुदान
आंध्र प्रदेश	42.91	42.91
असम	87.85	–
बिहार	439.64	–
हरियाणा	41.51	2.08
कर्नाटक	290.98	207.45
केरल	223.46	101.88
मध्य प्रदेश	68.80	31.68
राजस्थान	273.875	143.63
तमिलनाडु	72.81	–
उत्तर प्रदेश	2245.275	908.125
प. बंगाल	552.51	94.50
कुल	4339.62	1532.255

[हिन्दी]

भर/राजभर जाति

766. श्री बब्बन राजभर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकालकर अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एन.बी.सी.सी. और इरकॉन में विवाद

767. श्री ब्रजभूषण शरण सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एन.बी.सी.सी. और इरकॉन (आई.आर.सी.ओ.एन.) के बीच भवन स्वामित्व विवाद से संबंधित मामले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विवाद को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सितंबर, 1989 में एन.बी.सी.सी. ने "इरकॉन" को एन.बी.सी.सी. टावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान आबंटित किया। दोनों के बीच हुए करार के अनुसार "इरकॉन" आबंटन के संबंध में अपनी देयताओं को पूरा करने में असफल रहा इसलिए एन.बी.सी.सी. द्वारा आबंटन रद्द कर दिया गया। इसी के कारण एन.बी.सी.सी. और "इरकॉन के बीच मौजूदा विवाद हुआ है। विवाद समिति (कमेटी आन डिस्प्यूट्स) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला डी.पी.ई. में पी.एम.ए. (पर्मनेन्ट मशीनरी ऑफ आरबिट्रीशन) को न्यायनिर्णयन के लिए भेज दिया। पी एम ए में एकमात्र आरबिट्रेटर ने निर्णय पारित करने के साथ-साथ एन.बी.सी.सी. द्वारा आबंटन खारिज करने को सही माना। "इरकॉन" ने विधि मंत्रालय में अपील की। अपील प्राधिकारी ने पी.एम.ए. में आरबिट्रेटर द्वारा पारित निर्णय को तत्वत: पुष्टि की। "इरकॉन" ने इस आदेश के खिलाफ एक पुनर्विलोकन याचिका (रिव्यू पेटीशन) दायर की है जो विधि मंत्रालय में पुनर्विलोकन प्राधिकारी के पास लंबित है।

[अनुवाद]

शरणार्थियों का पुनर्वास

768. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 1947 विभाजन के बाद के सभी शरणार्थी परिवारों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके शीघ्र पुनर्वास हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे सभी परिवारों का कब तक पुनर्वास कर दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) कुछेक अवशिष्ट स्कीमों, विशेष रूप से जो पश्चिम बंगाल राज्य में विस्थापित कालोनियों के विनियमन से संबंधित है को छोड़कर ऐसे शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास का कार्य पूरा किया जा चुका है।

कर्नाटक में पार्क परियोजना

769. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक की होलेनरसीपुर नगरपालिका पार्क परियोजना को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है।

[हिन्दी]

''वैदिक शिक्षा''

770. श्री रामशकल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैदिक शिक्षा की संरक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में स्थानवार कितने गुरुकुल हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितना धन खर्च किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार ने वैदिक अध्ययन की वाचिका परम्परा के संरक्षण, अनुरक्षण और विकास, पाठशाला और अन्य उपायों तथा संस्थाओं के माध्यम से वेद के अध्ययन के लिए 1987 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना (इसका नाम मई, 1993 में महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया था) एक स्वायत्त संगठन के रूप में की थी। यह प्रतिष्ठान इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रमों और कार्यकलापों को करने में लगा हुआ है।

(ग) प्रतिष्ठान से सहायता प्राप्त करने वाली पाठशालाओं/विद्यालयों/गुरुकुलों की संख्या अट्ठाइस है जिनकी स्थान सहित सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रतिष्ठान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पाठशालाओं/विद्यालयों/गुरुकुलों के अनुदान पर किया गया खर्च निम्न प्रकार है:

(रुपये लाख में)

1996-97	1997-98	1998-99
42.40	46.19	102.77

विवरण

वैदिक अध्ययन के लिए पाठशालाओं/विद्यालयों/गुरुकुलों के नाम तथा स्थान

1. असम वेद विद्यालय, गुवाहाटी (असम)
2. श्री अहोबित मठ संस्कृत विद्या अभिवर्धिनी सभा, चेन्नई (तमिलनाडु)
3. श्री स्वामी अखण्डानन्द संस्कृत महाविद्यालय, नासिक (महाराष्ट्र)
4. भारतीय चतुर्धाम वेद भवन न्यास, प्रयाग (उत्तर प्रदेश)
5. भारतीय चतुर्धाम वेद भवन न्यास, पुरी (उड़ीसा)।
6. भारतीय चतुर्धाम वेदभवन न्यास, द्वारका (गुजरात)।
7. श्री भुवनेश्वरी चैरिटीज ट्रस्ट, पुडुक्कोट्टई (तमिलनाडु)।
8. श्री बलराम वेद पाठशाला, श्री बाबाजी की कुई, बस्सी, जयपुर (राजस्थान)
9. श्री गुरुध्वज वासुदेव यज्ञनावल्कय वेद पाठशाला, पुरी (उड़ीसा)
10. गोविन्दगुडी अप्पाकुट्अी अय्यार चैरिटीज, कुम्बाकोनम (तमिलनाडु)।
11. श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय, रिवासा, सीकर (राजस्थान)
12. कामकोटि यजुर्वेद पाठशाला ब्रह्मस्वम, माधव, त्रिस्सूर (केरल)।
13. श्री मुनिकुल ब्रह्मचार्याश्रम वेद संस्थान, बारूदनी, भीलवाड़ा (राजस्थान)
14. श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केन्द्र वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
15. श्री राजवेद काव्य पाठशाला, कुम्बाकोनम (तमिलनाडु)
16. श्री रामानन्दाचार्य कन्या वेद पाठशाला, पुरी (उड़ीसा)
17. श्री रंगनाथ पादुका विद्यालय, श्री रंगम (तमिलनाडु)।

18. श्री संत ज्ञानेश्वर वेद विद्या प्रतिष्ठान,
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

19. श्री शंकरा विद्यालयम,
गुंटूर (आंध्र प्रदेश)

20. सर्वर्या एजुकेशनल ट्रस्ट,
काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)

21. श्री शारदापीठ विद्यासभा,
द्वारका (गुजरात)

22. श्री शुक्ला यजुर्वेद शास्त्रधरम पाठशाला,
कांचीपुरम् (तमिलनाडु)

23. श्री श्री सीतारामदास ओंकारनाथसंस्कृत शिक्षा संसद,
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

24. तंत्र विद्यापीठम,
आलवी (केरल)

25. वेदके माधम ब्रह्मस्वम,
त्रिचूर (केरल)

26. दि विद्यारान्य विद्यापीठ ट्रस्ट कमेटी,
होसपेट (कर्नाटक)

27. वेद पृष्ठ, पट्टाभिपुरम्,
गुंटूर (आंध्र प्रदेश)

28. वेद रक्षण समिति,
पालाकड (केरल)।

[अनुवाद]

आवास और अवसंरचनात्मक विकास

771. श्री चिंतामण वनगा: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1999-2000 के दौरान आवास और अवसंरचनात्मक विकास के लिए महाराष्ट्र को सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) शहरी आवास के लिए प्रत्यक्ष सहायता मुहैया कराने वाली केन्द्रीय क्षेत्र की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के टेक्नो-फाइनान्सिंग उद्यम आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न आवास एवं शहरी अवस्थापन स्कीमों हेतु संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे अनुसार 801.46 करोड़ रुपये के ऋण मुहैया कराए हैं।

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (मेगा सिटी स्कीम) के तहत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना अनुसार इस स्कीम के अधीन मुम्बई (महाराष्ट्र) में स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 19.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

केन्द्र प्रवर्तित छोटे एवं मझौले कस्बों के समेकित विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अधीन वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 16 कस्बों के लिए अब तक 345.74 लाख रुपये दिये गये हैं। जारी की गई केन्द्रीय सहायता का कस्बेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय शहरी अवस्थापना सहायता स्कीम (सी.यू.आई.एस.एस.) के अधीन आई.डी.एस.एम.टी. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो कस्बों अर्थात् गंगाखेड़ और सिलोड (प्रत्येक के लिए 0.51 लाख रुपये) के लिए 1.02 लाख रुपये दिये गये हैं।

विवरण I

हडको द्वारा वर्ष 1999-2000 (31.1.2000 तक) के दौरान महाराष्ट्र राज्य को स्वीकृत ऋण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम के प्रकार	स्वीकृत ऋण
1.	ई.डब्ल्यू.एस. (शहरी)	2261.20
2.	एल.आई.जी.	53.43
3.	एम.आई.जी.	49.60
4.	एच.आई.जी./अन्य	5166.01
5.	गैर-पारम्परिक	300.00
6.	दो मिलियन आवास कार्यक्रम	349.78
7.	समेकित कम लागत सफाई/बुनियादी सफाई	923.07
8.	शहरी अवस्थापना	71043.41
	कुल	80146.49

विवरण II

आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अधीन 23.2.2000 तक महाराष्ट्र राज्य के कस्बों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल होने का वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता
महाराष्ट्र			
1.	पचौरा	1993-94	24.00
2.	वरोरा	1993-94	24.00
3.	भुसावल	1993-94	55.25
4.	देगलर	1993-94	24.00
5.	मेहड	1994-95	09.00
6.	औसा	1994-95	12.00
7.	गिओराए	1994-95	18.00
8.	सावंतवाड़ी	1994-95	10.70
9.	अलीबाग	1994-95	14.31
10.	पुलगांव	1994-95	29.00
11.	उमरेद	1994-95	14.31
12.	मेहकर	1995-96	30.00
13.	कलम्ब	1995-96	16.00
14.	दरियापुर	1995-96	19.48
15.	संगोला	1996-97	30.00
16.	घटनजी	1996-97	16.00
	कुल		345.74

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड का निजीकरण

772. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड का विनिवेश/निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एड्स तथा अन्य संक्रामक बीमारियों के रोगियों के लिए कम दर पर गर्भनिरोधकों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) विनिवेश आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में विनिवेश इक्विटी 49 प्रतिशत तक करने का निश्चय किया है। इसलिए 51 प्रतिशत इक्विटी सरकार के पास बनी रहेगी। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड सरकारी उपक्रम बना रहेगा।

विनिवेश का एड्स और अन्य यौन संचारित रोगियों के लिए रियायती दर पर गर्भनिरोधकों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जनसंख्या नीति

773. **श्री भालचन्द्र यादव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई नई जनसंख्या नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या को स्थिर रखने में गैर-सरकारी संगठनों, पंचायतों तथा जिला परिषदों की क्या भूमिका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को सदन के पटल पर रखा जा रहा है। इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(1) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना और बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या हेतु एकीकृत सेवा प्रदान करना है।

(2) इस का मध्यावधि उद्देश्य अन्तर्क्षेत्रीय प्रचालनात्मक कार्यनीतियों के तीव्र कार्यान्वयन से कुल प्रजननता दर को सन् 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है।

(3) इसका दीर्घावधि उद्देश्य सन् 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर तक स्थिर करना है जो सतत् आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण की जरूरतों के अनुरूप हो।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या को स्थिर करने के प्रयास में पंचायतों और जिला परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीति में योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण की बात कही गई है ताकि पंचायतों की प्रतिनिधि समितियां ग्राम स्तर से ऊपर को क्षेत्र विशिष्ट, आवश्यकता आधारित, मांग आधारित सामाजिक-जनांकिकी योजनाओं का पता लगा सकें। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तरों पर एक ही जगह एकीकृत सेवा प्रदान करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पहले से ही लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत, बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था करने और इनको पहुँच बाह्य क्षेत्र में उपलब्ध कराने में सरकार को सहायता प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र, स्वैच्छिक क्षेत्र और प्राइवेट, निगमित क्षेत्र को मिलाकर एक संघ बनाने का विचार किया गया है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

774. श्री रामानंद सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्यालयों से अध्यापन के निरीक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) कितने विद्यालय स्कूल भवनों के बिना राज्य में चल रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे नवोदय विद्यालयों में स्टाफ संबंधी स्थिति निम्नलिखित हैं:

पद	संस्वीकृत	स्थिति	रिक्त
स्नातकोत्तर शिक्षक	318	254	64
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	392	347	45
विविध श्रेणियाँ	248	229	19
गैर शिक्षण	742	441	301

नियमित उम्मीदवारों की लम्बित भर्ती, शिक्षकों की रिक्तियां संविदा/अंशकालिक आधार पर नियुक्ति द्वारा भरी जाती हैं।

(ग) और (घ) इस समय राज्य में केवल सात नवोदय विद्यालय अस्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं। इसमें से छः विद्यालयों के भवन, निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। शेष एक नवोदय विद्यालय के लिए राज्य सरकार ने अभी तक जमीन हस्तांतरित नहीं की है।

गुरु घासी दास विश्वविद्यालय

775. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मध्य प्रदेश के बिलासपुर स्थित गुरु घासी दास विश्वविद्यालय को कितनी राशि का अनुदान प्राप्त हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है बशर्ते कि निधियाँ उपलब्ध हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को नौवीं योजना के लिए 205.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान मुक्त किये गये अनुदान निम्न प्रकार हैं:

(रुपए लाख में)

1997-98	59.56
1998-99	47.90
1999-2000 (18.2.2000 तक)	83.48

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए अलग विभाग

776. श्री प्रीतीराम सिंह रावि: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के दग्ध, हृदयरोग और हड्डीरोग विभागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के पंजीयन और परीक्षण की अलग व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। क्योंकि सफदरजंग अस्पताल में विकलांगता विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ तथा जलन विभाग के लिए चर्म-विशेषज्ञ के अलग से कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के स्वीकृत पद नहीं हैं। वित्तीय सीमाओं के कारण सरकार कोई नया पद स्वीकृत नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम

777. **श्री राजो सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को कितनी धनराशि जारी की गई और 2000-2001 के दौरान कितना आंबटन होने की संभावना है;

(ख) बिहार में अंधता प्रतिशतता दर क्या है; और

(ग) राज्य में अंधता प्रतिशतता में कमी लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 1999-2000 के दौरान बिहार को 105 लाख रुपये जारी किए गए हैं और 2000-2001 के लिए अनंतिम रूप से 132.50 लाख रुपए की निधियां आबंटित की गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986) में यथानुमानित बिहार में दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर 1.28 प्रतिशत थी।

(ग) बिहार में दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर कम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1. जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को सहायतानुदान,
2. नेत्र परिचर्या कार्मिकों के वेतनों के लिए राज्य को नकद अनुदान,
3. मोतियाबिन्द-शल्यचिकित्सा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहायतानुदान,
4. भारत सरकार से सामग्री के रूप में सहायता,
5. कार्मिकों का प्रशिक्षण और जन जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वतंत्रता सेनानी

778. **श्रीमती जयश्री बनर्जी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोवा स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय सम्मान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में कितने गोवा स्वतंत्रता सेनानी रह रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) वे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लिया था और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 में निर्धारित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं, उक्त योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के पहले ही हकदार है।

(ग) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

एस.एम.पी.यू. का हस्तांतरण

779. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने सर्वे ऑफ मेडिकल एलान्ट्स यूनिट (एस.एम.पी.यू.) को क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पुणे को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) औषधीय पादप यूनिट को पुणे स्थानान्तरित करने के औपचारिक आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रस्तावित स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

परिवार नियोजन आपरेशन

780. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन आपरेशन प्रोत्साहन उधार के आधार पर किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रोत्साहन उधार आधार पर आपरेशन करवा चुके परिवारों को कब तक प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन आपरेशन के लिए प्रोत्साहन का भुगतान उधार आधार पर नहीं किया जाता है। तथापि, प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रयुक्त राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण निधियों से राशि निकालने में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि प्रोत्साहन निधियां तुरन्त उपलब्ध नहीं थी। बाद में राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण निधि में प्रतिपूर्ति कर दी गई क्योंकि प्रोत्साहन खातों के लिए धनराशि जारी कर दी गई थी। उपर्युक्त समायोजन के कारण विलंबित भुगतान के छिट-पुट मामले ही हो सकते हैं।

(ग) चूंकि राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण और फिर प्रोत्साहन शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त से अधिक निधियां उपलब्ध कराई गई थीं। इसलिए यह प्रश्न लागू नहीं होता।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में त्रुटियां

781. **श्री मोहन रावले**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन में त्रुटियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियों और शिक्षण अध्ययन उपस्करों की खरीद और उसके वितरण में कुछ विलम्ब हुए हैं।

(ग) तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाई जाती हैं और राज्य शिक्षा सचिवों के साथ इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

रिहायशी आवासों का वाणिज्यिक उपयोग

782. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग सभी कालोनियों में डी.डी.ए. द्वारा आबंटित अनेक रिहायशी आवासों को आबंटियों ने वाणिज्यिक परिसर में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिहायशी आवासों के वाणिज्यिक उपयोग को रोकने हेतु किसी कृतिक दल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों, तोड़े गए निर्माणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के आबंटितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी डी ए ने रिपोर्ट दी है कि सन् 1999 में इसके द्वारा आवंटित मकानों का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण किए गए 16,900 डी डी ए फ्लैट्स, जो 14 कालोनियों में फैले हुए थे, में से केवल 360 मामलों में दुरुपयोग पाया गया।

(ख) जी, नहीं। तथापि, डी डी ए के आवास विभाग की प्रवर्तन शाखा इस कार्य को देख रही है।

(ग) और (घ) यादृच्छिक सर्वेक्षण के फलस्वरूप पता चले दुरुपयोग के 360 मामलों में से 20 मामलों में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

तथापि, अनधिकृत निर्माण के मामलों में उन्हें गिरा दिया जाता है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

783. श्री अनन्त नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किन-किन राज्यों में लागू की गई है;

(ख) उड़ीसा में यह योजना कब लागू की गई, और इसके अंतर्गत राज्यवार क्या सफलताएं प्राप्त हुईं;

(ग) क्या उड़ीसा में योजना बन्द कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंह राव गायकवाड पाटील): (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उड़ीसा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गई थी।

(ख) इस योजना के आरम्भ होने से अब तक उड़ीसा में 34,176 सभी लक्षित प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अध्ययन उपस्करों की खरीद के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं तथा एकल शिक्षक वाले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 14,112 अतिरिक्त पदों को संस्वीकृत किया गया है। जिन स्कूलों में छात्रों की नामांकन संख्या 100 से अधिक है उन प्राथमिक स्कूलों में 5258 पद तृतीय शिक्षक के भी संस्वीकृत किए गए। इसी प्रकार, 10023 उच्च प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अध्ययन सामग्री की खरीद हेतु निधियां जारी की गई तथा अतिरिक्त शिक्षकों के 10023 पद संस्वीकृत किए गए। इस योजना के तहत 5430 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का आयात

784. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान उर्वरक के आयात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सस्ता दर के उर्वरक के आयात का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण है। यूरिया का आयात सरकारी खाते में किया जाता है। अन्य प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी को अगस्त, 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और इन्हें क्रमश: दिनांक 17.9.92 और 17.6.93 से असरणीबद्ध कर दिया गया था। इनका आयात निजी व्यवसाय खाते में किया जाता है। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (जनवरी 2000 तक) में यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी का आयात इस प्रकार है:

(आंकड़े लाख मी. टन में)

वर्ष	यूरिया	डीएपी*	एमओपी*	योग
1998-99	5.56	21.05	25.70	52.31
1999-2000	5.33	31.48	26.18	62.99

*उपलब्ध सूचनानुसार

इस प्रकार यूरिया के आयातों में कमी तथा डी.ए.पी. व एम. ओ.पी. के आयातों के क्रमश: 49.55% और 1.87% वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में यूरिया के आयातों में कमी घरेलू उत्पादन में कमी के कारण हुई है। चालू वित्त वर्ष (13 फरवरी तक) 175.27 लाख मी. टन के लक्ष्य की तुलना में यूरिया का संचयी उत्पादन 175.54 लाख मी. टन हुआ है।

(ग) से (ङ) यूरिया के आयात, स्वदेशी उपलब्धता और मांग के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु किये जाते हैं। ये आयात तीन केनेलाइजिंग एजेंसियों अर्थात् एमएमटीसी, एसटीसी और इंडियन पोटाश लि. (आई पी एल) के माध्यम से किये जाते हैं जो इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर प्राप्त करती हैं। जहां तक नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का संबंध है, इनके आयात मुक्त हैं और इनकी आवश्यकता तथा सरकार की रियायत स्कीम के तहत निर्धारित रियायत की दरों तथा अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर्गत वहनीयता को देखते हुए किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राजभाषा

785. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) राजभाषा के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए पत्र-पत्रिकाओं और विचार गोष्ठियों के माध्यम से और विधि के मानक ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कराकर एक उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय सरकार की यह सुविचारित नीति रही है कि प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना द्वारा राजभाषा हिंदी का प्रयोग इसके कार्यालयों में करवाया जाय तदनुसार राजभाषा हिन्दी में कामकाज की गति बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा हिन्दी आशुलिपि, हिंदी टंकण तथा अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद का प्रशिक्षण देना,
2. विभिन्न राजभाषा संबधी समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं संगोष्ठियों का आयोजन करना,
3. टी वी तथा रेडियो स्पोर्ट्स का निर्माण व प्रसारण कराना,
4. राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण कराना,
5. वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,
6. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण कराना,
7. विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं का कार्यान्वयन करना, इत्यादि।

[अनुवाद]

कृतिक बलों का सृजन

786. श्री माधवराव सिंधिया:
डा. वी. सरोजा:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के दूसरे भागों में सक्रिय नक्सलवादी, पी डब्ल्यू जी और दूसरे उग्रवादी और अलगाववादी ग्रुपों से कारगर ढंग से निबटने के लिए कोई कृतिक बल अथवा विशेष समन्वित सुरक्षा बल समूह सृजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है जहां उग्रवादियों ने बहुत अधिक तबाही मचाई;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद के पनपने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई व्यापक अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) सरकार द्वारा देश में इतने बड़े जनसंहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने, वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की पुनरीक्षा करने, प्रत्येक राज्य के संबंध में कार्य-योजना का प्रबोधन करने तथा विकास और समस्या के सुरक्षा पहलु, दोनों के बारे में सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को इसके सदस्यों के रूप में लेकर, एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की है। समन्वय केन्द्र ने इस बारे में अनेक बैठकें की हैं।

(ग) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं हुई हैं:

(1) 3 फरवरी, 1999 को, पी डब्ल्यू उग्रवादियों ने अम्बेदा पुलिस स्टेशन, जिला कानकर, उत्तरी बस्तर में अम्बेदा-नारायणपुर सड़क पर एक पुलिस पार्टी पर घात लगाई जिसमें एक कम्पनी कमान्डर सहित 3 पुलिस कार्मिक मारे गए।

(2) 20 फरवरी 2000 को पी डब्ल्यू के उग्रवादियों ने नारायणपुर कुतुल सड़क, नारायणपुर, जिला बस्तर पर एक बारूदी सुरंग का विस्फोट किया जिससे 23 व्यक्तियों (पुलिस कार्मिक-20, सिविलियन-3) की मृत्यु हो गई।

(घ) और (ड) गृह मंत्रालय ने, प्रभावित राज्यों में समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन रणनीतियां और कार्य योजनाएं सुझाने के लिए वामपंथी उग्रवाद पर एक कार्य ग्रुप का गठन किया था जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि थे। इस कार्य ग्रुप की रिपोर्ट इस अनुरोध के साथ राज्यों को भेजी गई कि वे प्रभावित क्षेत्रों के बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करें और लोक शिकायतों को दूर करने, बेहतर आवागमन के लिए पर्याप्त सड़क सम्पर्क स्थापित करने, रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर जोर देने, पंचायत राज प्रणाली को सुदृढ़ करने, पर्याप्त भूमि सुधार, आदिवासियों की भूमि को बहाल करने, ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यक्रम बनाने इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में सशक्तिशील कार्ययोजना के आधार पर समस्या को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए।

(च) सरकार, उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को नियमित रूप से सुग्राही बना रही हैं। आसूचना का आदान-प्रदान नियमित आधार पर किया जाता है और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देकर और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के रूप में सहायता दी जाती है।

"लोक व्यवस्था और पुलिस" राज्य के विषय हैं अतः उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। तथापि राज्य पुलिस बल को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है।

विस्थापित व्यक्ति

787. **श्री अमर राव प्रधान:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनकी भूमि तथा मकान वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने, तथा सड़क परियोजना हेतु अधिगृहीत किए गए थे;

(ख) क्या इस तरह के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार तथा अन्य सहायता प्रदान करने हेतु कोई जांच समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान समिति ने कितने व्यक्तियों को रोजगार तथा सहायता दिए जाने की सिफारिश की थी तथा इनमें से कितने व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

788. **श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री अशोक अर्गल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय लाभार्थियों/सरकारी पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय उन शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पेंशन लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ है जहाँ वे कार्यरत हैं।

(ख) ब्यौरा विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालय संबंधी एस.आई.यू. रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर सरकार विचार कर रही है। तथापि, वित्तीय तंगी के कारण इस समय कोई नया औषधालय खोलना संभव नहीं है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की अवस्थिति

नगर	अवस्थिति	
1	2	
इलाहाबाद	1. 41, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद	एलोपैथिक
	2. 2/6, ड्रुमंड रोड, इलाहाबाद	–तदैव–
	3. 1130–1130ए, कल्याणीदेवी, इलाहाबाद	–तदैव–
	4. 9, बैंक रोड, इलाहाबाद	–तदैव–
	5. केन्द्रांचल कालोनी, धूमरगंज, इलाहाबाद	–तदैव–
	6. बंशीधर मार्केट, ऊंचा मंडी, इलाहाबाद	–तदैव–
	7. 7–97, इंडस्ट्रीयल एरिया कालोनी, नैनी, इलाहाबाद	–तदैव–
	8. संगम प्लेस, एडीए बिल्डिंग नं. 2, क्लाइव रोड, इलाहाबाद	एक होम्योपैथी एवं एक आयुर्वेदिक
लखनऊ	1. मेवा नर्सरी, 372/12, निशातगंज, लखनऊ	एलोपैथिक
	2. स्काईलार्क बिल्डिंग, एन.के. रोड, लखनऊ	–तदैव–
	3. 21, पटेल नगर, आलमबाग, लखनऊ	–तदैव–
	4. नक्खास मार्केट, लखनऊ	एक एलोपैथिक एवं एक यूनानी
	5. 70, माल एवेन्यू, लखनऊ	एक एलोपैथिक एवं एक आयुर्वेदिक
	6. सेक्टर 8, अलीगंज, ईएसआई/10 सीतापुर रोड योजना, लखनऊ	एलोपैथिक
	7. प्रताप बाग, लखनऊ	होम्योपैथिक
	8. एन.के. रोड, लखनऊ	पॉलीक्लीनिक
कानपुर	1. 126/टी/9, गोविन्द नगर, कानपुर	एलोपैथिक
	2. 110/58, आर.के. नगर, कानपुर	–तदैव–

1	2		
	3.	15/45, ए एंड बी सिविल लाइन्स, कानपुर	एलोपैथिक
	4.	ई/15, खपड़ा महल, कानपुर	-तदैव-
	5.	89, गांधीग्राम, कानपुर	-तदैव-
	6.	128/123 एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर	-तदैव-
	7.	117/एच-2/183, पांडु नगर, कानपुर	-तदैव-
	8.	2ए/186, आजाद नगर, कानपुर	-तदैव-
	9.	155/जेड-1, बाड़ा, कानपुर	-तदैव-
	10.	126/टी/9, गोविन्द नगर, कानपुर	एक होम्योपैथिक एवं एक आयुर्वेदिक
	11.	15/45 ए एंड बी, सिविल लाइन्स, कानपुर	होम्योपैथिक
मेरठ	1.	171/बी, आबू लेन, मेरठ कैंट	एक एलोपैथिक एवं एक आयुर्वेदिक
	2.	154 वेस्टर्न कचहरी रोड, विजय नगर, मेरठ	एक एलोपैथिक एवं एक होम्योपैथिक
	3.	124 आवास विकास कालोनी, मोहनपुर मेरठ	एलोपैथिक
	4.	लेखा नगर, मेरठ	-तदैव-
	5.	कंकर खेड़ा, मेरठ	-तदैव-
	6.	एस.के. रोड, मेरठ	-तदैव-
जबलपुर	1.	323-नेपियर टाउन, रसल चौक, जबलपुर	एलोपैथिक
	2.	क्वा नं. 9, 10, 11 एवं 12, टाइप-2 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स कालोनी, गरहा रोड, जबलपुर	-तदैव-
	3.	1570, सिविल लाइन्स, नियर नवयुग कालेज, जबलपुर	-तदैव-

[अनुवाद]

नई औषधियों तथा आसवों को तैयार किया जाना

789. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा कुछ अन्य देशों में मच्छरों के खतरे से निपटने हेतु आधुनिक तकनीकों से नई औषधियों तथा आसवों को तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस प्रयोग में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन नई औषधियों तथा आसवों की देश में बिक्री की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित की गई पंजीयन समिति देश में आयात, विनिर्माण, बिक्री अथवा इस्तेमाल हेतु नाशकजीवमार/कीटनाशियों का पंजीयन करती है। भारत में आधुनिक तकनीकों से विकसित किए गए कीटनाशियों के निम्नलिखित लिक्विड फार्मूलेशन मच्छरों के संकट से निपटने के लिए देश में इस्तेमाल हेतु उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं:

(1) एलेथ्रिन 3.6 प्रतिशत एल, 0.5 प्रतिशत एरोसोल

(2) प्रालेथ्रिन 0.8 प्रति एल वी, 1.6 प्रतिशत एल

(3) प्रोपॉक्जर 2 प्रतिशत एरोसोल, 1 प्रतिशत एरोसोल

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित लिक्विड फार्मूलेशन प्राप्त किये जाते हैं और मच्छर वाहित रोगों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं:

लार्वानाशक

फेंथियन और टेक्फास

एडल्टीसाइड

मलाथियन (तकनीकी), सिंथेटिक पाइरेथ्रायड्स

मलेरिया रोधी औषधें

इंजेक्शन क्वीनीन, इंजेक्टेबल रूपों में आर्टिमिसीनीन डेरिवेटिव्ज

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

790. **श्री रामचन्द्र पासवान:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लगातार वृद्धि को देखते हुए सरकार ने सीमा पार से समर्थित आतंकवाद से निपटने तथा ऐसे देश और संगठनों को आतंकवाद का समर्थन करने वाले अभिकर्त्ताओं के रूप में घोषित करने हेतु कोई विचारशील नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन मजबूत करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में प्रतिकारक कार्रवाई करके उनके इरादों को निष्क्रय करना, उग्रवाद के विरुद्ध किये जा रहे प्रयासों का व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यक्रमों को तेज करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना, इत्यादि शामिल है।

सरकार ने, भारत के विरुद्ध सीमा पार से आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी में समुचित और प्रभावकारी ढंग से ला दिया है। हमने उच्चतम स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे के बारे में बातचीत की है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया है। हमने स्पष्ट और साफ-साफ तौर पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान अपनी एक नीति के तहत सीमा पार से भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है। हमारे इस दृष्टिकोण को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पहले से अधिक जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात को मानने लगा है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश है।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों में मरम्मत कार्य

791. **श्री भेरूलाल मीणा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोल मार्किट, काली बाड़ी और लोधी काम्पलेक्स क्षेत्रों में अधिकांश बहु-मंजिले फ्लैटों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन फ्लैटों का मरम्मत कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। गोल मार्केट और कालीबाड़ी के बहुमंजिली फ्लैटों में किसी भी क्वार्टर को खतरे वाला घोषित नहीं किया गया है। तथापि, लोधी रोड, कांपलेक्स में स्थित 2115 टाईप-सी फ्लैटों के अधिकांशत: सबसे ऊपर की मंजिल के मात्र 254 फ्लैटों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) इन फ्लैटों की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और जून 2001 तक मरम्मत कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

पेयजल परियोजनाएं

792. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के रांची में पेयजल आपूर्ति और मल-जल व्ययन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा इन परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) पेयजल आपूर्ति और मल-जल व्ययन राज्य का विषय होने के कारण आवश्यक जल आपूर्ति और मल-जल व्ययन योजनाएं बनाना राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) की केवल एक ही केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है जो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार रांची शहरी क्षेत्र की आबादी 6,14,795 है और इसलिए यह उपर्युक्त कार्यक्रम के अधीन पात्र नहीं है। अत: केन्द्र प्रवर्तित स्कीम ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना में रांची को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता। नौवीं पंचवर्षीय योजना में रांची के लिए पेयजल और मल-जल व्ययन परियोजनाएं शामिल करने का इस मंत्रालय के पास कोई अन्य प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुलिस की भूमिका

793. **श्री वैको:**
डा. वी. सरोजा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस की भूमिका का मूल्यांकन करने हेतु किसी पैनल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैनल द्वारा अपनी सिफारिशें पेश कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) नई सहस्त्राब्दी में पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करने, उन्हें विनिर्दिष्ट करने और उनसे पर्याप्त रूप से निपटने के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए 5 जनवरी, 2000 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

खेल कानून

794. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेल-वार विभिन्न खेलों से संबधित विभिन्न कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुनिया के अन्य देशों के खेल कानूनों को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुकदेव सिंह ढिंडसा): (क) भारत सरकार ने देश में खेलों को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानून लागू नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय

795. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री आर.एल. भाटिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव के कारण देश में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेलवे स्टेशनों में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण तस्करी और जाली नोटों का व्यापार बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान कितने मूल्य के जाली नोटों को जब्त किया गया है;

(घ) क्या सरकार देश में बढ़ती आतंकवादी और तस्करी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु कोई उपचारात्मक कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की कमी

796. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री कृष्णमराजू:
श्री रिज़वान जहीर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और गुड़गांव स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त औषधालयों में औषधियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी नहीं। दैनिक जरूरत के लिए सामान्यतया इस्तेमाल की जाने वाली केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फारमुलरी दवाइयां दिल्ली और गुड़गांव के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध रहती हैं। विशेषज्ञों द्वारा लिखी गयी दवाइयां जो इन औषधालयों में उपलब्ध नहीं रहती हैं, वैयक्तिक नुस्खे के आधार पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से प्राप्त की जाती हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सप्लाई किया जाता है। आपात मामलों में लाभार्थियों को प्राधिकार पर्ची जारी की जाती हैं ताकि दवाइयां सीधे प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से बगैर भुगतान किए प्राप्त की जा सके।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

797. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं एवं प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम-ये तीनों योजनाएं चालू थी। इस अवधि के दौरान इन योजनाओं पर राज्यवार खर्च की गई कुल राशि संलग्न विवरण-I, II तथा III में दी हुई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य एवं हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV, V, VI के रूप में संलग्न है।

विवरण I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू रोजगार योजना के तहत व्यय की गई केन्द्रीय निधियां

(30.11.1997 अर्थात् योजना के समाप्त होने तक)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	खर्च की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2623.18
2.	अरूणाचल प्रदेश	166.84
3.	असम	713.31
4.	बिहार	2172.85
5.	गोवा	85.49
6.	गुजरात	899.04
7.	हरियाणा	554.65
8.	हिमाचल प्रदेश	311.54
9.	जम्मू और कश्मीर	388.24
10.	कर्नाटक	1748.40
11.	केरल	1086.15
12.	मध्य प्रदेश	2735.11
13.	महाराष्ट्र	2994.48
14.	मणिपुर	261.16
15.	मेघालय	144.92
16.	मिजोरम	124.53
17.	नागालैंड	68.35
18.	उड़ीसा	826.55
19.	पंजाब	814.69
20.	राजस्थान	1652.17
21.	सिक्किम	144.19
22.	तमिलनाडु	3025.83
23.	त्रिपुरा	127.77
24.	उत्तर प्रदेश	6851.62
25.	प. बंगाल	1752.38
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	75.64
27.	चंडीगढ़	68.23
28.	दादर एवं नागर हवेली	45.52
29.	दमन एवं द्वीव	82.42
30.	दिल्ली	88.00
31.	पांडिचेरी	75.50
	कुल	32615.75

विवरण II

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार खर्च की गई राशि का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक खर्च की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1223.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.50

1	2	3
3.	असम	106.35
4.	बिहार	819.13
5.	गोवा	90.00
6.	गुजरात	486.60
7.	हरियाणा	157.95
8.	हिमाचल प्रदेश	79.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	46.00
10.	कर्नाटक	758.10
11.	केरल	421.93
12.	मध्य प्रदेश	962.35
13.	महाराष्ट्र	1096.59
14.	मणिपुर	90.00
15.	मेघालय	93.10
16.	मिजोरम	96.60
17.	नागालैंड	35.00
18.	उड़ीसा	250.30
19.	पंजाब	216.60
20.	राजस्थान	570.95
21.	सिक्किम	73.50
22.	तमिलनाडु	1229.65
23.	त्रिपुरा	87.25
24.	उत्तर प्रदेश	2070.03
25.	प. बंगाल	944.97
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	78.40
27.	चंडीगढ़	67.65
28.	दादर एवं नागर हवेली	92.10
29.	दमन एवं द्वीव	46.35
30.	दिल्ली	142.85
31.	पांडिचेरी	54.20
	कुल	12527.50

विवरण III

प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक खर्च की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	खर्च किया गया केन्द्र का हिस्सा
1.	आंध्र प्रदेश	1846.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	163.91
3.	असम	580.73
4.	बिहार	1262.04
5.	गोवा	148.56
6.	गुजरात	899.14
7.	हरियाणा	286.71
8.	हिमाचल प्रदेश	178.21
9.	जम्मू और कश्मीर	264.77
10.	कर्नाटक	977.71
11.	केरल	449.44
12.	मध्य प्रदेश	1210.65
13.	महाराष्ट्र	1461.51
14.	मणिपुर	117.08
15.	मेघालय	81.55
16.	मिजोरम	47.25
17.	नागालैंड	231.83
18.	उड़ीसा	414.71
19.	पंजाब	576.85
20.	राजस्थान	953.45
21.	सिक्किम	75.65
22.	तमिलनाडु	1693.38
23.	त्रिपुरा	46.82
24.	उत्तर प्रदेश	2469.06
25.	प. बंगाल	1069.92
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	80.00
27.	पांडिचेरी	60.00
	कुल	17640.00

विवरण IV

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू रोजगार योजना के तहत वास्तविक लागत एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	एस.यू.एम.ई. लाभार्थियों की सं.		एस.यू.डब्ल्यू.ई. सृजित कार्य दिवस		एस.एच.ए.एस.यू. उन्नत किए गए आवास	
		(टी)	(ए)	(टी)	(ए)	(टी)	(ए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5528	83224	14.10	12.60	59903	26060
2.	अरूणाचल प्रदेश	611	853	0.67	2.20	2750	—
3.	असम	6095	16693	5.60	5.07	11070	6948
4.	बिहार	26374	16441	17.58	34.39	52505	22703
5.	गोवा	336	450	1.74	0.73	1129	—
6.	गुजरात	1250	8054	5.65	6.01	27888	508
7.	हरियाणा	7427	10804	3.56	5.20	6267	2735
8.	हिमाचल प्रदेश	2565	1632	1.72	2.98	6340	—
9.	जम्मू तथा कश्मीर	3535	5661	2.06	4.57	8104	3641
10.	कर्नाटक	19573	36540	14.79	25.36	50129	8277
11.	केरल	17388	14553	6.59	3.07	25445	80294
12.	मध्य प्रदेश	53778	103081	17.24	22.94	51443	—
13.	महाराष्ट्र	51030	67651	21.27	26.29	57235	6200
14.	मणिपुर	2234	4791	1.63	3.23	3984	385
15.	मेघालय	773	1954	0.75	0.76	2873	203
16.	मिजोरम	814	740	0.67	12.35	1744	2650
17.	नागालैंड	—	—	—	—	3736	—
18.	उड़ीसा	11391	15791	6.98	8.58	15284	7735
19.	पंजाब	11501	16650	7.01	5.80	13131	11751
20.	राजस्थान	22477	47519	13.92	11.61	30005	—
21.	सिक्किम	1337	914	0.58	1.51	2358	—
22.	तमिलनाडु	71831	92740	18.57	18.24	60784	45142
23.	त्रिपुरा	1027	641	1.26	0.87	1744	1004
24.	उत्तर प्रदेश	120967	169492	51.52	77.69	125964	44540

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	प. बंगाल	29256	40146	11.19	59.63	48551	37181
26.	अंडमान निकोबार द्वी.स.	628	608	0.15	0.16	1143	—
27.	चंडीगढ़	145	398	0.82	0.36	1130	—
28.	दादर नगर हवेली	95	187	0.11	0.13	813	45
29.	दमन एवं द्वीव	112	245	0.54	0.87	1243	—
30.	दिल्ली	2705	1930	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	337	1918	0.35	0.82	1625	—
	कुल	473120	762301	228.62	354.02	676320	308002

टी = लक्ष्य
ए = उपलब्धियाँ

विवरण V

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू.बी.एस.पी.)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्यवार लाभार्थियों का ब्यौरा (31.3.97 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	लाभार्थियों की सं. (हजार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	753
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	174
4.	बिहार	290
5.	गोवा	31
6.	गुजरात	304
7.	हरियाणा	70
8.	हिमाचल प्रदेश	13
9.	जम्मू-कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	279
11.	केरल	549
12.	मध्य प्रदेश	420
13.	महाराष्ट्र	981
14.	मणिपुर	20
15.	मेघालय	15
16.	मिजोरम	100
17.	नागालैंड	-
18.	उड़ीसा	109
19.	पंजाब	223
20.	राजस्थान	433
21.	सिक्किम	10
22.	तमिलनाडु	15
23.	त्रिपुरा	723
24.	उत्तर प्रदेश	906
25.	प. बंगाल	559

1	2	3
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	28
27.	चंडीगढ़	60
28.	दादर नगर हवेली	12
29.	दमन एवं दीव	1
30.	दिल्ली	388
31.	पांडिचेरी	101
	कुल	7572

लक्ष्य: इस अवधि के दौरान इस योजना के तहत (पूरे देश में) 70 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि 75.72 लाख लोगों को लाभ मिला।

विवरण VI

पी.एम.आई., यू.पी.ई.पी. के तहत वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक राज्यवार वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रदेश का नाम	स्वरोजगार घटक के तहत लाभार्थियों की सं.	उन्नत आश्रय घटक के तहत लाभार्थियों की सं.	माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किए गए लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1368	152	1157
2.	अरूणाचल प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर
3.	असम	एनआर	एनआर	एनआर
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर
5.	गोवा	136	शून्य	308
6.	गुजरात	एनआर	एनआर	एनआर
7.	हरियाणा	एनआर	1090	एनआर
8.	हिमाचल प्रदेश	23	शून्य	52
9.	जम्मू तथा कश्मीर	30	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	907	1650	1113
12.	मध्य प्रदेश	4155	297	3618
13.	महाराष्ट्र	415	625	एनआर
14.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	100

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	एनआर	एनआर	एनआर
18.	उड़ीसा	466	एनआर	273
19.	पंजाब	481	91	208
20.	राजस्थान	1436	शून्य	2295
21.	सिक्किम	25	शून्य	345
22.	तमिलनाडु	1144	शून्य	1599
23.	त्रिपुरा	253	139	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1142	8469	444
25.	प. बंगाल	625	1183	1402
26.	अंडमान निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
27.	पांडिचेरी	39	25	एनआर
	कुल	12645	13721	12914

एनआर - रिपोर्ट नहीं

लक्ष्य - 5 वर्षों (1995-96 से 1999-2000) तक के दौरान इस योजना के तहत 50 लाख शहरी गरीबों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।

[हिन्दी]

आदिवासी महिलाओं का उत्थान

798. श्री रामदास आठवले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के विशेष रूप से मुरेना और दतिया में रह रही बेरिया जनजाति की लड़कियों और स्त्रियां देह व्यापार में लिप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो देह व्यापार में लिप्त आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा संबधी मामलों और खेलों का विकास

799. श्री धर्म राज सिंह पटेल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा संबंधी मामलों और खेलों के विकास पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की देश में खेल नीति बनाने और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने संबंधी भावी योजना क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) जी, हाँ। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की अनेक योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। खेल प्रभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ग्रामीण

खेल कार्यक्रम योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, खेल मैदान का विकास तथा गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना हैं। इसी प्रकार युवा कार्यक्रम प्रभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं-पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों का संवर्धन, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के एक संजाल के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, पल्स पोलियो, गंदगी और बीमारियों के विरुद्ध युवा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसी प्रकार नेहरू युवा केन्द्र संगठन देश के प्रत्येक जिले में अपने केन्द्रों के संजाल के माध्यम से गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं को उनके व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए अवसर प्रदान करने के अलावा, राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

मलेरिया से मृत्यु

800. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''मलेरिया स्कीम: टॉल क्लेम्स, लिटिल रिजल्ट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार मलेरिया से कितने व्यक्ति मारे गए;

(ङ) क्या सरकार को मलेरिया के उन्मूलन हेतु सहायता के संबंध में राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा कार्यक्रम में सुधार करने तथा मलेरिया का उन्मूलन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी हां। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से 1992-97 की अवधि के बारे में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हाल ही में सरकार को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

(1) मलेरिया की घटनाओं में 1992-97 की अवधि में बढ़ोत्तरी हुई है।

(2) वार्षिक रक्त परीक्षण दर के माध्यम से सूचित निगरानी सूचक संतोषजनक पाया गया था।

(3) परजीवी नियंत्रण के लिए अपेक्षित छिड़काव कार्य में कमी आई।

(4) मलेरिया रोगियों को उपचार प्रदान करने में कमियां देखी गईं।

(5) प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी थी।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी आधारित श्रेणी II केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनिवार्यत: वस्तुगत है। तथापि, दिसम्बर 1994 से पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सात प्रायद्वीपीय राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मलेरिया के उच्च स्थानिकमारी वाले 100 आदिवासी बहुल जिलों और इन राज्यों में तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में) मलेरिया के उच्च स्थानिकमारिता वाले 19 शहरों/नगरों के लिए ही विश्व बैंक की सहायता से सितम्बर 1997 से एक वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना भी चलाई जा रही है ताकि विविध कार्यकलापों के अतिरिक्त निवेश से मलेरिया नियंत्रण कार्यों को तेज किया जा सके, जो इस प्रकार हैं:

- नई औषधियों और त्वरित नैदानिक किटों का उपयोग करके रोगियों का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और उन्हें उपचार प्रदान करना।

- चुनिंदा रोग नियंत्रण उपाय जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स और शहरी क्षेत्र में बायोलार्वासाइड्स का प्रयोग करना भी शामिल है।

- औषधयुक्त मच्छरदानियों के प्रयोग से वैयक्तिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।

- महामारी का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और उसे रोकना।

- वैयक्तिक रोकथाम और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप।

- सभी स्तरों पर गहन अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संस्थागत और प्रबंध क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकास तथा कुशल प्रबंध सूचना प्रणाली।

कार्यक्रम विकास की वार्षिक समीक्षा करना वृहद् मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।

विवरण I

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष (1996-97, 1997-98, 1998-99) के दौरान प्रदान किए गए केन्द्रीय अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	634.63	617	482.93
अरूणाचल प्रदेश	126.9	297.5	186.61
असम	1660.83	2618	2170.42
बिहार	206.76	348.98	403.05
गोवा	3.46	5.18	7.72
गुजरात	471.75	726.77	611.11
हरियाणा	327.77	291.08	260.39
हिमाचल प्रदेश	118.33	90.84	51.47
जम्मू एवं कश्मीर	120.62	78.62	72.57
कर्नाटक	853.62	568.62	264.47
केरल	53.65	63.6	102.73
मध्य प्रदेश	769.35	1072.77	454.49
महाराष्ट्र	2405.71	1028.44	260.26
मणिपुर	303.28	273.91	377.34
मेघालय	222.93	196.96	231.55
मिज़ोरम	106.07	132	172.53

1	2	3	4
नागालैंड	122.45	212.62	183.34
उड़ीसा	248.15	233.43	385.14
पंजाब	282.79	183.26	290.67
राजस्थान	2025.35	1799.74	1994.15
सिक्किम	39.34	1.77	8.47
तमिलनाडु	150.39	204.88	240.72
त्रिपुरा	300.67	414.05	356.97
उत्तर प्रदेश	941.71	505.73	1121.92
प. बंगाल	772.7	125.71	330.9
संघ राज्य क्षेत्र			
अं. व नि. द्वीप समूह	94.04	93.83	155.68
चंडीगढ़	46.33	48.53	44.3
दादरा व नागर हवेली	12.73	24.75	24.9
दमन एवं द्वीव	8.8	12.37	10.08
दिल्ली	117.88	66.04	37.21
लक्षद्वीप	2.1	3.48	5.24
पांडिचेरी	16.12	12.48	6.15
कुल	13567.21	12353.94	11305.5

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण

(रुपये लाखों में)

1	2
आंध्र प्रदेश	322.86
अरूणाचल प्रदेश	303.27
असम	2267.01
बिहार	481.35
गोवा	10.93
गुजरात	489.04
हरियाणा	259.03
हिमाचल प्रदेश	46.11
जम्मू व कश्मीर	52.73
कर्नाटक	662.66
केरल	117.72
मध्य प्रदेश	893.40
महाराष्ट्र	282.97
मणिपुर	403.05

1	2
मेघालय	306.70
मिजोरम	309.56
नागालैंड	240.83
उड़ीसा	329.67
पंजाब	288.96
राजस्थान	1146.16
सिक्किम	11.65
तमिलनाडु	392.31
त्रिपुरा	375.89
उत्तर प्रदेश	622.18
पं. बंगाल	296.36
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	116.46
चंडीगढ़	47.25
दादरा एवं नागर हवेली	25.94
दमन एवं द्वीव	16.42
दिल्ली	75.40
लक्षद्वीप	5.81
पांडिचेरी	10.32
कुल	11210.00

विवरण II

वर्ष 1996, 1997, 1998 एवं 1999 (अनंतिम) के दौरान मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996	1997	1998	1999 अनं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15	14	12	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	3	2	0
3.	असम	58	27	34	107
4.	बिहार	100	37	34	32
5.	गोवा	10	57	19	16
6.	गुजरात	6	37	3	6
7.	हरियाणा	26	—	—	0
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	0
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	0
10.	कर्नाटक	13	7	3	8
11.	केरल	12	10	9	7
12.	मध्य प्रदेश	55	58	26	16
13.	महाराष्ट्र	111	98	62	18

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	3	1	1	8
15.	मेघालय	45	11	2	0
16.	मिजोरम	20	41	56	68
17.	नागालैंड	—	—	—	12
18.	उड़ीसा	362	377	349	279
19.	पंजाब	5	—	—	0
20.	राजस्थान	90	4	—	0
21.	सिक्किम	—	—	—	0
22.	तमिलनाडु	7	2	2	0
23.	त्रिपुरा	16	10	5	0
24.	उत्तर प्रदेश	—	11	—	0
25.	प. बंगाल	56	74	77	136
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अं. नि. द्वीप समूह	—	—	—	2
2.	चंडीगढ़	—	—	—	0
3.	दा.ना. हवेली	—	—	—	0
4.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	0
5.	दिल्ली	—	—	—	0
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	0
7.	पांडिचेरी	—	—	—	0
	कुल	1010	879	696	726

(25.01.2000 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हैं)

[हिन्दी]

दहेज संबंधी शिकायतें

801. **श्री राज नारायण पासी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा को विवाह पूर्व और विवाह पश्चात दहेज संबंधी वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितनी शिकायतें मिली है;

(ख) इन शिकायतों में से कितनी शिकायतों की उचित पूछताछ, जांच पड़ताल और वास्तविकता का पता लगाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है;

(ग) उचित पूछताछ, जांच पड़ताल किए बिना और वास्तविकता का पता लगाए बिना कितनी शिकायतों की अलग-अलग वर्ष-वार और थाना-वार प्राथमिकी दर्ज की गई है;

(घ) महिला अपराध प्रकोष्ठ में किसी दहेज संबंधी शिकायत के बारे में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त मानदंडों का पालन सख्ती से किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उचित जांच के बगैर कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।

(घ) से (च) ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टों को तभी दर्ज किया जाता है जब कि जांच के बाद किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता हो और/या दोनों पार्टियों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण सुलह नहीं हो पाती है। इन मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जाता है।

विवरण

वर्ष	विवाह से पहले	विवाह के पश्चात्	दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या
1997	16	12671	874
1998	19	13583	813
1999	17	12039	1017
2000 (15.2.2000 तक)	02	767	87

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती

802. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः**
श्री राम मोहन गाड्डेः
श्री शिवाजी मानेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 2000 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में 'इंडिया फार पैरामिलिटरी फोर्सिस आन नेपाल बोर्डर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समचार में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के सीमावर्ती राज्यों में आई एस आई की गतिविधियों को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत-नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से वीजा मुक्त यात्रा शासन-प्रणाली के साथ एक खुली सीमा रही है। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से हाल में इस खुली सीमा का दुरुपयोग करने संबंधी घटनाओं को देखते हुए, महामहिम नेपाल की सरकार और भारत सरकार की संबंधित एजेंसियां नियमित रूप से सीधे और द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों जैसे कि सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्यदल और गृह सचिव स्तरीय बातचीत के द्वारा संपर्क में रही है। सीमा प्रबंधन पर भारत-नेपाल संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक काठमांडू में 1-3 फरवरी, 2000 को हुई। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्र को एक दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध प्रयोग करने को छूट न देने के अपने संकल्प को दोहराया। हमारी तरफ केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की तैनाती करने समेत सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों पर व्यापक और समन्वित गश्त लगाने की आवश्यकता पर, भारत-नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और सीमा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं के लिए ये सुविधा जारी रहे, चर्चा की गई।

(ग) सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें भारत-पाक और भारत बंगलादेश सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती, सीमा निगरानी चौकियों का निर्माण कटिदार बाड़/फ्लड लाईट का लगाना तथा विध्वंसकारी

गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष उपकरण, जैसे कि नाईट-विजन डिवाईसिज उपलब्ध कराना, शामिल है ताकि देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अधिक चौकसी रखी जा सके। जहां तक भारत-नेपाल सीमा का संबंध है, संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके एक कार्य योजना तैयार की गई है जिससे कि सीमा को संवेदनशील क्षेत्रों में एक केन्द्रीय पुलिस संगठन तैनात करने सहित सीमा पर पुलिस व्यवस्था और आसूचना संग्रहण को मजबूत किया जा सके।

कम्पैक्ट विश्वविद्यालय

803. श्री ए. ब्रह्मनैया:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुसम्बद्ध (कॉम्पैक्ट) विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई अध्ययन दल गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उक्त दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए और अधिक सुसम्बद्ध विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वास्थ्य परियोजनाएं

804. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री एम.के. सुब्बा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उपर्युक्त प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) देश में 1962 से कार्यान्वित किये जा रहे राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को 447 जिला क्षयरोग केन्द्रों और 330 क्षयरोग क्लीनिकों जो रोगियों को क्षयरोग औषधों की मुफ्त सप्लाई सहित मुफ्त निदान और उपचार प्रदान करते हैं, के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में समेकित किया गया है। अल्पकालिक रसायन चिकित्सा कोर्स जिसमें उपचार की अवधि कम करने का उल्लेख है, को 292 जिलों में शुरू किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 70% पहचान और 85% रोगमुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से डाट्स की संशोधित कार्यनीति मार्च, 2002 तक चरणवार तरीके से 271.1 मिलियन जनसंख्या कवर करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त अल्पकालिक रसायन चिकित्सा कोर्स कार्यान्वित कर रहे 203 जिलों को भी बाद में संशोधित कार्यनीति अपनाने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 142.4 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के 14 आदिवासी जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 58.8 डी.के. के (लगभग 31.95 करोड़ रुपए) की डेनिडा सहायता भी प्रदान की जा रही है। आंध्र प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की सहायता और केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग तथा प्रशिक्षण कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए डी एफ आई डी से 109.93 करोड़ रुपये की डी एफ आई डी सहायता भी प्राप्त की जा रही है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक समर्थित परियोजना 6 वर्षों की अवधि के लिए 1993-94 से कार्यान्वित होते आ रही है ताकि देश के समस्त जिलों में बहु औषध उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

विश्व बैंक सहायता से संबंधित मलेरिया नियंत्रण परियोजना सात राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों और इन राज्यों तथा कर्नाटक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में मलेरिया की उच्च स्थानिकमारी वाले 19 शहरों/नगरों में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करती है। परियोजना का उद्देश्य उपर्युक्त क्षेत्रों में मौजूदा मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में तेजी लाना है। प्रशिक्षण,

सूचना शिक्षा, संचार के घटकों और प्रबंधन सूचना प्रणाली को देश भर में लागू किया जा रहा है। परियोजना में 5 वर्षीय अवधि के लिए कुल वित्तीय अपेक्षाएं 891.04 करोड़ रुपए की है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय दो परियोजनाएं चलायी जा रही हैं; अर्थात्

(1) सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विश्व बैंक सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना लागू की जा रही है जिसका लक्ष्य मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता में कमी लाना और नेत्र परिचर्या सेवाओं के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना है।

(2) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में डेनिडा सहायता।

(ख) 1988 के दौरान 85 प्रतिशत नए संक्रामक रोगियों के उपचार शुरू करने के 3 महीने के अन्दर गैर-संक्रामक होने के प्रमाण दिए गए। संलग्न विवरण-I में दिए गए राज्य-वार ब्यौरों के अनुसार 1998 में अखिल भारतीय रोगमुक्ति दर 83 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम के मामले में एम डी टी सुविधाएं देश के सभी जिलों में प्रदान कर दी गई हैं। 31.39 लाख नए कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है और मार्च, 1999 तक 38.66 लाख रोगियों को रोगमुक्त किया गया है। रोगी भार की तुलनात्मक स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

मलेरिया के पाजिटिव रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 1998 में देश में प्रति लाख जनसंख्या पर 400 रोगियों के लक्ष्य के मुकाबले प्रति लाख जनसंख्या पर 388 रोगियों की दर से 21,34,362 मोतियाबिन्द के आपरेशन किए गए। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ग) इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

1. जिला सोसायटियों के माध्यम से कार्यान्वयन। उन्हें निधियां सीधे रिलीज की जाती हैं।

2. सुदृढ़ीकरण, मानीटरिंग और पर्यवेक्षण।

3. राज्यों को औषधों, उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं आदि के रूप में वस्तुगत सहायता प्रदान करना।

4. नियमित और गहन प्रशिक्षण।

5. जन जागरूकता कार्यक्रम और अभियान।

विवरण I

भारत के लिए नई स्लीपर रोगमुक्ति दर संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन '98 से पंजीकरण

रोग मुक्त - रोग मुक्त रोगी
पूर्ण - इलाज पूर्ण किए रोगी
रोग मुक्ति दर - रोगमुक्त रोगियों की प्रतिशतता

राज्यवार सार

राज्य	रोगमुक्त	कुल पंजीकरण	रोगमुक्ति दर
आंध्र प्रदेश	1071	1386	77.3
असम	0	0	—
बिहार	193	219	88.1
दिल्ली	1901	2348	81.0
गुजरात	783	978	80.1
हिमाचल प्रदेश	285	329	86.6
कर्नाटक	123	165	74.5
केरल	1020	1225	83.5
मध्य प्रदेश	86	113	76.1
महाराष्ट्र	1076	1280	84.1
मणिपुर	69	76	90.8
उड़ीसा	1476	1745	84.6
राजस्थान	493	560	88.0
तमिलनाडु	71	81	87.7
उत्तर प्रदेश	505	572	88.3
प. बंगाल	928	1054	88.0
भारत	10080	12131	83.1

विवरण II

1981 की तुलना में मार्च 1999 के अंत में राज्यों में रोगी भार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000 जनसंख्या पर पी.आर. 1981	1999
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11.72	0.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.59	0.38
3.	असम	0.75	0.20
4.	बिहार	5.43	1.66
5.	गोवा	0.16	0.34
6.	गुजरात	2.93	0.16
7.	हरियाणा	0.07	0.05
8.	हिमाचल प्रदेश	1.64	0.10
9.	जम्मू व कश्मीर	0.83	0.14
10.	कर्नाटक	5.98	0.25
11.	केरल	2.95	0.13
12.	मध्य प्रदेश	2.30	0.44
13.	महाराष्ट्र	6.37	0.34
14.	मणिपुर	4.23	0.21
15.	मेघालय	4.55	0.21
16.	मिजोरम	2.04	0.11
17.	नागालैंड	6.49	0.04
18.	उड़ीसा	12.14	0.97
19.	पंजाब	1.19	0.08
20.	राजस्थान	0.29	0.19
21.	सिक्किम	5.00	0.20
22.	तमिलनाडु	15.14	0.53
23.	त्रिपुरा	4.88	0.16
24.	उत्तर प्रदेश	3.79	0.46
25.	पश्चिम बंगाल	7.88	0.67
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.26	0.24
27.	चंडीगढ़	0.00	0.68
28.	दादर व नगर हवेली	1.00	1.40
29.	दमन व द्वीव	3.50	3.34
30.	दिल्ली	0.16	0.18
31.	लक्षद्वीप	25.00	0.17
32.	पांडिचेरी	12.50	0.26
	कुल	5.73	0.51

विवरण III

राज्यवार पॉजिटिव मलेरिया रोगियों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999
1	2	3
आंध्र प्रदेश	106574	117728
अरूणाचल प्रदेश	36105	43774
असम	75136	109418
बिहार	20014	25979
गोवा	22766	13236
गुजरात	94927	57289
हरियाणा	11877	2563
हिमाचल प्रदेश	1404	669
जम्मू व कश्मीर	5157	3166
कर्नाटक	111144	86666
केरल	6726	4651
मध्य प्रदेश	388406	417284
महाराष्ट्र	150366	128458
मणिपुर	1113	2421

1	2	3
मेघालय	16186	12913
मिजोरम	9293	13705
नागालैण्ड	1700	288
उड़ीसा	333246	273266
पंजाब	5200	1092
राजस्थान	70934	48780
सिक्किम	12	11
तमिलनाडु	59161	50334
त्रिपुरा	10140	11465
उत्तर प्रदेश	103746	86048
पश्चिम बंगाल	115929	180377
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	742	875
चंडीगढ़	1644	455
दादरा व नगर हवेली	5882	3175
दमण व दीव	599	342
दिल्ली	3994	2698
लक्षद्वीप	0	1
पांडिचेरी	158	129
कुल	1770283	1699256

विवरण IV

1998-99 के दौरान राज्यवार मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा दर

(लक्ष्य : प्रति एक लाख जनसंख्या पर मोतियाबिन्द-400)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित जनसंख्या	किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन	मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा दर/लाख जनसंख्या
विश्व बैंक परियोजना राज्य			
आंध्र प्रदेश	75819129	340478	449
मध्य प्रदेश	75446534	287201	381
महाराष्ट्र	89988393	404738	450
उड़ीसा	36092099	79271	220
राजस्थान	50157709	176955	353
तमिलनाडु	63679198	373690	587
उत्तर प्रदेश	158588007	472029	298
उप-योग	549771069	2134362	388

इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरणकर्त्ताओं के साथियों की गिरफ्तारी

805. श्री आर.एल. भाटियाः
श्री उत्तमराव ढिकलेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1999 को इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरणकर्त्ताओं के चार प्रमुख साथियों को जाँच एजेंसियों द्वारा मुम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनसे पूछताछ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) मुम्बई पुलिस ने 30.12.2000 को मुम्बई में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया:

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं:

1. मो. रेहना (पाकिस्तानी)

2. मो. इकबाल कोकर (पाकिस्तानी)

3. अब्दुल लतीफ उर्फ पटेल (भारतीय)

4. यूसूफ नेपाली (नेपाली)

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनमें से केवल दो, नामत: अब्दुल लतीफ उर्फ पटेल और युसुफ नेपाली से पूछताछ की है। प्रथम दृष्टया उनकी संलिप्ता दिखाई देती है परन्तु अन्य दो के बारे में कोई मत निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से की गई पूछताछ से पता चला है कि अब्दुल लतीफ उर्फ पटेल, मुम्बई में आई.एस.आई. की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण मुख्य केन्द्र था तथा वह अपहरण का षडयंत्र रचने वालों में प्रमुख था। युसुफ नेपाली की इसमें इस हद तक भूमिका थी कि उसने अपहरण से कुछ दिन पहले कालिमपोंग (पश्चिमी बंगाल) शस्त्र और गोला बारूद लाकर अपहरणकर्त्ताओं को दिया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के परिसर की तलाशी ली गई, जिसके दौरान काफी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद लाकर तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से जारी हुए बताए गए कुछ पासपोर्ट भी बरामद किए गए थे। तलाशी के दौरान जावेद अहमद सिद्दीकी (वास्तविक नाम इब्राहिम अख्तर) के नाम का पासपोर्ट सं.बी-0646681 दिनांक 18.8.99 तथा फारूखी अब्दुल अजीज सिद्दकी के नाम पर पासपोर्ट संख्या बी-0723176 दिनांक 7.9.99 बरामद किए गए। ये दोनों व्यक्ति अपहरणकर्त्ता थे तथा उनका कूट नाम क्रमश: "चीफ" तथा "शंकर" था।

[हिन्दी]

दिल्ली में झुग्गियां

806. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999 तक दिल्ली में सरकारी भूमि से कितनी झुग्गियां हटायी गयी हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अभी भी कई झुग्गियां हैं जिससे इसके सौंदर्यकरण में अड़चनें आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी भूमि से शेष झुग्गियों को हटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स्लम व झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने सूचित किया है कि दिसंबर, 1999 तक 21,696 झुग्गी परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है।

(ख) जी, हां। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उसकी जमीन से झुग्गी झोपड़ी समूहों को हटाने के लिए सशक्त कदम उठाए गए हैं।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा स्लम व झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) के मार्फत स्लम व झुग्गी झोपड़ी वासियों का पुनर्स्थापन किया जाता है। नीति अनुसार यह केवल उन्हीं झुग्गी समूहों का पुनर्स्थापन करती है, जहां सार्वजनिक महत्व की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित भू-स्वामी एजेंसी को अतिक्रमण की गई भूमि पाकेटों की जरूरत होती है तथा वह बतौर पुनर्वास लागत, अपना अंश, जो वर्तमान में प्रति पात्र आबादकार (स्क्वेटर) परिवार 29,000 रु. है, वहन करने को भी सहमत है। इसके लिए 31.1.1990 की निर्णायक तारीख (कट-आफ डेट) को राशनकार्ड धारक तथा भारतीय राष्ट्रीयता धारक पात्र हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान (जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार) नरेला, रोहिणी तथा मोलारबंध में 4016 झुग्गियां पुनर्स्थापित की गई हैं।

बिहार में कालाजार बीमारी का फैलना

807. **श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में विशेषत: पूर्णिया और कोसी जिलों में कालाजार की बीमारी फैल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के दौरान सूचित मौतों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने बिहार में इस बीमारी के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) 1999 में बिहार राज्य में कालाज़ार रोग के कारण 251 मौतों की सूचना दी गई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूर्णिया जिले में अथवा समस्त बिहार राज्य में कालाज़ार रोग की घटना का कोई बढ़ा हुआ रूझान प्रदर्शित नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) कालाज़ार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य को पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित कालाज़ार रोधी औषधें और कीटनाशी उपलब्ध कराए हैं:

कालाज़ार रोधी औषधें	1997-98	1998-99
एस एस जी इंजेक्शन	39,070 शीशियां	50,000 शीशियां
पेंटामिडाइन	3,000 शीशियां	7,000 शीशियां
कीटनाशी		
डी डी टी	1,053 एम टी	600 एम टी

कालाज़ार के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

* राज्य सरकारों के माध्यम से कालाज़ार रोधी औषधों की निःशुल्क आपूर्ति।
* प्रभावित क्षेत्रों में डी.डी.टी. के अपशिष्ट छिड़काव शुरू करके वैक्टर नियंत्रण द्वारा संचरण को रोकना।
* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति द्वारा रोगी की शीघ्र पहचान और पूर्ण उपचार करना।
* स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामुदायिक भागीदारी।
* कालाज़ार नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संलग्न अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण का आयोजन।

[अनुवाद]

एड्स परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

808. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना हेतु विश्व बैंक से वार्षिक रूप से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की गई है और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य-वार वास्तविक रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु अपनायी गयी रणनीतियों और इसकी सफलता की जानकारी पाने हेतु हाल ही में एड्स परियोजना की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान नीचे दिया गया है:

(1) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (1992-1999) के चरण I के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से 84 मिलियन अमेरिकी डालर (370.82 करोड़ रुपए)।

(2) तमिलनाडु राज्य में 7 वर्षों (1995-2002) के लिए एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना के लिए यू एस एड्स से 10 मिलियन अमेरिकी डालर (30 करोड़ रुपए)। अभी तक 9.87 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(3) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (1999-2004) के चरण II के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से 191 मिलियन अमेरिकी डालर (1155 करोड़ रुपए)।

मार्च, 1999 तक खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-I के पूरे होने के बाद विश्व बैंक और नाको ने परियोजना का संयुक्त मूल्यांकन किया और परियोजना के कार्यान्वयन को संतोषजनक पाया और वांछित लक्ष्य अधिकांशतः प्राप्त कर लिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-I से प्राप्त अनुभवों के आधार पर भारत सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण II को कार्यान्वित कर रही है। यह परियोजना नीचे दिए अनुसार पांच मुख्य नीतियों और सांस्थानिक सुधारों का समर्थन करेगी:-

(1) इस कार्यक्रम में जागरूकता बढ़ाने के स्थान पर व्यवहार परिवर्तन कर ध्यान दिया जाएगा;

(2) यह परियोजना राज्यों और नगरपालिकाओं को सेवा प्रदानगी के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करेगी, कार्यक्रम प्रदानगी लचीली, साक्ष्य आधारित और सहभागिता वाली होगी;

(3) स्वैच्छिक परामर्श और जांच को बढ़ावा देकर तथा अनिवार्य जांच को निरूत्साहित करके मानव अधिकारों की रक्षा की जायेगी;

(4) सहयोग संरचित और साक्ष्य आधारित वार्षिक समीक्षा और चल रहे आपरेशनल अनुसंधान का समर्थन; और

(5) प्रबंधन सुधारों जैसे बेहतर संचालित राज्य स्तरीय एड्स नियंत्रण सोसायटियों और उन्नत औषध प्रापण विधियों को प्रोत्साहन।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों का समुपयोजन अप्रैल 1992 से मार्च 1999 तक

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	जारी कुल अनुदान	सूचित कुल व्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2321.56	2361.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	241.87	210.13
3.	असम	490.33	493.84
4.	बिहार	358.94	143.68
5.	गोवा	186.60	136.10
6.	गुजरात	1169.79	1253.70
7.	हरियाणा	500.61	330.46
8.	हिमाचल प्रदेश	804.70	694.99
9.	जम्मू और कश्मीर	127.47	0.00
10.	कर्नाटक	1260.65	1103.62
11.	केरल	744.47	879.82
12.	मध्य प्रदेश	1382.13	1007.66
13.	महाराष्ट्र	3608.96	2886.89
14.	मणिपुर	822.33	532.27
15.	मेघालय	172.27	115.62
16.	मिजोरम	532.91	503.45
17.	नागालैंड	808.03	829.31
18.	उड़ीसा	423.19	189.32
19.	पंजाब	647.24	684.27
20.	राजस्थान	1014.34	748.58
21.	सिक्किम	215.50	141.33
22.	तमिलनाडु	5726.11	5611.02
23.	त्रिपुरा	221.19	200.53
24.	उत्तर प्रदेश	1401.33	1091.24
25.	पश्चिम बंगाल	1648.36	1114.77
26.	पांडिचेरी	140.11	98.94
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	218.17	83.69
28.	चंडीगढ़	252.23	219.36
29.	दादरा और नगर हवेली	129.10	74.97
30.	दमण और द्वीव	150.37	140.38
31.	दिल्ली	872.87	736.81
32	लक्षद्वीप	138.67	20.81
	कुल	28732.40	24636.60

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

809. श्री सुनील खां:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री थावर चंद गेहलोत:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री रामानंद सिंह:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा किए गए बजटीय आबंटन से आरम्भ की गयी गरीबी उन्मूलन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) भारत सरकार द्वारा सारे भारत में शहरी निर्धनों के हित के लिए 1.12.97 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) शुरू की गई थी। इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं, नामत: शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी), शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी) तथा सामुदायिक संरचना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए बजट नियतन इस प्रकार हैं:

1997-98	102.54 करोड़ रुपए
1998-99	162.28 करोड़ रुपये
1999-2000	126.35 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान)

(ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार एस जे एस आर वाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण के मामले में निर्णय योजना के दिशानिर्देशों तथा लाभार्थी सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। योजना के परिचालन में पर्याप्त लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है।

(ङ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह मंत्रालय तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ मंत्री/सचिव स्तर पर नियमित पुनरीक्षा बैठकों के माध्यम से योजना की मानीटरिंग कर रहा है।

विवरण

1997-2000 (7.2.2000 तक) की अवधि के दौरान स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	यू.एस.ई.पी. के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	यू.डब्ल्यू.ई.पी. के तहत सृजित श्रम दिवस (लाख में)	सामुदायिक संरचनाओं के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10201	5.76	34.93
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	1.04	—
3.	असम	शून्य	—	0.25
4.	बिहार	590	4.65	4.28
5.	गोवा	132	0.64	—
6.	गुजरात	5647	1.97	8.89
7.	हरियाणा	1365	0.44	0.80

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	263	3.99	0.12
9.	जम्मू कश्मीर	1709	0.15	0.07
10.	कर्नाटक	641	6.40	8.35
11.	केरल	17029	1.79	10.26
12.	मध्य प्रदेश	39064	14.58	7.23
13.	महाराष्ट्र	12654	6.79	14.44
14.	मणिपुर	शून्य	—	—
15.	मेघालय	414	0.25	—
16.	मिजोरम	688	0.92	0.40
17.	नागालैंड	शून्य	0.27	—
18.	उड़ीसा	4778	14.78	12.07
19.	पंजाब	2762	2.56	9.25
20.	राजस्थान	9216	3.60	9.46
21.	सिक्किम	33	0.44	—
22.	तमिलनाडु	1110	40.03	8.97
23.	त्रिपुरा	38	1.50	0.60
24.	उत्तर प्रदेश	50415	29.37	56.23
25.	प. बंगाल	548	11.60	50.41
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	0.39	—
27.	चण्डीगढ़	50	*	—
28.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	0.62	—
29.	दमन और दीव	39	0.04	0.005
30.	दिल्ली	100	*	6.33
31.	पांडिचेरी	199	0.15	2.00
	कुल:	159685	154.72	244.81

*लागू नहीं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

810. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 2000 के इंडियन एक्सप्रेस में वी वी आई पी सिक्यूरिटी हाईली ऑबटसिव, सेंज एस पी जी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रकाशित समाचार में अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर एस.पी.जी. की अभियुक्तियों और मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) के सुझावों का उल्लेख है। तथापि जैसा कि प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया गया है, एस पी जी ने सुरक्षा मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सी सीएस ए) को कोई गोपनीय नोट नहीं भेजा था। पत्रकार द्वारा उल्लिखित मुद्दे एस पी जी द्वारा अपने स्थापना सेमिनार, 1999 के अवसर पर विकासशील देशों में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर तैयार किए गए वर्किंग पेपर में प्रतिबिम्बित किये गये हैं। यह वर्किंग पेपर प्रमुख पत्रकारों सहित इस सेमिनार में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित किए गए राय निर्माताओं के बीच परिचालित किया गया था।

(ग) सुरक्षा के बारे में सरकार को प्राप्त हुए सुझाव/अभियुक्तियों पर विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, समुचित निर्णय लिये जाते हैं। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को कम बाधक बनाने हेतु हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं।

एड्स के मरीजों के लिए घर

811. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवारों/समाज द्वारा छोड़ दिए गए एड्स के मरीजों के लिए घर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि सरकार मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के माध्यम से एच आई वी/एड्स के रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य और परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने ऐसे रोगियों की देखभाल करने हेतु दिल्ली और बंगलौर में दो सामुदायिक परिचर्या केन्द्र भी स्थापित किए हैं। ये केन्द्र गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में समिति का गठन

812. श्री राधामोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के शासकीय निकाय ने विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा में सेक्शनों की संख्या पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति का गठन हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो स्वीकार की गई हैं और क्रियान्वित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पूर्व आयुक्त की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति 1.12.99 को गठित की गई थी जिसका उद्देश्य केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों की संख्या को यथावत रखने से संबंधित मुद्दों को सुलझाना है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

विस्फोटकों की आपूर्ति

813. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्फोटकों के निर्माता और डीलर फर्जी व्यक्तियों/खरीददारों को विस्फोटकों की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्फोटकों के निर्माताओं और डीलरों को उत्पादित विस्फोटकों के बारे में रिकार्ड रखने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी डीलरवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विस्फोटकों के भंडार सहित पटाखों और आतिशबाजी के निर्माताओं पर निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1983 के अंतर्गत, सभी लाइसेंस शुदा उत्पादनकर्त्ताओं और व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे केवल वैध लाईसेन्स धारकों को ही विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति करें और उनका सही-सही लेखा-जोखा रखें। खरीद-फरोख्त के ब्यौरे सूचित करते हुए मासिक विवरणियां नियमित रूप से विस्फोटक पदार्थ विभाग को प्रस्तुत की जा रही है।

(ग) और (घ) विस्फोटकों पदार्थ नियम, 1983, के अंतर्गत, विस्फोटक पदार्थ विभाग के अधिकारियों द्वारा उन परिसरों की, जिन्हें विस्फोटक पदार्थ विभाग द्वारा लाईसेंस दिया गया है और पूरे भण्डार की वास्तविक जांच और सत्यापन सहित विस्फोटक पदार्थों की सभी खरीद-फरोक्त की नियमित जाँच की जाती है। जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस उप-निरीक्षक के रैंक के नीचे के अधिकारियों को छोड़कर पुलिस अधिकारियों द्वारा और खान सुरक्षा महानिदेशक के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

फर्जी विश्वविद्यालय

814. श्री सुकदेव पास्वान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिनमें छात्रों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध उपाय सुझाने के लिए 1998 में विशेषज्ञों का एक दल गठित किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) फिलहाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 विश्वविद्यालयों को जाली अभिनिर्धारित किया है जो 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का अतिक्रमण कर रहे हैं। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के संबंधित उपबंधों की जांच करने और जाली विश्वविद्यालयों की घटना के खिलाफ समुचित उपायों की व्यवस्था करने के लिए उपाय सुझाने के लिए 1998 में एक कार्यबल का गठन किया था। कार्य बल ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें जाली विश्वविद्यालयों की समस्या का समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इस बीच, जाली संस्थाओं/विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा में विभिन्न कदाचारों पर सतर्कता से निगरानी रखने के लिए सरकार में और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न शीर्षस्थ निकायों के अंतर्गत कदाचार निरोध कक्ष स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

815. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में विशेषकर थार, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की कमी की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार थार, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में ग्रामीण स्तर पर अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और निजी स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के जनांकिकीय मानदण्डों को बाड़मेर, जेसलमेर और जालौर जिलों में प्राप्त कर लिया गया है। राज्य ने प्रत्येक सामुदायिक विकास ब्लाक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल स्थापित किया है, फिर भी बाड़मेर में चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जालौर में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 के अनुसार अब तक सृजित किया आधारभूत ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्तमान वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन राज्य योजना क्षेत्र में प्रदान की गई निधियों और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को प्रदत्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को उपयोग में लाए जाने की आशा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को निरूत्साहित करने की एक नीति पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

816. श्री पी. कुमारासामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत सशस्त्र बलों को भी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 में सुरक्षा बलों के संबंध में प्रक्रिया की व्यवस्था है। इस प्रावधान के अंतर्गत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केन्द्र सरकार से यह रिपोर्ट मांग सकता है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आयोग, या तो शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा अथवा, जैसा भी मामला हो, सरकार को अपनी सिफारिशें करेगा।

[हिन्दी]

यातायात संबंधी शिकायतें

817. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक दिल्ली में यातायात से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और ये किस-किस प्रकार की शिकायतें थीं और इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ख) दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियंत्रण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आज तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। यातायात संबंधी शिकायतों की संख्या कम करने के लिए की गई कार्रवाई में सम्मिलित है:-सड़क की हालात में सुधार लाना, बेहतर स्ट्रीट लाईटिंग, रोड मार्किंग और संकेतों की व्यवस्था, गति अवरोधकों का निर्माण इत्यादि।

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस ने एक विस्तृत कार्य योजना बनायी है जिसमें यातायात नियमों को लागू करने और यातायात के प्रवाह पर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों, सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात विनियमों, यातायात सिगनलों की स्थापना, सड़क विभाजकों, रोड मार्किंग इत्यादि की परिकल्पना की गई है। सरकार ने उन यातायात प्वाईण्टों, जहां पर अभी तक कार्मिक तैनात नहीं होते थे, और सड़कों के खुले हिस्सों में चलती-फिरती गश्त के लिए टैफिक जोन में, तैनाती के लिए 1255 अतिरिक्त पदों का सृजन करके दिल्ली पुलिस के यातायात यूनिट को भी हाल ही में सुदृढ़ किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नप्रकार से है:

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1997	2342
1998	2182
1999	2040
2000 (15.2.2000 तक)	222

विवरण

यातायात संबंधी शिकायतों के बारे में ब्यौरे

वर्ष	वाहन खड़ा करने की समस्या	अतिक्रमण	यातायात जाम होना रुक जाना इत्यादि	अवरोध	भ्रष्टाचार	तंग करना/दुर्व्यवहार करना/मारपीट करना
1997	478	43	1079	101	105	438
1998	456	82	738	104	116	376
1999	502	43	1210	90	80	303
2000 (15.2.2000 तक)	75	10	258	22	11	51

शहरों में आवासीय इकाइयां

818. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री राम शकल:
श्री अरूण कुमार:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी आवासीय इकाइयों की कमी सरकार की जानकारी में आई;

(ग) क्या उक्त समस्या से निपटने हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सबके लिए घर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां। 1991 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर, देश के शहरी क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में अनुमानित आवासीय कमी इस प्रकार थी:

1997	7.57 मिलियन
1998	7.36 मिलियन
1999	7.18 मिलियन

(ग) और (घ) सरकार ने शासन के राष्ट्रीय एजेंडा के जरिए सभी के लिए आवास को एक प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है और नागरिकों की आवासीय जरूरतों पर सामान्य रूप से तथा गरीबों और उपेक्षितों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एजेन्डा में गरीबों और उपेक्षितों पर ध्यान देते हुए हर साल 2 मिलियन अतिरिक्त आवास (7 लाख शहरी क्षेत्रों में तथा 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में) बनाने का लक्ष्य रखा है।

(ङ) 9वीं योजना के आवास संबंधी कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि सभी को आश्रय मुहैया कराने के लिए 1,51,000 करोड़ रु. के निवेश की जरूरत होगी।

[अनुवाद]

आतंकवादियों को मदद

819. **श्री रामसागर रावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रेवल एजेन्टों और अन्य संदेहास्पद लोगों के अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के आतंकवादियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पुलिस द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने क्या-क्या जानकारी प्रदान की है;

(ग) राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाये गये सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जैव-संसाधन विकास बोर्ड

820. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ "ग्रीन चैनल" परियोजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) जैव-संसाधन विकास कार्यक्रम के रूप में संचालित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) तमिलनाडु के जैव-संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से जैव-संसाधन विकास परियोजनाओं के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय जैवसंसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- अनुसंधान एवं विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकीय और संबंधित वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रभावकारी अनुप्रयोग तथा विशेष रूप से नए उत्पादों एवं प्रक्रियाओं हेतु जैवसंसाधनों की सतत उपयोगिता के लिए व्यापक नीति-निर्देश निर्धारित करना।
- जैवविज्ञान के आधुनिक साधनों के प्रयोग द्वारा त्वरित अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान के लिए वैज्ञानिक कार्यपद्धति का विकास करना। बोर्ड के मार्गनिर्देशों के अनुसार अन्तर-विषयक, अन्तर-सांस्थानिक और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ निश्चित समय-सीमा वाले कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

(ग) महत्वपूर्ण जैवसंसाधनों, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जैव संसाधन विकास कार्यक्रमों की सूची तैयार करने और देश के जैवसंसाधनों के डाटाबेस तैयार करने का काम विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। तकनीकी और वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय जैवसंसाधन विकास बोर्ड का लक्ष्य तमिलनाडु सहित सम्पूर्ण देश के विभिन्न भू-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों का विकास करना है। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाओं की अनुपलब्धता

821. डा. संजय पासवान:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 2000 को ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' के नई दिल्ली संस्करण में ''सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरी रिमेन्स विदाउट मेडिसीन स्टाक्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पूरे देश भर में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को ठीक से चलाने के लिए क्या नये कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दैनिक परिचर्या के लिए सामान्यत: प्रयोग की जाने वाली केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फर्मूलेरी औषधें औषधालयों में साधारणत: उपलब्ध रहती हैं। तथापि यदि विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई कोई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है तो उस औषध को व्यक्तिगत नुस्खे के अनुसार प्राधिकृत कैमिस्ट से प्राप्त किया जाता है और लाभार्थी को सप्लाई कर दिया जाता है। आपात मामलों में प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से सीधे बिना भुगतान किए औषधें प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्राधिकार पर्ची जारी कर दी जाती है। यदि इंडेंट की गई औषधें प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट द्वारा सप्लाई नहीं की जाती हैं तो लाभार्थियों को किसी भी कैमिस्ट से उक्त औषधों को खरीदने और प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

लाभार्थियों को सप्लाई की गई सभी औषधों की पूर्व जांच की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विशेषज्ञों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय शकूर बस्ती में किसी विशेषज्ञ को तैनात करना सम्भव नहीं है और ऐसी सुविधाएं डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपलब्ध हैं।

''कृभको''

822. डा. बलिराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''कृभको'' में आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सभी रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) कृभको में 15 पद खाली पड़े हैं। ये पद सूरत,

गुजरात स्थित समिति के हजीरा संयंत्र में हैं। श्रेणीवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

पदनाम	पदों की संख्या
चिकित्सा अधिकारी	02
सहायक अभियन्ता (सिविल)	01
कम्प्यूटर अभियन्ता	01
सहायक सुरक्षा अधिकारी	04
स्टैनो टाइपिस्ट	2
सहायक सुरक्षा गार्ड	5

(ख) ये पद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाली पड़े हैं।

(ग) इन खाली पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा लेकिन इन्हें इसी कैलेण्डर वर्ष के अन्दर पूरे किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चिकित्सा परिचर्या की वैकल्पिक प्रणाली

823. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैकल्पिक उपचार पद्धति के रूप में सस्ते और सरल चिकित्सा उपचार के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष और परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इसकी उपयोगिता हेतु इस प्रणाली की जांच कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) अभी तक सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की विभिन्न शाखाओं के गुणावगुण की जांच करने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति का गठन किया है।

स्थानीय निकायों को स्वायत्तता

824. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नगरपालिका सेवाओं के कार्यकरण सुधारने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार नगर पालिका राज्य का विषय है। इसके आलोक में, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता में सुधार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपाय किये जाने है। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में व्यवस्था है कि राज्य विधानमण्डल नगरपालिकाओं को अपेक्षित वित्तीय और कार्यात्मक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में कार्य कर सकें। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम द्वारा शामिल की गई संविधान की 12वीं अनुसूची में भी उन कार्यों की विस्तृत सूची दी गई है जिन्हें नगरपालिकाओं को सौंपा जा सकता है। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के अनुसरण में राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाए गए नगरपालिका कानूनों में नगरपालिका की कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों का प्रावधान है।

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतया क्रियान्वयन हो और शहरी स्थानीय निकाय कारगर रूप से कार्य करे इस उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों की अनेक क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन और शहरी विकास मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 17-18 जनवरी, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपने के लिए राज्य सरकारों पर भी जोर दिया गया।

केरल में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सालयों/ औषधालयों का खोला जाना

825. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में वैकल्पिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) चिकित्सालय/औषधालय आरंभ करने हेतु केरल सरकार या गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) इस संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देने और भारतीय चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली के औषधालय खोलने हेतु विभिन्न संघों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) वित्तीय तंगी के कारण इस समय कोई नया औषधालय खोलना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नागरिकता संबंधी रजिस्टर बनाना

826. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिकता संबंधी रजिस्टर बनाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घुसपैठ को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सरकार सीमाओं के पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकारों को कारगर कदम उठाने के लिए समय-समय पर, सुग्राही बनाया गया है। किए गए विभिन्न उपायों में सीमा प्रबंधन बलों और सीमा चौकियों का संवर्धन सीमा सुरक्षा बल के वाटर विंग को सुदृढ़ करना, सीमा सड़कों का निर्माण और बाड़ लगाना, रोशनी और नाइट विजॅन डिवाइसेस की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

नई यूरिया परियोजनाओं की समीक्षा

827. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इंडो-ओमान यूरिया परियोजना सहित नई/चल रही परियोजनाओं/संयुक्त उद्यमों के निष्पादन के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों, क्रियान्वयन में देरी के कारण लागत में वृद्धि सहित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) विचाराधीन लंबित नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों और पूर्ण होने की लक्षित तारीख के अनुसार वर्तमान में केवल दो बड़ी यूरिया परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। ये दोनों परियोजनाएं मई 2001 में प्रारम्भ होनी निर्धारित है और इस प्रकार कार्यान्वयन में विलम्बों के कारण लागत में वृद्धि की जानकारी बाद की तारीख में ही पता लगेगी। उर्वरक विभाग द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यानव्यन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा भी नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है। इण्डो-ओमान यूरिया प्रोजेक्ट को अभी निष्पादन की अवस्था प्राप्त करनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा सरकार के निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत की गई निम्नलिखित 4 बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त के अध्यधीन सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया है:

(1) गुजरात में कृभको के हजीरा संयंत्र का विस्तार।

(2) उत्तर प्रदेश में एफ सी आई के मौजूदा गोरखपुर संयंत्र स्थल पर कृभको द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया यूरिया संयंत्र।

(3) महाराष्ट्र में आर सी एफ के थाल संयंत्र का विस्तार।

(4) कृभको द्वारा नेल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला एक ग्रासरूट यूरिया संयंत्र।

पी आई बी द्वारा इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन 9.7.99 को हुई अपनी बैठक में किया गया था। सरकार से सब्सिडी बर्हिगमन अड़चनों के बारे में पी आई बी की टिप्पणियों के साथ-साथ देश के खाद्य सुरक्षा के बड़े मामले और इन परियोजनाओं के चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता में सीमित वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर कोई अंतिम निवेश निर्णय लेने हेतु एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

विवरण

देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख यूरिया परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम, अवस्थिति और कम्पनी/सहकारी	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़)	परिकल्पित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	जीरो तारीख	प्रारम्भण की निर्धारित तारीख	संचयी वास्तविक प्रगति 31.1.2000 की स्थिति लक्ष्य (%)	वास्तविक (%)
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी), नामरूप, असम के नामरूप संयंत्रों का पुनरुद्धार	350.00	3.28	2.11.98	1.5.2001	59.60	49.90
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल), नांगल, पंजाब (यूरिया संयंत्र विस्तार परियोजना)	135.13	1.48	11.5.99	11.5.2001	25.40	37.70

भोपाल गैस त्रासदी

828. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूनियन कार्बाइड गैस आपदा के पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को पीड़ित व्यक्तियों को पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने पुष्टि की है कि वह यूनियन कार्बाइड गैस दुर्घटना के पीड़ितों को सभी संभव चिकित्सा सुविधाएं दे रही है।

(ग) और (घ) माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.1.2000 में राज्य सरकार को इस आदेश की तारीख से चार महीने के अंदर शेष कार्य को पूरा करने तथा कमला नेहरू अस्पताल और इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय को पूरी तरह प्रकार्यात्मक बनाने का निदेश दिया है। न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को 11.00 करोड़ रुपये सौंपने का भी निदेश दिया है ताकि वे इन दोनों अस्पतालों को उपकरणों से पूरी तरह लैस कर सकें।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि कमला नेहरू अस्पताल में आन्त्रशोथ, अपोहन (डायलेसिस) और रोगविज्ञान यूनिटें 14 जनवरी, 2000 से प्रारम्भ हो गई हैं। इंदिरा गांधी अस्पताल में 50 बिस्तरों की क्षमता सुविधाओं सहित 30.9.1998 से कार्य प्रारम्भ हो चुका है जबकि मूल योजना में 150 बिस्तरों की सुविधाएं 15.3.99 से शुरू होनी थी।

[हिन्दी]

कालेजों को स्वायत्तता

829. श्रीमती रेनु कुमारीः
श्री प्रभात सामंतरायः
श्री अनन्त नायकः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ चुनिंदा कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और अन्य विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालयवार चुनिंदा कालेजों के नाम क्या हैं;

(ग) कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु निर्धारित नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या कुछ शिक्षक संघों ने स्वायत्तता मुद्दे का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना, 1992 कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करती है। इस नीति के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कॉलेज योजना, 1998 शुरू की है। इस योजना के अनुसार कोई स्वायत्त कालेज अपने पाठ्यक्रम बनाने, अध्ययन शिक्षण की पद्धतियों, प्रवेश और उत्कृष्टता के मानकों में स्वायत्तता का लाभ उठाएंगे। स्वायत्त कॉलेजों द्वारा मूल्यांकन और संस्तुत किये गये छात्रों को मूल विश्वविद्यालय डिग्रियां प्रदान करेगा। इस अधिनियम और विश्वविद्यालयों की संविधि में कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए और विश्वविद्यालय स्वायत्तता प्रदान करने से पहले कॉलेज की संवीक्षा करेगा। तथापि, मूल विश्वविद्यालय यह दर्जा केवल राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से ही प्रदान करेगा। अब तक 130 कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तता प्रदान की गई है। प्रदान की गई स्वायत्तता केवल कालेजों के डिग्री (अवर स्नातक और स्नातकोत्तर) कार्यक्रमों को ही शामिल करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत भारत के स्वायत्त कालेजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

कॉलेजों को स्वायत्तता के बारे में कुछ शिक्षक संघों द्वारा कतिपय आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। सरकार ने इन संघों के साथ इस संबंध में बातचीत आरम्भ कर दी है ताकि उन आशंकाओं को दूर किया जा सके।

विवरण

''स्वायत्त कॉलिजों'' के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अंतर्गत 30 दिसम्बर 1999 तक भारत में स्वायत्त कॉलिजों की सूची

आंध्र प्रदेश

आंध्र विश्वविद्यालय

1. चिन्टेलेपती सत्वावती देवी, सेंट थरेसा कॉलिज फार वूमेन, एलरू (आंध्र प्रदेश)
2. डी.एन.आर. कॉलिज, भीमावरम (आंध्र प्रदेश)
3. महाराजा कॉलिज फार मैन, विजयानगरम (आंध्र प्रदेश)
4. सर सी. रामलिंगा रेड्डी कॉलिज एलुरू (आंध्र प्रदेश) 534007
5. श्री दुर्गाप्रसाद सराफ कॉलिज ऑफ आर्टस एण्ड एप्लाइड साइंसिस, शीरामनगर (आंध्र प्रदेश)

6. एस.आर.वी.बी.एस.जे.बी. महारानी कॉलिज
पेद्दापुरम (ई.जी. जिला) (आंध्र प्रदेश)

7. सेंट जोसफ कॉलिज फार वूमेन,
वाल्टेयर (आर.एस. विशाखापत्तनम) (आंध्र प्रदेश)

8. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजामुन्दरी ईस्ट,
गोदावरी जिला

9. पी.आर. गवर्नमेंट डिग्री कॉलिज (मैन),
काकीनाडा ईस्ट, गोदावरी जिला

नागार्जुन विश्वविद्यालय

1. आंध्र लोयला कॉलिज,
विजयवाड़ा-520008

2. पी.बी. सिद्धार्थ कॉलिज ऑफ आर्टस एण्ड साइंस
विजयवाड़ा-520010

उस्मानिया विश्वविद्यालय

1. अनवर उल-उनूम कालिज
न्यू मालेपल्ली हैदराबाद-500001

2. ए.वी. कालिज आफ आर्टस, कामर्स एण्ड
साइन्स, हैदराबाद

3. लोयोला अकादमी, अलवल
सिकन्दराबाद-500010

4. निजाम कालिज, गनबाउण्ड्री
हैदराबाद-500001

5. प्रगति महाविद्यालय (कार्यान्वित नहीं की गई)
डिग्री कालिज आफ कामर्स एण्ड साइन्स
हनुमान टेकड़ी, कवोदा स्वामी लेन,
हैदराबाद-500195 (आंध्र प्रदेश)

6. आर.बी.बी.आर.आर. वूमेन्स कालिज,
नारायणगुडा
हैदराबाद-500029

7. एस.एस.आर. ज्योति आर्टस एण्ड साइंस कालिज,
खम्माम (आंध्र प्रदेश)

8. सेंट एन्न कॉलेज,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

9. सैंट फ्रांसिस कालिज फार वूमेन्स
हैदराबाद, बेगमपेट-500016

10. यूनिवर्सिटी कालिज फार वूमेन
कोटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

गुजरात

गुजरात विश्वविद्यालय

1. लोक भारती लोक सेवा महाविद्यालय
सनेसरा-364230
गुजरात

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

1. गवर्नमैंट कालिज, धर्मशाला (कांगड़ा)
हिमाचल प्रदेश-176215

2. गवर्नमैंट कालिज
सोलन
हिमाचल प्रदेश-173212

3. गवर्नमैंट कालिज, बिलासपुर
जिला बिलासपुर-174001

4. जी.बी. पंत मेमोरियल गवर्नमैंट कालिज
रामपुर बुशहर
शिमला-172001

5. वल्लभ गवर्नमैंट कालिज .
मण्डी, जिला मण्डी
हिमाचल प्रदेश-175001

मध्य प्रदेश

ए.पी. सिंह विश्वविद्यालय

1. गवर्नमैंट साइंस कालिज
रेवा (मध्य प्रदेश)

2. गवर्नमैंट कालिज
सतना (मध्य प्रदेश)

3. गवर्नमैंट पोस्ट ग्रेज्युट कालिज
शहडोल (मध्य प्रदेश)

4. संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय
सिद्धि (मध्य प्रदेश)

5. ठाकुर रनमत सिंह आर्टस कालिज
रेवा (मध्य प्रदेश)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

1. गवर्नमैंट मोतीलाल विज्ञान कालिज
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. गवर्नमैंट गर्ल्स डिग्री कालिज
   टी.टी. नगर
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

3. गवर्नमैंट महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कालिज,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

1. होल्कर साईंस कालेज
   इन्दौर (मध्य प्रदेश)-452017

2. कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीच्यूट
   कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर-452020 (मध्य प्रदेश)

3. श्री जी.एस. इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालोजी एंड साइन्स
   23, पार्क रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

4. गवर्नमैंट गर्ल्स पी.जी. कालिज
   मोती तबेला, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

5. गवर्नमैंट आर्ट्स एंड कामर्स कालिज
   इन्दौर (मध्य प्रदेश)

6. गवर्नमैंट पी.जी. कालिज
   महऊ (मध्य प्रदेश)

डा. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय

1. ए.ई.सी. ट्रेनिंग एण्ड साईंस कालिज,
   पंचमढ़ी
   बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश)-461881

2. गवर्नमैंट एस.एन. पोस्ट ग्रेजुएट
   कालिज,
   खांडवा (मध्य प्रदेश)

3. गवर्नमैंट पोस्ट ग्रेजुएट कालिज,
   छिन्दवाडा (मध्य प्रदेश)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

1. गवर्नमैन्ट माडल पी.जी. साइंस कालिज
   विलासपुर (मध्य प्रदेश)

2. गवर्नमैंट पी.जी. कालिज
   अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश)-497001

3. के.जी. आर्टस एंड साइंस कालिज
   रायगढ़ (मध्य प्रदेश)

4. गवर्नमैन्ट गर्ल्स पी.जी. कालिज
   विलासपुर

जीवाजी विश्वविद्यालय

1. अम्बा पी.जी. कालिज
   अम्बा (मुरैना) (मध्य प्रदेश)

2. गवर्नमैंट साइन्स कालिज
   ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

3. गवर्नमैंट कालिज
   शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

4. गवर्नमैंट कालिज
   दतिया (मध्य प्रदेश)

5. कमला राजा गर्ल्स डिग्री कालिज
   ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

6. एम.एल.बी. आर्टस एण्ड कामर्स कालिज,
   ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

1. कालिज आफ मेटेरियल मैनेजमेंट
   जबलपुर (मध्य प्रदेश)-482081

2. गवर्नमैंट साइन्स कालिज
   जबलपुर (मध्य प्रदेश)

3. गवर्नमैंट एम.एच. कालिज आफ होम साइंस
   फार वूमेन
   जबलपुर (मध्य प्रदेश)

4. गवर्नमैंट महाकौशल आर्टस एण्ड कामर्स कालिज
   जबलपुर (मध्य प्रदेश)

5. एम.के.बी. आर्टस एण्ड कामर्स कालिज
   फार वूमेन
   जबलपुर (मध्य प्रदेश)

पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविधालय

1. दुर्गा महाविद्यालय
   रायपुर (मध्य प्रदेश)

2. गवर्नमैंट साइन्स कालिज,
   रायपुर (मध्य प्रदेश)-492018

3. गवर्नमैंट आर्टस एण्ड साईंस कालिज
दुर्ग (मध्य प्रदेश) 491001

4. गवर्नमैंट डी.वी. गर्ल्स कालिज,
रायपुर (मध्य प्रदेश)-492010

5. गवर्नमैंट दिग्विजय महाविद्यालय
राजनंदगांव (मध्य प्रदेश)-491441

6. गवर्नमैंट डिग्री कालिज
जगदलपुर, बस्तर (मध्य प्रदेश)

7. कल्याण आर्टस एण्ड कामर्स कालिज
भिलाई नगर (दुर्ग) मध्य प्रदेश

विक्रम विश्वविद्यालय

1. माधव विज्ञान महाविद्यालय
उज्जैन (मध्य प्रदेश)-456010

महाराष्ट्र

एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय

1. एस.वी.टी. कालिज आफ होम साइंस
जुहू, बम्बई (महाराष्ट्र)

डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय

1. गवर्नमैंट कालिज आफ आर्ट्स एंड साइंस
औरंगाबाद-431001
महाराष्ट्र

शिवाजी विश्वविद्यालय

1. छत्रपति शाहू सैन्ट्रल इंस्टीच्यूट
आफ बिजिनेस एज्युकेशन एण्ड रिसर्च
कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

उड़ीसा

बरहामपुर विश्वविद्यालय

1. खालीकोट कालिज
बरहामपुर (उड़ीसा)

सम्भलपुर विश्वविद्यालय

1. गंगाधर मोहर कालिज
सम्भलपुर,
जिला सम्भलपुर-768004

2. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
राउरकेला (उड़ीसा)
सुन्दरगढ़-769008

3. यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग
बुरला (सम्भलपुर)
उड़ीसा-768018

उत्कल विश्वविद्यालय

1. रावेनशाह कालिज
कटक (उड़ीसा)

2. सामन्त चन्द्रशेखर कालिज
पुरी (उड़ीसा)

3. बी.जे.बी. कालेज
भुवनेश्वर (पुरी)
उड़ीसा

4. रमादेवी महिला कालेज
भुवनेश्वर (पुरी) उड़ीसा

5. नरसिंह चौधरी कालेज, जाजपुर

6. महाराजा पूरनचंद्र बरीपादा

7. एफ.एम. कालेज, बालासूर

तमिलनाडु

भारतीयार विश्वविद्यालय

1. कोयम्बटूर प्रौद्योगिकी संस्थान,
सिविल एरोड्रोम पोस्ट,
कोयम्बटूर-641014 (तमिलनाडु)

2. ईरोद आर्टस कालेज,
रंगापालायम-638889 (तमिलनाडु)

3. गोबी आर्टस कालेज
गोनी पेटीपालायम-668453 (तमिलनाडु)

4. गवर्नमैंट आर्ट कालेज
आर्टस कालेज रोड,
कोयम्बटूर-641018 (तमिलनाडु)

5. नालामुथू गुडंर महालिंगम कालेज,
पोलावी-642001 (तमिलनाडु)

6. पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी कालेज
पीलामेदू, कोयम्बटूर-641004

7. पी.एस.जी. आर्टस एवं साइंस कालेज
सिविल एरोड्रोम, पोस्ट कोयम्बटूर-641014 (तमिलनाडु)

8. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय
आर्टस एवं साईस कालेज,
कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

9. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कालेज ऑफ एज्यूकेशन
पेरियाथिक नपलायम
कोयम्बटूर-641020 (तमिलनाडु)

10. गवर्नमेंट प्रौद्योगिकी कालेज
कोयम्बटूर-641013 (तमिलनाडु)

11. जी.वी.जी. विसालक्ष्मी महिला कालेज
श्री वेंकटेसा मिल्स पोस्ट,
उद्मलमतपेट-642128 (तमिलनाडु)

भारतीदासन विश्वविद्यालय

1. ए.वी.सी. कालेज
मायीलादुताराई-609305
यानममंडल

2. ए.वी.वी.एम. श्री पुष्पम कालेज
पी.ओ. पोंडी-613503, जिला तंजौर (तमिलनाडु)

3. गवर्नमेंट कालेज फार मैन
खुम्बाकोनस-612001 (तमिलनाडु)

4. होली क्रास कालेज
तिरूविरापल्ली-620 002 (तमिलनाडु)

5. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज,
तिरूचिरापल्ली-620015 (तमिलनाडु)

6. सेंट जोसफ कालेज
तिरूचिरापल्ली-620002

7. सेठ लक्ष्मी रामास्वामी कालेज
तिरूचिरापल्ली-620002

8. पेरियार ई वी आर गवर्नमेंट आर्टस कालेज
तिरूचिरापल्ली-620023

9. एच.एच. दी राजा कालेज,
पुडुकोटाई-622001

10. पेरियार ई.वी.आर. गवर्नमेंट आर्टस कालेज
तिरूचिरापल्ली-620823

11. एच.एच. दी राजा कालेज
पुडुकोटाई-622001

मद्रास विश्वविद्यालय

1. लोयोल कालेज
नुंगमबक्कम, मद्रास-600059

2. मद्रास क्रिश्चियन कालेज
तम्बाराम ईस्ट, मद्रास-600059 (तमिलनाडु)

3. वूमेन क्रिश्चियन कालेज,
कालेज रोड, मद्रास-600006 (तमिलनाडु)

4. वाई.एम.सी.ए. कालेज आफ फिजीकल एज्यूकेशन
नन्दानम, मद्रास-600086 (तमिलनाडु)

5. स्टेला मारीस कालेज,
17, कैथेडरल रोड, मद्रास-600086 (तमिलनाडु)

6. प्रेसीडेंसी कालेज,
त्रिपल्लीकेन, मद्रास-600005 (तमिलनाडु)

7. क्वीन मेरीस कालेज
मैलापुर, मद्रास-600004 (तमिलनाडु)

8. सैकरेड हार्ट कालेज,
त्रिपुतूर-635602 (तमिलनाडु)

9. एन.के.टी. नेशनल, कालेज आफ एजूकेशन
फार वूमेन, त्रिपलीकेन, मद्रास-600005 (तमिलनाडु)

10. सेंट क्रिसटोपर्स कालेज आफ एजूकेशन,
63, ई.वी.के. सम्पथ रोड, मद्रास-600007 (तमिलनाडु)

11. टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट
मद्रास-600113 (तमिलनाडु)

12. भारती वूमेन्स कालेज,
नार्थ मद्रास, मद्रास-600108

मदुराई कामराज विश्वविद्यालय

1. लेडी दोक कालेज
मदुरै-625001 (तमिलनाडु)

2. मदुरा कालेज
मदुरै-625011 (तमिलनाडु)

3. दी अमेरिकन कालेज
तालाकुलम, मदुरै-625002 (तमिलनाडु)

4. अरूल अन्नदर कालेज
कारमातुर, मदुरै-626514 (तमिलनाडु)

5. जी.टी.एन. आर्टस कालेज
कुरूर रोड, जिला डिंडीगुल-624006 (तमिलनाडु)

6. त्यागराजार कालेज
मदुरै-625009 (तमिलनाडु)

7. विवेकानन्द कालेज
तिरूवेदकम वेस्ट, पी.ओ. (वाया) गोलाबंदन
जिला मदुरै-624217

8. आया नादर जानकी अमल कालेज
सिवाकासी-626124 (तमिलनाडु)

9. फातिमा कालेज
मदुरै-625018 (तमिलनाडु)

10. त्यागराजर कालेज आफ इंजीनियरिंग
मदुरै-625015 (तमिलनाडु)

11. श्री मीनाक्षी गवर्नमेंट कालेज फार वूमेन
मदुरै-625002

मनोनमनीयम सुंदरनार विश्वविद्यालय

1. सैंट जेवियर कालेज
पलायनकोटाई (तमिलनाडु)
तिरूनलवेली-627402 (तिरूनलवेली)

2. एस.पी. कालेज फार वूमेन
कोटालायम-627402 (तिरूनलवेली)

पेरीयार विश्वविद्यालय

1. श्री शारदा कालेज फार वूमेन
सेलम-630016

2. श्री शारदा कालेज आफ एजूकेशन
अलगपुरम, सेलम-636016

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

1. ईविंग क्रिश्चियन कालेज
इलाहाबाद-211003

कानपुर विश्वविद्यालय

1. हारकोर्ट बटलर
टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट
कानपुर-208002 (उ.प्र.)

पूर्वांचल विश्वविद्यालय

1. उदई प्रताप कालेज
वाराणसी (उ.प्र.)

[अनुवाद]

जबरदस्ती वसूली के मामलों में वृद्धि

830. **श्री भीम दाहाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में जबरदस्ती वसूली के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जनवरी, 1999 से आज की तिथि तक कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(घ) कुल मामलों में से अब तक कितने मामले सुलझा लिये गये हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली में जनवरी, 1999 से 15 फरवरी, 2000 तक सूचित किए गए लूट-खसोट के माह-वार आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है। इससे पता चलेगा कि दिल्ली में हाल के महीनों में लूट-खसोट के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) वर्ष 1999 में सूचित किए गए लूट-खसोट के 133 मामलों में से 65 मामलों को सुलझा लिया गया है और वर्ष 2000 में सूचित हुए 10 मामलों में से 5 मामले हल कर लिए गए हैं।

(ङ) लूट-खसोट से संबंधित मामलों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अलग से एक लूट-खसोट विरोधी एकक की स्थापना की गयी है। लूट-खसोट मामलों में लिप्त अनेक गिरोहों का पता लगाया गया है और पिछले कुछेक महीनों में दिल्ली पुलिस द्वारा अनेक कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

विवरण

वर्ष/माह	सूचित किए गए लूट-खसोट मामलों की संख्या
1999	
जनवरी	15
फरवरी	12
मार्च	13
अप्रैल	9
मई	16
जून	12
जुलाई	4
अगस्त	2
सितम्बर	5
अक्तूबर	9
नवम्बर	8
दिसम्बर	8
कुल	113
2000	
जनवरी	7
फरवरी (15.2.2000 तक)	3
कुल	10

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

831. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री विजय गोयल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान अब तक दिल्ली पुलिस के कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) दिल्ली पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) संदर्भाधीन अवधि के दौरान 15 फरवरी, 2000 तक दिल्ली पुलिस के उन कार्मिकों की संख्या 25 थी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे, इनमें तीन राजपत्रित अधिकारी सम्मिलित हैं। जबकि इन मामलों की जांच पड़ताल का काम चल रहा है, इनमें से 21 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

(ख) भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किए गए उपायों में संदेहपूर्ण निष्ठा वाले संदिग्ध पुलिस कार्मिकों पर कड़ी नजर रखना, तथा दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों को अनुकरणीय दण्ड देना ताकि अन्य भ्रष्ट आचरण से डरें, शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति का वैश्वीकरण

832. **डा. वी. सरोजा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धति का वैश्वीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) सरकार ने पहले ही विदेशों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों नामत: आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध और औषध रहित चिकित्सा जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) आयुर्वेद, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए भारत और रूस संघ की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों के विशेषज्ञ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग) के प्रतिनिधि और उद्योग के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और मेलों में भाग ले रहे हैं।

(3) विदेशी छात्रों को भारत में आयुर्वेद और होम्योपैथी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने का अवसर दिया जाता है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं जिनमें विदेशों के प्रतिनिधि/प्रतिनिधि मंडल भाग लेते हैं।

प्रतिभा पलायन

833. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और विकसित करने तथा देश से भारी संख्या में हो रहे प्रतिभा पलायन को रोकने हेतु नई नीति को पुन: तैयार करने के संबंध में कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में व्यावहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के विकास तथा प्रोत्साहन हेतु चल रही और तैयार की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिभा पलायन को रोकने तथा विदेशों में बसे वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को भी भारत वापस लौटने हेतु आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

* विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थानों में और अधिक उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन केन्द्र स्थापित करना।
* उद्यमवृत्तिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
* एसोसिएटशिप/अध्येतावृत्ति/पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण।
* वैज्ञानिक पूल योजना के तहत वैज्ञानिकों एवं तकनीकीविदों के अस्थायी स्थानन हेतु प्रावधान।
* विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता के लिए अल्पावधि तकनीकी समनुदेशन के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करना।
* देश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अप्रवासी भारतीयों को सहायता देने हेतु विशेष कार्यक्रम।
* विदेशों से व्यावसायिक वापसी के लिए उपस्करों के आयात की सुविधा के लिए प्रावधान।
* युवा वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाएं।
* अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों का दौरा करने के लिए बॉयजकास्ट अध्येतावृत्ति।
* स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्तियां।
* अनुसंधान और विकास को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित तथा अभिप्रेरित करने के लिए संपर्क कार्यक्रम।
* वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं को वित्त पोषण देकर कई कार्यक्रमों/योजनाओं को सहयोग प्रदान किया गया है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान वित्त पोषित आर एंड डी परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 1716, 1795 तथा 1780 है। इसमें तन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सहयोग की गई 207, 166 तथा 172 आर एंड डी परियोजनाएं शामिल हैं।

कर्नाटक के लिए विशेष पैकेज

834. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक के रायचूर तालुका के समग्र विकास हेतु एक विशेष पैकेज तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक से रायचूर तालुका के सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु एक विशेष पैकेज प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर कब तक विचार कर लिए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कब तक आबंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवादी समस्या पर होलिस्टिक रुख अपनाने के उद्देश्य से, प्रभावित राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से, प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षा और विकास सबंधी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए कार्य योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में कर्नाटक को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत कर्नाटक सरकार से 3054.104 लाक रुपये राशि की एक भावी योजना प्राप्त हुई है। तथापि, उक्त प्रस्ताव में रायचूर तालुका के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के संबंध में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।

अलगाववादी/आतंकवादी समूहों की आपस में सांठ-गांठ

835. श्री श्रीप्रकाश जायसवालः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में सक्रिय सभी अलगाववादी तथा आतंकवादी समूह, अपनी गतिविधियों में तेजी लाने हेतु आपस में साठ-गांठ का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर में अधिकांश उग्रवाद, धन अर्जित करने के एकमात्र लक्ष्य से हत्या, धन-ऐंठने और अपहरण के एक कुटीर उद्योग के रूप में अपविकसित हुआ है जिसकी मोटे-तौर पर कोई विचारधारा नहीं है। अपने उपर्युक्त लक्ष्य के अनुसरण में पूर्वोत्तर में उग्रवादी ग्रुप यदा-कदा अवसरवादी मैत्री संबंध बनाते हैं।

उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए उपायों में शामिल है-अर्ध-सैनिक बलों और सेना की तैनाती करना, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना, सुरक्षा संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर करना, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को ''विक्षुब्ध क्षेत्र'' घोषित करना तथा प्रमुख विद्रोही गुटों को विधि-विरुद्ध अधिसूचना करना शामिल है। स्थिति पर निगरानी भी रखी जाती है तथा समुचित कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है। सरकार शांति बहाल करने के प्रति दृढ़-संकल्प है तथा जो मैत्री के मार्ग से भटक गए हैं उन सभी को आगे आने और संविधान के दायरे के भीतर बातचीत करने का निमंत्रण दिया है।

नए राज्यों का गठन

836. श्री रतनलाल कटारिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण कुछ राज्यों के प्रबंधन में समस्याएं आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नए राज्यों का गठन करने का है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सरकार इस आधार पर कि बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण उनके प्रबंधन में समस्याएं आती हैं, राज्यों के सामान्य पुनर्गठन पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, सरकार ने वनांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल/नए राज्यों के सृजन के वर्तमान बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000, जिसमें उत्तरांचल के प्रस्तावित राज्य के सृजन का प्रावधान है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा उस पर उनके विचार जानने के लिए उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल को भेजा है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 के अंतर्गत अपेक्षित है। बिहार और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन के विधेयक उनके विचार जानने के लिए शीघ्र ही संबंधित विधान मण्डलों को भेजने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली बालिकाएं

837. श्री हरिभाई चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या वर्ष 1960-61 में 65 प्रतिशत थी जो वर्ष 1998-99 में घटकर 39.74 प्रतिशत हो गई और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में यह संख्या वर्ष 1960-61 में 78 प्रतिशत थी जो वर्ष 1998-99 में घटकर 56.82 प्रतिशत हो गई है।

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सूक्ष्म-आयोजना तथा समाज का सहभागी बनाना, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक शामिल करना, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के माध्यम से स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूलों की स्थापना करना, उपस्थिति छात्रवृत्तियों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, और यूनिफार्म की व्यवस्था करना, शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान करना, अधिक से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना, बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों का प्रबंध करना शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को लागू किये जाने से प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन तथा उन्हें स्कूलों में सहज रूप से बनाए रखने पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

[अनुवाद]

मलेरिया/क्षय-रोग का औषधरोधी होना

838. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई स्थित क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए एक अध्ययन से उजागर हुआ है कि मलेरिया और क्षय रोग औषधरोधी होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नई घटना के प्रभावकारी रूप से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) क्षयरोग के मामले में, क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई ने बताया है कि पहले से ही उपचार न किए गए रोगियों में प्राथमिक प्रतिरोध की व्याप्तता में बढ़ोत्तरी का प्रभाव वर्ष भर से देखा गया है। मगर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ऐसे रोगियों में 2-3% तक एम.टी.आर.-टी.बी. की व्याप्तता का स्तर अल्प है।

अर्जित प्रतिरोध की उच्चतर व्याप्तता संबंधी रिपोर्ट अनियमित उपचार वाले रोगियों ही के संबंध आम तौर पर पायी जाती है।

औषध प्रतिरोध क्षयरोग में बढ़ोत्तरी रोकने का एकमात्र कारगर उपाय रोगियों के उपचार में संवर्धन करना है जिससे कि औषध प्रतिरोधी क्षयरोग उत्पन्न न हो। भारत सरकार ने उपचार विधान जो प्रतिरोध उत्पन्न होने की अल्प दर के साथ बहुत प्रभावी सिद्ध हुए हैं, का उपयोग करते हुए एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। औषध प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में दी जाती है ताकि रोगमुक्ति तक रोगियों द्वारा दवा लिया जाना सुनिश्चित हो सके। यह कार्यक्रम 140 मिलियन लोगों को कवर कर रहा है और इस वर्ष लगभग 250 मिलियन जनता को कवर करने की आशा है। यह कार्यक्रम कई चरणों में समस्त देश को कवर करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पता लगाए गए रोगियों को प्रभावी ढंग से रोगमुक्त किया जाए और औषध प्रतिरोध की स्थिति को उत्पन्न होते ही रोक दिया जाए।

मलेरिया के संबंध में औषध प्रतिरोध शक्ति के बारे में कोई सूचना इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि देश में औषध प्रतिरोध शक्ति की समस्या को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय, स्थित राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम की 13 पी.एफ. मॉनिटरिंग टीमें पी. फाल्सीपेरम रोगियों की नियमित औषध सुग्राहिता परीक्षण कर रही है।

(2) पी.एफ. प्रतिरोधशक्ति वाले रोगियों के लिए वैकल्पिक औषधें प्रदान की जा रही हैं और प्रतिरोधशक्ति का पर्याप्त स्तर दर्शाने वाले क्षेत्रों को पी.एफ. रोगियों के उपचार के लिए वैकल्पिक औषध के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

(3) औषध नीति को बदल दिया गया है और संशोधित औषध नीति के अंतर्गत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ज्वर समूल उपचार का अंगीकार किया गया है।

(4) उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, जिसमें औषध प्रतिरोधशक्ति वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, में वेक्टर नियंत्रण उपायों को तेज किया जा रहा है।

(5) समुदाय सहभागिता प्राप्त करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इण्डो-ओमान यूरिया परियोजना

839. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इण्डो-ओमान यूरिया परियोजना में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट तथा विदेशी ऋणदाताओं द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो इस परियोजना के भारतीय प्रवर्तकों नामत: कृभको एवं आर सी एफ को मंजूर नहीं थी, परियोजना के पुनर्गठन करने की आवश्यकता के कारण ओमान इंडिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के संबंध में कोई भी शीघ्र निर्णय लेना सम्भव नहीं हुआ है। भारत सरकार के विचाराधीन पुन:निर्मित परियोजना का अनुमोदन मिल जाने के बाद ही, इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह परियोजना वित्तीय समापन की तिथि से 35 माह की अवधि में पूर्ण हो जाएगी।

पुलिस विभाग में सुधार संबंधी समिति

840. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटिल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस विभाग में सुधार संबंधी एक नई समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषयों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति और पुलिस विभाग में सुधार संबंधी पुरानी समितियों में क्या अंतर है;

(घ) क्या पूर्व समितियों द्वारा सुझायी गयी सभी सिफारिशों पर विचार करके उन्हें लागू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) नई सहस्राब्दि में पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने के लिए तथा उनका समुचित रूप से सामना करने हेतु तौर-तरीके सुझाने के लिए 5 जनवरी, 2000 को एक समिति का गठन किया गया था।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग, विधि आयोग और वोहरा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के पुनरीक्षण पर लम्बित एक लोक हित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में पिछली समिति 25 मई, 1998 को गठित की गई थी। समिति को रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जानी थी जोकि दाखिल कर दी गई है।

[हिन्दी]

राजभाषा

841. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय के राजभाषा स्कन्ध से इस आशय की शिकायत की गई है कि राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान शिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) ने अपने अर्थशास्त्र और अन्य विषय की पुस्तकों में मानक हिन्दी पर्यायों का प्रयोग न करके राजभाषा नीति का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा राजभाषा नीति का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, राजभाषा विभाग को मातृभाषा विकास परिषद, नई दिल्ली से दिनांक 14 फरवरी, 2000 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) नई दिल्ली द्वारा अर्थशास्त्र विषय की पुस्तकों में हिन्दी के मानक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है।

(ख) यह शिकायत निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को उचित कार्रवाई हेतु भेज दी गई है क्योंकि पुस्तकों में हिन्दी के मानकीकरण का कार्य एन सी ई आर टी और हिन्दी के मानकीकरण का कार्य वैज्ञानिकी एवं तकनीकी शब्दावली आयोग करता है। यह दोनों ही संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

(ग) संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है। साधारणतः केन्द्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नीति का पालन करते हैं। सरकार के अन्य नियमों आदि की भांति राजभाषा अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराना विभाग/संस्थान के प्रमुख का दायित्व है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

842. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध और महिलाओं और युवतियों को उनके नियत अधिकार और उनका नियत स्तर दिलाने के संबंध में 17 जनवरी, 2000 से नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मलेन के 68वें वार्षिक सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये और मुख्य सिफारिशें की गई;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सरकार को 17-20 जनवरी, 2000 के दौरान आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के 68वें वार्षिक सम्मेलन में की गयी सिफारिशें और टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मदरसों का आधुनिकीकरण

843. श्री ई. अहमद: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु केरल के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ। केरल सरकार को वर्ष 1995-96 के दौरान मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 12,76,800 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष में तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई राशि मुक्त नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। आवर्ती अनुदान भी नहीं दिया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने 1995-96 में स्वीकृत 12,76,800 रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया तथा उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजा था।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक शोषण

844. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थागत विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें अपनायी गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों में काम करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों के आर्थिक शोषण के संबंध में योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 17.2.2000 तक देश में 5456 स्कूलों को बोर्ड से संवर्द्धन प्राप्त है। (जिसकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है)

(ख) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों और विनियमों के अनुरूप स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय माध्यमिक

शिक्षा बोर्ड ऐसे स्कूलों को संवर्द्धन प्रदान करता है जो बोर्ड के संवर्द्धन उपनियमों में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करें। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि, भवन, प्रबंध, शिक्षण कर्मचारी, वेतन, पाठ्यचर्या आदि से संबंधित न्यूनतम जरूरतों का पूरा किया जाना तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र शामिल है। तथापि सरकार द्वारा चलाए जा रहे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों जैसे कतिपय श्रेणी के स्कूलों के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त लागू नहीं होती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में 17.2.2000 तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धन प्राप्त स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	215
2.	आसाम	82
3.	बिहार	297
4.	गुजरात	85
5.	हरियाणा	335
6.	हिमाचल प्रदेश	84
7.	जम्मू और कश्मीर	62
8.	कर्नाटक	116
9.	केरल	303
10.	मध्य प्रदेश	286
11.	महाराष्ट्र	126
12.	मणिपुर	21
13.	मेघालय	16
14.	नागालैंड	9
15.	उड़ीसा	98
16.	पंजाब	227
17.	राजस्थान	202
18.	सिक्किम	116
19.	तमिलनाडु	152
20.	त्रिपुरा	11
21.	उत्तर प्रदेश	658
22.	अरुणाचल प्रदेश	161
23.	मिजोरम	5
24.	प. बंगाल	105
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप	80
26.	चंडीगढ़	113
27.	गोवा	9
28.	पांडिचेरी	5
29.	दादर व नगर हवेली	2
30.	दमन व दीव	3
31.	लक्षद्वीप	3
32.	दिल्ली	1469
	कुल	5456

[अनुवाद]

जामा मस्जिद के आस-पास अनधिकृत अतिक्रमण

845. **श्री विजय गोयल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामा मस्जिद के आस-पास तथा इसके पार्कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) डी.डी.ए. ने सूचना दी है कि जामा मस्जिद के आस-पास अर्द्ध-पक्के/पक्के ढांचों तथा मोटर-पार्ट्स विक्रेताओं एवं कबाड़ियों इत्यादि के द्वारा वाणिज्यिक अतिक्रमण के रूप में कुछ अतिक्रमण किया है।

(ग) डी.डी.ए. ने इन अतिक्रमणों को रोकने एवं हटाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी निर्णयाधीन है। जामा-मस्जिद की पटरियों पर से कुछ अतिक्रमण हटाया भी गया किन्तु इन अतिक्रमणों के अस्थायी प्रकृति का होने के कारण ये फिर वापस आ जाते हैं। तथापि, हाल ही में ऐसे ही एक ढांचे को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे अदालती आदेश के आधार पर जामा मस्जिद ट्रस्ट ने स्वयं हटवा दिया।

गुजरात में तस्करी

846. **श्री रामजी मांझी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीली दवाओं और विस्फोटकों का अवैध व्यापार करने और 500 रुपये के जाली नोट डालने के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान जाली पासपोर्टों, डिग्रियों, राशन कार्डों, जाली डाक टिकटों, राजस्व टिकटों आदि के माहवार और राज्यवार कितने मामले थे;

(ग) इस संबंध में कितने पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा कानूनों में संशोधन

847. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित अधिकांश कानून पुराने पड़ गए हैं और वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इनको समुचित रूप से अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) खाद्य निरापदता संबंधी अपेक्षाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अनुबद्ध हैं। उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कानून में संशोधन करना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसका सहारा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में कानून के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लिया जाता है।

(ग) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया की अध्यक्षता में खाद्य कानूनों पर कार्यदल (स्टाक फोर्स) प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने वाले कमीशन आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संस्तुतियों को ध्यान में रखकर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन करने की आवश्यकता की जांच करने हेतु विभागीय अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया है।

घुसपैठ

848. **श्रीमती रीना चौधरी:**
श्री भीम दाहाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 2000 के द टाइम्स आफ इंडिया में ''सिक्स लाख मिलिटेंटस रेडी फार वार: अजहर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सीमा पर उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार, मोलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान में अनेक बैठकों और प्रेस

सम्मेलनों को सम्बोधित करते हुए "जेहाद" छेड़ने के लिए 6,00,000 मुजाहिद्दीन भर्ती करने की कसम खाई है। उसने "लस्कर-ए-मुहम्मदी" नामक एक नए आतंकवादी तंजीम के गठन की घोषणा भी की है।

(ग) सरकार ने, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी नीति अपनायी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर आपरेशन ग्रुपों और एकीकृत मुख्यालय के आसूचनाओं ग्रूपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी सुरक्षा बलों के लिए हथियार और उपकरण इत्यादि शामिल है।

गहन गश्त और व्यापक तलाशी अभियानों के जरिए सीमा पर कड़ी निगरानी सहित उग्रवादियों को खदेड़ने, घुसपैठ को रोकने और उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नये सिरे से भी कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

849. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के लिए नया मास्टर प्लान तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) संशोधित मास्टर प्लान कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना-2001 चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में क्षेत्रीय योजना की समीक्षा व संशोधन का प्रावधान है। सांविधिक अपेक्षा के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना-2001 की समीक्षा संबंधी कार्य 23.12.96 को आरंभ हुआ तथा फरवरी, 99 में पूरा हुआ एवं बोर्ड ने इसका 23 मार्च, 1999 को अनुमोदन किया।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(1) भू-उपयोग तथा विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि के आबंटन संबंधी नीति,

(2) प्रमुख शहरी बसाव पैटर्न संबंधी प्रस्ताव,

(3) भावी विकास के लिए समुचित आर्थिक आधार प्रदान कराने संबंधी प्रस्ताव,

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले रेल मार्गों व प्रमुख सड़कों सहित परिवहन तथा संचार से संबंधित प्रस्ताव;

(5) पेय जल आपूर्ति व जल निकासी के प्रबंध में प्रस्ताव;

(6) उन क्षेत्रों को दर्शाना, जिनका "प्राथमिकता क्षेत्रों" के रूप में तत्काल विकास किया जाना हो; तथा

(7) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास तथा संतुलित विकास के लिए सहभागी राज्यों व संघशासित प्रदेशों की सहमति से शामिल किये जायेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का सहभागी राज्यों की सहमति से उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार करने का प्रस्ताव है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय योजना 2021 की तैयारी अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है और इस अवस्था में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास संबंधी शिखर सम्मेलन

850. श्री रामशकल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में 9 से 10 जनवरी, 2000 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महिला और बाल विकास सचिवों का शिखर सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और कौन से विषयों पर आम सहमति हुई है/नहीं हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हाँ। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास के प्रभारी मंत्रियों तथा सचिवों का एक सम्मेलन 9-10 फरवरी, 2000 को आयोजित किया गया।

(ख) सम्मेलन के दौरान, महिला एवं बाल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों तथा भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकांश राज्यों ने समान उद्देश्यों वाली कतिपय स्कीमों को मिला देने की सिफारिश की। विभिन्न स्कीमों के लिए भारत सरकार द्वारा और अधिक धन उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित स्कीमों के लिए राज्य सरकार के बजट से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी भवनों में सौर प्रौद्योगिकी का उपयोग

851. **श्री सी.के. जाफर शरीफ**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी भवनों, होटलों, अस्पतालों और सामुदायिक केन्द्रों आदि में सौर ऊर्जा प्रचालित वाटर/एयर हीटरों का उपयोग अनिवार्य करने के लिए आदर्श संहिता/भवन उप-नियम बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का सौर ऊर्जा क्षम डिजाइन की सहायता और उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) सौर तापीय प्रौद्योगिकी उपलब्धता और प्रोत्साहन हेतु प्रायोगिक परियोजनाएँ, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ। सरकार द्वारा व्यावसायिक भवनों में सौर ऊर्जा प्रचालित वाटर हीटर (एस.एस.डब्ल्यू.एच.) लगाने हेतु आदर्श विनियमों और उप-नियमों का मसौदा तैयार करके सभी शहरी स्थानीय निकायों में प्रचालित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है ताकि वे उन्हें अपने भवन-निर्माण उप-नियमों में शामिल कर सकें।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली की सरकार ने राज्य क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों में सौर ऊर्जा प्रचालित वाटर हीटरों को लगाना अनिवार्य कर दिया है।

(ख) और (ग) देश में उपलब्ध सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए ऊर्जाक्षम भवन-निर्माण डिजाइनों के प्रोत्साहन का कार्यक्रम गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन मंत्रालय सरकारी और अर्ध-सरकारी क्षेत्रों में सोलर बिल्डिंगों के डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। काफी डिजाइन अवधारणाएं प्रस्तुत की गई है, काफी प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन) भवनों का डिजाइन किया गया है और इस क्षेत्र में काम कर रहे कुछ अनुसंधान ग्रुपों और वास्तुकों के ग्रुपों को स्थापित किया गया है।

सौर ऊर्जा प्रचालित वाटर हीटिंग प्रणाली लगाने के लिए इरेडा और चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों के जरिए लागत का 85% तक उदार ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा ऐसी प्रणालियां लगाने के लिए वाणिज्यिक संगठनों को 100% अवमूल्यन भत्ते के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध है।

मेगा सिटी परियोजनाएं

852. **श्री अकबर अली खांदोकर**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित मेगा सिटी योजना के अंतर्गत महानगर कलकत्ता में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई है, इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं, कितनी परियोजनाएं चल रही है तथा कितनी परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि में केन्द्र तथा राज्य का कितना-कितना हिस्सा है और संस्थाओं से अभी तक इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि जुटाई गई है;

(ग) क्या चल रही परियोजनाओं के निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा होने की संभावना; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मेगा सिटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाता है तथा कलकत्ता के मामले में कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डवलपमेंट अथारिटी (सी.एम.डी.ए.) नोडल एजेंसी है। ये अवस्थापना परियोजनाएं हैं जो सामान्यतया लम्बी अवधि की होती है अतः इन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। तथापि सी.एम.डी.ए. द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर अनेक परियोजनाएं लगभग पूरी होने वाली हैं।

विवरण

(क) 31.12.99 तक की सूचना इस प्रकार हैं:

अवस्थापना विकास संबधी अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	72
परियोजनाओं की कुल लागत	598.45 करोड़ रु.
परियोजनाओं की संख्या जो पूरी हो गई हैं	30
परियोजनाओं की संख्या जो चल रही हैं	42
परियोजनाओं की संख्या जो शुरू की जानी हैं	शून्य

(ख) 31.12.99 तक की सूचना इस प्रकार हैं:

प्रदत्त केन्द्रीय अंश (फरवरी 2000 तक) की राशि	115.76 करोड़ रु.
प्रदत्त राज्य अंश की राशि	209.65 करोड़ रु.
एकत्रित सांस्थानिक वित्त की राशि	186.61 करोड़ रु.

[हिन्दी]

जनसंख्या विस्फोट

853. **श्री मंजय लाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 2000 के "राष्ट्रीय सहारा" में "देश जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर, नीति नांद में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का अनुमोदन कर दिया है। इसमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय एजेंडा लागू करने की बात कही गई है। जिसमें प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवा की आऊट रीच और कवरेज बढ़ाना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, गर्भ निरोधक सेवाओं की अपूरित जरूरतों को पूरा करना और ग्राम तथा घरेलू स्तरों पर समेकित सेवा प्रदानगी को यह जगह उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

854. **श्री राजो सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबद्ध विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग)

राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं:

द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली के संवर्धन/उन्नयन के लक्ष्य वाली राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं विश्व बैंक सहायता से निम्नलिखित राज्यों में नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है:

राज्य का नाम	परियोजनावधि	परियोजनागत परिव्यय (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	1.3.95 से $6^1/_2$ वर्षों तक	608.00 रुपये
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्षों तक	698.00 रुपये
कर्नाटक	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्षों तक	546.00 रुपये
पंजाब	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्षों तक	425.00 रुपये
उड़ीसा	सितम्बर, 98 से 5 वर्षों तक	415.57 रुपये
महाराष्ट्र	14.2.99 से $5^1/_2$ वर्षों तक	727.00 रुपये

विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-VIII परियोजना

बेंगलूर, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद महानगरों में 6 अगस्त, 1993 से कार्यान्वित हो रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-VIII परियोजना को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त 94 नगरों/शहरों और दो राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 276.01 करोड़ रुपयों से 442.01 करोड़ रुपयों तक की संशोधित लागत पर संभार तंत्रीय परियोजनाओं के लिए जून, 2001 तक बढ़ा दिया गया है। परियोजना में परियोजनागत क्षेत्र की शहरी स्लम जनसंख्या के लिए समेकित परिवार कल्याण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा (मातृ और शिशु स्वास्थ्य सहित) प्रदान की जाती हैं ताकि प्रजननतादर, मातृ और नवजात शिशु मृत्युदर और रुग्णता दर के स्तरों में कमी लाई जा सके।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त–आई.पी.पी.-IX परियोजना:

समस्त असम राज्य, राजस्थान के दस पिछड़े जिलों नामत: पाली, सिरोही, जैसलमेर, चुरु, जोधपुर, जालौर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर और कर्नाटक के तरह पिछड़े जिलों नामत: बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हसन, कोडागु, मांड्या, शिमोगा, उत्तर कन्नड़, चिकमगलूर, बीजापुर, बेलगाम, गुलबर्गा, और मैसूर में 335.00 करोड़ रुपयों की सकल लागत से 16 जून, 1994 से 7 वर्षों की अवधि के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त–IX परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रियोजनागत क्षेत्र में ग्रामीण जनता को विशिष्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना है।

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य उप-परियोजनाएं:

परिवार कल्याण विभाग ने 1997-98 के दौरान विश्व बैंक सहायता से प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम में प्रजनन पथ संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण की परिचर्या और प्रबंधन के लिए अतिरिक्त निवेश करके मौजूदा मातृ और शिशु परिचर्या सेवाओं को प्रजनन दर विनियमन कार्यक्रमों के साथ समेकित किया गया है। यह कार्यक्रम देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 9वीं योजनावधि के दौरान अनुमोदित परिव्यय 5112.23 करोड़ रुपये है। विश्व बैंक ने प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की सहायता के प्रथम चरण हेतु 876.45 करोड़ रुपये (एस.डी.आर. 179.05 मिलियन) की धनराशि देने का वचन दिया है।

शहरी प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य

शहरी प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना विश्व बैंक और यूरोपियन आयोग तथा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श की अवस्था में है। परामर्श प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद इसमें बड़े राज्यों के शहरी स्लम इलाकों को कवर करने की सम्भावना है।

संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना

संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना 30.9.1997 से चलायी गयी है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 100 जिलों और 10 राज्यों के 19 शहरी नगरों को कवर करती है। इस परियोजना का सकल परिव्यय 5 वर्षीय अवधि के लिए 891.04 करोड़ रुपये है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 15% अर्थात 164.75 करोड़ रुपये है।

मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक सप्त वर्षीय मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1994-95 से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना देश के सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रही है। इसका लक्ष्य मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता की व्याप्तता को कम करना और नेत्र परिचर्या हेतु बुनियादी ढांचे का विकास करना है। परियोजना के लिए 554.36 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गयी है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

दूसरा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 9 नवम्बर, 1999 से प्रभावी हो गया है। इस परियोजना के लिए मंजूर सकल राशि 1425 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

देश के समस्त जिलों में नि:शुल्क बहुऔषधीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 1993-94 से अगली 6 वर्षीय

अवधि के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से मदद मिलती है। 6 वर्षों के लिए सहायता की सकल मंजूर राशि 302 करोड़ रुपये है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

देश के 102 जिलों में 271.2 मिलियन जनसंख्या को कवर कर रहे संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए, विश्व बैंक 142.4 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने पर सहमत हो गया है। यह परियोजना मार्च, 1997 में चलायी गयी थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 140 मिलियन जनसंख्या पहले से ही कवर कर ली गयी है और आशा है कि अगले 2-3 महीनों में यह कवरेज 200 मिलियन जनसंख्या तक हो जायेगा। विश्व बैंक सहायता के उसी प्रावधान से 400 मिलियन जनसंख्या को वर्ष 2002 तक कवर करने का हाल ही में फैसला किया गया है।

आंध्र प्रदेश में विकास योजनाएं

855. **श्री सुल्तान सलाहउद्दीन ओवेसी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों के विकास हेतु प्राप्त योजनाओं का तथा किए गए आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक, इस संबंध में वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आंध्र प्रदेश में स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार हैं:

I. छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी);

स्कीम में 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों के विकास की व्यवस्था है। किए गए नियतन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

II. मेगा सिटी स्कीम

स्कीम में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। अवस्थापना विकास के लिए हैदराबाद मेगा सिटी को पिछले तीन वर्षों के दौरान मुहैया की गई सहायता निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	राशि
1997-98	12.22 करोड़
1998-99	13.90 करोड़
1999-2000	15.66 करोड़

III. कम लागत स्वच्छता स्कीम:

स्कीम में शुष्क शौचालयों के स्थान पर जल वाही शौचालयों के निर्माण और जहां कोई शौचालय नहीं वहां स्वच्छता शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश में 231.37 करोड़ रु. की परियोजना लागत पर 78 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं और 31.1.2000 तक 51.66 करोड़ रु. भारत सरकार सब्सिडी जारी कर दी गई है।

IV. हडको द्वारा वित्तपोषित शहरी अवस्थापना स्कीमें

हडको से आंध्र प्रदेश में 84 शहरी अवस्थापना स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 913.86 करोड़ रुपए की ऋण राशि सहित कुल परियोजना लागत 1563.08 करोड़ रु. है। इन स्कीमों के लिए 467.30 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए लिया गया नियतन निम्नलिखित अनुसार है:

1997-98

24 स्कीमों को वित्त दिया गया जिसमें 143.87 करोड़ रु. ऋण राशि सहित 213.92 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत निहित है। इस अवधि के दौरान 84.69 करोड़ रुपए जारी किए गए।

1998-99

219.06 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली 4 स्कीमें स्वीकृत की गई जिसमें 123.20 करोड़ रुपये की ऋण राशि सम्मिलित थी, इस अवधि के दौरान 77.123 करोड़ रुपये जारी किए गए।

1999-2000 (31.1.2000)

5 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनमें 477.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत 222.78 करोड़ रु. के ऋण घटक निहित है। अब तक 15.91 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आंध्र प्रदेश के लिए 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (31.1.2000 तक) के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. और सी.यू.आई.एस.एस. के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता					
		1997-98		1998-99		1999-2000 (31.2.2000 तक)	
		सीयूआईएसएस	आईडीएसएमटी	सीयूआईएसएस	आईडीएसएमटी	सीयूआईएसएस	आईडीएसएमटी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वानापार्थी	—	20.48	—	—	—	—
2.	काकीनाडा	—	14.50	—	—	—	—
3.	करनूल	—	34.00	—	8.51	—	—
4.	चित्तूर	—	41.00	—	24.00	—	66.00
5.	नेल्लौर	—	4.00	—	—	—	—
6.	गदवाल	—	2.00	—	—	—	—
7.	भोंगीर	—	8.00	—	—	—	—
8.	कुप्पम	—	6.00	1.80	—	—	—
9.	इलुरू	—	12.00	—	—	—	—
10.	बोब्लिली	—	8.00	1.80	—	—	—
11.	मछली पटनम	—	14.64	3.00	43.36	—	—
12.	जग्गेयापेटा	—	—	—	23.00	—	—
13.	कुडप्पा	—	—	—	70.00	—	—
14.	रापेल्ली	—	—	—	18.00	—	—
15.	श्रीकलाहस्ती	—	—	—	40.00	—	—
16.	निजामाबाद	—	—	—	60.00	—	—
17.	अनंतपुर	—	—	—	47.00	—	—
18.	विकाराबाद	—	—	—	24.00	—	—
19.	मिरयालागुडा	—	—	—	29.00	—	—
20.	अदोनी	—	—	—	23.00	—	—
21.	हिंदुपुर	—	—	—	32.00	—	—
22.	अमदलवल्सा	—	—	—	58.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	विजयनगरम	—	—	—	100.00	—	—
24.	राजामुंद्री	—	—	—	90.00	—	—
25.	गेंटूर	—	—	—	100.00	—	—
26.	वांरगेल	—	—	—	90.00	—	—
27.	करीमनगर	—	—	1.44	43.00	1.56	—
28.	मछेरला	—	—	1.29	20.00	0.51	—
29.	नारायणपेट	—	—	—	—	—	24.00
30.	जिगतियाल	—	—	—	—	—	37.00
31.	चिलाकलूपरिपेट	—	—	—	—	—	26.00
32.	अमालापुरम	—	—	—	—	—	24.50
33.	संगारेड्डी	—	—	—	—	—	26.50
	कुल	—	164.62	9.33	942.87	2.07	204.00

[हिन्दी]

छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता

856. **श्री मोहन रावले:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) छात्रों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 में "स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरणीय प्रबोधन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई। इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नवाचारी और प्रयोगात्मक कार्यक्रमों को करने के उद्देश्य से शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों, लोक न्यासों और लाभ न कमाने वाली कम्पनियों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

857. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरों के विकास तथा पहचान की गई योजनाओं के अंतर्गत बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु राज्यों की केन्द्रीय सहायता में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम संसाधनों वाले छोटे राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदानों से सहायता की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो शहरों के विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को कुल कितना अनुदान दिए जाने पर सहमति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) छोटे एवं मझौले दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास, मेगा सिटी परियोजना, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा मैला

होने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत के सफाई प्रबंध योजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता (बजटीय) बढ़ा दी गई है।

(ख) योजना नियतन का 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) शहरी विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के लिए कुल अनुदान इस प्रकार हैं:

	योजना	9वीं पंचवर्षीय योजना	1999-2000
1.	छोटे एवं मझौले दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी)	275.00	50.00
2.	मेगा सिटी योजना	500.00	86.47
3.	त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	370.00	65.00
4.	कम लागत के सफाई प्रबंध	200.00	34.65

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

858. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री रामदास आठवले:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री आर.एल. भाटिया:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल:
श्री रामसागर रावत:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
डा. संजय पासवान:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री कृष्णमराजू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंधार हवाई अड्डे से आई.सी. 814 विमान के बंधकों को छुड़ाने हेतु छोड़े गए खतरनाक पाकिस्तानी आतंकवादियों और अपहर्ताओं के कारण जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य हिस्सों से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सुरक्षा शिविरों पर हिंसक हमले सहित मुख्य आतंकवादी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जनसंख्या हेतु कृतिक बल

859. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या में वृद्धि को रोकने हेतु किसी विशेष कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति प्रत्येक तिमाही में एक बार चार कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण विभाग ने एक विभागीय टास्क फोर्स गठित की है जो सात राज्यों नामत: असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन और जनसंख्या स्थिर करने के प्रयास की मॉनीटरिंग करती हैं। यह टास्क फोर्स नियमित अन्तरालों पर प्रगति की समीक्षा करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादियों की गिरफ्तारी

860. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, गुजरात तथा देश के अन्य भागों से कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आतंकवाद को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ऐसे रिकार्डों को नहीं रखती है। तथापि, यह सत्य है कि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों को उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर में गिरफ्तार किया जाना सूचित हुआ है। कुछ आतंकवादियों को दिल्ली और गुजरात में भी गिरफ्तार किया गया है।

(ग) सरकार आतंकवादियों की गतिविधियों के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती आ रही है। आसूचना का सतत आधार पर आदान-प्रदान किया जाता है और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने और केन्द्रीय अर्द्ध बलों की तैनाती करने की एक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से गश्त के अलावा, बाड़ और फ्लड लाईट लगाने के कार्य को भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर शुरू किया गया है। सीमा के पार से होने वाले आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए संबंधित देशों के साथ राजनयिक स्तर पर पहल भी की गई हैं।

निजी स्कूलों द्वारा चंदा लिया जाना

861. श्री राम टहल चौधरी:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के प्रवेश के समय मनमाना चंदा लिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्कूलों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) सभी पब्लिक स्कूल और निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अपने-अपने स्थान के हिसाब से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं। इन स्कूलों को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता दिया जाना अपेक्षित होता है। संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा अधिनियमों या नियमावली के अंतर्गत निहित मान्यता शर्तों में साधारण तथा चंदा लेने की मनाही होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपने अपने शिक्षा अधिनियम या नियमावली में यथा अंतर्विष्ट चंदा ग्रहण करने को विनियमित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के संबंध में कार्रवाई करती है। स्कूली शिक्षा का कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं है इसलिए ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अपने-अपने विधानों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ही जिम्मेदारी होती है।

[अनुवाद]

फार्मास्युटिकल्स संबंधी कृतिक बल

862. श्री वैको:
श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परंपरागत औषधीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नीति बनाने हेतु फार्मास्युटिकल्स और ज्ञान पर आधारित उद्योगों संबंधी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल के कार्यों और इसके सदस्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कृतिक बल की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जाएगी; और

(घ) भारतीय फार्मा उद्योग को विश्व नेता बनाने हेतु लिए गए बड़े नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) सरकार ने भेषजों और ज्ञानाधारित उद्योगों के संबंध में कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन किया है। इसके गठन और विचारार्थ मुद्दे विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन:

1.	श्री मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री	सदस्य
3.	श्री सुरेश प्रभु रसायन और उर्वरक मंत्री	सदस्य
4.	श्री प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
5.	श्री अजय पिरामल	सदस्य
6.	श्री डी.एस. बरार	सदस्य
7.	डा. अंजी रेड्डी	सदस्य
8.	श्री एन.आर. नारायन मूर्ति	सदस्य
9.	अध्यक्ष, आई डी एम ए	सदस्य
10.	डा. आर.ए. मशेलकर महानिदेशक, सी एस आई आर	सदस्य
11.	श्री एन.के. सिंह प्रधानमंत्री जी के सचिव	सदस्य
12.	श्री अरविंद वर्मा सचिव, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	सदस्य सचिव

विचारार्थ मुद्दे

1. भारत में भेषज उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करना और इसके प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपेक्षित नीति प्रक्रिया (स्ट्रेटजी) का पता लगाना ताकि यह उद्योग विश्व में अग्रणी बन सके।

2. नीति प्रक्रिया को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कदमों तथा कोई नीतिगत संशोधन सुझाना।

3. भारतीय अनुसंधान एवं विकास में स्वदेशी तथा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सहायक किसी सक्षम नीति ढांचे हेतु सिफारिश करना तथा प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के निर्यात तथा उत्पादन में परिमाण वृद्धि प्राप्त करना।

4. गत वर्ष भारत सरकार द्वारा गठित भेषजीय अनुसंधान एवं विकास समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों तथा व्यापार और उद्योग के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा गठित ''ज्ञानाधारित उद्योगों के समूह'' की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन की देखभाल करना।

5. उत्पादन और निर्यात को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए परम्परागत औषधियों यथा आयुर्वेद और प्राकृतिक उत्पादों के विकास तथा संवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाना।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

863. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. ब्रह्मनैया:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे देशों की तुलना में भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यसंघ शासित क्षेत्र-वार कितने कुष्ठ रोग से संबंधित मामलों का पता लगाया गया।

(घ) कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के, विशेष रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले और उड़ीसा में, क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुष्ठ रोग निरोधक प्रयास अब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(छ) क्या चालू वर्ष के दौरान सभी राज्यों ने कुष्ठ रोग का पता लगाने के लिए अभियान चलाया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) चालू वर्ष के दौरान कुष्ठ रोग के उन्मूलन और उनके पुनर्वास के लिए राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में कारण इस प्रकार हैं:

- बहु औषध उपचार शुरू करने से पूर्व काफी बड़ी तादात में कुष्ठ रोगियों की मौजूदगी और 1981 में एम.डी.टी. शुरू करने से पूर्व प्रभावकारी उपचार की अनुपलब्धता।
- उष्ण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु
- भीड़-भाड़ सहित निर्धन सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली अत्यधिक धनी जनसंख्या।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) कुष्ठ रोगियों में वृद्धि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले सहित इन राज्यों में आशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियानों के दौरान चलाए गए गहन रोग पहचान अभियान के दौरान बड़ी संख्या में छुपे हुए रोगियों का पता चलने के कारण हुई है। तथापि, नए रोगियों की घटना में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ङ) और (च) कुछ क्षेत्रों में कलंक और स्वास्थ्य संबंधी कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण अभी भी अनेक छुपे हुए रोगी हैं। कुष्ठ उन्मूलन के लिए अब नियत किया गया लक्ष्य 2003 के अंत तक रोगी भार को कम करके 10,000 जनसंख्या पर एक से कम करना है।

(छ) और (ज) सक्रिय रोगी पहचान अभियान वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में शुरू किया गया है। बिहार में यह मार्च, में शुरू किया जाएगा। शेष राज्यों में रोगी पहचान का कार्य रोगियों को स्वास्थ्य केन्द्रों में रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करके अप्रत्यक्ष नीति (एप्रोच) के जरिए शुरू किया गया है।

(झ) वर्तमान वर्ष के दौरान कुष्ठ के उन्मूलन के लिए आबंटित राज्यवार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज रोगियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3/97 तक	3/98 तक	3/99 तक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	45573	40497	35052
2.	अरुणाचल प्रदेश	518	303	440
3.	असम	7865	6531	5227
4.	बिहार	104114	102272	162848
5.	गोवा	361	417	533
6.	गुजरात	15795	13348	7473
7.	हरियाणा	555	541	1021

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1770	1260	625
9.	जम्मू और कश्मीर	1998	1519	1403
10.	कर्नाटक	17250	13780	12639
11.	केरल	6483	4576	4208
12.	मध्य प्रदेश	50072	32994	34385
13.	महाराष्ट्र	33446	44690	30977
14.	मणिपुर	668	519	522
15.	मेघालय	918	779	492
16.	मिज़ोरम	107	114	106
17.	नागालैंड	502	117	61
18.	उड़ीसा	43570	85270	34452
19.	पंजाब	1493	1441	1752
20.	राजस्थान	10315	10604	9663
21.	सिक्किम	110	98	110
22.	तमिलनाडु	49707	36151	32713
23.	त्रिपुरा	682	402	579
24.	उत्तर प्रदेश	76967	69277	75992
25.	पश्चिम बंगाल	59517	37452	52012
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	151	121	89
27.	चंडीगढ़	479	414	582
28.	दादरा व नगर हवेली	264	181	258
29.	दमण और दीव	196	141	46
30.	दिल्ली	9940	12173	2352
31.	लक्षद्वीप	26	26	12
32.	पांडिचेरी	398	233	284
	कुल	541809	518241	509108

विवरण II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

बजट अनुमान 1999-2000 (प्रस्तावित)

केन्द्रीय सहायता का राज्यवार, क्षेत्रवार ब्यौरा (रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र राज्य	टी.एस. प्लान			एस.सी. प्लान		
		नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10.20	6.00	16.20	46.00	30.31	76.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.00	4.00	16.00	—	—	0.00
3.	असम	1.00	3.00	4.00	1.00	2.31	3.31
4.	बिहार	10.57	30.00	40.57	26.00	45.45	71.45
5.	गोवा	—	—	0.00	0.05	0.05	0.10
6.	गुजरात	2.00	18.63	20.63	2.00	12.22	14.22
7.	हरियाणा	—	—	0.00	0.25	2.11	2.36
8.	हिमाचल प्रदेश	0.30	0.30	0.60	3.00	2.92	5.92
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	0.00	4.00	0.50	4.50
10.	कर्नाटक	2.00	2.02	4.02	16.00	31.30	47.30
11.	केरल	1.00	0.55	1.55	2.00	15.40	17.40
12.	मध्य प्रदेश	29.27	47.00	76.27	30.00	44.74	74.74
13.	महाराष्ट्र	2.00	12.38	14.38	4.00	20.81	24.81
14.	मणिपुर	0.50	1.33	1.83	0.50	0.10	0.60
15.	मेघालय	1.50	2.56	4.06	—	—	0.00
16.	मिजोरम	12.00	2.56	14.56	—	—	0.00
17.	नागालैंड	3.00	2.56	5.56	—	—	0.00
18.	उड़ीसा	50.58	54.06	104.64	35.00	38.08	73.08
19.	पंजाब	—	—	0.00	10.00	1.00	11.00
20.	राजस्थान	3.99	2.93	6.92	8.00	5.70	13.70
21.	सिक्किम	3.39	0.45	3.84	1.21	0.30	1.51

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	0.61	0.76	1.37	30.47	31.88	62.35
23.	त्रिपुरा	4.46	1.26	5.72	3.50	1.00	4.50
24.	उत्तर प्रदेश	0.39	0.51	0.90	50.69	64.04	114.73
25.	पश्चिम बंगाल	3.37	5.34	8.71	30.55	46.18	76.73
	उप-योग	154.13	198.20	352.33	304.22	396.40	700.62
ख. विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र							
26.	पांडिचेरी	—	—	0.00	0.60	2.00	2.60
27.	दिल्ली	—	—	0.00	0.20	0.40	0.60
	उप-योग	0.00	0.00	0.00	0.80	2.40	3.20
ग. बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र							
28.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	1.19	0.16	1.35	—	—	0.00
29.	चंडीगढ़	—	—	0.00	0.14	0.14	0.28
30.	दादरा व नगर हवेली	1.00	2.00	3.00	—	—	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.00	1.00	3.00	—	—	0.00
32.	दमण व द्वीव	0.24	0.05	0.29	0.19	0.04	0.23
	उप-योग	4.43	3.21	7.64	0.33	0.18	0.51
	कुल (क+ख+ग)	169.93	201.41	371.34	332.13	398.98	731.11
घ. केन्द्रीय क्षेत्र							
1.	एम डी टी जिला सोसायटियों को सहायता अनुदान	415.29	0.00	415.20	610.30	0.00	610.30
2.	कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रीय	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00
3.	आर एल टी आर आई	0.10	0.00	0.10	0.15	0.00	0.15
4.	स्वै. संग. को सहायता अनुदान	12.00	0.00	12.00	18.00	0.00	18.00
	उप-योग	432.30	0.00	432.30	638.45	0.00	638.45
	महायोग	602.23	201.41	803.64	970.58	398.98	1369.56

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र राज्य	टीएस/एसटी प्लान से भिन्न			कुल बजट अनुमान 1999-2000		
		नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	115.80	93.69	209.49	172.00	130.00	302.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.00	3.00	12.00	21.00	7.00	28.00
3.	असम	3.00	15.69	18.69	5.00	21.00	26.00
4.	बिहार	163.43	189.55	352.98	200.00	265.00	465.00
5.	गोवा	0.45	0.95	1.40	0.50	1.00	1.50
6.	गुजरात	15.00	84.15	99.15	19.00	115.00	134.00
7.	हरियाणा	0.75	3.89	4.64	1.00	6.00	7.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.70	4.78	11.48	10.00	8.00	18.00
9.	जम्मू व कश्मीर	16.00	3.50	19.50	20.00	4.00	24.00
10.	कर्नाटक	53.00	104.68	157.68	71.00	138.00	209.00
11.	केरल	7.00	88.05	95.05	10.00	104.00	114.00
12.	मध्य प्रदेश	88.73	138.26	226.99	148.00	230.00	378.00
13.	महाराष्ट्र	29.00	201.81	230.81	35.00	235.00	270.00
14.	मणिपुर	1.00	2.57	3.57	2.00	4.00	6.00
15.	मेघालय	0.50	1.44	1.94	2.00	4.00	6.00
16.	मिजोरम	18.00	1.44	19.44	30.00	4.00	34.00
17.	नागालैंड	5.00	1.44	6.44	8.00	4.00	12.00
18.	उड़ीसा	84.42	108.86	193.28	170.00	201.00	371.00
19.	पंजाब	20.00	1.00	21.00	30.00	2.00	32.00
20.	राजस्थान	49.01	13.37	62.38	61.00	22.00	83.00
21.	सिक्किम	17.40	2.25	19.65	22.00	3.00	25.00
22.	तमिलनाडु	93.92	119.36	213.28	125.00	152.00	277.00
23.	त्रिपुरा	16.04	1.74	17.78	24.00	4.00	28.00
24.	उत्तर प्रदेश	113.42	189.45	302.87	164.50	254.00	418.50
25.	पश्चिम बंगाल	72.08	112.48	184.56	106.00	164.00	270.00
	उप-योग	998.65	1487.40	2486.05	1457.00	2082.00	3539.00

1	2	9	10	11	12	13	14
ख. विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र							
26.	पांडिचेरी	1.40	8.80	10.20	2.00	10.80	12.80
27.	दिल्ली	1.80	0.80	2.60	2.00	1.80	3.20
	उपयोग	3.20	9.60	12.80	4.00	12.00	16.00
ग. बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र							
28.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	5.31	0.84	6.15	6.50	1.00	7.50
29.	चंडीगढ़	0.36	0.86	1.72	1.00	1.00	2.00
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00
32.	दमण व द्वीव	9.07	0.91	9.98	9.50	1.00	10.50
	उप-योग	15.24	2.61	17.85	20.00	6.00	26.00
	कुल (क+ख+ग)	1176.94	1399.61	2576.55	1679.00	2000.00	3679.00
घ. केन्द्रीय क्षेत्र							
1.	एम डी टी जिला सोसायटियों को सहायता अनुदान	3024.50	0.00	3024.50	4050.00	0.00	4050.00
2.	कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रीय	35.00	0.00	35.00	50.00	0.00	50.00
3.	आर एल टी आर आई	0.75	0.00	0.75	1.00	0.00	1.00
4.	स्वै. संग. को सहायता अनुदान	90.00	0.00	90.00	120.00	0.00	120.00
	उप-योग	3150.25	0.00	3150.25	4221.00	0.00	4221.00
	महायोग	4327.19	1399.61	5726.80	5900.00	2000.00	7900.00

नकली मुद्रा

864. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुकदेव पासवान:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री भीम दाहाल:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल (यत्नाल)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्रीमती रीना चौधरी:

श्री अशोक अर्गल:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री अकबर अली खांडोकर:
डा. संजय पासवान:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री चिंतामन वनगा:
श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री मोइनुल हसन:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री मोहन रावले:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री रघुनाथ झा:
श्री शिवाजी माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रामदास आठवले:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए कुछ विदेशी एजेंसियों/विदेशी उच्चायोगों के कर्मचारियों और आई एस आई द्वारा नकली मुद्रा का प्रसार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बरामद नकली मुद्रा का राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गिरफ्तार/दण्डित किए गए व्यक्तियों का राज्यवार विवरण क्या है;

(घ) क्या नेपाल और समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से नशीले पदार्थों, नकली नोटों और विस्फोटकों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनाएं हुई और कितने यात्रियों को गिरफ्तार/दण्डित किया गया;

(च) क्या अटारी रेलवे स्टेशन पर तैनात सरकारी एजेन्सियों के बीच तालमेल की कमी है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ज) क्या सरकार का समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रद्द करने का विचार है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) देश में नकली नोटों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य, माऊंट कार्मेल स्कूल, आनन्द निकेतन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली की इस शिकायत के आधार पर कि स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा 500 रु. का एक भारतीय मुद्रा नोट इस आधार पर वापिस किया गया है कि यह मुद्रा नकली है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 ख के अंतर्गत, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 38, दिनांक 13.1.2000 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। सत्यापन करने पर, स्कूल प्राधिकारियों ने पाया कि प्रश्नागत मुद्रा नोट पाकिस्तान उच्चायोग के एक स्टाफ सदस्य श्री मुजफ्फर अली खान (एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक) द्वारा अपने पुत्र को स्कूल फीस के लिए दिया गया है।

एक अन्य मामले में काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में एक उच्च श्रेणी लिपिक कुल 50,000 रु. (500 रु. मूल्य के) के जाली भारतीय मुद्रा नोटों का विनिमय करने की कोशिश करते वक्त नेपाली पुलिस ने 3.1.2000 को रंगे हाथों पकड़ा। चूंकि उसने राजनयिक माफी का दावा किया, इसलिए उसे नेपाली सरकार द्वारा निरुद्ध किया गया। जांच करने पर, नेपाली सरकार ने पाया कि उसका आचरण और गतिविधियां उसकी सरकारी हैसियत के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसीलिए, उसे नेपाल छोड़ने के लिए कहा गया।

(ग) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(ञ) जाली मुद्रा के मामलों की जांच करने और नोट छापने वाली प्रैस द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 22.2.2000 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति को दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है ताकि जनता असली और नकली नोटों में अन्तर कर सकने में समर्थ हो सके। इस जाली मुद्रा को रोकने के उद्देश्य से, मुद्रा नोटों का मुद्रण अब अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ किया जा रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली मुद्रा की विशिष्ट जांच-पड़ताल के लिए पूर्णतः एक विशेष इकाई का सृजन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रणी टुकड़ियों को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसी मुद्रा नोटों की देश में तस्करी न की जा सके।

तम्बाकू संबंधी विधान

865. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्रीमती श्यामा सिंहः
श्री राम मोहन गाड्डेः
श्री रामपाल सिंहः
श्री शिवाजी मानेः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में तम्बाकू और इसके उत्पादों के उपयोग को घटाने के लिए कोई विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या हाल ही में दिल्ली में इस संबंध में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो उस सम्मेलन का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) अधीनस्थ विधायी समिति (दसवीं लोक सभा) ने अपनी 22वीं रिपोर्ट में मुख्य रूप से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल को निरुत्साहित करने के इरादे से अनेक सिफारिशें की थीं। सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है और प्रारूप विधान पर सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ङ) से (च) भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 जनवरी से 9 जनवरी, 2000 तक नई दिल्ली में "वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण कानूनः तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रति" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से मेजबानी की। सम्मेलन ने विशेष रूप से विकासशील देशों की दृष्टि से तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकलापों को कार्यान्वित करने तथा तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए सरकारों से सहयोग लेने का सुझाव दिया।

'एन्टी-हेपेटाइटिस बी' दवा की खुराक

866. श्री ए. ब्रह्मैयाः
श्री टी. गोविन्दनः
डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हैं;

(ख) क्या इन रोगियों के लिए दवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार "ओरल एन्टी-हेपेटाइटिस बी" दवा की मुफ्त आपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में, विशेषकर बिहार में इस बीमारी की रोकथाम हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) भारत को हैपेटाइटिस बी की मध्यम स्थानिकमारी वाला देश समझा जाता है। हैपेटाइटिस बी के वाहकों की व्यापकता के 2 से 7 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है। तदनुसार देश में हैपेटाइटिस बी वाहकों की संख्या लगभग 45 मिलियन होने का अनुमान है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने 1998 के दौरान भारत में वाइरल हैपेटाइटिस के सूचित रोगियों का एक विवरण भेजा है जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए सभी रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए उपाय करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथापि, व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हैपेटाइटिस बी को शामिल करने पर परिवार कल्याण विभाग द्वारा नौवीं योजना के लिए कार्य योजना तैयार करते समय विचार किया गया था, लेकिन इस पर आने वाली निषेधात्मक (प्रोहिबिटिव) लागत (प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये से अधिक) के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

(ख) अन्य के साथ बिहार सहित देश में इस रोग की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:

(1) अधिक जोखिम वाले केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के कार्मिकों को हैपेटाइटिस बी से प्रति रक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही उपाय करने की सलाह दी गई है।

(2) सभी रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जाँच करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(3) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सुरक्षित सम्भोग को बढ़ावा देना;

(4) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर-विसंक्रमित सिरिंजों और सुइयों के इस्तेमाल के खतरे के संबंध में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं;

(5) राज्य प्राधिकारियों को प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंजों और सूइयों के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत में वाइरल हैपेटाइटिस के रोगियों की संख्या 1998
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19309
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	15519
4.	बिहार	-
5.	गोवा	157
6.	गुजरात	2928
7.	हरियाणा	1034
8.	हिमाचल प्रदेश	1606
9.	जम्मू और कश्मीर	1658
10.	कर्नाटक	6353
11.	केरल	14993
12.	मध्य प्रदेश	5291
13.	महाराष्ट्र	11057
14.	मणिपुर	1625
15.	मेघालय	496
16.	मिजोरम	243
17.	नागालैण्ड	435
18.	उड़ीसा	18145
19.	पंजाब	1604
20.	राजस्थान	1152
21.	सिक्किम	264
22.	तमिलनाडु	528
23.	त्रिपुरा	317
24.	उत्तर प्रदेश	2779
25.	पश्चिम बंगाल	-
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	230
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादरा और नगर हवेली	76
29.	दमण और द्वीव	124
30.	दिल्ली	2972
31.	लक्षद्वीप	120
32.	पांडिचेरी	203
	योग (सम्पूर्ण भारत)	111210

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों का विकास

867. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री सुनील खां:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विशेषकर बिहार के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए आज की तिथि तक सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में निरक्षरता उन्मूलन और विद्युतीकरण के लिए कार्यान्वित किये जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निरक्षरता उन्मूलन, सुदूर जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण की योजनाओं तथा अन्य योजना स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। लड़कों और लड़कियों के छात्रावास, आश्रम, स्कूल, कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर जैसी शैक्षिक विकास योजनाओं को केन्द्रीय तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) यद्यपि सभी योजनाओं के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं फिर भी जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय क्षेत्रों को उनके विकास के लिए अधिकतम लाभ देने के प्रयास किये जाते हैं।

विवरण I

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षिक परिसर
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	178.88	87.30	225.86	47.25	23.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	1.35
3.	असम	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	4.63
5.	गोवा	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	6.25	3.00	83.17	—	7.28
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	—	—	—	—
9.	केरल	14.70	22.05	116.50	—	—
10.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	—	—	—	16.85	55.46
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	7.17

1	2	3	4	5	6	7
13.	मणिपुर	—	—	—	—	—
14.	मेघालय	—	—	—	—	—
15.	मिजोरम	—	—	—	—	—
16.	नागालैंड	—	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	—	—	—	—	27.50
18.	राजस्थान	—	319.21	—	—	6.28
19.	सिक्किम	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	1.00	50.00	53.75	—	—
21.	त्रिपुरा	—	40.00	50.00	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	11.17
23.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	28.92	—
24.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—
25.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—
26.	दमन व दीव	—	—	—	—	—
27.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
28.	दिल्ली	—	—	—	—	—

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठन	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	टीएसपी के लिए एससीए	अनुच्छेद 275(1)	एसटीडी सीज	पीटीजी	अन्न बैंक
1	2	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	52.00	3.74	1456.12	409.24	300.00	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	180.00	—	—	53.64	—	—	—
3.	असम	5.62	8.65	816.34	280.12	—	—	—
4.	बिहार	114.00	0.87	2566.84	644.82	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	5.32	1.15	2094.50	600.46	150.00	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	8.50	—	514.05	21.28	—	—	—
8.	कर्नाटक	22.14	—	410.99	186.66	—	—	—

1	2	8	9	10	11	12	13	14
9.	केरल	34.08	0.43	145.84	31.28	30.00	—	—
10.	जम्मू एवं कश्मीर	29.69	—	776.38	82.74	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	32.50	2.61	6472.72	500.64	—	—	—
12.	महाराष्ट्र	1.24	0.87	1984.16	713.16	—	—	—
13.	मणिपुर	26.44	28.12	608.65	61.62	—	9.74	—
14.	मेघालय	90.24	—	—	147.92	—	—	—
15.	मिजोरम	20.82	—	—	63.68	—	—	—
16.	नागालैंड	—	—	—	103.38	—	—	—
17.	उड़ीसा	95.95	4.85	5548.28	685.28	200.00	28.81	100.00
18.	राजस्थान	19.09	1.70	1944.59	533.52	25.00	—	—
19.	सिक्किम	—	—	42.03	8.86	—	—	—
20.	तमिलनाडु	33.66	0.87	172.27	55.96	—	—	—
21.	त्रिपुरा	1.00	22.50	289.18	83.16	—	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	20.02	1.40	—	28.06	—	—	—
23.	पश्चिम बंगाल	78.70	0.92	1017.77	371.16	50.00	—	—
24.	अंडमान व निकोबार	—	—	123.91	—	—	—	—
25.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
26.	दमन व दीव	—	—	44.60	—	—	—	—
27.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
28.	दिल्ली	25.92	—	—	—	—	—	—

विवरण II

अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लड़कों के छात्रावासों का निर्माण करना है। यह योजना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जिनको 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्रों को 100%) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के लड़कों को यहां तक कि शैक्षिक संस्थाएं उनके घर से दूर हो अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अभिप्रेत है। निर्माण की लागत राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची या स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची पर, जो भी कम हो, आधारित होती है।

वर्ष 1999-2000 के लिए आबंटन 12 करोड़ रु. है।

अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण करना है। यह योजना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जिनको 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्रों को 100%) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती

है। यह योजना अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को यहां तक कि शैक्षिक संस्थाएं उनके घर से दूर हो अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अभिप्रेत है। निर्माण की लागत राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची या स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची पर, जो भी कम हो, आधारित होती है।

वर्ष 1999-2000 के लिए आबंटन 12 करोड़ रु. है।

जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 1990-91 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए वित्त पोषण समान आधार पर किया जाता है अर्थात् राज्यों के लिए 50:50 तथा संघ राज्य के लिए शत-प्रतिशत आधार पर। यह योजना शिक्षा के प्राइमरी, सेकण्डरी तथा वरिष्ठ सेकण्डरी स्तरों को शामिल करती है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षण सामग्री तथा अन्य सुविधाएं राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्ष 1999-2000 के लिए आबंटन 12 करोड़ रु. है।

जनजातीय क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर

यह योजना जब 1993-94 में आरंभ की गई और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गयी थी तो देश के उन 48 जिलों को शामिल किए हुए थी जहां 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 2% से कम थी। यह योजना 1998 में संशोधित की गई है और अब 11 राज्यों में ऐसे जिलों को शामिल करती है जहां महिलाओं में साक्षरता दर 1991 की जनगणना के अनुसार 10% तक है यह योजना आदिम जनजातीय समूहों को भी शामिल करती है। प्रत्येक परिसर पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक में पढ़ रही 30 लड़कियों के लिए अभिप्रेत है और इसमें शिल्प/व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण का प्रावधान है। इस परिसर में निवास कर रही लड़कियों के लिए वर्दियां, माता-पिता को प्रोत्साहनों आदि के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। यह परिसर शाम को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 1999-2000 के लिए 9 करोड़ रु. का आबंटन है।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन कार्यनीति

868. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी परिवहन कार्यनीतियां बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन शहरों के नाम क्या है जिनकी जनसंख्या भविष्य में तीन मिलियन की संख्या को पार कर जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रकार के बढ़ती जनसंख्या वाले शहरों के लिए सैटेलाइट-शहर विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) इस संबंध में किसी विशेष शहर की पहचान नहीं की गई है।

(ग) इस संबंध में कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत की जनगणना 1991 के अनुसार एक मिलियन से अधिक आबादी वाले 23 शहर हैं (सूची विवरण के रूप में संलग्न है)। सूची के अनुसार तीन मिलियन से अधिक आबादी वाले 7 शहर तथा 2 मिलियन से अधिक आबादी वाले 2 शहर हैं।

(घ) 9वीं योजना में 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि के नियतन के लिए योजना आयोग को नए शहरीकृत कस्बों (टाऊनशिप) के विकास की एक स्कीम भेजी गई थी। स्कीम का उद्देश्य 9वीं तथा 10वीं योजनाओं में 100 माडल नए शहरीकृत कस्बों का विकास करना है ताकि मैट्रोपोलिटन/बड़े शहरों में भीड़भाड़ कम की जा सके और आर्थिक विकास के स्रोत के रूप उपनगर (सैटेलाइट टाऊन) स्थापित किए जा सकें। धन की कमी के कारण स्कीम को अभी तक योजना आयोग की मंजूरी नहीं मिली है। अतः इस समय ऐसी कोई स्कीम नहीं चल रही है।

विवरण

1991 में एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूह/शहर

क्र.सं.	शहरी समूह/शहर	आबादी (मिलियन में)		
		1951	1971	1991
1.	ग्रेटर बाम्बे	2.97	5.97	12.57
2.	कलकत्ता	4.67	7.72	10.92
3.	दिल्ली	1.44	3.65	8.38
4.	मद्रास	1.54	3.17	5.36
5.	हैदराबाद	1.13	1.80	4.28
6.	बंगलौर	0.79	1.66	4.09
7.	अहमदाबाद	0.88	1.75	3.30
8.	पुणे	0.61	1.14	2.49
9.	कानपुर	0.71	1.28	2.11
10.	नागपुर	0.48	0.93	1.66
11.	लखनऊ	0.50	0.81	1.64
12.	सूरत	0.24	0.49	1.52
13.	जयपुर	0.30	0.64	1.52
14.	कोच्चि	0.18	0.51	1.14
15.	कोयम्बटूर	0.29	0.74	1.14
16.	बड़ोदरा	0.21	0.47	1.12
17.	इंदौर	0.31	0.56	1.10
18.	पटना	0.32	0.55	1.10
19.	मदुरई	0.37	0.71	1.09
20.	भोपाल	0.10	0.38	1.06
21.	विशाखापट्टनम	0.11	0.36	1.05
22.	वाराणसी	0.37	0.64	1.03
23	लुधियाना	0.15	0.40	1.01
	कुल	18.67	36.03	70.58

स्रोत: भारत की जनगणना–1991

तम्बाकू में विदेशी निवेश

869. श्री सुनील खां: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू उद्योग में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने का है जबकि वर्ष 2000 में "सभी के लिए स्वास्थ्य" की घोषणा की गई है;

(ख) तपेदिक, हैजा, मलेरिया, एड्स, पोलियो, कैंसर और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की रोग-वार और राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इन बीमारियों के उपचार और वर्ष 2000 में "सभी के लिए स्वास्थ्य" हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) तम्बाकू क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश संबंधी मामला इस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तदनुसार '2000 ईसवी सन् तक सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य को पाने के लिए 1,36,815 उप-केन्द्रों, 22,962 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2708 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मिल कर बने ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का एक नेटवर्क न्यूनतम आवश्यकता सेवा के तहत समग्र देश में स्थापित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धक और रोगहर स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया करायी जा सके। इसके अलावा, केन्द्र सरकार मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एच आई वी-एड्स, कैंसर, आयोडीन अल्पता विकार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं आदि के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित होते हैं। केन्द्र और राज्यों में औषध गुणवत्ता के नियंत्रण और खाद्य निरापदता के प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए स्कीमों को अलग-अलग लागू किया जा रहा है। संक्रामक रोगों के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए जिला और राज्य स्तरों पर रोग निगरानी और महामारी अनुक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

भारत 2000 ईसवी सन् के अंत तक पोलियो की घटनाओं को उन्मूलित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पल्स पोलियो प्रति रक्षण कार्यक्रमों को 1999-2000 के दौरान और भी तेज कर दिया गया है। विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

निम्नलिखित रोगों से पीड़ित हुए रोगियों की ज्ञात संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षयरोग (1998)	हैजा (1996)	मलेरिया (1999)	एड्स (2000)	पोलियो (1999)	कैंसर (1997)	कुष्ठ रोग (3/1999)
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	657	0	875	0	0	—	89
आंध्र प्रदेश	104896	172	117728	48	59	अप्राप्त	35052
अरूणाचल प्रदेश	—	0	43774	0	0	—	440
असम	13478	0	109418	33	19	1235	5227
बिहार	—	—	25979	3	347	अप्राप्त	162848
चंडीगढ़	—	0	455	137	3	—	582
दा. और न. हवेली	723	0	3175	0	0	—	258
दमण और द्वीव	1493	0	342	1	0	—	46
दिल्ली	28086	512	2696	219	177	—	2352
गोवा	8919	0	13236	19	1	—	533
गुजरात	14119	200	57289	137	74	अप्राप्त	7473
हरियाणा	107749	12	2563	1	60	—	1021
हिमाचल प्रदेश	17559	0	669	25	3	265	625
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	3166	2	6	—	1403
कर्नाटक	66786	657	86666	234	56	9541	12639
केरल	39771	152	4651	106	11	6682	4208
लक्षद्वीप	23	0	1	0	0	—	12
मध्य प्रदेश	53357	0	417284	354	120	6360	34385
महाराष्ट्र	78772	2096	128458	3379	101	13355	30977
मणिपुर	923	0	2421	446	1	—	522
मेघालय	1940	0	12913	8	0	—	492

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम	482	0	13705	12	0	—	106
नागालैंड*	1919	0	288	29	2	—	61
उड़ीसा	32567	85	273266	2	25	1478	34452
पांडिचेरी	19138	0	129	141	0	—	284
पंजाब	134794	0	1092	100	27	—	1752
राजस्थान	20610	25	48780	106	157	—	9863
सिक्किम	870	0	11	2	1	—	110
तमिलनाडु	13302	453	50334	4354	26	9923	32713
त्रिपुरा	25	0	11465	0	2	984	579
उत्तर प्रदेश	63853	59	86048	168	1332	2283	75992
पश्चिम बंगाल	—	—	180377	57	88	अप्राप्त	52012

*अगस्त, 1998 का आंकड़ा अप्राप्त है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

870. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के द्वितीय चरण का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला संगठनों ने एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के द्वितीय चरण की पुनरीक्षा का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II में अपनाई जा रही लक्षित उपायों की कार्यनीतियों पर कुछ महिला संगठनों ने अपनी असहमति जताई है। उनके और अन्य महिला संगठनों के साथ काफी विचार-विमर्श किया गया है और उनकी चिन्ताओं को नोट कर लिया गया है।

क्षयरोग की रोकथाम

871. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री साहिब सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाज के कुछ वर्गों में क्षयरोग का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में क्षयरोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) समाज के सभी वर्गों में क्षयरोग का पता चलता है।

(ग) क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए देश में 1962 में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम

को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के साथ एकीकृत किया गया है और 447 जिला क्षयरोग केन्द्रों और 330 क्षयरोग क्लीनिकों के एक नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित किया गया है जो क्षय रोगियों की क्षय रोग रोधी औषधों की मुफ्त आपूर्ति सहित निदान और उपचार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। उपचार की अवधि को कम करने के लिए 292 जिलों में शार्ट कोर्स केमोथिरेपी भी शुरू की गई है जिसमें से 447 मिलियन जनसंख्या वाले अन्य 20 जिलों को बाद में उन्हें संशोधित कार्यनीति अपनाने के लिए तैयार करने हेतु सुदृढ़ किया जा रहा है। 70 प्रतिशत रोगियों की पहचान करने और 85 प्रतिशत के रोगमुक्ति के उद्देश्यों वाले संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम के अधीन डाट्स की यह संशोधित कार्यनीति आज लगभग 140 मिलियन जनसंख्या को कवर कर रही है और इसे इस वर्ष के दौरान 250 मिलियन जनसंख्या पर लागू किया जाना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कर्मचारियों की संख्या

872. श्री राधा मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासकीय निकाय द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने वाले मापदंड को वर्ष 1999 में बदल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उपलब्ध बजटीय संसाधनों के भीतर व्यवस्था करने की दृष्टि से मौजूदा आधारभूत सुविधाओं के आधार पर अपने विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् एक सेक्शन वाले स्कूल, दो सेक्शन वाले स्कूल और तीन सेक्शन वाले स्कूलों में वर्गीकरण किया था।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में राज्यों की संलिप्तता

873. श्री पी. कुमारासामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ शिक्षाविदों ने यह दावा किया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की संलिप्तता में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) ऐसा कोई दावा/टिप्पणी सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चिकित्सा पद्धतियों को दिए गए अनुदान

874. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री रामानन्द सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में लोगों के उपचार हेतु चलाई जा रही चिकित्सा पद्धतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयुर्वेदिक होमियोपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में राज्य-वार अलग-अलग कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए बजट में कम धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पद्धति के लिए आवंटन बढ़ाने हेतु इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) आयुर्वेद, होमियोपैथी, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और एलोपैथी (आधुनिक चिकित्सा) देश में चलाई जा रही मान्यता प्राप्त पद्धतियां हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के लिए किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। आबंटन राज्यवार नहीं किये जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। आयुर्वेदिक पद्धति के लिए आबंटन को पिछले कुछ वर्षों में वर्षानुवर्ष बढ़ाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस विभाग के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाया गया है।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

	1998-99	1999-2000
प्लान	49.00	56.13
नॉन-प्लान	36.60	41.83
कुल	85.60	97.96

[अनुवाद]

आदिवासी मामलों संबंधी राष्ट्रीय संस्थान

875. **श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी मामलों पर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके संविधान तथा इसके कार्यकरण की पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विकास योजनाओं में राज्यस्तरीय आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आदिवासी उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं का कार्य निष्पादन पिछले दो वर्षों के लिए संतोषप्रद होने की सूचना है। ये संस्थान जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं का अनुसंधान, मूल्यांकन और मानीटरिंग कार्य करते हैं। ये संस्थान प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं और जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करते हैं।

(घ) केन्द्रीय तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के वास्ते 630 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में से जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 400 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

876. **डा. संजय पासवान: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. प्रशिक्षित अपहरणर्ताओं और गिरोहों के पास पुलिस बलों के मुकाबले बेहतर हथियार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने देश में असामाजिक तत्वों और आई एस आई द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को बेहतर सुविधायें और अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) आई एस आई से संबंधित संदिग्ध अपराधियों से कुछ अधुनातम हथियार बरामद किए गए हैं;

(ख) और (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि-2 के अनुसार ''पुलिस'' राज्य का विषय है। अतः देश में समाज-विरोधी और आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से खतरे का सामना करने के लिए अपनी पुलिस को प्रशिक्षण देने, सुसज्जित करने और उनके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने की दृष्टि से गृह मंत्रालय 1969-70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक गैर-योजनागत स्कीम क्रियान्वित करता आ रहा है। इस स्कीम के वार्षिक आवंटन को मौजूदा 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 200 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 1980-81 से 1998-99 तक राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	कुल जारी की गई निधियां (1980-81 से 1998-99 तक)
1	2
1. आंध्र प्रदेश	4184.592
2. अरुणाचल प्रदेश	592.695
3. असम	1372.930
4. बिहार	4499.617
5. गोवा	295.590
6. गुजरात	1369.900
7. हरियाणा	771.380
8. हिमाचल प्रदेश	582.325
9. जम्मू व कश्मीर	1443.690
10. कर्नाटक	2051.170
11. केरल	1299.890
12. मध्य प्रदेश	3763.810
13. महाराष्ट्र	2392.505
14. मणिपुर	960.925
15. मेघालय	682.110
16. मिजोरम	624.815
17. नागालैण्ड	1143.650
18. उड़ीसा	1494.791
19. पंजाब	1458.727
20. राजस्थान	1799.116
21. सिक्किम	276.899
22. तमिलनाडु	3236.817
23. त्रिपुरा	876.615
24. उत्तर प्रदेश	3230.781
25. पश्चिम बंगाल	1949.250
कुल	41250.000

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औषधालय

877. **डा. बलिराम:**
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सा के कितने औषधालय कहां-कहां कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन सभी औषधालयों में औषधियां उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अगले दो वर्षों के दौरान राज्य में और ऐसे औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सूचना संलग्न विवरण में उपलब्ध है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) वित्तीय तंगी के कारण इस समय कोई नया औषधालय खोलना संभव नहीं है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की अवस्थिति

नगर		अवस्थिति	
इलाहाबाद	1.	41, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद	एलोपैथिक

नगर		अवस्थिति	
	2.	2/6, द्रमुंड रोड, इलाहाबाद	ऐलोपैथिक
	3.	1130-1130ए, कल्याणी देवी इलाहाबाद	-तदैव-
	4.	9, बैंक रोड, इलाहाबाद	-तदैव-
	5.	केन्द्रांचल कालोनी, धूमरगंज, इलाहाबाद	-तदैव-
	6.	बंशीधर मार्केट, ऊंचा मंडी, इलाहाबाद	-तदैव-
	7.	7-97, इंडस्ट्रीयल एरिया कालोनी नैनी, इलाहाबाद	-तदैव-
	8.	संगम प्लेस, ए डी ए बिल्डिंग नं. 2 क्लाइव रोड, इलाहाबाद	एक होम्योपैथी एवं एक आयुर्वेदिक
लखनऊ	1.	मेवा नर्सरी, 372/12, निशातगंज, लखनऊ	एलोपैथिक
	2.	स्काईलार्क बिल्डिंग, एन.के. रोड, लखनऊ	-तदैव-
	3.	21, पटेल नगर, आलमबाग, लखनऊ	-तदैव-
	4.	नक्खास मार्केट, लखनऊ	एक एलोपैथिक एवं एक यूनानी
	5.	70, माल एवेन्यू, लखनऊ	एक एलोपैथिक एवं एक आयुर्वेदिक
	6.	सेक्टर 8, अलीगंज, ईएसआई/10 सीतापुर रोड योजना, लखनऊ	एलोपैथिक
	7.	प्रताप बाग, लखनऊ	होम्योपैथिक
	8.	एन.के. रोड, लखनऊ	पॉलीक्लीनिक
कानपुर	1.	126/टी/9, गोविन्द नगर, कानपुर	एलोपैथिक
	2.	110/58, आर.के. नगर, कानपुर	-तदैव-
	3.	15/45, ए एंड बी सिविल लाइन्स कानपुर	-तदैव-
	4.	ई/15, खपड़ा महल, कानपुर	-तदैव-
	5.	89, गांधीग्राम कानपुर	-तदैव-

नगर		अवस्थिति	
	6.	128/123 एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर	एलोपैथिक
	7.	117/एच-2/183, पांडु नगर, कानपुर	-तदैव-
	8.	2ए/186, आजाद नगर, कानपुर	-तदैव-
	9.	155/जेड-1, बाड़ा, कानपुर	-तदैव-
	10.	126/टी/9, गोविन्द नगर, कानपुर	एक होम्योपैथिक एवं एक आयुर्वेदिक
	11.	15/45 ए एंड वी, सिविल लाइन्स, कानपुर	होम्योपैथिक
मेरठ	1.	171/वी, आबू लेन, मेरठ कैंट	एक एलोपैथिक एवं एक आयुर्वेदिक
	2.	154 वेस्टर्न कचहरी रोड, विजय नगर, मेरठ	एक एलोपैथिक एवं एक होम्योपैथिक
	3.	124 आवास विकास कालोनी, मोहनपुर, मेरठ	एलोपैथिक
	4.	लेखा नगर, मेरठ	-तदैव-
	5.	कंकर खेड़ा, मेरठ	-तदैव-
	6.	एस.के. रोड, मेरठ	-तदैव-

[अनुवाद]

कश्मीरी पण्डित

878. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्थापित कश्मीरी पण्डितों की अनुमानित संख्या क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में वर्ष-वार कितने कश्मीरी पण्डित मारे गए;

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार तथा पुनर्वास के वास्ते कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(च) जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पण्डितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि कश्मीरी प्रवासियों की वापसी से संबंधित मुद्दा उसकी कार्य सूची में सबसे ऊपर है तथा वे प्रवासियों की घाटी में जल्द और सुरक्षित वापसी हेतु एक कार्य योजना पर विचार कर रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा लोगों के साथ पारस्परिक बातचीत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसके अधीन प्रवासियों ने घाटी में उनकी शीघ्र वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए वहां का दौरा किया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में 51,122 कश्मीरी प्रवासी परिवार रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश जम्मू में (29074 परिवार) तथा दिल्ली में (19338 परिवार) रह रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में विभिन्न समुदायों के वर्ष 1997, 1998 और 1999 में क्रमशः 938, 867 और 821 व्यक्ति मारे गए।

(ङ) जबकि सरकार की नीति राज्य के बाहर अस्थाई रूप से रह रहे प्रवासी परिवारों की कठिनाईयों को कम से कम करने की है, सभी प्रकार की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। नकद राहत और ड्राई राशन के अलावा, जरूरतमंद प्रवासियों को अस्थायी आवास भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जम्मू व कश्मीर सरकार ने जम्मू व कश्मीर में रह रहे प्रवासियों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) और राज्य स्वःरोजगार योजना के लाभ भी उपलब्ध कराए हैं। भारत सरकार ने अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया है कि वे भी उनके यहां रह रहे प्रवासियों को ऐसे ही लाभ उपलब्ध कराएं।

(च) जम्मू व कश्मीर सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके उनके इरादों को निष्क्रिय करना, आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, कश्मीरी पण्डितों समेत जम्मू व कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा हेतु आपरेशन ग्रुपों, इत्यादि का एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण करना, शामिल है। उग्रवादियों को खदेड़ने, घुसपैठ की रोकथाम करने और उग्रवादियों की गतिविधियों को काबू करने के लिए जिन स्थानों पर अल्पसंख्यक बसे हुए हैं उन क्षेत्रों में गहन गश्त लगाने समेत आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में युवा मामलों और खेलकूद को बढ़ावा

879. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान में युवा मामलों और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) राजस्थान में खेलकूद संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने और स्टेडियमों व युवा होस्टलों का निर्माण करने के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ग) इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कब तक की जाएगी और खेलकूद व युवा कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) राज्य खेलकूद परिषदों और जिला स्तर पर खेलकूद परिषदों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) अजमेर में युवा होस्टल जिसका प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है, का निर्माण न करने के क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) यह विभाग खेल और युवा कार्यक्रमों पर अनेक योजनाएँ कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ राजस्थान राज्य सरकार भी लाभ प्राप्त कर सकती है।

(ख) 1999 में यथा संशोधित खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत, विभाग में राजस्थान सरकार से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें से, केवल एक प्रस्ताव व्यवहार्य पाया गया। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, क्रमशः 5,59,150 रु. तथा 5,21,800 रु. की धनराशि जारी की गई है। अन्य 11 प्रस्तावों में पायी गयी कमियों के बारे में राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने भी अजमेर, कोटा, जैसलमेर व उदयपुर प्रत्येक में एक एक युवा छात्रावास के निर्माण हेतु चार प्रस्ताव भेजे हैं। कोटा, उदयपुर तथा अजमेर के तीन प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त किया गया प्रस्ताव जब योजना के प्रावधानों को पूरा करता हुआ पाया जाता है तो उसे आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद, संभावित न्यूनतम समय में अनुमति प्रदान कर दी जाती है।

(घ) प्राथमिक रूप से यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य खेल परिषद तथा जिला स्तरीय खेल परिषदों को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाए।

(ङ) राजस्थान सरकार ने अजमेर में युवा छात्रावास के निर्माण के बारे में नक्शे तथा आकलन नहीं भेजे हैं। तथापि, प्रस्ताव सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक इकाइयों की समीक्षा

880. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए तथा हासिल किए गए लक्ष्य के हिसाब से रसायन तथा उर्वरक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की चालू वर्ष में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसायन तथा उर्वरक क्षेत्र में रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को फिर से चालू करने हेतु किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है तथा 2000-2001 के लिए किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) सरकार रसायन और उर्वरक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन पर लक्ष्यों के संदर्भ में उनके कार्यनिष्पादन के विश्लेषण हेतु आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से नियमित निगरानी रखती है। भिन्नता, यदि कोई हों, का विश्लेषण किया जाता है और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सुधारात्मक कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों के संबध में, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उच्च स्तरीय स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल करते हुए गठित किए गए तदर्थ कार्यबल द्वारा भी कठोर विश्लेषण किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान रसायन और उर्वरक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन लक्ष्य नीचे दिया गया है:

('000 मी. टन)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1998-99		1999-2000 (अप्रैल-दिस. 1999)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि.	22.5	15.7	14.1	11.3
हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	264.0	271.8	190.4	193.7
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	1450.3	1502.0	1077.4	1129.0
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि.	425.8	417.1	317.1	346.5
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	1075.6	980.1	800.3	816.7
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	350.7	377.6	325.7	331.1
पारादीप फास्फेट्स लि.	462.4	500.1	384.2	335.7
पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	36.5	20.2	19.4	1.2
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया	209.3	176.4	109.3	101.8
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	119.6	64.4	50.8	36.6

टिप्पणी: उर्वरकों का लक्ष्य और उत्पादन पोषक के रूप में दिया गया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि. और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि., रसायन क्षेत्र में दो उपक्रम हैं जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के तहत रुग्ण नहीं हैं। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए पुनर्वास प्रस्ताव अद्यतन वित्तीय विश्लेषणों और इन बहुएकक कम्पनियों के कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों को ध्यान में रखते हुए एकक-वार व्यवहार्यता के आधार पर तैयार किये जाते हैं। सामान्यत:, सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आशा की जात है जो बी.आई.एफ.आर. को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और आकार के अनुसार महत्वपूर्ण है।

''रिप्रोडक्शन चाइल्ड हैल्थ'' परियोजना

881. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरी झुग्गी बस्तियों के कल्याण के लिए ''रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ'' परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी राशि मंजूर की है;

(घ) यह परियोजना कब तक शुरू की जाएगी; और

(ङ) इस परियोजना से परिवारों में जागरूकता पैदा करने में किस सीमा तक मदद मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) बड़े राज्यों के कुछ शहरों के शहरी स्लम क्षेत्रों में प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक परियोजना पर विचार विमर्श चल रहा है। राज्यों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच चल रही है। इस परियोजना को प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के चरण-II में शामिल किया जाएगा जिस पर विश्व बैंक के साथ बाद में बातचीत की जाएगी। इसी दौरान यूरोपियन कमीशन के वित्त पोषण से एक या दो प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

जब यह परियोजना शुरू की जाएगी तो इससे शहरी क्षेत्रों में जागरूकता, प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी दोनों में सुधार होगा। विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना VIII के अंतर्गत ऐसी ही गतिविधियां कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और आंध्र प्रदेश राज्यों के कई शहरों में शुरू की गई हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

882. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय बिना उचित भवनों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के चल रहे हैं;

(ख) इन विद्यालयों को उचित भवनों और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और जारी की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील):

(क) नवोदय विद्यालय

प्रारंभ में जब तक कि नवोदय विद्यालय समिति अपना स्थायी भवन न बना ले तब तक नवोदय विद्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये अस्थायी भवन में खोला जाता है। 1998-99 तक संस्वीकृत किये गये 408 नवोदय विद्यालयों में से 365 विद्यालयों में जहां राज्य सरकारों द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी गई है निर्माण कार्य संस्वीकृत कर दिया गया है। 264 विद्यालय स्थाई भवनों में चलाए जा रहे हैं। 101 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जमीन उपलब्ध न होने के कारण 43 विद्यालयों का निर्माण कार्य संस्वीकृत नहीं किया जा सका। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय

सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) नवोदय विद्यालय

स्थायी विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए जमीन अंतरित करने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाया जा रहा है। ख्याति प्राप्त केन्द्रीय/राज्य सरकार के अभिकरणों को

निर्माण कार्य सौंपा जा रहा है और समय पर इनके पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए गहन अनुवीक्षण किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय

उपर्युक्त भवन और अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बढ़ाया गया योजना परिव्यय दिया गया है।

(ग) नवोदय विद्यालयों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण I

उन जवाहर नवोदय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा जो बिना स्थायी भवनों के चल रहे हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या जहां निर्माण कार्य अभी संस्वीकृत किया जाना है
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	5	1
2.	असम	17	1
3.	बिहार	10	15
4.	गुजरात	6	3
5.	हरियाणा	3	2
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2
7.	कर्नाटक	1	2
8.	मेघालय	3	3
9.	उड़ीसा	3	3
10.	राजस्थान	5	–
11.	सिक्किम	–	2
12.	त्रिपुरा	1	1
13.	उत्तर प्रदेश	7	9
14.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	–
15.	आंध्र प्रदेश	0	–
16.	गोवा	2	–
17.	जम्मू व कश्मीर	6	–
18.	केरल	2	–
19.	लक्षद्वीप	1	–
20.	मध्य प्रदेश	7	–
21.	महाराष्ट्र	7	–
22.	मणिपुर	3	–
23.	मिजोरम	2	–
24.	नागालैंड	4	–
25.	पांडिचेरी	2	–
26.	पंजाब	1	–
	कुल	101	43

विवरण II

नवोदय विद्यालय समिति के संबंध में 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कार्यों और मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत कार्य	मुक्त निधियां
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1009.29	601.18
2.	आंध्र प्रदेश	7036.99	6510.80
3.	अरूणाचल प्रदेश	2349.59	914.84
4.	असम	7768.47	2393.72
5.	बिहार	12236.97	9501.86
6.	चंडीगढ़	480.94	538.89
7.	दादर व नगर हवेली	224.21	233.95

1	2	3	4
8.	दमन और द्वीव	523.88	533.26
9.	दिल्ली	852.62	845.25
10.	गोवा	520.56	280.40
11.	गुजरात	4573.43	3623.25
12.	हिमाचल प्रदेश	3995.80	3607.98
13.	हरियाणा	4257.21	3422.08
14.	जम्मू व कश्मीर	4537.56	2381.70
15.	कर्नाटक	7826.46	7358.76
16.	केरल	4381.30	3997.92
17.	लक्षद्वीप	717.79	395.19
18.	मध्य प्रदेश	15270.32	13025.32
19.	महाराष्ट्र	10177.87	8103.98
20.	मणिपुर	3102.94	1917.20
21.	मेघालय	1306.81	262.30
22.	मिजोरम	681.63	285.33
23.	नागालैंड	1040.95	382.15
24.	उड़ीसा	5474.56	5146.81
25.	पांडिचेरी	1314.11	1183.21
26.	पंजाब	3966.04	3321.32
27.	राजस्थान	9473.85	7639.34
28.	सिक्किम	377.91	418.82
29.	त्रिपुरा	1072.68	901.42
30.	उत्तर प्रदेश	16368.71	13430.23
	कुल	132921.45	103158.46

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

883. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जेड-वाई तथा जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रेणी में कितने व्यक्ति शामिल हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त व्यय को कम करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सुरक्षा स्कीम कि अनुसार, सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा प्रबंधों के स्केल की समीक्षा समय-समय पर प्रत्येक मामले में खतरे की नवीनतम आशंका को देखते हुए की जाती है तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा पर किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1996-97	23.78
1997-98	27.85
1998-99	28.83

(घ) संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है तथा जहाँ कहीं संभव होता है, खतरे को नवीनतम आशंका को देखते हुए सुरक्षा हटा ली/कम कर दी जाती है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

884. डा. वी. सरोजा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भेषजीय क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना धन जुटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भेषजीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने में कुछ बाधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) भेषज सेक्टर में सीधे विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के अधीन 74 प्रतिशत तक फारेन इक्विटी की अनुमति देने का निर्णय किया है।

महाजन समिति

885. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक राज्य ने महाजन समिति की रिपोर्ट को लागू करने का निवेदन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1967 में प्रस्तुत कर दी थी। आयोग ने नीपानी, खानपुर और नंदगाड कस्बों सहित 264 गांवों का कर्नाटक से महाराष्ट्र में हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी। आयोग ने महाराष्ट्र से 227 गांवों का हस्तांतरण कर्नाटक में भी करने की सिफारिश की थी।

कर्नाटक सरकार ने आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार कर लिया था तथा भारत सरकार से इसे संसदीय विधायन के द्वारा कार्यान्वित करने का आग्रह किया था। तथापि, महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों को मजूंर नहीं किया था।

भारत सरकार का यह मत है कि इस विवाद को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुख्यत: बातचीत और आपसी समझौते से सुलझाना होगा।

नए राज्य का गठन

886. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये राज्य के गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 जिसमें प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य के सृजन की व्यवस्था की गई है, तैयार कर लिया गया है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अपेक्षित है, इस विधेयक को मध्य प्रदेश के राज्य विधान मण्डल को इस पर अपने विचार प्रकट करने हेतु शीघ्र ही भेजने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

(लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* **हुए**)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर नियम 184 के तहत चर्चा कराई जाये। ...*(व्यवधान)* गुजरात में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, क्या आपने उन्हें यह मामला 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय के कमरे में कुछ चर्चा चल रही थी। इसलिए, मैं आपसे पत्रों को सभा पटल पर रखने का अनुरोध करता हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आज बजट का प्रस्तुतीकरण भी होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, नियम 184 के अंतर्गत उन्हें यह चर्चा करने दीजिए। उन्हें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने दीजिए, हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल [वायु स्कंध, अराजपत्रित (युद्धक) समूह "ग" पद] भर्ती (संशोधन) नियम, 1999 जो 11 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1311/2000]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अभियंता संवर्ग, (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1999 जो 24 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस पशु चिकित्सा संवर्ग (समूह "क") भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 जो 25 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1312/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1998 जो 6 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा वर्तमान नियम के उद्धरण।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 6 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा मूल नियमों के उद्धरण।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1998 जो 3 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 64(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा वर्तमान खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के उद्धरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1313/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड पाटील): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-

पटल पर रखता हूं:

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1999 जो 6 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 228(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1314/2000]

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1315/2000]

(3)(क)(एक) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 से 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1316/2000]

(चार) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(पांच) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(छः) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1317/2000]

(ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 से 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 से 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1318/2000]

(5) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1319/2000]

(7) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1320/2000]

(9) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1321/2000]

(10) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1322/2000]

(12) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1323/2000]

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): श्री तरुण सिकदर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सैंटर फार डेवेलपमैंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंटर फार डेवेलपमैंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1324/2000]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए नागालैण्ड के राज्यपाल के "दौरा व्यय" से संबंधित राशि को बढ़ाने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1325/2000]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

(तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बजट महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट की गोपनीयता भंग हो चुकी है। *...(व्यवधान)* यह बजट लीक हो चुका है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, प्लीज।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सूचना दी है। बजट लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 204 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुल्लंघनीय एवं गोपनीय है। यह केवल इस सभा का ही विशेषाधिकार है कि वे इसके विस्तृत ब्यौरे को जाने। मैंने वित्त मंत्री जी को सूचना की एक प्रति के साथ सार्वजनिक हो गए प्रस्तावों की एक प्रति दी थी। करों का प्रस्ताव दी गई रियायतें और अन्य बातें बजट प्रस्तुत होने से बहुत पहले ही मंदानुसार सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। ...*(व्यवधान)* मैंने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप अध्यक्ष महोदय से बात कीजिए। आप एक गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी प्रति दी थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणुका चौधरी, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपने केवल दस मिनट पहले ही मुझे सूचना दी थी। मुझे आपकी सूचना मिल गई है। मैं सूचना की जांच कर रहा हूँ। हमें तथ्यों का पता लगाना है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आदरणीय अध्यक्ष, महोदय, मैंने केवल इतना कहा है कि यदि यहाँ बताए गए ऐसे प्रस्ताव सच पाए गए, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए ...*(व्यवधान)* कृपया इस पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है। श्री दासमुंशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, वित्त मंत्री अपना कथन शुरू कर सकते हैं। सूचना मेरे विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बजट महत्वपूर्ण मद है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझिए कि सूचना मेरे विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): महोदय, मुझे बजट की कुछ मुख्य विशेषताओं का यहाँ उल्लेख करने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणुका चौधरी, मामला उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। इसके लिए एक प्रक्रिया है। कृपया इस बात को समझिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): बिना किसी कारण, संसदीय कार्य मंत्री अपना आपा खो रहे हैं। मेरे सहयोगी केवल इतना कह रहे हैं कि वेबसाइट पर कुछ प्रस्ताव दर्शाए गए हैं जो बजट प्रस्ताव के अनुरूप हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: न केवल संसदीय कार्य मंत्री बल्कि सभी इस सभा में अपना आपा खो रहे हैं। यह सभा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि प्रत्येक इस सभा में अपना आपा खो रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: वे केवल इतना ही कह रहे हैं कि सभा में सम्मेलन हो रहा है *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): **हमें कल ही बजट प्रस्ताव के संबंध में पता चला है** *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पहले आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बजट प्रस्तुत करने में हाउस को धोखा देने का काम हो रहा है। यह क्या बजट है? *...(व्यवधान)* इसमें 100 करोड़ रुपये की आमदनी का गला घोंट दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, आप यह बात भूल रहे हैं कि आप भी सभापति की तालिका में है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा की पूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा है। संपूर्ण देश सभा की कार्यवाही को देख रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया: मेरे सहयोगी केवल यही कह रहे हैं कि कुछ प्रस्ताव पत्र परिचालित हुए हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): इस पर आप माफी मांग लेना। *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा) नहीं तो मुलायम सिंह जी बजट पेश करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): इन्होंने सदन का मजाक बनाकर रखा है। यह क्या तरीका है? आप भी कभी रूलिंग पार्टी में थे। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): इस बजट का क्या फायदा है, जब यह लीक हो चुका है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, बजट प्रस्तुत होगा। श्री गीते अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: मेरे सहयोगी यही कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल ने गोपनीयता की शपथ ली थी। बजट को गुप्त रखा जाता है, इसके प्रस्तुतीकरण के आधे घंटे पूर्व तक, इसे मंत्रिमंडल से भी गुप्त रखा जाता है। कुछ पत्र, जिसका परिचालन हो रहा है, वह बजट प्रस्तावों का भाग लगते हैं, यदि वे अंतिम रूप से तैयार बजट प्रस्तावों के अनुरूप है तो मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय को इसकी तहकीकात करनी चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर मामला है और इतना गंभीर कि सरकार से इस्तीफा की मांग की जा सकें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आरंभ में भी कहा था, मुझे अध्यक्ष पीठ पर पहुंचने से पूर्व सिर्फ 10 मिनट पहले सूचना मिली थी। मैंने स्पष्ट कहा था कि यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: कृपया, इसे साधारण बात न समझें और इसकी जांच पड़ताल कराएं कि यह बजट प्रस्तावों के अनुरूप है या नहीं *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: यह गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि यह मामला उनके विचाराधीन है, तो इस मामले को दुबारा उठाना उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यह स्थापित नियम है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): इस तरह से सदन का काम-काज चल रहा है, इन्होंने सदन के अन्दर मजाक बनाकर रखा है। यह देश का सदन है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक प्रणाली है। मुझे सभा का संचालन करना कठिन हो गया है। बजट महत्वपूर्ण मद है और आप सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सदन की तो अवमानना हो रही है। ...*(व्यवधान)* इसमें सौ करोड़ रुपये की आमदनी का गला घोंटा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया इसे समझिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.10 बजे

सामान्य बजट–2000-2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब वित्त मंत्री बोलेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं आपके सामने इस सहस्राब्दी का पहला बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

भाग क

मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2000-2001 का यह बजट कई मायनों में पहला है। यह नई सरकार का पहला बजट है जिसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में अक्तूबर, 1999 में कार्यभार संभाला था। यह हमारे गणतंत्र की दूसरी अर्द्ध-शती का पहला बजट और नई शताब्दी का भी पहला बजट है। समय के साथ मुझे आशा है कि इसमें अनेक रूप में पहला होने के विशेषण जुड़ जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह ऐतिहासिक उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है जिसका मैं विनम्रता से निर्वहन करता हूं।

वर्ष 1999-2000 अनेक चुनौतियों का वर्ष रहा है, जैसे कश्मीर में 50-दिवसीय युद्ध, उड़ीसा में महाचक्रवात, आम चुनावों से पहले अनेक महीनों की राजनैतिक अनिश्चितता, कुछ कमजोर मानसून, विश्व में तेल की कीमतों का लगभग तिगुना हो जाना और विश्व आर्थिक सुधार की निरन्तर कमजोर स्थिति। फिर भी हमने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है, अनेक उपलब्धियां हासिल की है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र अधिक मजबूत हुआ है।

आर्थिक निष्पादन का विस्तृत उल्लेख सदन के सामने मेरे द्वारा कल प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा में किया गया है। मैं इसमें से कुछ ही बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। एक व्यापक आधार वाला औद्योगिक सुधार चल रहा है। प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि की कम वृद्धि के बावजूद इस वर्ष समग्र आर्थिक विकास लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। आधारभूत सुविधा क्षेत्रक का निष्पादन बेहतर स्थिति में चल रहा है। पिछले 17 वर्षों में पहली बार मुद्रास्फीति की दर लगातार 42 सप्ताह तक 4 प्रतिशत से नीचे रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) ने नवम्बर, 1999 में पिछले नवम्बर की तुलना में शून्य वृद्धि प्रदर्शित की है। हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान है। सार्वजनिक खाद्य भण्डार रिकार्ड स्तर पर है। निर्यातों के मामले में भारी उलट-फेर हुआ है जिसमें पिछले वर्ष की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में डालर के संदर्भ में अप्रैल-दिसम्बर, 1999 में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे साफ्टवेयर निर्यातों में भी तेजी आ रही है। यद्यपि तेजी से बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों ने हमारे तेल आयात का बिल 6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ा दिया है फिर भी हमारे विदेशी मुद्रा रिजर्व ने नए कीर्तिमान प्राप्त किये हैं। निवेशकों के विश्वास की वापसी से हमारे शेयर बाजारों ने भी ऊंचाइयों को छुआ है।

अपने पिछले दो बजटों में मैंने हमारी नीतियों की चलती आ रही कमियों को दूर किया है और हमारी कंपनियों को विश्व के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए स्वतंत्र बनाया है। हमने अपने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान की है, अपने वित्तीय बाजारों को सशक्त बनाया है और एक जीवंत नई अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी है। इसके साथ मैं अपने तीसरे बजट में भारत को 7 से 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से एक निरन्तर, समान एवं रोजगार-सृजनकारी दिशा में बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि एक दशक के अंदर हमारी धरती से गरीबी का संकट दूर हो सके। अगले दस वर्ष भारत के विकास के वर्ष होंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी कार्ययोजना में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

* हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों के विकास की बुनियाद को सुदृढ़ करना।

* इन्फोटेक, बायो-टेक्नालाजी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे नए ज्ञान पर आधारित उद्योगों की क्रान्तिकारी क्षमता को विकसित करना।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-1326/2000।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

* वस्त्र उद्योग, चमड़ा और कृषि प्रसंस्करण जैसे पारम्परिक उद्योगों और लघु उद्योग क्षेत्रक को सशक्त एवं आधुनिक बनाना।

* विद्युत, सड़क, पत्तन, दूरसंचार, रेलवे और विमान सेवा में अप्रधारभूत सुविधा की अड़चनों को निरन्तर दूर करना।

* समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सामाजिक सेवाओं में कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना।

* निर्यातों के त्वरित विकास, अधिक विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका को सशक्त बनाना।

* वित्तीय अनुशासन की एक विश्वसनीय संरचना स्थापित करना जिसके बिना हमारी कार्ययोजना के अन्य घटक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

इन सभी क्षेत्रों में हमारे लोगों की सृजनात्मक शक्तियों को उभारने के लिए हमें सतत आर्थिक सुधार करते रहने चाहिए और इस प्रकार उत्पादकता वृद्धि के लाभ प्राप्त करने चाहिए। परन्तु हमारे सुधार सदाशयता और न्याय से निर्देशित होने चाहिए। माननीय राष्ट्रपति ने अक्तूबर, 1999 में संसद में अपने अभिभाषण के दौरान दूसरी पीढ़ी के सुधारों के हमारे कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा का उल्लेख किया है। हमारा यह बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

राजकोषीय प्रबंधन

आज हमें कमजोर करने वाली राजकोषीय स्थिति से उत्पन्न बड़ी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। लम्बे समय से चलते आ रहे अत्यधिक राजकोषीय घाटों ने हमें भारी सरकारी ऋण और ब्याज अदायगी के निरंतर बढ़ते हुए बिल को विरासत में दिया है। इस वर्ष हमने राष्ट्रीय रक्षा, चुनावों और उड़ीसा के महाचक्रवात पर अप्रत्याशित व्यय किए हैं। पांचवें वेतन आयोग की बची हुई देनदारियों और राज्यों को विशेष राजकोषीय सहायता ने हमारा बोझ बढ़ा दिया है। इन सभी ने विनिवेश तथा राजस्व से प्राप्तियों में कमी के साथ हमारी निवल ऋण लेने की आवश्यकता (हमारा राजकोषीय घाटा) 1,00,000 करोड़ रुपए (1 लाख करोड़ रुपए) से आगे पहुंचा दी है। अगले वर्ष हमारे ब्याज बिल की लगभग 10,000 करोड़ रुपए (दस हजार करोड़ रुपए) की धनराशि भी इसमें बढ़ जाएगी। हमें रक्षा, योजना और ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अधीन राज्यों को अतिरिक्त हस्तान्तरणों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को भी प्राप्त करना है। यदि हम संसाधन नहीं बढ़ाते हैं और इसके बजाय अगले वर्ष और अधिक ऋणों का सहारा लेते हैं तो विकास की हमारी संभावनाएं खतरे में पड़ जाएगी, मुद्रास्फीति का संकट पुनः सक्रिय हो जाएगा, दूसरे भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो जाएगा और अगली पीढ़ी पर अनुचित बोझ पड़ जाएगा।

हमें अपनी राजकोषीय स्थिति व्यवस्थित रखनी चाहिए। इसका अर्थ है, कठिन निर्णय और बलिदान। तकाजा है वक्त का कि तूफानों से जूझो कहां तक चलोगे किनारे-किनारे। इसके साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित गतिशीलता की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। केवल इसी के आधार पर सामाजिक न्याय के साथ निरन्तर विकास किया जा सकता है। इसी कारण से, गंभीर राजकोषीय कठिनाइयों के बावजूद योजना के लिए बजट सहायता वर्ष 1999-2000 (बजट अनुमान) में 77,000 करोड़ रुपए की तुलना में 11,100 करोड़ रुपए बढ़ाकर 88,100 करोड़ रुपए की जा रही है।

इसी तरह रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमारी सेनाओं ने 'आपरेशन विजय' में पुनः एक बार फिर से यह प्रदर्शित कर दिया है कि विश्व में वह किसी से कम नहीं हैं। सरकार हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और हमारी रक्षा तैयारियों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। मैंने इस बजट में रक्षा के लिए 58,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो इस वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। अभी तक किसी अकेले एक वर्ष में रक्षा बजट को इतना अधिक नहीं बढ़ाया गया है। जब भी आवश्यकता होगी इसे और बढ़ाया जाएगा। अपनी प्रिय मातृभूमि की एक-एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए हम कुर्बानी देने से पीछे नहीं रहेंगे।

गत समय में केन्द्रीय सरकार के व्यय की संरचना अत्यधिक दुरुह और अनायास पूर्व बढ़ोत्तरी वाली बन गई है। वार्षिक बजट परिव्ययों का आधे से अधिक हिस्सा हस्तान्तरण भुगतानों, ब्याज भुगतानों, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा का है। रक्षा, बड़ी सब्सिडी, वेतन, भत्ते एवं पेंशन और राज्यों को आयोजना भिन्न अनुदान आयोजना-भिन्न व्यय के लगभग 95 प्रतिशत और कुल व्यय के लगभग 70 प्रतिशत हैं। व्यय की स्वतः वृद्धि को रोकने और हमारे व्यय में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए मैं निम्नलिखित पहल शुरू कर रहा हूँ:

* सभी चालू स्कीमों (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न) को पूर्ण शून्य आधार बजटीय संवीक्षा के अधीन रखा जाएगा। मैंने इस पहल की पिछली वर्ष घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि यह कार्य 8 विभागों

में पूरा कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 69 स्कीमें बंद की जानी हैं या दूसरी स्कीम के साथ मिलाई जानी हैं। शेष विभागों में यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

* पदों के सृजन के मानदंडों की पुनरीक्षा के द्वारा सरकारी विभागों की जनशक्ति की आवश्यकताओं को पुन: आकलन किया जाएगा।

* सरकारी विभागों और संस्थानों में नई भर्ती को न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक सीमित रखा जाएगा।

* अतिरिक्त स्टाफ की पुन: तैनाती की स्कीम को अधिक कारगर बनाया जाएगा और उनके पुन: प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरप्लस पूल में रखे गए स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम भी शुरू की जाएगी।

* जहां कहीं संभव हो, लागत आधारित उपभोक्ता शुल्क लगाने की दृष्टि से सभी सब्सिडी की पुनरीक्षा की जाएगी।

* मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना किसी नई स्वायत्तशासी संस्थाओं का सृजन नहीं किया जाएगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए बजटीय सहायता की पुनरीक्षा की जाएगी और उन्हें आंतरिक संसाधनों को अधिक से अधिक उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

* समग्र ब्याज दर संरचना के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर 1.4.2000 से 1 प्रतिशत कम करके 11 प्रतिशत की जा रही है।

* वर्तमान व्यय के वित्त पोषण के लिए अत्यधिक घरेलू ऋणों के कारण ऋण अदायगी संबंधी भुगतान अव्यवस्थित स्तरों तक पहुंच रहे हैं। इस खाते में व्यय को कम करने के लिए इस विनिवेश आय का एक हिस्सा वापसी योग्य सरकारी ऋण के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए (एक हजार करोड़ रुपए) का आरंभिक प्रावधान किया गया है।

महोदय, बड़ी सब्सिडियों के बारे में मुझे बाद में काफी कुछ कहना है।

ये उपाय आवश्यक हैं और इनकी केवल एक शुरुआत है। हम सरकार का आकार छोटा करने के उद्देश्य के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्रवाई करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। परन्तु राजकोषीय घाटे की मध्यावधिक व्यवस्था के लिए हमें राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में निहित मजबूत सांस्थानिक कार्यतंत्र की सहायता की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रशासन की कार्यसूची में इसका सुझाव दिया गया था। इस मुद्दे की जांच करने और उचित सिफारिशें देने के लिए मैंने एक समिति का गठन कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के दौरान आवश्यक कानून प्रस्ताव मैं सदन के सामने लाऊंगा।

राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती केन्द्र सरकार तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में तेजी से गिरावट आई है। राजस्व घाटे बढ़ गए हैं और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ऋणों का अधिक सहारा लिया जा रहा है। राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। जहां राज्य सरकारों की हमने हर तरह से सहायता की है वहां इन मुद्दों से निपटने के लिए कुछ राज्यों द्वारा प्रदर्शित कृत-संकल्पता ने अत्यधिक सहायता भी की है। राज्यों में राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष और अधिक सामूहिक उपाय करने हेतु मैं प्रयत्न करूंगा। ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट इस दिशा में नीतिगत कदम उठाने के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रदान करेगी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

मेरा दृढ़ विश्वास है कि गरीबी उन्मूलन, आय एवं रोजगार उत्पन्न करने, खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योगों एवं सेवाओं के लिए भरपूर घरेलू बाजार बनाए रखने हेतु कृषि का निरंतर एवं व्यापक आधार पर विकास अनिवार्य है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांस्थानिक माध्यमों से कृषि के लिए इस वर्ष ऋण प्राप्ति लगभग 41,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 2000-2001 में इसके 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 51,500 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की आशा है। पिछले दो बजटों में हमने ग्रामीण ऋण प्राप्तियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय आरंभ किये थे। इस बजट में पहले के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और आगे नए उपाय करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ:

* नाबार्ड द्वारा प्रतिबंधित ग्रामीण आधार-सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) ग्रामीण आधार-सुविधा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक लोकप्रिय एवं प्रभावी स्कीम के रूप में उभरी है। पिछले वर्ष

[श्री यशवन्त सिन्हा]

मैंने आर.आई.डी.एफ. 5 के लिए बैंकिंग क्षेत्रक से 3,500 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आबंटन की घोषणा की थी और ऋणों की अदायगी की अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी थी। आर.आई.डी.एफ. के दायरे का भी विस्तार किया गया था ताकि ग्राम स्तरीय आधारभूत सुविधाओं की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों को ऋण दिया जा सके। इस वर्ष आर.आई.डी.एफ. VI की निधि को बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपए किया जाएगा और इसके द्वारा दिए गए ऋणों पर प्रभारित ब्याज आधा प्रतिशत कम किया जाएगा।

* अधिकांश देशों में सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था गरीबी उन्मूलन हेतु एक प्रभावी माध्यम के रूप में सामने आयी है। अपने पिछले बजट में, मैंने नाबार्ड तथा सिडबी से कहा था कि वे सूक्ष्म उद्यमों के विकास हेतु 50,000 स्व-सहायता समूहों को इसमें शामिल करें। स्वयं नाबार्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान ऐसे 50,000 समूहों को बैंकों के साथ सम्बद्ध करने की सम्भावना है। नाबार्ड और सिडबी वर्ष 2000-2001 के दौरान अतिरिक्त एक लाख समूहों को इसमें शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में और अधिक तेजी लाने के लिए नाबार्ड में एक सूक्ष्म वित्त विकास निधि का निर्माण किया जाएगा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंकों और अन्यों से प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए (सौ करोड़ रुपए) होगा। यह विकास निधि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को आरम्भिक निधि उपलब्ध कराएगी तथा प्रशिक्षण और व्यवस्था प्रबंधन तथा आंकड़े तैयार करने में अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों सहित कमजोर वर्गों द्वारा स्थापित सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

* ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की सहकारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तथापि, मुख्यतया अत्यधिक नौकरशाही तथा राज्य सरकारों और नाबार्ड के अतिव्याप्ति क्षेत्राधिकार की वजह से पिछले कुछ समय से समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी संस्थाओं को यथार्थ रूप से प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही कानून बनाने संबंधी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। ग्रामीण ऋण के लिए, बैंकिंग मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड की पर्यवेक्षण भूमिका की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना भी आवश्यक है। अधिक गतिशील ग्रामीण सहकारी ऋण व्यवस्था हेतु इन दो पूर्व अपेक्षाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं नाबार्ड में एक निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। इसके ब्यौरे सरकार द्वारा पूर्व गठित कपूर समिति की आगामी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक इस बीच बैंकों को यह सलाह दे रहा है कि वे उन सहकारिताओं की ऋण आवश्यकता को प्राथमिकता दें जो पूर्णत: उपभोक्ता सदस्यों द्वारा नियंत्रित हैं तथा जिनका प्रबंधन उनके द्वारा विवेकसम्मत तरीके से किया जा रहा है।

* किसान, क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्यक्रम भी उत्तरोत्तर-आगे बढ़ रहा है। सहकारी बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों ने अभी तक मिलकर-कृषकों के लिए 50 लाख से अधिक कार्ड तथा कार्ड एवं पास बुक जारी किए हैं। मैं नाबार्ड तथा वाणिज्यिक बैंकों से कह रहा हूं कि वह अपने प्रोत्साहन संबंधी प्रयासों को दुगुना करें ताकि मार्च, 2001 तक 75 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकें।

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन: पूंजीकरण संबंधी हमारे प्रयासों के कारण 158 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रचालन मुनाफे दिखा रहे हैं। इनमें से 48 क्षेत्रीय बैंक अपने संचित घाटों को समाप्त करने में सफल हुए हैं। ग्रामीण वित्त-पोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को देखते हुए इनको सुदृढ़ करने के इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने कृषि की 28 चालू अलग-अलग केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को एक व्यापक कार्यक्रम में एकीकृत करने की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे द्विरावृत्ति दूर होगी, समर्थनकारी कार्यक्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियाकलापों को विकसित करने एवं चलाने के लिए राज्य सरकारों को अधिक सुविधा मिलेगी। अभिमुखता एवं गणतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों, जिनका मैंने अपने पूर्व बजटों में उल्लेख किया था, कि दिशा में बढ़ने का यह एक बड़ा कदम है।

देश में भूमि उपयोग के स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जलवायु दशाओं के संबंध में कृषि के विकास और अपने वन संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर हमें

अपनी दीर्घकालिक नीति की समीक्षा तथा समन्वय करने की अत्यन्त आवश्यकता है। हमें वन सम्पदा के संरक्षण तथा विकास, ऊसर भूमि का इष्टतम उपयोग, जलसंभर विकास, जैव विविधता का बचाव आदि कई संबंधित विषयों पर एक समेकित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। निहित मुद्दों की जटिलता को देखते हुए भूमि उपयोग नीति पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और वह विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे तथा सरकार को उचित सिफारिशें प्रदान करेंगे।

हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है कि आर्थिक सुधारों के फलों का आस्वादन समाज के सभी वर्गों के लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी और अधिक विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग कर सकें। सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत सुविधा के यह पांच तत्व जीवन की गुणवत्ता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं ये तत्व हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास एवं सड़कें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था बहुत असंतोषजनक बनी हुई है। हमारे चालीस प्रतिशत गांवों में उचित सड़कें नहीं हैं; 1.8 लाख गांवों में 1 किलोमीटर के भीतर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 4.5 लाख गांवों में पेयजल की समस्या है, कुल अनुमान 140 लाख ग्रामीण रिहायशी आवासों की कमी दर्शाते हैं; ग्रामीण स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे में काफी कमियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की इतनी अधिक कमी स्वीकार्य नहीं है और सरकार तेजी से उन्हें दूर करने के लिए वचनबद्ध है।

बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमारे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों पर नए सिरे से बल देने और ध्यान केन्द्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन बुनियादी शिक्षा और साक्षरता का एक नया विभाग पहले ही सृजित किया जा चुका है। नई कुछ पहलों में ''सर्व शिक्षा अभिमान'' नामक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक नई स्कीम शामिल है जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात में बकाया जिलों को शामिल करने के लिए 2003 तक सभी बच्चों को दाखिल करने और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने में सहायक होगी। साक्षरता के क्षेत्र में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनः सशक्त बनाया जाएगा ताकि वर्ष 2005 तक साक्षरता दर बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जा सके। प्राथमिक शिक्षा के लिए अगले वर्ष में योजना आवंटन 2,931 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,729 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रयत्नों में तेजी लाने और इसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की गति तेज करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में नया पेयजल आपूर्ति विभाग स्थापित किया गया है। रहीम ने कहा था:

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून
पानी गई न उबरिए, मोती, मानस चून

हमारा उद्देश्य अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगले वर्ष में लगभग 60000 बस्तियों और 30000 विद्यालयों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। विभाग के लिए परिव्यय इस वर्ष 1,807 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,100 करोड़ रुपए किया जा रहा है। जनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 1999-2000 में 695 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1,051 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस बजट में ग्रामीण आवास स्कीमों के लिए 1,710 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

इन प्रयत्नों में अधिक तेजी लाने के लिए मैं ''प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना'' नामक एक नई स्कीम चलाने की घोषणा कर रहा हूं जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाना है। मैं बजट में इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान कर रहा हूँ। इस धनराशि में से 2,500 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़क निर्माण व ग्रामीण-संयोजन सुविधा सुधार को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने के लिए निर्धारित किये जायेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत इन क्षेत्रकों में विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय मार्ग निर्देश निर्धारित करेंगे और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करेंगे। पूर्व बुनियादी न्यूनतम सेवा स्कीम को इस नई स्कीम में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार ग्रामीण आबादी की पांच बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित स्कीमों के लिए बजट में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का समग्र प्रावधान है।

ग्रामीण आवास

सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में ''सभी के लिए आवास'' को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देहाती इलाकों में 25 लाख आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समाज के विभिन्न तबकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीमें तैयार की गई हैं:

(1) इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए 12 लाख से अधिक घरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु, बजट में 1,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

(2) उन परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपये प्रतिवर्ष से कम है, ग्रामीण ऋण और सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के लिए बजट में 92 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है।

(3) ग्रामीण आवास बैंक स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम के तहत 1.5 लाख घरों के निर्माण के लिए बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों को पुनर्वित उपलब्ध कराएगा।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिए सरकार ने नौवीं योजना अवधि के दौरान "हुडको" को 350 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मुहैया कराने का निर्णय किया है। इसमें से 200 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं और आगामी वर्ष में और 100 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने का प्रस्ताव है। इस बढ़ी हुई इक्विटी सहायता से हुडको इन निधियों को बढ़ाने और आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में लगभग 9 लाख घरों के निर्माण के लिए वित्त को सुलभ और प्रदान करने हेतु और अधिक संसाधन जुटाने में समर्थ होगा।

(5) सहकारी क्षेत्रक और स्वयंसेवी एजेन्सियां आदि और 1.5 लाख घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगी।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा

एक तिहाई से अधिक आबादी अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे समाज के सबसे गरीब तबकों को थोड़ा बहुत सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया जाए। मैंने सामूहिक बीमा की एक नई स्कीम अर्थात "जनश्री बीमा योजना" शुरू करने का निर्णय किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 20,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु अथवा सम्पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 25,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रीमियम की राशि जीवनांकिक आधार पर तय की जाएगी। गरीबी की रेखा से नीचे के इस स्कीम के सहभागी केवल आधे प्रीमियम की अदायगी करेंगे, शेष अंशदान जीवन बीमा निगम की विद्यमान सामाजिक सुरक्षा निधि, जिसमें सरकार ने उपयुक्त बढ़ोत्तरी की है, के अर्जनों में से किया जाएगा। इस आधार पर, लाभार्थी द्वारा अदा किये जाने वाला मासिक प्रीमियम 10 रुपए अथवा उससे कम होने की आशा है। यह स्कीम हमारे देश के निर्धनतम लोगों को बीमा कवर प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

महिलाओं की अधिकारिता

राष्ट्रीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उनका अधिकारपूर्ण स्थान सुनिश्चित करने की अत्यावश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका से संबंधित सभी मौजूदा विधान और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के अधीन एक कार्य दल गठित करेगी। यह कार्य दल वर्ष 2001 को "महिला अधिकारिता वर्ष" के रूप में मनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने में हमारी सहायता करेगा।

जनसंख्या, स्वास्थ्य और पर्यावरण

सरकार ने हाल ही में एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य 2010 तक कुल गर्भधारण दरों को कम करके प्रतिस्थापित स्तरों तक लाना है। इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए परिवार कल्याण विभाग का आयोजना आबंटन बजट अनुमान 1999-2000 में 2,920 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 3,520 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

हमारी स्वास्थ्य देखभाल में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की भूमिका को समझते हुए विभाग के लिए योजना आबंटन दुगुना किया जा रहा है। औषधियों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण और कालेजों, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं विनिर्माणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। इससे औषधि विनिर्माण के क्षेत्र में निर्यातों में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी।

भावी पीढ़ियों के लिए हमें अपने वनों एवं पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्पोषण करना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के साथ कच्छ वनस्पति के पुनरुत्पादन तथा आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए, बांस उगाने और वानिकी कार्यक्रम, औषधीय वनस्पतियों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देने से हमारे समाज के सर्वाधिक निर्धन वर्गों के लाखों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।

लघु उद्योग

लघु उद्योग क्षेत्रक औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यातों में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बढ़ते हुए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के संदर्भ में, हमारी कार्य योजना है कि ऋण और प्रौद्योगिकी की संवर्धनात्मक नीतियों के जरिए इस क्षेत्रक को सहायता प्रदान की जाए। लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की प्राप्ति में सुधार लाने हेतु मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

* ऋणाधार जमानत उपलब्ध कराने की आवश्यकता बहुत छोटी इकाईयों के लिए बैंक ऋण की प्राप्ति में एक प्रमुख अड़चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ऋणाधार अपेक्षा को समाप्त करने के अनुदेश जारी किए हैं। लघु क्षेत्रक के लिए सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है।

* भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और बैंकों की मौजूदा संयुक्त ऋण स्कीम एक एकल खिड़की के माध्यम से कार्यशील और सावधि ऋण मुहैया करा कर छोटे उधारकर्ताओं की मदद करती है। छोटे उधारकर्त्ताओं की ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त ऋण सीमा को 5 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा रहा है।

* यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक जिला और जिले के भीतर लघु उद्योगों में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग बैंक शाखा कार्यरत हो, मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लघु उद्योग शाखाओं के उनके कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए कह रहा हूं। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, लघु उद्योग शाखाओं में आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है।

* गत वर्ष, मैंने घोषणा की थी कि लघु उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन हेतु एक नई केन्द्रीय योजना को तैयार कर लिया गया है और बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह स्कीम सिडबी के मार्फत कार्यान्वित की जाएगी और इसके अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्रक से 10 लाख रुपए तक के ऋण शामिल होंगे। गारंटीशुदा ऋणों को प्रतिभूतियों का रूप दिया जाएगा और द्वितीयक ऋण बाजार में इनकी खरीद-फरोख्त की जा सकेगी।

सिडबी राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम चलाता है जिसके तहत 15 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए इक्विटी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु उद्योग उद्यमियों की और सहायता करने के लिए परियोजना सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी।

सिडबी इस समय लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण निधि स्कीम चला रहा है। इस स्कीम में कुछ रियायती व्यवस्थाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष सहायता के लिए मूल उधार दर पर ब्याज और अप्रत्यक्ष वित्त के लिए मूल दर से 2 प्रतिशत कम पर पुनर्वित्त शामिल है। इस स्कीम का प्रचालन और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) प्रति व्यक्ति कम निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करने के साधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रक को बढ़ावा देना जारी रखेगी जिससे कि इसके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकें। विपणन प्रयासों में तेजी लाने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने उत्पादों के लिए एक समान ब्रांड नाम शुरू करेगा और घरेलू तथा निर्यात विपणन के लिए व्यावसायिक रूप से प्रबंधित विपणन कम्पनी की स्थापना भी करेगा।

उद्योग और पूंजी बाजार

पिछली सहस्त्राब्दियों में भारत ने ज्ञान के बल पर विश्व को अपना अनुयायी बनाया था। आज इतिहास स्वयं को दुहरा रहा है। युवा भारतीय उद्यमी सूचना तकनीकी क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं चाहे वे सिलिकॉन वैली में हो, बंगलौर अथवा हैदराबाद में हों। उन्होंने हमें दिखा दिया है कि कैसे विचारों, ज्ञान, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी के मेल से आय, रोजगार और समृद्धि में असाधारण तरक्की हासिल की जा सकती है। जो कम्पनियां 5 वर्ष पहले तक अज्ञात थीं, आज विश्व की अग्रणी कम्पनियां बन चुकी हैं। हमें ज्ञान आधारित उद्यम और रोजगार सृजन के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

भावी सफलता की एक प्रमुख जरूरत उद्यम पूंजी वित्त है। सम्पूर्ण समीक्षा के बाद मैं उद्यम पूंजी निधियों के लिए कर संव्यवहार में वृहत उदारीकरण का प्रस्ताव कर रहा हूं। मैं इसका ब्यौरा बाद में दूंगा। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, ''सेबी'' देशी और विदेशी उद्यम पूंजी निधियों दोनों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एकल स्थानिक नोडल एजेन्सी होगी। उद्यम गतिविधि डॉट-काम कम्पनियों तक सीमित नहीं है। विचार और उद्यमशीलता, जो उद्यम पूंजी के लिए आवश्यक हैं, अर्थव्यवस्था

[श्री यशवन्त सिन्हा]

के सभी क्षेत्रकों में पाए जा सकते हैं। कर कानूनों और सेबी के दिशा निर्देशों को तदनुसार निरुपित किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उदारीकरण से सिलिकॉन वैली और अन्यत्र की अनिवासी भारतीयों को अपनी पूंजी, ज्ञान और उद्यम का उनकी मातृभूमि में स्थित उद्यमों में निवेश करने को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

हाल के महीनों में भारत सहित समूचे विश्व भर में स्टॉक बाजारों में उछाल आया है। तथापि, अनुभव ने हमें सिखाया है कि मुश्किल भरा समय भी आ सकता है, ऐसे कठिन समय में ही स्टॉक एक्सचेंजों की निवेशक संरक्षण निधियां वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी के संदर्भ में अपने भाषण के भाग 'ख' में इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा।

हमारे विवेकासम्मत वृहत-आर्थिक प्रबंधन और मुद्रा-परिवर्तनीयता के प्रति अनुसंशोधित नीति की बदौलत हमने गत दो वर्षों के पूर्वी एशियाई संकट का सामना सफलतापूर्वक किया है। लेकिन हमें एहतियात को बुजदिली नहीं समझना चाहिए। हमें भारतीय फर्मों और व्यापारिक मूल के घरानों को सुदृढ़ भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हमारी फर्मों को, विशेषकर विदेशों में व्यवसायों के अर्जन के लिए पूंजी खाता लेनदेनों का काम शुरू करने के लिए अधिकाधिक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है। पिछले महीने सरकार ने भारतीय कम्पनियों को सरकार के पूर्व अनुमोदनों के बिना ए.डी.आर./जी.डी.आर. के निर्गमों के माध्यम से निवेश हेतु निधियां जुटाने के लिए स्वीकृति देने की एक नीति की घोषणा की थी। इन प्राप्तियों की 50 प्रतिशत तक धनराशि का विदेशी बाजार में कम्पनियां खरीदने के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हमने 27 दिसम्बर, 1999 को स्वत: आधार पर 100 मिलियन अमरीकी डालर तक स्टॉक की अदला-बदली के विकल्पों के माध्यम से विदेशी बाजार में सॉफ्टवेयर कम्पनियों के अधिग्रहण की उदारीकृत व्यवस्था की घोषणा की थी। मेरी योजना विदेशों में कम्पनियों के अधिग्रहण संबंधी नीति को पुन: उदार बनाने की है ताकि भारतीय कम्पनियां ज्ञान आधारित क्षेत्रकों में और तेजी से आगे बढ़ सके और भारतीय बहुराष्ट्रिक ऐसे क्षेत्रों में अपनी बुनियाद रख सकें जो आर्थिक रूप से हमारे लिये अधिक लाभकारी हों। अन्य क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए भी मैं भारतीय कम्पनियों के लिए स्वत: मार्ग के अंतर्गत मौजूदा 15 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव करता हूं तथा इससे आगे यह अधिग्रहण विदेशी निवेश समिति की स्वीकृति से किया जाएगा।

पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में विद्यमान नीति के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को किसी कंपनी में इक्विटी शेयरों के कुल 24 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे निदेशक मण्डल के अनुमोदन और कंपनी की साधारण सभा के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। हमारी सर्वोत्तम कंपनियों की विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए मैं इस सीमा को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

हमारे ज्ञान-आधारित उद्योगों का सतत विकास अन्तत: हमारे समाज में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति और प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रसार पर निर्भर करेगा। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता का उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा पिछले माह भारतीय विज्ञान सम्मेलन के अवसर पर अपने सम्बोधन में परिकल्पित आधुनिक भारत के स्वप्न को साकार करने में करना चाहिए। प्रासंगिक प्रौद्योगिकी दृष्टि-परियोजनाओं को शुरू करने और हमारे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान व विकास संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के बजट में 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर रहा हूँ। एक नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व अभिक्रम शुरू करने के लिए मैं विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान के विभाग के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर रहा हूं। यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं और यह सरकार और निजी क्षेत्रक के बीच भागीदारी पर आधारित होगा।

नई बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की व्यवस्था का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों और अनुसंधान व विकास संस्थाओं को उनके पेटेन्ट कराने के प्रयासों को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरकार ने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से निधिपोषित अनुसंधान के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से प्राप्त राजस्व को रखे रहने और अन्वेषक के साथ राजस्व के एक हिस्से में भागीदारी करने की भी अनुमति दी है।

पेटेन्ट कार्यालय और ट्रेड मार्क रजिस्टर के आधुनिकीकरण का कार्य काफी लम्बे समय से प्रतीक्षित है। सरकार ने पेटेन्ट कार्यालय के लिए 75 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में सभी अड़चनों को दूर किया जाए।

बैंकिंग और वित्त

हाल के पूर्वी एशियाई संकट ने बैंकिंग क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के लिए सुधार लागू करने के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित किया

है। हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के लिए आम तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को पूरा करने और बैंकों को उनकी गतिविधियों में विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। सरकारी बजट के अत्यधिक तंगी में होने की वजह से, यह पूंजी जनता से जुटाई जानी होगी जिसका परिणाम सरकारी शेयरधारिता में कटौती के रूप में होगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता को कम करके 33 प्रतिशत करने के लिए नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है। ऐसा बैंकों के सरकारी क्षेत्रक स्वरूप में परिवर्तन किए बिना और यह सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा कि शेयरों के नये निर्गम को जनता द्वारा व्यापक रूप से सफल बनाया जाए। समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया था कि बैंकों के बोर्डों को कॉरपोरेट रणनीति और व्यवसाय प्रबंधन के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने की पर्याप्त स्वायत्तता होनी चाहिए और यह शेयरधारकों अर्थात शेयरधारकों, कर्मचारियों और मुख्य रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। विशेष रूप से, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के हितों का पूरी तरह संरक्षण किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि बैंकों के बोर्डों को आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विधायी उपबन्धों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।

जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, सरकारी क्षेत्रक के कमजोर बैंकों के पुनर्गठन संबंधी कार्य दल ने एक वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण (एफ.आर.ए.) के गठन का सुझाव दिया था। यह निर्णय किया गया है कि एफ आर ए का एक संशोधित रूप तैयार किया जाए। अत: किसी भी बैंक के संबंध में, जिसे कमजोर या सम्भाव्य रूप से कमजोर समझा जाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली संविधियों में संशोधन किया जाएगा जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मण्डल को बरखास्त करने और ऐसे बैंक के लिए विशेषज्ञों और व्यावसायिकों को मिलाकर एक एफ आर ए के गठन की व्यवस्था की जा सके। इन संशोधनों से एफ आर ए बैंक के बोर्ड के सभी अधिकारों सहित विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक को बन्द नहीं करेगी। बैंकों के एक जिम्मेदार स्वामी की हैसियत से सरकार ने निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए कमजोर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर विचार करने का निर्णय किया है, बशर्ते कि संबंधित बैंकों द्वारा स्वामी के रूप में सरकार को और विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार्य एक व्यवहार्य पुनर्गठन कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए।

हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर निरन्तर चिन्ता का विषय बना हुआ है। बैंक प्राप्यों की वसूली के लिए सक्षम और प्रभावी तंत्र एनपीए को कम करने के लिए निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे इस सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक अध्यादेश जारी करके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली, अधिनियम 1993 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। पांच और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.आर.टी.) और चार और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है अथवा वे स्थापना के अंतिम चरण में हैं। मैं मुम्बई में चार और डी.आर.टी. और कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में एक-एक और डी.आर.टी. की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देयताओं के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली को सुविधापूर्ण बनाया जा सके।

नई गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति की वृद्धि को, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मध्य उधारकर्ताओं और सम्भावित उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए बेहतर संस्थागत तंत्रों के जरिए भी रोका जा सकता है। एक ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना के तौर तरीकों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसकी सिफारिशों के आधार पर शीघ्र ही एक ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।

आधुनिक वित्त की तेजी से बदलती दुनिया में मौद्रिक नीति के संचालन और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, मैं संगत मौजूदा विधानों को संशोधित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने का इरादा रखता हूं।

इसी प्रकार, सरकारी ऋण बाजार का विकास सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी ढांचे को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, जिसे मैं पुराने लोक ऋण अधिनियम, 1944 को प्रतिस्थापित करके लाने का प्रस्ताव रखता हूं, के माध्यम से सुदृढ़ और आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है।

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक एकमात्र कलकत्ता-स्थित विकास वित्तीय संस्था है। इसे अपना कारोबार विविधीकृत और विस्तारित करके अपनी व्यवहार्यता और लाभदायकता में सुधार करने योग्य बनाने के लिए सरकार इस बैंक की तरजीही-पूंजी में अभिदान करेगी।

एन.बी.एफ.सी. वित्तीय माध्यस्थ के रूप में और उद्योग तथा सेवाओं के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 3 वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि

[श्री यशवन्त सिन्हा]

से कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुचालित एन.बी.एफ.सी. को ही लोक जमा स्वीकार करने की अनुमति दी जाय, इस क्षेत्र के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किये हैं। मैं एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव रखता हूं, जो एन.बी.एफ.सी. के दोषपूर्ण अथवा धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाईयों की स्थिति में जमाकर्ताओं का हाथ मजबूत करेगा।

आधारभूत सुविधायें

हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र और सतत विकास में आधारभूत सेवाएं मुख्य अड़चन बनी हुई है। हमने निजी सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और अधिकांश आधारभूत सुविधा क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामक संरचना स्थापित करने में काफी प्रगति की है। हमने इन क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी संगठनों को अधिक प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने की भी मांग की है। हम आगामी वर्ष के दौरान दूरसंचार, पत्तन और विमानपत्तन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सेवा प्रदायकों के निगमीकरण के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री जी ने सड़क विकास के लिए एक बड़ी पहल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) की घोषणा की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपये है। अपने पिछले बजट प्रस्तुत करते समय मैंने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर का उपकर लगाने की घोषणा की थी और इसका काफी बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निधिकरण के लिए उपलब्ध होना अनुमानित है। परियोजना के वाणिज्यिक रूप से सक्षम घटकों के लिए संसाधनों को और बढ़ाने हेतु मुझे अपने भाषण के भाग 'ख' में कुछ और अधिक कहना है।

विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय 7,626 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,194 करोड़ रुपए कर दिया गया है। टिहरी जल विद्युत और नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय समर्थन बढ़ा दिये गये हैं ताकि ये दोनों परियोजनाएं मार्च 2002 तक चालू हो सकें। राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उच्च-प्राथमिकता वाली परियोजनाएं चालू करने के लिए विद्युत वित्त निगम से ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए भी 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने और पुराने तथा अक्षम संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण पर निवेश करने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य संगठनों को सहायता प्रदान करने की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अधीन राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय आयोजना सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्य विद्युत बोर्डों के पास केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत और कोयला संगठनों की भारी बकाया राशियां हैं। राज्य विद्युत बोर्डों को इन बकायों के निपटान के लिए सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार के समर्थन से इन बकायों के प्रतिभूतिकरण की एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। केन्द्र सरकार का समर्थन राज्य विद्युत बोर्डों के प्रचालन में सुधारों से जुड़ा होगा।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सेतुसमुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट की पूर्व और पश्चिम तटीय पत्तनों के बीच छोटा मार्ग प्रदान करने की क्षमता है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने परियोजना का विस्तृत संभाव्यता अध्ययन एवं पर्यावरणिक प्रभाव का आंकलन करने की अनुमति दे दी है, जिसकी कुल लागत 4.8 करोड़ रुपए है। मैंने इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिया है।

सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार की नीति सुस्पष्ट है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

* संभावित रूप से चल सकने योग्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना तथा उन्हें पुनरुज्जीवित करना;
* सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है उन्हें बन्द कर देना;
* यदि आवश्यक हो तो सभी कम महत्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26% तथा उससे कम करना; और
* कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करना।

विनिवेश/निजीकरण/सरकारी क्षेत्र का पुनर्गठन

इस नीति के अनुरूप पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 20 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने प्रचालनों को पुनर्गठित करने, अपनी उत्पादकता सुधारने में सफल रहे हैं और उनके कार्यनिष्पादन में एकदम परिवर्तन आ गया है। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सरकार ने हमारे नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में से एक स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए एक व्यापक पैकेज का अनुमोदन हाल ही में किया है।

कई ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो रुग्ण हैं और पुनरुज्जीवित करने के योग्य नहीं हैं। इनके कामगारों और कर्मचारियों

को स्वीकार्य सुरक्षा प्रदान करने के बाद इन उपक्रमों को बंद कर देना ही एकमात्र विकल्प रहता है। ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक अलगाव योजना (वी.एस.एस.) की लागत की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के संसाधन पर्याप्त नहीं रहे हैं। परन्तु, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें अगर मुक्त और वसूल किया जाए तो इनका प्रयोग स्वैच्छिक अलगाव योजना के निधिपोषण के लिए किया जा सकता है। सरकार इन परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के एवज में बाजार से संसाधन जुटाने और इन निधियों का उपयोग कामगारों तथा कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए करेगी।

सरकार ने हाल ही में विनिवेश एवं निजीकरण के लिए एक व्यवस्थित नीति तैयार करने और इस कार्यक्रम को नई गति देने के लिए एक नया विनिवेश विभाग स्थापित किया है जो चुने गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुकूल बिक्री पर अधिक जोर देगा। सभी गैर-महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम की जाएगी तथा कामगारों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। विनिवेश एवं निजीकरण की संपूर्ण प्राप्तियों का उपयोग सामाजिक क्षेत्रकों के व्यय को पूरा करने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन और सरकारी ऋण चुकाने में किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आधारभूत सुविधाओं विशेषकर विमानपत्तन, रेलवे, विद्युत और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उत्तर-पूर्व के कई भागों में देखी गई पृथक्करण की भावना दूर की जा सके। व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगले दो वर्षों के भीतर उत्तर-पूर्वी राज्यों में 50 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 446 कम्प्यूटर सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

उत्तर-पूर्व में कृषि और बागान विकास की क्षमता का उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई और बागवानी की स्कीमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन पर भी विचार किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जातियों के लोगों के शैक्षणिक मानदंडों में सुधार लाने और उनकी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक स्तरोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम पर फिर से जोर दिया जाएगा। इस स्कीम के लिए बजटीय प्रावधान 72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 130 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत महिला साक्षरता पर जोर दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में लगभग 6 लाख सफाई कर्मियों को उनके कार्य से मुक्ति दिलाने और उनके पुनर्वास के हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य की घोषणा की है। एक नयी कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत सफाई कर्मियों को स्व-सहायित सहकारिताओं में संगठित किया जाएगा और सरकार तथा संबंधित वित्त विकास निगमों से सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापित कर दिया गया है। इस मंत्रालय के आयोजना आबंटन को 684 करोड़ रुपये से पर्याप्त रूप में बढ़ाकर 810 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमान

बजट के लिए यह कठिन वर्ष हो रहा है जिसमें व्यय अधिक बढ़ गया था और करों की वसूली में कुछ कमी आयी थी। बजटीय व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और बजटीय कर वसूली में 4 प्रतिशत की कमी का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय 17,461 करोड़ रुपए (2,06,882 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़ गया है और आयोजना व्यय 2,395 करोड़ रुपए (77,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़ गया है। आयोजना भिन्न व्यय में मुख्य बढ़ोत्तरी पेंशन भुगतानों (4,173 करोड़ रुपए), ब्याज भुगतान (3,425 करोड़ रुपए), राज्यों को बढ़ाए गए अर्थोपाय अग्रिम (3,000 करोड़ रुपए), रक्षा (2,810 करोड़ रुपए), ब्याज सब्सिडी (1,304 करोड़ रुपए), खाद्य सब्सिडी (1,000 करोड़ रुपए), डाक घाटा (848 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से राज्यों को सहायता (1,064 करोड़ रुपए) के कारण हैं। योजना व्यय के मामले में मुख्य बढ़ोत्तरी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास (1,900 करोड़ रुपए), राज्य सड़कों (1,000 करोड़ रुपए), रेलवे सुरक्षा (200 करोड़ रुपए), जम्मू एवं कश्मीर को विशेष सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को बढ़ी हुई सहायता के कारण है। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट से की गयी बचतों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए रिलीज करने की आशा की जाती है।

1,32,365 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधानों की तुलना में केन्द्र के निवल कर राजस्वों की प्राप्ति 1,26,469 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो लगभग 5,900 करोड़ रुपए की कमी को प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यत: तेल-भिन्न आयातों के डालर मूल्य में अत्यधिक कम वृद्धि और वर्ष के अधिकांश समय में विनिर्मित उत्पादों के मामले में कम मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप अपेक्षता कम उत्पाद राजस्व के कारण है। बजट के 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में विनिवेश प्राप्तियां 2,600 करोड़ रुपए होने की आशा है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

इस प्रकार राजकोषीय घाटा बजट के 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2000-2001 के लिए बजट अनुमानों में, कुल व्यय 3,38,487 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें से 88,100 करोड़ रुपए आयोजना के लिए और 2,50,387 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए है।

आयोजना व्यय

केन्द्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए बजट सहायता 88,100 करोड़ रुपए रखी गई है, जो 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 8,705 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है। केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 43,661 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 51,276 करोड़ रुपए की जा रही है। 1,17,334 करोड़ रुपए का कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 96,310 करोड़ रुपए के पिछले स्तर से 21,024 करोड़ रुपये अधिक होगा जो कि 22 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि है। वर्ष 2000-2001 के लिए आयोजना में बुनियादी आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें ऊर्जा, परिवहन और संचार में कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का 60 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। सामाजिक सेवाओं के लिए परिव्यय 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2000-2001 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय आयोजना सहायता 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 35,735 करोड़ रुपए की तुलना में 36,824 करोड़ रुपए रखी गई है।

आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 2,24,343 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2000-2001 में आयोजना भिन्न व्यय 2,50,387 करोड़ रुपए होने का अनुदान है जो 26,044 करोड़ रुपए की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। आयोजना भिन्न व्यय में यह वृद्धि मुख्यत: रक्षा (10,083 करोड़ रुपए), ब्याज भुगतान (9,841 करोड़ रुपए) और राज्यों के अनुदान (9,392 करोड़ रुपए) में है। परन्तु यह वृद्धि खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के मामले में अदा की जाने वाली धनराशि में कटोती से आंशिक रूप में प्रति संतुलित की जानी है।

खाद्य एवं उर्वरकों पर बढ़ी सब्सिडी हमारे आयोजना-भिन्न व्ययों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस दर से सब्सिडी भुगतान बढ़ता जा रहा है, उनको कायम रखना सम्भव नहीं है। हमें अपनी सब्सिडियों को उन पर लक्षित करने की आवश्यकता है जो गरीब और जरूरतमंद हैं जबकि अन्य को उसके लिए भुगतान करना चाहिए जिसका वह उपभोग करते हैं। वास्तव में, हम सब्सिडी युक्त खाद्य उनको प्रदान करना चाहते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं ताकि वह अपनी बुनियादी पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तद्नुसार, अगले वर्ष से हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन दुगना बढ़ाकर 10 कि.ग्रा. से 20 कि.ग्रा. कर रहे हैं। इससे हमारे सबसे गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा में अत्यधिक वृद्धि होगी। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का वितरण मूल्य किफायती लागत के 50 प्रतिशत पर निर्धारित किया जा रहा है जो सरकार द्वारा दिसम्बर, 1996 में, लिए गए निर्णय के अनुरूप है। इन उपायों का अगला खास प्रयोजन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के आर्थिक खाद्य बजट को सुधारना और उनकी खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक बढ़ाना होगा। साथ ही साथ गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किफायती लागत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्री मूल्य निर्धारित करने द्वारा ही यह उपलब्धि सम्भव है। चीनी के मामले में अब आयकर निर्धारितियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का आवंटन नहीं किया जाएगा। अन्य के लिए, चीनी के उगाही मूल्य में वृद्धि को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का वितरण मूल्य 13 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप मैं खाद्यान्न तथा चीनी सब्सिडी पर व्यय 2000-2001 में 8,210 करोड़ रुपए पर रखने की आशा कर सकता हूं।

उर्वरक सब्सिडी के मामले में, सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमारी वर्तमान प्रतिधारण मूल्य स्कीम में अनेक कमियां हैं। अधिकांश सब्सिडी उत्पादकों को जाती हैं न कि किसानों को। हमारे उर्वरक यूनिटों की अधिक कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वर्ष से पूंजी संबंधित प्रभारों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सहित, प्रतिधारण मूल्य स्कीम को कुछ युक्तिसंगत बनाने की योजना अमल में लाई जाएगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय भी मध्यावधि में प्रतिधारण मूल्य स्कीम को क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए रूपरेखा प्रकाशित करेगा। निवेशों की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखने के लिए यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। नियंत्रण मुक्त उर्वरक के मामले में रियायत की दर को भी कम किया जा रहा है। परन्तु मूल्यों के प्रभाव को संयमित करने के लिए डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. का अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमश: केवल 7 प्रतिशत और

15 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इन परिवर्तनों और प्रतिधारण मूल्य स्कीम की कुछ युक्तिसंगतता के कारण वर्ष 2000-2001 में उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 12,651 करोड़ रुपए होगा।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-2001 में राज्यों को कर हस्तान्तरण तथा अनुदानों के अनंतिम प्रबंधों की व्यवस्था करने के संबंध में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई संस्तुति के अनुसार राज्यों को अनुदानों के हस्तान्तरण का फार्मूला तथा धनराशि की मात्रा को स्वीकार कर लिया है और तद्नुसार मैंने बजट में प्रावधान कर दिया है।

भाग ख

महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। किंतु उससे पूर्व मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। मैं पहले अप्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

माननीय सदस्यों को अवगत है कि केन्द्र और राज्य दोनों अत्यधिक रूप से अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करते हैं। मैंने हालांकि पिछले वर्ष उत्पाद शुल्कों की दरों की पुनर्संरचना के काम को बहुत हद तक अंजाम दिया था, फिर भी इस प्रक्रिया को आगे ले जाने की जरूरत है। करदाता के लिए अनुपालन लागत में कमी लाने के लिए हमें कर संरचना को पूरी तरह दुरुस्त करने और कार्यविधियों को युक्तिसंगत और सरल बनाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कर विवादों में अपनी शक्ति नष्ट करने की बजाय उत्पादन बढ़ाने और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अपनी शक्ति को केन्द्रित करें।

महोदय, उत्पाद शुल्क में मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य केन्द्र में एक एकल दर की केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवैट) प्रणाली स्थापित करना है। मुझे विश्वास है कि इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, इससे दीर्घकालिक स्थायित्वता प्राप्त होगी, उद्योग के मन की अनिश्चिततायें दूर होंगी और वर्गीकरण के विवाद समाप्त होंगे। इससे राज्यों को भी 1.4.2001 तक अपने बिक्री करों को मूल्यवर्धित कर (वैट) में परिवर्तित करने के अपने सम्मत कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

सदन को स्मरण होगा कि अपने पिछले बजट में मैंने बुनियादी उत्पाद शुल्क की तीन मूल्यानुसार दरें अर्थात् 8%, 16% और 24% शुरु की थीं। मैं इन तीन मूल्यानुसार दरों को 16% "सेनवैट" की एक दर में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस प्रकार 8% की उत्पाद शुल्क दर समाप्त की जा रही है और इस दर वाली अधिकांश मदें 16% में लाई जा रही हैं। फिर भी कुछ मदों को, जो अनिवार्यतः चिकित्सा देखरेख एवं आम आदमी के उपयोग की हैं, उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है। ये मदें इस प्रकार हैं:

चिकित्सीय मदें

* औषधीय ग्रेड आक्सीजन
* औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
* वेदना-हारक
* पोटेशियम आयोडेट
* चिकित्सीय एवं सर्जीकल ग्लोव्स, और

आम उपयोग की मदें

* कटलरी एवं चाकू-छुरी
* घरेलू उपयोगी ग्लासवेयर जिसमें माउथ-ब्लोन प्रक्रिया से बने ग्लासवेयर भी शामिल हैं।
* प्रति बल्ब 20 रुपए तक के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले विद्युत बल्ब
* प्रति अदद 500 रुपये तक के अधिकतम खुदरा मूल्य वाली दीवार घड़ियां एवं घड़ियां
* टूथ पाउडर
* सेनिटरी टावल्स, शिशुओं के नैपकिन्स आदि, और
* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु साबुन।

मैं भुनी हुई चिकोरी को भी छूट प्राप्त मदों में शामिल कर रहा हूं क्योंकि स्वयं कॉफी उत्पाद शुल्क से मुक्त है।

मैंने बड़े सार्वजनिक हित में विनिर्दिष्ट शीतागार शृंखला उपस्करों, जिसके लिए मैंने पिछले बजट में 8 प्रतिशत की कम दर की व्यवस्था की थी, को उत्पाद शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।

कुछ मदें अपनी असाधारण प्रकृति एवं मूल्य वृद्धि के प्रति संवेदनशील होने के कारण कम से कम इस समय विशेष संव्यवहार के योग्य हैं। ये मदें मिट्टी तेल, एल.पी.जी., धुलाई साबुन, कपास धागा, सूती सिलाई धागा और धागों की कुछ अन्य किस्में तथा

[श्री यशवन्त सिन्हा]

10 अश्व शक्ति तक के डीजल इंजन हैं। अतः इनके लिए दर संरचना इस तरह बनाई जा रही है कि 8% के वर्तमान स्तर से इनमें उत्पाद शुल्क न बढ़े और इस प्रकार इस वजह से मूल्य वृद्धि नहीं होगी।

जिन मदों पर इस समय 16% उत्पाद शुल्क है, उनकी सूची में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

16% की "सेनवैट" दर के अलावा मैं विशेष उत्पाद शुल्क की 8%, 16% और 24% की तीन विशेष दरों का प्रस्ताव करता हूं। "सैनवैट" दर से भिन्न यह विशेष उत्पाद शुल्क सामान्यतया मोडवैट योग्य नहीं होंगे अर्थात् उपयोगकर्ता इन शुल्कों के लिए मोडवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

लगभग उन सभी मदों पर जो कच्चे माल या मध्यवर्ती किस्म के हैं, 16% की "सैनवैट" दर लगाई जाएगी। अतः मैं प्लास्टिक सामग्री, प्लास्टिक की फिल्म और शीटों, ट्रैड-रबर, सेलुलर रबर, रबर की वस्तुओं, नाइलोन फिलामेंट यार्न, वस्त्र सामान से बनी ट्रांसमिशन एवं कन्वेयर बेल्ट और सिंथेटिक वस्त्र सामग्री से बनी बोरियों एवं थैलों को वर्तमान 24% के स्तर से 16% "सेनवैट" की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ओ.ई. आपूर्तियों के लिए टायरों एवं वातानुकूलन तथा प्रशीतन मशीनरी के पार्ट्स को भी उन पर कोई विशेष उत्पाद शुल्क लगाए बिना 16% "सैनवैट" वाली सूची में शामिल कर रहा हूं क्योंकि उत्पादन श्रृंखला में यह मध्यवर्ती माल में आते हैं।

इसके अलावा मैं कुछ अन्य उत्पादों, जिन पर इस समय 24% का शुल्क लगाया जाता है, पर शुल्क का बोझ कम कर रहा हूँ। यह मदें स्टेराइल कानटेक्ट लैंस सोल्यूशन, योगरहित शिकाकाई पाउडर, शारीरिक-विकलांगों के लिए कारें हैं। मैंने विचार किया है कि इन मदों पर 16% "सेनवैट" से अधिक का शुल्क भार नहीं डाला जाना चाहिए।

पंजीकृत अस्पतालों द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों पर इस समय 16% का रियायती शुल्क दर लगाया जाता है। मैं भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों के साथ भी यही व्यवहार कर रहा हूँ।

जिन अन्य मदों पर इस समय 24% शुल्क लगाया जाता है उन पर यह इतना ही बना रहेगा अर्थात् 16% "सेनवैट" और 8% विशेष उत्पाद शुल्क।

उत्पाद शुल्क संरचना की मेरी नई योजना में उन मदों पर जिन पर इस समय कुल 30% शुल्क लगाया जाता है, कुल 32% शुल्क लगाया जाएगा अर्थात् 16% "सेनवैट" और 16% विशेष उत्पाद शुल्क। यह मामूली तौर पर केवल 2% की वृद्धि है और मुझे विश्वास है कि इन वस्तुओं के उपभोक्ता इतना वहन कर सकते हैं।

इस समय कुल 40% शुल्क वाली मदों पर अब 16% "सेनवैट" औ 24% विशेष उत्पाद शुल्क होगा। परन्तु बोटलर्स को आपूर्ति किए गए मृदु पेय सान्द्रण पर केवल 16% की दर से "सेनवैट" लगाया जाएगा जो मोडवैट योग्य होगा।

अब मैं मोडवैट स्कीम और उन परिवर्तनों जो मैं करना चाहता हूं, का उल्लेख करूंगा। "मोडवैट" स्कीम को अब "सेनवैट" स्कीम से जाना जाएगा।

गत वर्षों में विभाग और कर-निर्धारितियों के बीच मोडवैट नियमावली की व्याख्या और प्रक्रियाओं पर विवादों ने प्रणाली के लिए परेशानी उत्पन्न की है। मैं इस स्थिति को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अब 1 अप्रैल, 2000 से विद्यमान नियमों की बहुलता के स्थान पर एक सरल एवं स्पष्ट नियमों का एक छोटा सैट होगा जो मैं आशा करता हूँ कि विवादों को कम से कम करेगा।

मैं मोडवैट स्कीम के दायरे के विस्तार एवं युक्तिसंगतता का प्रस्ताव करता हूँ। सभी सामग्रियों एवं सभी पूंजीगत मालों को मोडवैट स्कीम के योग्य सूची में शामिल करता हूं। इसका अपवाद केवल उच्च गति डीजल तेल (एच.एस.डी.) एवं पेट्रोल होगा। परन्तु मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोडवैट क्रेडिट की पूंजीगत मालों पर उपलब्धता 1 अप्रैल, 2000 से दो वर्ष के लिए होगी।

मेरे प्रस्तावों में पहली बार सिगरेटों के लिए मोडवैट स्कीम पूरी तरह लागू करना शामिल है जिसका उद्योग को स्वागत करना चाहिए। परन्तु सिगरेट विनिर्माताओं के लिए इससे आगे शुभ समाचार नहीं है। मैं सभी किस्म की सिगरेटों पर 5% उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस समय परियोजना आयातों पर प्रदत्त सी.वी.डी. का मोडवैट क्रेडिट 75% तक सीमित है। यह एक परेशानी का विषय रहा है। यह क्रेडिट अब सी.वी.डी. के 100% के लिए उपलब्ध होगा। मैंने पूंजीगत माल पर क्रेडिट लेने की पूर्वापेक्षा के रूप में संस्थापन की शर्त को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है।

अब कुछ क्षेत्रक विशिष्ट प्रस्तावों का उल्लेख किया जाएगा। इसमें सबसे पहले इस्पात है।

अध्यक्ष महोदय, कराधान की मूल्य आधारित संरचना अधिकांशतः विकृतियों से मुक्त, समान एवं स्वतः बढ़ने वाली है। इस समय

मैं रि-रालर्स और "इन्डक्शन फर्नेसेस" द्वारा उत्पादित इस्पात पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क संरचना बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं। इन मालों पर 1 अप्रैल, 2000 से मोडवैट लाभ के साथ 16% का "सेनवैट" लगाया जाएगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि रि-रालर्स और "इन्डक्शन" फर्नेसेस पर लागू क्षमता आधारित कर ने समस्याएं सुलझाने के बजाए अधिक समस्याएं उत्पन्न की हैं।

विद्यमान कानून के अधीन डिपो से बेचे गए माल पर डिपो मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है न कि फैक्ट्री मूल्य पर। मुझे प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इससे इस्पात की विपणनीयता और वितरण में विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात की डिलीवरी चाहे संयंत्र से की गई हो या स्टाकयार्ड, से उसके उत्पाद शुल्क का निर्धारण अब आगे से फैक्ट्री मूल्य पर किया जाएगा।

महोदय, अब मैं वस्त्र उद्योग पर आता हूं।

मैंने दिसम्बर, 1998 में स्वतंत्र वस्त्र-प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सम्मिलित शुल्क स्कीम शुरू की थी। यह आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई और इससे नुकसान एवं राजस्व हानियां हुई, अभी भी मैं इस स्कीम में एकदम परिवर्तन नहीं चाहता. परन्तु स्थिति को सुधारने के लिए मैं सम्मिलित शुल्क की दरें प्रति चैम्बर प्रतिमास 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति चैम्बर प्रतिमास 2 लाख रुपए और वर्तमान 2 लाख रुपए से प्रति चैम्बर प्रतिमास 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरे प्रस्तावों में स्कीम में कुछ संशोधन भी शामिल हैं ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

शुल्क प्रदत्त पोलिएस्टर यार्न की बुनाई (टैक्सटराइजिंग) में संलग्न यूनिटें अब आगे से उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दर पर भुगतान करेंगी। इससे इन यूनिटों के संबंध में मूल्य-निर्धारण विवाद कम होने चाहिए।

लघु इकाइयों को एक वर्ष में 50 लाख रुपए तक की निकासियों पर शुल्क रहित छूट प्राप्त है। मैं इस सीमा को बढ़ाने में असमर्थ हूं। तथापि, 1 अप्रैल, 2000 से मैं श्रृंगार और प्रसाधन सामग्रियों, वातानुकूलन और प्रशीतन मशीनरी और उनके पुर्जों, ट्रीड रबर और प्लास्टिक के सामान के लिए प्रचलित विशेष स्कीमों को युक्तिसंगत बना कर उन्हें लघु इकाइयों के लिए छूट की सामान्य स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, अब मैं अपने प्रस्तावों की अगली बात पर आता हूं जो प्रणाली को सुप्रवाही और सरल बनाने से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य उत्पाद शुल्क कार्यविधियों की जटिलताओं और कठोरताओं के जाल से निकाल कर उन्हें सरल और उपभोक्ता के अनुकूल बनाना है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे दर संबंधी प्रस्तावों की ही तरह ये प्रस्ताव भी छोटे-छोटे समायोजनों अथवा सुधारों से कहीं आगे हैं और वर्तमान पद्धतियों से मूलभूत और यहां तक कि नाटकीय बदलाव को प्रदर्शित करते हैं।

1 जुलाई, 2000 से उत्पाद शुल्क के सभी सांविधिक अभिलेखों को समाप्त कर दिया जाएगा। उत्पाद शुल्क विभाग विनिर्माताओं के अभिलेखों पर निर्भर करेगा। इस संबंध में मेरे द्वारा पिछले बजट में आरंभ की गई प्रक्रिया को यह पूरा करता है।

1 अप्रैल, 2000 से उत्पाद शुल्क निर्धारितियों को उत्पाद शुल्कों की अदायगी पाक्षिक किस्तों में करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव से मैं उत्पाद शुल्कों के दिन-प्रतिदिन अदायगी की बहुत पुरानी पद्धति को समाप्त कर रहा हूं। लघु क्षेत्रक के लिए मेरे द्वारा पिछले वर्ष शुरू की गई मासिक अदायगी योजना जारी रहेगी।

इसके बाद मैं मूल्यांकन प्रणाली को सरल, प्रयोक्ता के अनुकूल और वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य रूप में बनाना चाहता हूं। 1 जुलाई, 2000 से मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की विद्यमान धारा 4 जो "सामान्य मूल्य" की अवधारणा पर आधारित है, के स्थान पर कर-निर्धारण के लिए "सौदा मूल्य" के अंगीकरण पर आधारित नई धारा लाना चाहता हूं। यह परम्परागत नीतियों से हटकर एकदम दूसरे मार्ग पर बढ़ने जैसा है।

सदन इस बात से अवगत है कि कई मदों पर उत्पाद शुल्क का निर्धारण अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली लगभग विवादों से परे है और इसका उद्योग जगत में आमतौर पर स्वागत हुआ है। मैं अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित निर्धारण को दो दर्जन नई मदों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा वर्ष के दौरान और मदों को इस स्कीम के अंतर्गत लाने का भी प्रस्ताव है।

मैं औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) के अधिनियम के अधीन औषधीय और प्रसाधन उत्पादों पर लागू शुल्कों की दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित कर निर्धारण उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के लिए भी विस्तार किया जा रहा है। इन उपायों से राज्यों द्वारा उत्पाद शुल्क का संग्रहण अत्यधिक आसान हो जाएगा और उनके राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। ये परिवर्तन किसी अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त मैं चूक की स्थिति में ब्याज और दण्ड की अदायगी से संबंधित उपबंधों को युक्तिसंगत बना रहा हूं। इसके ब्यौरे वित्त विधेयक में निहित हैं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

यहां मेरा उत्पाद शुल्क की पुनर्संरचना और यौक्तिकीकरण से संबंधित पैकेज पूरा होता है। व्यापार एवं उद्योग को अब राहत की सांस लेनी चाहिए।

अब मैं सीमा शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र में मेरे सामने गम्भीर अड़चने हैं। हमें देशी उद्योग को पर्याप्त संरक्षण और विकास प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की टैरिफ-व्यवस्था को अनुसंशोधित करने के बीच एक विवेकयुक्त संतुलन बनाए रखना है। हमें सुधार और यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया को और आगे ले जाने की भी जरूरत है।

सभी कारकों पर विचार करते हुए, मैं बुनियादी शुल्क की अधिकतम दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने और इस प्रकार सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या को 5 से घटाकर 4 अर्थात् 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

10 प्रतिशत का अधिभार, जिसे मैं राजस्व की मजबूरियों के चलते जारी रखने पर विवश हूँ, 35 प्रतिशत की नई अधिकतम दर पर लागू होना जारी रहेगा। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, विश्व व्यापार संगठन करार में शामिल कुछ मदों और सोने और चांदी पर छूट बनी रहेगी।

सदन को यह स्मरण होगा कि मैंने वर्ष 1998-99 के अपने बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्कों का एक विशेष अतिरिक्त शुल्क (सैड) लगाया था। इससे विनिर्माता आयातकर्त्ताओं में काफी उदासी फैल गई थी। परन्तु व्यापारी खुश थे, क्योंकि उन्हें छोड़ दिया गया था। मैं इस छूट को वापस लेकर इस भेदभाव को दूर कर रहा हूँ। अब सभी आयातक यह शुल्क अदा करेंगे। परन्तु विशेष अतिरिक्त शुल्क पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा।

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संधि दायित्वों के परिणामस्वरूप कई सौ मदें 1.4.2000 से आयातों की निःशुल्क सूची में रखी जाएंगी। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं हैं और अनेक कृषि उत्पाद हैं। इन मदों को पर्याप्त टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं जैसी कुछ मदों को छोड़कर उन्हें अधिकतम दर (35 प्रतिशत तथा अधिभार) पर रखा जा रहा है। कई कृषि और बागवानी उत्पादों, जिन्हें गत वर्षों में आयात की निःशुल्क सूची में रखा गया था, को भी हमारे किसानों के पर्याप्त संरक्षण के लिए अधिकतम दर में लाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त छोड़े से संवेदनशील कृषि उपजों जैसे गेहूँ, चावल, चीनी और खाद्य तेल जिनमें आपूर्ति प्रबंधन के हमारे अनुभव ने समय-समय पर टैरिफ समायोजनों के महत्व को रेखांकित किया है, मैं उपर्युक्त रूप से उच्च स्तरों पर सांविधिक टैरिफ दरों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सामर्थ्यकारी उपबंध कर रहा हूँ। इससे लागू दरों के समायोजन के लिए आवश्यक लचीलापन मिल सकेगा।

सीमा शुल्क राजस्व उगाही का जरिया ही नहीं है, यह हमारी औद्योगिक क्षमताओं का निर्माण करने और हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। मैं इस संबंध में अनेक उपायों का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें तीन क्षेत्रकों को चुना जा रहा है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना है। ये ''समविकासिता क्रान्ति'' जो तेजी से एक वास्तविकता बन रही है, का भी अभिन्न अंग है।

सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) क्षेत्रक है जो वर्तमान हलचल के माहौल में अग्रणी है। मैं आई टी क्षेत्रक के लिए कई मदों पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें निम्नलिखित शामिल हैः

* कम्प्यूटर, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
* मदर बोर्ड, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
* फ्लॉपी डिस्क, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
* सेमिकंडक्टरों और आई सी के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुएं 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
* कम्प्यूटरों के लिए माइक्रोप्रोसेसर, 5 प्रतिशत से शून्य;
* मैमोरी स्टोरेज उपकरण, 5 प्रतिशत से शून्य;
* सीडी रोम 5 प्रतिशत से शून्य;
* इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोएसेम्बलीज 5 प्रतिशत से शून्य; और
* कम्प्यूटरों के लिए रंगीन मॉनीटरों के लिए डाटा ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूब 5 प्रतिशत से शून्य;

दूरसंचार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमें देश और विदेशों से जुड़ना होगा। अतः मैं आप्टिकल फाइबर के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सेल्यूलर फोनों पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिससे उनकी उचित माध्यमों से उपलब्धता में सुधार लाया जा सके और अनियमित बाजार के खतरे को रोका जा सके और उनके बैटरी पैकों पर सीमा शुल्क 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर लागू बुनियादी शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर को इंटरनेट सेवा प्रदायकों के लिए भी लागू कर रहा हूँ।

तीसरा क्षेत्र मनोरंजन उद्योग है और यह भी वृहत् सम्भावना का क्षेत्र है। फिल्म उद्योग के लिए सिनेमाटोग्राफी की लागत में कमी करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के लिए मैं सिनेमाटोग्राफी कैमरों और अन्य संबंधित उपकरणों पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं जम्बो रोलों में रंगीन पाजिटिव फिल्मों और कुछ आकारों के रोलों में रंगीन निगेटिव फिल्मों पर बुनियादी सीमा शुल्क भी 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन्हें भी सीवीडी से छूट प्राप्त होगी।

मैं इस संदर्भ में एक और क्षेत्रक को शामिल करना चाहूंगा।

भारत आभूषणों के निर्यात में विश्व में अग्रणी हो सकता है जैसे कि यह रत्नों के मामले में है। मैं उत्कृष्ट आभूषणों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आभूषण निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से प्लेटिनम और गैर-औद्योगिक हीरों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य के साथ हमारे करार को कार्यरूप देने के लिए, मैं फाइबर, यार्न, टेक्सटाइल फेब्रिक और वस्त्रों पर सीमा शुल्कों में समायोजन का प्रस्ताव करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप, फेब्रिकों और वस्त्रों की कई किस्मों पर अब से उनके लिए निर्धारित शुल्कों के यथा-मूल्य और विशेष दरों से अधिक शुल्क लगेगा।

जहां तक पेट्रोलियम क्षेत्रक का संबंध है, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की पिछले कुछ समय से चल रही अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें अब हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरियों पर गम्भीर दबाव डालती आ रही हैं और इससे तेल पूल खाते में भी विकृतियां उत्पन्न हो गयी हैं। इसके बढ़ने का कारण यह भी है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अभी तक पूर्णतया नियंत्रण मुक्त नहीं की गयी हैं। इसलिए मैं कच्चे तेल पर बुनियादी सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और पेट्रोलियम उत्पादों पर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें समानान्तर विपणन हेतु मिट्टी के तेल को शामिल नहीं किया गया है जिस पर बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है।

कई मामलों में आबद्ध दरें हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के भाग के रूप में घटाई जानी हैं। मैं उनके संबंध में विस्तार में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु इनकी कुछ राजस्व संबंधी उलझनें हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने सामरिक स्वरूप की वस्तुओं अथवा चेरिटेबल उद्देश्यों को छोड़कर सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों में तदर्थ रियायत प्रदान करने की सरकार की शक्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था, मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि इस आत्म निषेधात्मक कानून से इस वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए की सरकारी बचत हुई है।

मैं अब प्रक्रियात्मक सुधारों तथा करदाताओं की समस्याओं के समाधान संबंधी कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करूंगा। सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तथाकथित "कारण बताओ नोटिस राज" को कम करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि अब से ऐसे "कारण बताओ नोटिस" जिनमें 1 करोड़ रुपये से अधिक की शुल्क राशि अन्तर्निहित हो, केवल सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किये जाएंगे। अन्य "कारण बताओ नोटिसों" के लिए सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि किसी चूककर्ता से प्राप्त कर लोकहित में यथाशीघ्र राजकोष में पहुंचना चाहिए। इस समय अपवंचित शुल्क के लिए 100 प्रतिशत के बराबर दण्ड की अदायगी करनी होती है और यह अनिवार्य है, भले ही कोई व्यक्ति अधिनिर्णयन आदेश दिए जाने के तत्काल बाद देयताओं का भुगतान करे। देय कर की अदायगी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैंने अब प्रस्ताव किया है कि यदि आदेश के सूचित किए जाने के 30 दिन के भीतर अपवंचित कर की राशि की ब्याज सहित अदायगी कर दी जाय तो केवल अपवंचित करके 25 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य दण्ड अदा करना होगा। मुझे आशा है कि यह दण्ड और प्रोत्साहन दोनों का उद्देश्य पूरा करेगा क्योंकि समय पर कर भुगतान न करने पर दण्ड लगाना ही होगा।

सेवा कर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जो सम्भावनाओं के द्वार खोलने के साथ-साथ समस्याओं को भी आमंत्रण देता है। कई विशेषज्ञ मुझे सलाह देते हैं कि इस कर को व्यवहार में लाने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि इसे एक ही बार में सभी सेवाओं पर लागू कर दिया जाय। परन्तु कुछ अन्य ने सेवा कर के ढांचे में ही बुनियादी परिवर्तनों का सुझाव दिया है। मैंने फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय किया है। मैं मामले के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने, अब तक के अनुभव की समीक्षा करने और अपनी सुविचारित सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन कर रहा हूं।

उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से एक वर्ष में 3252 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। सीमा शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्तावों से 1428 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में परिवर्तनों को लागू करने वाली जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटल पर यथा-समय रख दी जाएंगी।

अब मैं प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों की ओर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की मेरी योजना स्थायित्व, आर्थिक विकास, यौक्तिकीकरण और सरलीकरण इन चार बातों पर आधारित है।

वैयक्तिक कराधान की हमारी मौजूदा दरों की संख्या केवल तीन है और जो काफी कम हैं। यद्यपि प्राथमिक छूट सीमा 50,000 रुपए है, लेकिन जब अन्य छूट और कटौतियों को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक छूट सीमा कहीं अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए वेतनभोगी व्यक्ति मानक कटौती के कारण प्रतिवर्ष 75,000 रुपए की सीमा को पार करने के बाद ही कर का भुगतान करना प्रारम्भ करते हैं। यदि बचतों के लिए उपलब्ध कर रियायतें तथा कटौतियों को ध्यान में रखा जाए तो छूट की वास्तविक सीमा 1 लाख रुपए के आस-पास पहुंच जाती है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि कराधान की मौजूदा दरें तथा छूट सीमा उचित हैं। मैं उनमें बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूं।

यद्यपि पिछले वर्ष लगाया गया 10 प्रतिशत अधिभार अस्थायी था, लेकिन मुख्यत: रक्षा आवश्यकताओं और वित्त आयोग द्वारा अधिदेशित राज्यों को हस्तान्तरण के कारण भारी और अप्रत्याशित व्यय भार को ध्यान में रखते हुए मैं इसे जारी रखने के लिए विवश हूं।

वर्ष के दौरान जब कारगिल कर की काफी बातें हो रही थीं मैंने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। मैं अब ऐसे गैर-कम्पनी करदाताओं पर अधिभार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी कुल कर योग्य आय 1,50,000 रुपये से अधिक है। इससे उनकी सीमान्त दर में मामूली बढ़ोत्तरी होकर वह 33 प्रतिशत से 34.5 प्रतिशत हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि समाज का अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग इस अतिरिक्त भार को खुशी से वहन करेगा।

कहीं ऐसा महसूस न हो कि कम्पनियों पर अधिभार को न बढ़ाते हुए मैं भेदभाव बरत रहा हूं, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन कम्पनियों को भी अन्य प्रकार से अभी बाद में राष्ट्रीय प्रयास में अपना योगदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, मैं वैयक्तिक कराधान के संबंध में कुछ सकारात्मक उपायों का प्रस्ताव करता हूं।

वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपनी सक्रियता की अवधि के दौरान दिए गए योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने और बढ़ती उम्र में उनके द्वारा उठायी जाने वाली सम्भावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं उनके लिए उपलब्ध कर रियायत को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। 30 प्रतिशत की सीमान्त कर दर पर, यह उनकी सकल आय से 15,000 रुपए की अतिरिक्त छूट है अथवा यह धारा 88 के अंतर्गत सदृश छूट प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपए की अतिरिक्त राशि बचाने की आवश्यकता के स्थान पर है।

मैं हमेशा यह मानता आया हूं कि समस्त कठिनाइयों के बावजूद वित्त मंत्री के रूप में बजट बनाने का मेरा कार्य उस सामान्य गृहिणी की अपेक्षा सरल है जो परिवार का बजट संतुलित करने हेतु संघर्षरत है। अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक भागीदार के रूप में महिलाओं के योगदान के महत्व को समझते हुए मैं प्रतीक रूप में, महिला करदाताओं को उनकी कर देयता से 5,000 रुपए की अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। यह छूट 15,000 रुपए की समग्र सीलिंग के अधीन होगी, यदि वह वरिष्ठ नागरिक भी हों।

रक्षा बलों के सदस्यों द्वारा की गयी सेवाओं को महत्व देने की दृष्टि से और उनके असाधारण साहस एवं शौर्य के लिए हमारा आभार प्रकट करने के रूप में मैंने पिछले वर्ष इन सेवाओं के वीरता पुरस्कार पाने वालों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन को कर से छूट प्रदान की थी। अब मैं राष्ट्रीय और नागरिक सुरक्षा में लगे अर्द्ध सैनिक बलों और दूसरे बलों के वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए भी इसी प्रकार का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

अब मैं आर्थिक विकास में सहायक के रूप में कराधान की भूमिका पर चर्चा करूंगा। ज्ञान पर आधारित उद्योग अग्रणी रूप में तेजी से उभर रहे हैं। उनके विकास में तेजी लाने, उनमें निवेश को प्रोत्साहन देने और जैसाकि अपने भाषण के भाग ''क'' में मैंने उल्लेख किया है, मैं उद्यम पूंजी निधियों के संबंध में एक नयी व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं होंगी:

(1) उद्यम पूंजी निधि के लिए कर प्राधिकारियों की कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

(2) ''पास थ्रो'' का सिद्धांत उद्यम पूंजी निधियों के कर व्यवहार में लागू होगा, उनकी आय कर से मुक्त

होगी, केवल उस दशा को छोड़कर जब इसे "सेबी" के दिशानिर्देशों में निर्धारित समयावधि के भीतर वितरित नहीं किया गया हो। निवेशकों के पास उपलब्ध आय भी जो अन्यथा करयोग्य होगी, करमुक्त रखी जाएगी और जब कि उद्यम पूंजी निधि अपनी आय निवेशकों को वितरित करता है तो उसके द्वारा 20 प्रतिशत की दर से केवल एक बार कर का भुगतान किया जाएगा। यही दर अवितरित आय पर भी लागू होगी।

मुझे आशा है कि इन प्रोत्साहनों से उद्यमियों तथा निवेशकों पर सरस्वती (अर्थात् ज्ञान) और लक्ष्मी (अर्थात् धन) का एक साथ वरदहस्त बना रहेगा।

आधारभूत क्षेत्रक के लिए पहले से ही कई कर लाभ उपलब्ध हैं। मैं इन लाभों का विस्तार शहरी अवसंरचना के दो अतिरिक्त और अत्यावश्यक क्षेत्रों अर्थात जलशोधन और ठोस कूड़े-कचरे के निपटान पर करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं चेरिटेबल ट्रस्टों में स्वीकृत निवेश के रूप में शहरी अवसंरचना हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण की व्यवस्था करने वाली सार्वजनिक कम्पनियों में निवेशों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इससे शहरी अवसंरचना के विकास की परियोजनाओं में और अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी।

आधारभूत सुविधा के विकास हेतु और अधिक प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, मैं मौजूदा 54डक और 54डख उपबंधों को हटाने और उनके स्थान पर नए उपबंध का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं जिसके द्वारा पूंजीगत लाभों से प्राप्त कर रियायत तभी उपलब्ध होगी जब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश किया गया हो। इन बांडों की लॉक-इन अवधि पांच वर्षों की होगी और उनसे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि के वित्त पोषण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के लिए किया जाएगा।

मैं पिछले वर्ष आवास निर्माण के संबंध में दी गई सुविधाओं को जारी रखने और पहले से उपलब्ध लाभों को आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक पूर्ण होने वाले मकानों अथवा परियोजनाओं पर यह लागू होगा। मुझे आशा है कि इससे आवास निर्माण की गतिविधियां बनी रहेंगी तथा उनमें तेजी आएगी।

इस क्षेत्र के प्रोत्साहन संबंधी पैकेज को बढ़ाने के लिए, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आयकर-अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर की 20 प्रतिशत छूट पूर्व में 10,000 प्रतिवर्ष की तुलना में अब 20,000 रुपए तक के लिए भवन निर्माण ऋणों की वापसी अदायगी हेतु उपलब्ध होगी।

वर्तमान में यदि पूंजी परिसम्पत्तियों के अन्तरण से प्राप्त पूंजी लाभ को किसी मकान में, यदि यह मकान पहले से ही स्वामित्व में हो, निवेशित किया जाता है तो दीर्घकालिक पूंजी लाभों पर कर से छूट की व्यवस्था नहीं है, मैं इस प्रतिबंध को हटा रहा हूं। भले ही कर-दाता के पास एक मकान हो, तो भी वे नए मकान में निवेश कर सकते हैं और पूंजी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर प्राप्त पूंजी अभिलाभ पर कर से छूट का दावा कर सकते हैं।

गत वर्ष मैंने मनोरंजन उद्योग के लिए निर्यात लाभों पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया था। परन्तु यह लाभ केवल कम्पनियों तक सीमित रहा। मैं वित्तीय वर्ष 1999-2000 से इस लाभ को गैर-कम्पनी निर्धारितियों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गैर-कम्पनी फिल्म निर्माताओं के प्रति नजर आ रहा भेदभाव दूर हो जाएगा, परन्तु मैं यह भी आशा करता हूं कि यह उद्योग कम्पनीकरण तथा आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ेगा जो व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संभव है।

मनोरंजन उद्योग द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग पर ध्यान देने के लिए तथा प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से, मैं किसी फिल्म निर्माता द्वारा कर प्राधिकारियों को फिल्म निर्माण के दौरान भुगतान किये जा रहे मौजूदा 25,000 रुपए के स्तर को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि प्रत्यक्ष कर के संबंध में पहले से दी गयी रियायतों के साथ ये रियायतें मनोरंजन उद्योग को इस बात से पुनः आश्वस्त करेंगी कि "हम साथ-साथ हैं"।

नौ-परिवहन हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिवहन शक्तियां प्रदान करता है और इसकी सामरिक प्रासंगिकता भी है। भारतीय नौवहन उद्योग, जो इस समय गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, के बेड़े को सुदृढ़ करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने के लिए संसाधन पैदा करने में समर्थ बनाने हेतु मैं मौजूदा 50 प्रतिशत की तुलना में उसके सम्पूर्ण लाभों के संबंध में कटौती करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं यदि इन्हें नये जलयानों की खरीद के लिए उपयोग हेतु रिजर्व में रखा गया हो। यह 100 प्रतिशत की कटौती इस वर्ष से केवल पांच वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी।

मानव संसाधनों में निवेश सतत आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य प्राथमिकता है। प्रतिभावान, विशेषकर समृद्ध परिवारों से नहीं आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त करने योग्य

[श्री यशवन्त सिन्हा]

बनाने के लिए मैं अनुमति योग्य कटौती के रूप में उच्च शिक्षा के लिए ऋण की वापसी अदायगी की अधिकतम राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 3 लाख रुपए से अधिक को ऋण राशि में परिवर्तित करेगी, जिससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, विशेषकर प्रबंधन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती हुई लागत पूरा करने में मदद मिलेगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में बहुत हद तक सहायक हो सकती है। यह एक तरफ व्यापक बेरोजगारी और दूसरी तरफ उचित रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के बीच विरोधाभासी असमानता को भी दूर कर सकती है। इसे स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मैं छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं स्थापित करने और चलाने के लिए किए गए भुगतानों पर 100 प्रतिशत छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

कुछ महत्वपूर्ण परंतु छुट-पुट उपलब्धियों को छोड़कर हम अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में कोई बड़ा स्थान नहीं रखते। अन्य कई क्रियाकलापों की तरह आधुनिक खेलों को भी विकास के लिए मुद्रा और आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। जहां कई खेलों को अत्यधिक निधियां उपलब्ध है, वहां अन्य अधिकांशत: पर्याप्त सहायता के अभाव में कठिनाई में हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निगमित संगठनों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास और खेलों की प्रायोजकता के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ को दिए जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी। मैं आशा करता हूं कि इस रियायत से भारतीय ओलम्पिक संघ देश में खेलों को बेहतर ढंग से बढ़ावा दे सकेगा।

पिछले वर्ष, निगमित पुनर्संरचना पर मेरे प्रस्तावों का भारतीय उद्योग द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। तथापि, कुछ उपबन्धों को स्पष्ट करने और युक्तिसंगत बनाने की लगातार मांग होती रही है। अत: मैं आय-कर अधिनियम के उपबंधों में उपयुक्त परिवर्तन करके इस संबंध में अस्पष्टता को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य विद्युत बोर्डों जैसे सांविधिक निकायों के विलग्न के फलस्वरूप परिणामी कंपनियों को विलगन के लाभ प्राप्त होंगे, यदि वे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तें पूरी करते हैं।

पिछले वर्ष मैंने घाटे को आगे ले जाने और समंजित करने के लिए समान कारोबार की निरंतरता की शर्त समाप्त कर दी थी। मैं उसी आधार पर असमायोजित मूल्यह्रास अग्रेनीत और समंजित करने से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। समान व्यापार की निरंतरता की शर्त समाप्त हो जाएगी और असमायोजित मूल्यह्रास को उस समान व्यापार के जारी नहीं रहने पर भी अग्रेनीत और समंजित किया जा सकेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित निगमों को अधिक पुनर्संरचना, लचीलापन और स्वतंत्रता देने के लिए मैं कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों को और उदार बनाने तथा सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों पर कर छूट की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। अब उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए उन्हें कर प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, अगर ये योजनाएं निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती हैं।

न्यूनतम वैकल्पिक कर का परिकलन करते समय इस समय उपलब्ध विभिन्न छूटों और ऋण प्रणाली ने मौजूदा उपबंधों की कारगरता को कम आंका है और इससे कानूनी उलझनें भी उत्पन्न हुई हैं। इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम वैकल्पिक कर अब 10.5 प्रतिशत की मौजूदा दर के बजाय कंपनी अधिनियम के अधीन यथानिर्धारित "खाता लाभ" के 7.5 प्रतिशत की संशोधित दर पर लगाया जाए। तथापि, यह एक अपवाद, जिसका मैं बाद में उल्लेख करूंगा, को छोड़कर, अब समान रूप से लागू होगा। अदा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए कोई खाता जमा भी नहीं होगा। इससे सभी शून्य करदाता कंपनियों को कर जाल के भीतर आ जानी चाहिए, जो इस कर का मूल प्रयोजन भी है। नई प्रणाली की विशेषता कर की निम्न दर, परिकलन की सरल विधि और समान रूप से प्रयोज्यता है।

कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकरण के संवर्धन के लिए मैं औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और जिलों में स्थापित नई इकाइयों के लिए उपलब्ध करावकाश को और दो वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, मैं नए स्थापित लघु उद्योगों के लिए मौजूदा कर लाभ अगले दो वर्षों अर्थात 31 मार्च, 2002 तक प्रदान करने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

हमारे पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के लिए मैं स्टॉक एक्सचेंजों की निवेशकर्ता संरक्षण निधियों की आय को ऐसी निधियां स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस समय घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश आय पर शेयरधारकों द्वारा कोई कर देय नहीं होता है और कंपनी अपने द्वारा वितरित लाभांश की राशि पर 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय कर अदा करती है। लाभांश आय और ब्याज आय के कर निर्धारण में बड़े अंतर की व्यापक आलोचना की गई है। इस विसंगति को कम करने के लिए मैं घरेलू कंपनियों द्वारा वितरित लाभांशों पर कर की

दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि शेयरधारकों को होने वाली लाभांश आय कर-मुक्त बनी रहेगी।

इसी तरह म्युचुअल फंडों, बैंक जमाओं और कंपनी जमाओं जैसे अन्य साधनों से होने वाली ब्याज आय के लिए असमान कर निर्धारण से उत्पन्न विकृतियों को कम करने के लिए मैं ऋणोन्मुखी म्यूचुअल फंडों और यू टी आई द्वारा वितरित आय पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। तथापि, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यू टी आई की यू एस-64 और अन्य खुली इक्विटी मूलक योजनाओं के अधीन वितरित आय को वर्तमान की तरह इस कर से छूट प्राप्त होती रहेगी।

इस समय बैंक और वित्तीय संस्थाएं 2 प्रतिशत का ब्याज कर अदा करती हैं जो उनकी लागतों में वृद्धि करते हैं। वित्तीय लेन-देनों में आने वाली इस बाधा को दूर करने के लिए मैं इस कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वित्तीय क्षेत्रक को और उसके फलस्वरूप बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्त्ताओं और जमाकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा।

जीवन बीमा क्षेत्र को अब खोल दिया गया है और इस पर अब सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं रहेगा। इन पर अभी विशेष दर पर कर लगाया जाता है, जिसमें बदले हुए परिदृश्य में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को देखते हुए ऐसा संशोधन करना चाहूंगा। मैं इस प्रयोजन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं और वर्ष के दौरान इस संबंध में उसकी सिफारिशों के आधार पर आवश्यक संशोधन करने की आशा करता हूं।

बेहतर कर अनुपालन की दिशा में की गई मुख्य पहलों में एक 1/6 योजना शुरू करना था। अन्य उपायों के साथ इसने करदाताओं, जो 1996-97 तक मात्र एक करोड़ से थोड़े अधिक स्तर तक ही सीमित थे, की संख्या बढ़ाने में काफी योगदान किया है और अब यह संख्या दो करोड़ से आगे पहुंच गई है जिसमें सबसे अधिक बढ़ोत्तरी पिछले दो वर्षों के दौरान हुई है। इससे उत्पन्न गति और कर आधार को व्यापक बनाने वाले अन्य उपायों को बनाये रखने की आवश्यकता है। अतएव मैं इस छः में से एक की योजना का मौजूदा 54 शहरों से देश के अतिरिक्त 79 देशों में विस्तार करने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर दो लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहर इसमें शामिल हो जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप चलने के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले साझा व्यापारिक पहचान संख्या को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। हमारे संदर्भ में आयकर की स्थायी खाता संख्या ऐसा एक दस्तावेज होगा। प्रारंभ में सीबीईसी और डीजीएफटी अपने निर्धारितियों, आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में काफी लोगों के लिए "पैन" कार्ड प्राथमिक पहचान दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड का स्थान लेगा।

"पैन आवंटन के अभियान को तेज करने की दृष्टि से मैं उन सभी शहरों, जहां छः में से एक योजना चालू है, (उन 79 शहरों सहित जहां योजना का विस्तार किया जा रहा है) में करदाताओं द्वारा आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर उन्हें "पैन" कार्ड जारी करने के लिए विशेष काउंटर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। यह सुविधा 1 जुलाई, 2000 से प्रारम्भ हो जाएगी।

महानगरों और बड़े शहरों के आसपास कई फार्महाउस स्थापित किए गए हैं। इनमें से कई को रिहायशी आवास के लिए किराए पर देने और समारोह आयोजित किये जाने से वाणिज्यिक आय होती है। इस आय, जिसकी कृषि आय के रूप में गलत घोषणा की जाती है, पर कोई कर अदा नहीं किया जाता। केवल सच्चे और वास्तविक किसानों के लिए ही मूल रूप से अभिप्रेत छूट के इस घोर और स्पष्ट दुरुपयोग को माफ नहीं किया जा सकता अथवा ऐसा होते रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि फार्महाउस को वास्तविक कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से होने वाली आय को कर जाल में लाया जाए, मैं कानून में उपयुक्त परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कर संग्रहण की प्रणाली को जहां तक संभव हो, प्रयोक्ता अनुकूल और सक्षम बनाने की मेरी अत्यधिक इच्छा रही है। करदाता को शीघ्र, सुविधापूर्वक और सम्मानपूर्वक कर अदा करने की स्थिति में होना चाहिए। इसे देखते हुए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति तथा कंपनियां राष्ट्रीयकृत बैंक की ऐसी किसी शाखा में जहां उनका खाता है, अपना कर जमा कर सकें, कर-संग्रहण की मौजूदा उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने और उन्हें सशक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। यह सुविधा छः में से एक योजना के अधीन शामिल सभी नगरों और शहरों में पहली अगस्त, 2000 से उपलब्ध होगी। प्रचालनात्मक कारणों से यह सुविधा प्रारंभ में केवल कम्प्यूटरीकृत शाखाओं में ही प्रदान की जाएगी परंतु इसका लगातार विस्तार किया जाएगा।

मैं कर वापसियों की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। जहां करदाताओं को उनके बैंकों को सूचित करते हुए वापसी का चैक भेजने की वर्तमान प्रथा जारी रहेगी, वहां कर विभाग भी निर्धारितियों के बैंक खाते में सीधे कर वापसी जारी

[श्री यशवन्त सिन्हा]

करने की सुविधा प्रदान करेगा, यदि करदाता ऐसा चाहता हो। प्रचालनात्मक कारणों से यह सुविधा भी प्रारंभ में बैंकों की कम्प्यूटरीकृत शाखाओं से शुरू की जाएगी और बाद में बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ इसका निरंतर विस्तार किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा विशेष सुविधा की अपेक्षा की आशा से हमारा आयकर अधिनियम छूटों का एक विशाल संकलन बन गया है। आय तो आय है, इस पर कर लगना ही चाहिए, कोई स्थाई छूट नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए मैं रियायतों और छूटों की मौजूदा प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की शुरुआत करना चाहता हूं। विभिन्न वस्तुओं की निर्यात आय पर इस समय आय के 50 से 100 प्रतिशत तक आयकर से छूट मिलती है। अत: मैंने पांच वर्षों की अवधि में इन रियायतों को धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैं प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 2000-2001 से इन रियायतों को 20 प्रतिशत तक वापस ले रहा हूं और उन्हें शून्य स्तर पर पहुंचने तक प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत के समान आधार पर कम करना जारी रखा जाएगा। निर्धारण वर्ष 2004-2005 की समाप्ति तक ये निर्यात आय पूर्णत: कर योग्य होंगी। इस "सनसेट" (अंतिम) प्रावधान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निर्यातकर्ता इसके पूर्णत: समापन तक न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट प्राप्त करते रहेंगे। इस यौक्तिकीकरण उपाय से अर्जित राजस्व से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और मानव संसाधन में अन्य निवेशों को वित्तपोषित करने में हमें सहायता मिलेगी।

युक्तिसंगतता लाने के मेरे उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

* शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाने वाले न्यासों को छूट से इन्कार नहीं किया जाएगा, भले ही उनके न्यासीगण उनसे चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त करते हों। ऐसे लाभों पर ही कर लगेगा।

* न्यासों द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में किए गए निवेश एक निश्चित अवधि के लिए पात्र निवेश बने रहेंगे, भले ही वह विनिवेश के बाद सरकारी क्षेत्र की कंपनियां न रह गई हों।

* म्युचुअल फंड और यूटीआई द्वारा वितरित लाभों पर कर और लाभांश कर के आस्थगित भुगतान के लिए ब्याज को प्रति माह 2 प्रतिशत से घटाकर प्रति माह 1.5 प्रतिशत किया जाना।

* कर्मचारियों द्वारा प्राप्त भत्तों पर छूट पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ाई जाएगी।

* व्यावसायविदों द्वारा खातों के अनिवार्य अनुरक्षण के लिए सकल प्राप्तियों की सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए किया जाएगा।

* अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विभागीय अपीलों के निपटान की परामर्शी सीमा का क़ानून में प्रावधान किया जाएगा।

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय इस बजट में प्रत्यक्ष करों पर किए गए विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-2001 में अनुमानित राजस्व 72,105 करोड़ रुपये होगा जिसमें 5,080 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त संसाधन जुटाने का घटक भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों से मेरा अनुमान है कि केन्द्र की कुल कर राजस्व प्राप्तियां 1,46,209 करोड़ रुपए होंगी और राजकोषीय घाटा 1,11,275 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत होगा। मैं राजकोषीय घाटे में और कमी लाने के प्रयास कर सकता था, परन्तु राजस्व संग्रहण के काफी अधिक उच्च स्तर से इस समय चल रहे औद्योगिक सुधार को धक्का लग सकता था। अत: अल्पकाल में, मुझे राजकोषीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता और विकास चक्र में समुत्थान के दौर को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के बीच सावधानीपूर्वक सन्तुलन बनाना था। मुझे आशा है कि यह महान सदन इस सन्तुलन का समर्थन करेगा जो मैंने इस बजट में बनाने का प्रयास किया है।

विकास अपने आप में एक साध्य नहीं है। यह रोजगार के अवसर बढ़ाने और हमारे लोगों, विशेषकर निर्धनतम लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने का एक अतिमहत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण विकास में तेजी लाने, सड़क निर्माण, आवासीय सुविधाएं बढ़ाने, ज्ञान-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मानव संसाधन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के हमारे सभी कार्यक्रमों के संयोजन में सतत व्यापक आधारयुक्त विकास से रोजगार के अवसरों में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी होगी। हमारे देश की गरीबी की समस्या का इससे बेहतर कोई समाधान नहीं हो सकता है।

महोदय, यह सहस्त्राब्दि भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व स्तर में आगमन के अग्रदूत के रूप में आयी है। दो वर्षों की अल्पावधि में हमने यह दिखा दिया है कि भारतीय प्रतिभा तथा भारतीय प्रयास किसी भी मायने में कम नहीं हैं। दो वर्षों की छोटी सी अवधि में हमने यह सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी उत्पाद अथवा सेवा के मामले में "मेड इन इंडिया" एक सम्मान का

प्रतीक बन गया है। दो वर्षों की इस अल्पावधि में हमने दुनिया के सामने यह तस्वीर पेश कर दी है कि भारत 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टि से एक महाशक्ति बनेगा। दुनिया की नजरें अब हमारी ओर हैं और हम बहुत कुछ करके दिखायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस सम्माननीय सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 3.55 बजे

वित्त विधेयक, 2000*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: वित्त विधेयक, 2000 पुरःस्थापित हुआ।

अब सभा 1 मार्च, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.57 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 1 मार्च, 2000/11 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 29.2.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 29 फरवरी, 2000/10 फाल्गुन, 1921 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
12	3	(छ) से (ज)	(छ) और (ज)
55	अंतिम	तत्संबंर्धी	तत्संबंधी
60	16	(घ) से (ङ)	(घ) और (ङ)
86	नीचे से 14	कुमारी भावना पुडीलकराव गवली	कुमारी भावना पुंडीलकराव गवली
209	12	(श्री सुकदेव सिंह ढिंडसा)	(श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा)
329	11	श्री मनीभाई रामजीभाई चौधरी	श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी
331	नीचे से 10	(ङ) से (च)	(ङ) और (च)

पी.एल.एस.—48/4/5/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।